भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

(1925 का अधिनियम संख्यांक 39)[1]

[30 सितम्बर, 1925]

[2]* निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकार
को लागू विधि का समेकन
करने के लिए
अधिनियम**

[2]*** निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकार को लागू करने के लिए विधि को समेकित करना समीचीन है अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "प्रशासक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सक्षम प्राधिकारी ने, जहां कोई निष्पादक नहीं है वहां, मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लिए नियुक्त किया है;

(ख) "क्रोड़पत्र" से ऐसी लिखत अभिप्रेत है जो किसी विल के संबंध में की गई है और जो उसकी प्रकृति की व्याख्या, उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करती है और जो विल का भाग मानी जाएगी;

[3][(खख) "जिला न्यायाधीश" से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है;]

(ग) "निष्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे मृत व्यक्ति की अंतिम विल का निष्पादन वसीयतकर्ता की नियुक्ति द्वारा सौंपा गया है;

[4][(गग) "भारत" से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;]

(घ) "भारतीय क्रिश्चियन" से भारत का ऐसा मूल निवासी अभिप्रेत है जो अमिश्र एशियाई अवजनन वाला है या ऐसा होने का सद्‌भाविक रूप से दावा करता है और जो क्रिश्चियन धर्म के किसी भी रूप को मानता है;

(ङ) "अवयस्क" से अभिप्रेत है भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत वयस्कता प्राप्त नहीं की है और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और "अवयस्कता" से ऐसे किसी व्यक्ति की प्रास्थिति अभिप्रेत है;

(च) "प्रोबेट" से वसीयतकर्ता की संपदा के प्रशासन के अनुदान सहित सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रमाणित विल की प्रति अभिप्रेत है;

[5][(छ) "राज्य" के अंतर्गत भारत का ऐसा कोई भाग, जिसमें अंतिम अधिकारिता वाला न्यायालय है;] और

(ज) "विल" से वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात् कार्यान्वित किए जाने की वांछा करता है ।

3. राज्य में किसी मूलवंश, पंथ या जनजाति को अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो 1865 के मार्च के सोलहवें दिन से भूतलक्षी प्रभाव से या भविष्यलक्षी प्रभाव से, इस अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों, अर्थात् धारा 5 से 49, 58 से 191, 212, 213 और 215 से 369 में से किसी के प्रवर्तन से राज्य में किसी मूलवंश, पंथ या जनजाति के या ऐसे मूलवंश, पंथ या जनजाति के किसी भाग के सदस्यों को छूट दे सकती है जिन्हें राज्य सरकार ऐसे उपबंधों को या उनमें से किसी को, जो आदेश में वर्णित हों, लागू करना असंभव या असमीचीन समझती है ।

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर और संघ राज्यक्षेत्र (विधि) संशोधन अधिनियम, 1956 (1956 का 68) द्वारा मणिपुर पर किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के प्रांतों में" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1929 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) राज्य सरकार, ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी आदेश को प्रतिसंहृत कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं कि प्रतिसंहरण का भूतलक्षी प्रभाव हो ।

COURT BOOK

(3) इस धारा के अधीन छूट प्राप्त या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865[1] (1865 का 10) की धारा 332 के अधीन उस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्राप्त व्यक्तियों को इस अधिनियम में छूट प्राप्त व्यक्ति कहा गया है ।

भाग 2

अधिवास

4. इस भाग का लागू होना—यदि मृतक हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन है तो यह भाग लागू नहीं होगा ।

5. मृत व्यक्ति की स्थावर और जंगम संपत्ति के उत्तराधिकार को विनियमित करने वाली विधि—(1) मृत व्यक्ति की [2][भारत] में स्थित स्थावर संपत्ति का उत्तराधिकार [2][भारत] की विधि द्वारा, विनियमित होगा, चाहे ऐसे व्यक्ति का, उसकी मृत्यु के समय, अधिवास कहीं भी रहा हो ।

(2) मृत व्यक्ति की जंगम संपत्ति का उत्तराधिकार उस देश की विधि द्वारा विनियमित होगा जिसमें ऐसे व्यक्ति का अधिवास उसकी मृत्यु के समय था ।

दृष्टांत

(i) **क** का अधिवास [2][भारत] में है, उसकी मृत्यु फ्रांस में होती है और वह जंगम सम्पत्ति फ्रांस में, जंगम सम्पत्ति इंग्लैंड में, और जंगम और स्थावर, दोनों सम्पत्ति भारत में छोड़ जाता है । उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति का उत्तराधिकार भारत की विधि द्वारा विनियमित होगा ।

(ii) **क** एक अंग्रेज है जिसका अधिवास फ्रांस में है, उसकी मृत्यु [2][भारत] में होती है और वह जंगम तथा स्थावर, दोनों संपत्ति [2][भारत] में छोड़ जाता है । जंगम संपत्ति के उत्तराधिकार का विनियमन उन नियमों द्वारा होगा जो फ्रांस में अधिवास करते हुए मरने वाले किसी अंग्रेज की जंगम संपत्ति के उत्तराधिकार को फ्रांस में शासित करते हैं और स्थावर संपत्ति का उत्तराधिकार भारत की विधि द्वारा विनियमित होगा ।

6. जंगम संपत्ति के उत्तराधिकार का एक ही अधिवास द्वारा प्रभावित होना—किसी व्यक्ति का अपनी जंगम संपत्ति के उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए केवल एक ही अधिवास हो सकता है ।

7. धर्मज जन्म वाले व्यक्ति का मूल अधिवास—ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका जन्म धर्मज है, मूल अधिवास उस देश में होता है, जिसमें उसके जन्म के समय उसका पिता अधिवासी था; या यदि वह मरणोत्तर संतान है तो उस देश में होता है जिसमें उसका पिता, अपनी मृत्यु के समय, अधिवासी था ।

दृष्टांत

क के जन्म के समय उसका पिता इंग्लैंड में अधिवासी था । **क** का मूल अधिवास इंग्लैंड में है, चाहे उनका जन्म किसी भी देश में हुआ हो ।

8. अधर्मज संतान का मूल अधिवास—अधर्मज संतान का मूल अधिवास उस देश में होता है, जिसमें उसके जन्म के समय उसकी माता अधिवासी थी ।

9. मूल अधिवास का जारी रहना—मूल अधिवास तब तक अभिभावी रहता है जब तक नया अधिवास अर्जित नहीं कर लिया जाता है ।

10. नए अधिवास का अर्जन—कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश में, जो उसके मूल अधिवास का देश नहीं है, अपना नियत आवास बनाकर नया अधिवास अर्जित करता है ।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि उसने [2][भारत] में अपना नियत आवास केवल इस कारण बना लिया है कि वह वहां [3][सरकार की सिविल, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक सेवा] में या कोई वृत्ति या उपजीविका के लिए निवास कर रहा है ।

दृष्टांत

(i) **क**, जो इंग्लैंड का मूल अधिवासी है, [2][भारत] में आता है, जहां वह अपने अवशिष्ट जीवन के दौरान निवास करने के आशय से बैरिस्टर या व्यापारी के रूप में बस जाता है । उसका अधिवास अब भारत में है ।

---

[1] इस अधिनियम द्वारा निरसित किया गया ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी की सिविल, सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक सेवा" के स्थान पर प्रति स्थापित ।

(ii) **क**, जो इंग्लैंड का अधिवासी है आस्ट्रिया जाता है और आस्ट्रियन सेवा में बने रहने के आशय से, उस सेवा में प्रवेश करता है । **क** आस्ट्रिया में अधिवास अर्जित कर लेता है ।

COURT BOOK

(iii) **क**, जो फ्रांस का मूल अधिवासी है कुछ वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार की नियुक्ति के अधीन [1][भारत] में निवास करने के लिए आता है । उसका आशय उस अवधि की समाप्ति पर फ्रांस लौट जाने का है । वह भारत में अधिवास अर्जित नहीं करता है ।

(iv) **क**, जो इंग्लैंड का अधिवासी है, अपनी विघटित भागीदारी के कार्यकलापों के परिसमापन के प्रयोजन के लिए [1][भारत] में निवास करने आता है और उसका आशय उस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर यथाशीघ्र इंग्लैंड लौट जाने का है । वह ऐसे निवास के कारण [1][भारत] में अधिवास अर्जित नहीं करता है चाहे उसका निवास जितने भी समय के लिए हो ।

(v) **क**, पूर्ववर्ती अंतिम दृष्टांत में वर्णित परिस्थितियों में [1][भारत] में निवास करने आता है; बाद में अपने आशय में परिवर्तन कर देता है और [1][भारत] में अपना नियत आवास बना लेता है । **क**, ने [1][भारत] में अधिवास अर्जित कर लिया है ।

(vi) **क**, जो चन्द्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती का अधिवासी है, राजनीतिक घटनाओं के कारण कलकत्ता में शरण लेने के लिए विवश है और इस आशा में कि ऐसा राजनीतिक परिवर्तन होगा जिससे वह चन्द्रनगर सुरक्षित लौट सकने में समर्थ होगा, कई वर्षों तक कलकत्ता में निवास करता है । वह ऐसे निवास द्वारा [1][भारत] में अधिवास अर्जित नहीं करता है ।

(vii) **क**, पूर्ववर्ती अंतिम दृष्टांत में वर्णित परिस्थितियों में कलकत्ता आने पर ऐसे राजनीतिक परिवर्तनों के घटित होने के पश्चात् भी, जो उसे चन्द्रनगर सुरक्षित लौटने में समर्थ बनाते हैं, वहां अपना निवास जारी रखता है और उसका यह आशय है कि कलकत्ता में उसका निवास स्थायी होगा । **क** ने [1][भारत] में अधिवास अर्जित कर लिया है ।

11. भारत में अधिवास अर्जित करने की विशेष रीति—कोई व्यक्ति [1][भारत] में अधिवास अर्जित करने की अपनी इच्छा की, अपने हस्ताक्षर सहित, एक लिखित घोषणा करके और उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त [1][भारत] में किसी कार्यालय में निक्षिप्त करके, [1][भारत] में अधिवास अर्जित कर सकता है; परन्तु यह तब जब कि उसने अपनी ऐसी घोषणा करने के समय के ठीक पूर्व एक वर्ष तक [1][भारत] में निवास किया हो ।

12. विदेशी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या उसके कुटुंब के भाग के रूप में निवास द्वारा अधिवास का अर्जित न होना—कोई व्यक्ति, जो एक देश की सरकार द्वारा उसके राजदूत, कौंसल या अन्य प्रतिनिधि के रूप में अन्य देश में नियुक्त किया जाता है, अपनी नियुक्ति के अनुसरण में पश्चात्वर्ती देश में केवल निवास करने के कारण ही उसमें अधिवास अर्जित नहीं करता है; कोई अन्य व्यक्ति भी, ऐसे प्रथम वर्णित व्यक्ति के साथ उसके कुटुम्ब में भाग के रूप में या किसी सेवक के रूप में केवल निवास के कारण ऐसा अधिवास अर्जित नहीं करता है ।

13. नए अधिवास का चालू रहना—नया अधिवास तब तक चालू रहता है जब तक पूर्ववर्ती अधिवास पुन: आरम्भ न कर दिया गया हो या अन्य अधिवास अर्जित न कर लिया गया हो ।

14. अवयस्क का अधिवास—अवयस्क का अधिवास उसके उस जनक के अधिवास का अनुसरण करेगा, जिससे उसका मूल अधिवास व्युत्पन्न हुआ था ।

अपवाद—अवयस्क के अधिवास में उसके जनक के अधिवास के साथ तब्दीली नहीं होती है यदि अवयस्क विवाहित है या सरकार की सेवा में कोई पद या नियोजन धारण करता है या यदि उसने जनक की सम्पत्ति से कोई सुभिन्न कारबार स्थापित किया है ।

15. विवाह पर स्त्री द्वारा अधिवास का अर्जन—विवाह द्वारा स्त्री अपने पति का अधिवास अर्जित करती है यदि उसका वही अधिवास पहले से ही नहीं है ।

16. विवाह के दौरान पत्नी का अधिवास—पत्नी का अधिवास उसके विवाह के दौरान उसके पति के अधिवास के अनुसार होता है ।

अपवाद—पत्नी का अधिवास उसके पति के अधिवास के अनुसार उस समय नहीं रह जाता है जब वे सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा पृथक् कर दिए जाते हैं या पति निर्वासन का दंडादेश भुगत रहा हो ।

17. अवयस्क का नया अधिवास अर्जित करना—इस भाग में इसके पूर्व अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई व्यक्ति, अवयस्कता के दौरान, नया अधिवास अर्जित नहीं कर सकता है ।

18. पागल का नया अधिवास अर्जित करना—कोई उन्मत्त व्यक्ति किसी अन्य रीति से नया अधिवास अर्जित नहीं कर सकता है । उसका अधिवास अन्य व्यक्ति के अधिवास के अनुसार ही होगा ।

19. अन्यत्र अधिवास का सबूत न होने पर भारत में जंगम संपत्ति का उत्तराधिकार—यदि कोई व्यक्ति [2][भारत] में जंगम सम्पत्ति छोड़ कर मर जाता है तो अन्यत्र किसी अधिवास का सबूत न होने पर सम्पत्ति का उत्तराधिकार [2][भारत] की विधि द्वारा विनियमित होता है ।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 3

विवाह

20. विवाह द्वारा हितों और शक्तियों का न तो अर्जित होना और न नष्ट होना—(1) कोई व्यक्ति, विवाह द्वारा, उस व्यक्ति, की, जिसके साथ वह विवाह करता है संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा या अपनी स्वयं की संपत्ति की बाबत ऐसा कोई कार्य करने में असमर्थ नहीं होगा, जो वह, यदि वह अविवाहित होता तो, कर सकता था ।

(2) यह धारा—

(क) 1866 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व किए गए किसी विवाह को लागू नहीं होगी;

(ख) किसी ऐसे विवाह को, जिसका एक या दोनों पक्षकार विवाह के समय, हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन धर्म मानता या मानते थे, लागू नहीं होगी और न कभी भी लागू हुई समझी जाएगी ।

21. ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह का प्रभाव जिनमें से एक भारत का अधिवासी हो और दूसरा भारत का अधिवासी न हो—यदि कोई व्यक्ति, जो [1][भारत] का अधिवासी नहीं है [1][भारत] में ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसका अधिवास [1][भारत] में है तो दोनों में से कोई भी पक्षकार विवाह द्वारा दूसरे पक्षकार की किसी ऐसी सम्पत्ति की बाबत, जो विवाह से पूर्व किए गए व्यवस्थापन में नहीं आती है, और जिसे वह उसके द्वारा उस दशा में अर्जित नहीं करता यदि दोनों विवाह के समय [1][भारत] में अधिवासी होते, कोई अधिकार अर्जित नहीं करता है ।

22. विवाह को आसन्न मानकर अवयस्क की संपत्ति का व्यवस्थापन—(1) अवयस्क की संपत्ति का व्यवस्थापन विवाह को आसन्न मानकर किया जा सकेगा, परन्तु यह तब तक जब कि व्यवस्थापन अवयस्क द्वारा अवयस्क के पिता के अनुमोदन से या यदि पिता की मृत्यु हो गई है या वह [1][भारत] में नहीं है तो, उच्च न्यायालय के अनुमोदन से किया गया है ।

(2) इस धारा की या धारा 21 की कोई भी बात 1866 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व किए गए किसी विल या हुई किसी निर्वसीयतता को या किसी हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन की सम्पत्ति के निर्वसीयती या वसीयती उत्तराधिकार को लागू नहीं होगी ।

भाग 4

समरक्तता के विषय में

23. भाग का लागू होना—इस भाग की कोई भी बात 1866 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व किए गए किसी विल या हुई किसी निर्वसीयतता को या किसी हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, जैन या पारसी की संपत्ति के निर्वसीयती या वसीयती उत्तराधिकार को लागू नहीं होगी ।

24. रक्त संबंध या समरक्तता—रक्त संबंध या समरक्तता एक ही वंश या एक ही पूर्वज से अवजनित व्यक्तियों का संबंध या नातेदारी है ।

25. पारंपरिक समरक्तता—(1) पारंपरिक समरक्तता वह है जो ऐसे दो व्यक्तियों के बीच अस्तित्व में रहती है जिनमें से एक, दूसरे से सीधी परम्परा में अवजनित हुआ हो, जैसे किसी व्यक्ति और उसके पिता, पितामह तथा प्रपितामह के बीच में और इसी प्रकार ऊपर की ओर सीधी ऊपरली परम्परा में हों, या जैसे किसी व्यक्ति और उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र के बीच और इसी प्रकार नीचे की ओर सीधी निचली परम्परा में हो ।

(2) हर पीढ़ी एक डिग्री होती है चाहे वह ऊपरली हो चाहे निचली ।

(3) किसी व्यक्ति का पिता उससे पहली डिग्री में संबंधित है और ऐसे ही उसका पुत्र है, उसका पितामह और उसका पौत्र दूसरी डिग्री में उसका प्रपितामह और प्रपौत्र तीसरी डिग्री में संबंधित है, वैसे ही आगे होता है ।

26. सांपार्श्विक समरक्तता—(1) सांपार्श्विक समरक्तता ऐसे दो व्यक्तियों के बीच अस्तित्व में होती है जो एक ही वंश या पूर्वज से अवजनित है किन्तु उनमें से कोई भी एक दूसरे से सीधी परम्परा में अवजनित नहीं है ।

(2) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि कोई सांपार्श्विक नातेदार मृत व्यक्ति से रक्त संबंध की किस डिग्री में आता है यह आवश्यक है कि मृत व्यक्ति से ऊपर की ओर सामान्य पूर्वज तक गणना की जाए और तब नीचे की ओर सांपार्श्विक नातेदार तक गणना की जाए । ऊपरली और निचली ओर के प्रत्येक व्यक्ति को एक डिग्री माना जाएगा ।

27. उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए मृतक के समरूप संबंधी के रूप में अभिनिर्धारित व्यक्ति—उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए—

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) मृत व्यक्ति से उसके पिता के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों और उसकी माता के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों के बीच; या

(ख) मृत व्यक्ति से पूर्व रक्त द्वारा संबंधित व्यक्तियों और उससे अर्धरक्त द्वारा संबंधित व्यक्तियों के बीच; या

(ग) मृत व्यक्ति के जीवनकाल में वास्तव में जन्मे व्यक्तियों और उसकी मृत्यु की तारीख को केवल गर्भ स्थित किन्तु तत्पश्चात् जीवित जन्मे व्यक्तियों के बीच,

कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

28. रक्त संबंध की डिग्री की गणना की रीति—रक्त संबंध की डिग्री की गणना अनुसूची 1 में दी गई रक्त संबंधियों की सारणी में उपवर्णित रीति से की जाएगी ।

दृष्टांत

(i) वह व्यक्ति जिसके नातेदारों की संगणना करनी है, और उसका कजिन-जर्मन या फर्स्ट कजिन, जैसा कि सारणी में दर्शित है, चौथी डिग्री से संबंधित है, ऊपरली ओर एक डिग्री, पिता की है, दूसरी एक ही पूर्वज पितामह की है; और उससे निचली ओर एक डिग्री अंकल की है और दूसरी कजिन-जर्मन की है सब मिलाकर चार डिग्री होती है ।

(ii) भाई का पौत्र और अंकल का पुत्र अर्थात् ग्रेट नेफ्यू और कजिन-जर्मन समान डिग्री में आते हैं क्योंकि प्रत्येक चार डिग्री दूर पड़ते हैं ।

(iii) कजिन-जर्मन का पौत्र उसी डिग्री में आता है जिसमें ग्रेट अंकल का पौत्र होता है क्योंकि दोनों रक्त संबंध की छठी डिग्री में आते हैं ।

भाग 5

निर्वसीयती उत्तराधिकार

अध्याय 1—प्रारम्भिक

29. भाग का लागू होना—(1) यह भाग 1866 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व होने वाली किसी निर्वसीयतता को या किसी हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, सिक्ख या जैन की संपत्ति को लागू नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय इस भाग के उपबन्ध निर्वसीयतता के सभी मामलों में [1][भारत] की विधि होंगे ।

30. किसी संपत्ति की बाबत मृतक को निर्वसीयत मृत माना जाएगा—कोई भी व्यक्ति ऐसी सभी संपत्ति की बाबत, निर्वसीयत मृत माना जाता है जिसका उसने ऐसा वसीयती व्ययन नहीं किया है जो प्रभावी हो सके ।

दृष्टांत

(i) **क** ने कोई विल नहीं छोड़ा है; उसकी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की बाबत निर्वसीयत मृत्यु हुई है ।

(ii) **क** ने एक विल छोड़ा है, जिसके द्वारा उसने **ख** को अपना निष्पादक नियुक्त किया है, किन्तु विल में कोई अन्य उपबन्ध नहीं है । **क** की संपत्ति के वितरण की बाबत निर्वसीयत मृत्यु हुई है ।

(iii) **क** ने अपनी सम्पूर्ण संपत्ति की वसीयत किसी अवैध प्रयोजन के लिए की है । **क** की अपनी संपत्ति के वितरण की बाबत, निर्वसीयत मृत्यु हुई है ।

(iv) **क** ने **ख** को, 1,000 रुपए की वसीयत की है और **ग** के ज्येष्ठतम पुत्र को 1,000 रुपए की वसीयत की है और कोई अन्य वसीयत नहीं की है; और अपनी मृत्यु पर वह 2,000 रुपए छोड़ जाता है और कोई अन्य संपत्ति नहीं छोड़ता है । **ग** की मृत्यु, जिसे कभी भी कोई पुत्र नहीं हुआ, **क** के पहले हो जाती है । **क** की 1,000 रुपयों के वितरण की बाबत निर्वसीयत मृत्यु हुई है ।

अध्याय 2—पारसियों से भिन्न निर्वसीयतों के मामले में नियम

31. अध्याय का पारसियों को लागू न होना—इस अध्याय की कोई बात पारसियों को लागू नहीं होगी ।

32. ऐसी संपत्ति का न्यागत होना—किसी निर्वसीयती की संपत्ति मृतक की पत्नी या पति पर या उसके रक्त संबंधियों पर इस अध्याय में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट क्रम और नियमों के अनुसार न्यागत होगी ।

[2]* * * * *

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

COURT BOOK
POWERING LEGAL CLARITY

33. जहां निर्वसीयती कोई विधवा और पारंपरिक वंशज या विधवा और केवल रक्त संबंधी या विधवा छोड़ गया है और कोई रक्त संबंधी नहीं छोड़ गया है—जहां निर्वसीयती कोई विधवा छोड़ गया है :—

(क) यदि वह कोई पारम्परिक वंशज भी छोड़ गया है तो उसकी संपदा की एक-तिहाई उसकी विधवा की होगी और बचा हुआ दो-तिहाई इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार उसके पारंपरिक वंशजों को मिलेगा;

(ख) [1][जैसा धारा 33क में उपबन्धित है उसके सिवाय] यदि वह कोई पारम्परिक वंशज नहीं छोड़ गया है किन्तु ऐसे व्यक्तियों को छोड़ गया है जो उसके रक्त सम्बन्धी हैं तो उसकी संपत्ति का आधा उसकी विधवा का होगा और दूसरा आधा इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट क्रम और नियमों के अनुसार उसके रक्त संबंधियों को मिलेगा;

(ग) यदि वह अपना कोई रक्त सम्बन्धी नहीं छोड़ गया है तो उसकी सम्पूर्ण संपत्ति उसकी विधवा की होगी ।

[2][**33क. विशेष उपबंध जहां निर्वसीयती कोई विधवा छोड़ गया है किन्तु कोई पारम्परिक वंशज नहीं छोड़ गया है**—(1) जहां निर्वसीयती विधवा छोड़ गया है किन्तु पारंपरिक वंशज नहीं छोड़ गया है और उसकी संपत्ति का शुद्ध मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है वहां उसकी संपूर्ण सम्पत्ति उसकी विधवा की होगी ।

(2) जहां सम्पत्ति का शुद्ध मूल्य पांच हजार रुपए की राशि से अधिक है वहां विधवा उसके पांच हजार रुपयों की हकदार होगी और उसका पांच हजार रुपयों की ऐसी राशि के लिए, निर्वसीयती की मृत्यु की तारीख से, जब तक उसका संदाय न कर दिया जाए, उस पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, ऐसी संपूर्ण संपत्ति पर भार होगा ।

(3) इस धारा द्वारा विधवा के लिए किया गया उपबंध, पांच हजार रुपयों की उक्त राशि का यथापूर्वोक्त ब्याज सहित संदाय करने के पश्चात् बची हुई ऐसे निर्वसीयती की संपदा के अवशिष्ट में उसके हित और अंश के अतिरिक्त और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और ऐसा अवशिष्ट धारा 33 के उपबंधों के अनुसार वैसे ही वितरित किया जाएगा मानो वह ऐसे निर्वसीयती की संपूर्ण संपत्ति है ।

(4) संपत्ति का शुद्ध मूल्य, उसके सकल मूल्य में से निर्वसीयती के सभी ऋणों, सभी अंत्येष्टि और प्रशासन व्ययों और ऐसे सभी अन्य विधि सम्मत दायित्वों और भारों की, जिसके अध्यधीन सम्पत्ति होगी, कटौती करके सुनिश्चित किया जाएगा ।

(5) यह धारा—

(क) (i) किसी भारतीय क्रिश्चियन की;

(ii) किसी ऐसे पुरुष के, जो अपनी मृत्यु के समय भारतीय क्रिश्चियन है या था, किसी पुत्र-पुत्री या पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री की; या

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्म मानता है और जिसकी संपत्ति का उत्तराधिकार विशेष विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 3) के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विनियमित होता है,

संपत्ति को लागू नहीं होगी;

(ख) तभी लागू होगी जब मृतक अपनी सभी संपत्ति की बाबत निर्वसीयत मरा हो ।

34. जहां निर्वसीयती कोई विधवा नहीं छोड़ गया है और जहां वह कोई रक्त संबंधी नहीं छोड गया है—जहां निर्वसीयती कोई विधवा नहीं छोड़ गया है वहां उसकी संपत्ति उसके पारंपरिक वंशज को या उन्हें जो उसके रक्त संबंधी हैं किन्तु पारंपरिक वंशज नहीं हैं इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार मिलेगी और यदि वह ऐसे किसी को नहीं छोड़ गया है जो उसके रक्त संबंधी हैं तो वह सरकार को मिलेगी ।

35. विधुर के अधिकार—यदि पत्नी निर्वसीयत मर जाती है तो उसके उत्तरजीवी पति को पत्नी की संपत्ति की बाबत वही अधिकार है जो विधवा के अपने पति के निर्वसीयत मर जाने पर उसकी संपत्ति में होते हैं ।

पारंपरिक वंशजों के होने पर वितरण

36. वितरण के नियम—निर्वसयती की संपत्ति का (यदि वह अपनी विधवा छोड़ जाता है तो उसकी विधवा के अंश की कटौती करने के पश्चात्) उसके पारंपरिक वंशजों में वितरण करने के नियम वही होंगे जो धारा 37 से 40 में अन्तर्विष्ट हैं ।

37. जहां निर्वसीयती केवल एक संतान या कुछ संतानें छोड़ गया है—जहां निर्वसीयती अपना उत्तरजीवी कोई संतान या कुछ संतानें छोड़ गया है, किन्तु मृत संतान के माध्यम से कोई अधिक दूरस्थ पारंपरिक वंशज नहीं छोड़ गया है वहां संपत्ति उसके उत्तरजीवी संतान की, यदि वह केवल एक संतान है, होगी या उसके सभी उत्तरजीवी संतानों में समान रूप से विभाजित की जाएगी ।

38. जहां निर्वसीयती कोई संतान नहीं छोड़ गया है किन्तु एक या अधिक पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री छोड़ गया है—जहां निर्वसीयती अपनी उत्तरजीवी कोई संतान नहीं छोड़ गया है किन्तु एक या अधिक पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री छोड़ गया है और मृत

[1] 1926 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[2] 1926 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित ।

COURT BOOK

पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री के माध्यम से कोई अधिक दूरस्थ-वंशज नहीं छोड़ गया है तो संपत्ति उसके उत्तरजीवी पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री की, यदि केवल एक पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री हो, होगी या उसके सभी उत्तरजीवी पौत्रों-पौत्रियों-दौहित्रों-दौहित्रियों में समान रूप से विभाजित की जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

(i) **क** की तीन संतान, जान, मैरी और हेनरी हैं, और कोई नहीं है । वे सभी पिता के सामने मर जाते हैं, जॉन दो संतानें, मैरी तीन संतानें और हेनरी चार संतानें छोड़ जाता है । तत्पश्चात् **क** की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और वह उन नौ पौत्र-पौत्रियों-दौहित्र-दौहित्रियों को छोड़ जाता है और किसी मृत पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्रियों का कोई वंशज नहीं छोड़ जाता है । उसके प्रत्येक उत्तरजीवी पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री को नवांश मिलेगा ।

(ii) किंतु यदि हेनरी की मृत्यु हो जाती है और वह कोई संतान नहीं छोड़ गया है तो संपूर्ण निर्वसीयती के पांच पौत्रों-पौत्रियों-दौहित्रियों जॉन और मैरी की संतानों में समान रूप से विभाजित की जाएगी ।

39. जहां निर्वसीयती केवल प्रपौत्र-प्रपौत्री-प्रदौहित्र-प्रदौहित्री या दूरस्थ पारम्परिक वंशज छोड़ गया है—उसी रीति से संपत्ति ऐसे पारंपरिक वंशजों को जो निर्वसीयती की निकटतम डिग्री में हो, मिलेगी यदि वे सभी उसके प्रपौत्र-प्रपौत्री-प्रदौहित्र-प्रदौहित्री की डिग्री में या सभी अधिक दूरस्थ डिग्री में हों ।

40. जहां निर्वसीयती पारम्परिक वंशज छोड़ जाता है जिसमें से सभी उसके रक्त संबंध की एक ही डिग्री में नहीं हैं और उनकी मृत्यु हो गई है जिनके माध्यम से अधिक दूरस्थ वंशज उनसे अवजनित हुए हैं—(1) यदि निर्वसीयती पारम्परिक वंशज छोड़ गया है, जिसमें से सभी उसके रक्त संबंध की एक ही डिग्री में नहीं आते हैं और उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है जिनके माध्यम से अधिक दूरस्थ वंशज उससे अवजनित हुए हैं तो संपत्ति उतने समान अंशों में विभक्त की जाएगी, जितनी निर्वसीयती के ऐसे पारंपरिक वंशजों की संख्या के अनुरूप है, जो उसकी मृत्यु के समय उसके रक्त संबंधी की निकटतम डिग्री में आते हैं, या उसके रक्त संबंध की एक ही डिग्री में होते हुए, उससे पूर्व ऐसे पारंपरिक वंशज छोड़कर मर जाते हैं, जो उसके उत्तरजीवी हैं ।

(2) ऐसे अंशों में से एक अंश ऐसे प्रत्येक पारंपरिक वंशज को आबंटित किया जाएगा जो निर्वसीयती की मृत्यु पर उसके रक्त संबंध की निकटतम डिग्री में है, और ऐसे अंशों में से एक अंश ऐसे प्रत्येक मृत पारंपरिक वंशजों की बाबत आबंटित किया जाएगा, और ऐसे प्रत्येक मृत पारंपरिक वंशजों की बाबत आबंटित अंश उसकी, यथास्थिति, उत्तरजीवी संतान या संतानों या अधिक दूरस्थ पारंपरिक वंशजों का होगा; ऐसी उत्तरजीवी संतान या संतानों या अधिक दूरस्थ वंशजों को सर्वदा वह अंश मिलेगा जिनके लिए उसके या उनके माता-पिता हकदार होते यदि ऐसे माता-पिता निर्वसीयती के उत्तरजीवी होते ।

दृष्टांत

(i) **क** की तीन संतानें, जॉन, मैरी और हेनरी थीं । जॉन चार संतानें छोड़कर मर गया, मैरी एक संतान छोड़कर मर गई और अकेला हेनरी पिता का उत्तरजीवी हुआ । **क** की मृत्यु वसीयत किए बिना हो जाने पर एक तिहाई हेनरी को, एक तिहाई जॉन की चार संतानों को और अवशिष्ट एक तिहाई मैरी की एक संतान को आबंटित किया जाता है ।

(ii) **क** ने कोई संतान नहीं छोड़ी है किन्तु आठ पौत्रों-पौत्रियों-दौहित्रों-दौहित्रियों को और मृत पौत्रों-पौत्रियों-दौहित्रों-दौहित्रियों की दो संतानें छोड़ जाता है । संपत्ति नौ भागों में विभाजित की जाती है जिसमें से प्रत्येक पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री को एक-एक आबंटित किया जाता है और अवशिष्ट नवांश दोनों प्रपौत्रों-प्रपौत्रियों-प्रदोहित्रों-दोहित्रियों में समान रूप से विभाजित किया जाता है ।

(iii) **क** की तीन संतानें, जॉन, मैरी और हेनरी हैं, जॉन चार संतानें छोड़ कर मर जाता है; और जॉन की एक संतान, दो सन्तानें छोड़ कर मर जाती है । मेरी एक संतान छोड़कर मर जाती है । तत्पश्चात् **क** की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है । उसकी संपत्ति का एक तिहाई हेनरी को, एक तिहाई मैरी की संतान को आबंटित किया जाता है और एक तिहाई चार भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से एक-एक जॉन की उत्तरजीवी तीन प्रत्येक संतानों को आबंटित किया जाता है और अवशिष्ट भाग जान के दो पौत्रों-पौत्रियों-दोहित्रों-दोहित्रियों में समान रूप से विभाजित किया जाता है ।

(iv) **क** की बस दो संतानें हैं, जॉन और मैरी । जॉन अपनी पत्नी को गर्भिणी छोड़कर अपने पिता से पूर्व मर जाता है तब **क** मैरी को अपना उत्तरजीवी छोड़कर मर जाता है और सम्यक् समय पर जॉन की संतान का जन्म होता है । **क** की संपत्ति मैरी और मरणोत्तर संतान के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी ।

पारम्परिक वंशजों के न होने पर वितरण

41. निर्वसीयती के पारंपरिक वंशजों के न होने पर वितरण के नियम—जहां निर्वसीयती ने कोई पारंपरिक वंशज नहीं छोड़ा है वहां उसकी संपत्ति का (यदि वह अपनी विधवा छोड़ जाता है तो उसकी विधवा के अंश की कटौती करने के पश्चात्) वितरण करने के नियम वही होंगे जो धारा 42 से 48 में अन्तर्विष्ट हैं ।

42. जहां निर्वसीयती का पिता जीवित है—यदि निर्वसीयती का पिता जीवित है तो वह संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा ।

43. जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किन्तु उसकी माता, भाई और बहन जीवित हैं—यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है, किन्तु उसकी माता जीवित है और उसके भाई या बहनें भी जीवित हैं और किसी मृत भाई या बहन की कोई जीवित संतान नहीं है तो माता और प्रत्येक जीवित भाई या बहन संपत्ति के सामान उत्तराधिकारी होंगे।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

क की निर्वसीयती मृत्यु हो जाती है, वह अपनी माता और दो पूर्ण रक्त भाइयों, जॉन और हेनरी को तथा एक बहन मैरी को, जो उसकी माता की पुत्री है किन्तु पिता की पुत्री नहीं है, उत्तरजीवी छोड़ जाता है। माता संपत्ति का एक चौथाई लेती है, प्रत्येक भाई एक-एक चौथाई लेते हैं और मेरी, जो अर्धरक्त बहन है एक-चौथाई लेती है।

44. जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी माता, भाई या बहन और किसी मृत भाई या बहन की संतानें जीवित हैं—यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है, किन्तु निर्वसीयती की माता जीवित है, और यदि कोई भाई या बहन या किसी भाई या बहन की, जिसकी निर्वसीयती के जीवनकाल में मृत्यु हो गई है, संतान या संतानें भी जीवित हैं, तो माता और प्रत्येक जीवित भाई या बहन और प्रत्येक मृत भाई या बहन की जीवित संतान या संतानें संपत्ति की समान अंशों में हकदार होंगी। ऐसी संतानें (यदि एक से अधिक हैं) केवल उन अंशों के समान अंश लेंगे जो उनके अपने-अपने माता-पिता को उस समय मिलता यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित होते।

दृष्टांत

क, जो निर्वसीयती है, अपनी माता, अपने भाई जॉन और हेनरी और मृत बहन मैरी की एक संतान तथा मृत अर्धरक्त भाई जार्ज की, जो उसके पिता का पुत्र है किन्तु उसकी माता का पुत्र नहीं है दो संतानें छोड़कर मर जाता है। माता संपत्ति का एक पंचांश लेती है जॉन और हेनरी प्रत्येक एक-एक पंचांश लेते हैं मैरी की संतान एक पंचांश लेती है और जार्ज की दोनों संतानें अवशिष्ट एक पंचांश को आपस में समान रूप से विभाजित कर लेती हैं।

45. जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी माता और किसी मृत भाई या बहन की संतानें जीवित हैं—यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किन्तु निर्वसीयती की माता जीवित है और सभी भाई और बहनों की मृत्यु हो गई है किन्तु उनमें से सभी या कोई अपनी संतानें छोड़ गया है, जो निर्वसीयती के उत्तरजीवी हैं, तो माता तथा मृत प्रत्येक भाई या बहनों की संतान या संतानें संपत्ति में समान अंश की हकदार होंगी; ऐसी संतानें (यदि एक से अधिक हैं तो) केवल उन अंशों में समान अंश लेंगी जो उनके अपने माता-पिता लेते, यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु पर जीवित होते।

दृष्टांत

क, जो निर्वसीयती है, कोई भाई या बहन छोड़कर नहीं मरता है किन्तु अपनी माता और मृत बहन मैरी की एक संतान और मृत भाई, जार्ज की दो संतानें छोड़कर मर जाता है। माता एक तिहाई लेती है मैरी की संतान एक तिहाई लेती है और जार्ज की संतानें अवशिष्ट एक तिहाई को आपस में समान रूप से विभाजित कर लेती हैं।

46. जहां निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किन्तु उसकी माता जीवित है, और कोई भाई, बहन या नेफ्यू या नीस नहीं है—यदि निर्वसीयती के पिता की मृत्यु हो गई है किन्तु निर्वसीयती की माता जीवित है और निर्वसीयती का न तो कोई भाई न कोई बहन और न उसके किसी भाई या बहन की कोई संतान ही है तो संपत्ति माता की होगी।

47. जहां निर्वसीयती न तो कोई पारम्परिक वंशज, न पिता, न माता ही छोड़ गया है—जहां निर्वसीयती न तो कोई पारम्परिक वंशज न पिता और न माता ही छोड़ गया है वहां संपत्ति उसके भाइयों और बहनों और ऐसे भाइयों और बहनों की, जिनकी मृत्यु उसके पूर्व हो गई हो, संतान या संतानों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। ऐसी संतानें (यदि एक से अधिक हैं तो) केवल उन अंशों के समान अंश लेंगी, जो उनके माता-पिता लेते, यदि वे निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित होते।

48. जहां निर्वसीयती न तो कोई पारम्परिक वंशज, न माता-पिता, न भाई और न बहन ही छोड़ गया है—जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज न माता-पिता न भाई और न बहन ही छोड़ गया है वहां उसकी संपत्ति उसके उन नातेदारों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी जो उसके रक्त संबंध की निकटतम डिग्री में हों।

दृष्टांत

(i) **क,** जो निर्वसीयती है, पितामह और पितामही को छोड़कर मर जाता है और कोई अन्य ऐसा नातेदार नहीं छोड़ जाता है जो उसके रक्त संबंध की उसी या निकटतर डिग्री में आता है। वे दूसरी डिग्री में होने के कारण संपत्ति में समान अंश के हकदार होंगे। निर्वसीयती के अंकल या आन्ट को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि अंकल या आन्ट केवल तीसरी डिग्री में आते हैं।

(ii) **क,** जो निर्वसीयती है, प्रपितामह या प्रपितामही और अंकल और आंट को छोड़कर मर जाता है और ऐसा कोई अन्य नातेदार नहीं छोड़ जाता है जो उसके रक्त संबंध की उसी डिग्री या निकटतर डिग्री में आता है। ये सभी तीसरी डिग्री में होने के कारण समान अंश लेंगे।

(iii) **क,** जो निर्वसीयती है, प्रपितामह, अंकल और नेफ्यू छोड़कर मर जाता है, किन्तु ऐसा कोई नातेदार नहीं छोड़ जाता है जो उसके रक्त संबंध की निकटतर डिग्री में आता है। ये सभी तीसरी डिग्री में होने के कारण समान अंश लेंगे।

(iv) निर्वसीयती के एक भाई या बहन की दस संतानें और दूसरे भाई या बहन की एक संतान उसके रक्त संबंध की निकटतम डिग्री के नातेदारों के वर्ग में आती हैं। इनमें से प्रत्येक संपत्ति का ग्यारहवां भाग लेंगे।

COURT BOOK

49. संतान की उन्नति से संबंधी धन अविभक्त संपत्ति में नहीं मिलाया जाएगा—जहां किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति में, जिसकी मृत्यु निर्वसीयत हुई है, किसी वितरणीय अंश का दावा ऐसे व्यक्ति की संतान या संतान के किसी वंशज द्वारा किया जाता है वहां ऐसे किसी धन या अन्य संपत्ति की गणना, जिसे निर्वसीयती ने अपने जीवित रहने के दौरान ऐसी संतान को, जिसने या जिसके वंशज ने दावा किया है या उसकी उन्नति के लिए संदत्त किया हो, दिया हो या व्यवस्थापित किया हो, ऐसे वितरणीय अंश का प्राक्कलन करने में नहीं की जाएगी।

अध्याय 3—पारसी निर्वसीयतों के लिए विशेष नियम

[1][**50. निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी साधारण सिद्धांत**—पारसियों के मध्य निर्वसीयती उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए—

(क) जो मृत व्यक्ति के जीवनकाल में पैदा हुए हैं और जो उसकी मृत्यु की तारीख को केवल गर्भस्थित थे किन्तु जो तत्पश्चात् जीवित पैदा हुए हैं उनके बीच कोई विभेद नहीं है;

(ख) किसी निर्वसीयती के ऐसे पारंपरिक वंशज की, जो कोई विधवा या विधुर या कोई पारंपरिक वंशज या [2][किसी पारंपरिक वंशज की कोई विधवा या विधुर को] छोड़े बिना निर्वसीयती के जीवनकाल में मर जाता है, गणना उस रीति को अवधारित करने में नहीं की जाएगी जिसमें वह संपत्ति, जिसके संबंध में निर्वसीयती की वसीयत किए बिना मृत्यु को गई है, विभाजित की जाएगी; और

(ग) यहां निर्वसीयती के [2][किसी नातेदार की कोई विधवा या विधुर निर्वसीयती के जीवनकाल में पुन: विवाह कर लेती/लेता है,] वहां [2][ऐसी विधवा या विधुर] उस संपत्ति में जिसके संबंध में निर्वसीयती की वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई है, कोई अंश प्राप्त करने [2][की/का हकदार नहीं होगी/होगा] और [2][ऐसी विधवा या विधुर के] संबंध में यह माना जाएगा कि वह निर्वसीयती की मृत्यु के समय [2][विद्यमान नहीं थी/था]।

[3][**51. निर्वसीयती की संपत्ति का विधवा, विधुर, संतानों और माता-पिता के बीच विभाजन**—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस संपत्ति का विभाजन, जिसके संबंध में किसी पारसी की वसीयत किए बिना मृत्यु हो जाती है—

(क) जहां वह पारसी विधवा या विधुर और संतानें छोड़कर मर जाता/जाती है, वहां विधवा या विधुर, और संतानों के बीच इस प्रकार किया जाएगा जिससे विधवा या विधुर और प्रत्येक संतान को बराबर अंश मिले;

(ख) जहां वह पारसी संतानें छोड़कर मर जाता/जाती है किन्तु विधवा या विधुर छोड़कर नहीं मरता/मरती है वहां संतानों के बीच बराबर अंशों में किया जाएगा।

(2) जहां कोई पारसी पुरुष संतानों या विधवा या विधुर और संतानों के अतिरिक्त माता-पिता में से एक या दोनों को छोड़कर मर जाता/जाती है वहां उस संपत्ति का विभाजन, जिसके संबंध में उस पारसी की वसीयत किए बिना मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार किया जाएगा कि माता-पिता या माता-पिता में से प्रत्येक, प्रत्येक संतान के अंश के आधे के बराबर अंश प्राप्त करे।]

53. पारंपरिक वंशज छोड़ने वाले निर्वसीयती की पूर्व मृत संतान के अंश का विभाजन—ऐसे सभी मामलों में जहां कोई पारसी कोई पारंपरिक वंशज छोड़कर मर जाता है, वहां यदि निर्वसीयती की जीवनकाल में ऐसे निर्वसीयती की किसी संतान की मृत्यु हो गई है तो उस संपत्ति के, जिसके संबंध में निर्वसीयती की वसीयत किए बिना मृत्यु हुई है, उस अंश का विभाजन, जो वह संतान यदि वह निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित होती तो लेती, निम्नलिखित नियमों के अनुसार, किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि ऐसी मृत संतान पुत्र है तो उसकी विधवा और संतानों को अंश इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार वैसे ही मिलेगा मानो उसकी मृत्यु निर्वसीयती की मृत्यु के ठीक पश्चात् हुई हो :

परन्तु जहां ऐसे मृत पुत्र ने विधवा या किसी पारंपरिक वंशज की कोई विधवा छोड़ी है किन्तु कोई पारंपरिक वंशज नहीं छोड़ा है वहां ऐसा वितरण किए जाने के पश्चात् उसके अंश के अवशेष का विभाजन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार ऐसी संपत्ति के रूप में किया जाएगा जिसके संबंध में निर्वसीयती की वसीयत किए बिना मृत्यु हुई है, और ऐसे अवशेष का विभाजन करने में निर्वसीयती के उक्त मृत पुत्र की गणना नहीं की जाएगी;

(ख) यदि ऐसी मृत संतान पुत्री है तो उसका अंश उसकी संतानों के बीच बराबर-बराबर विभाजित किया जाएगा;

(ग) यदि ऐसी मृत संतान की किसी संतान की भी निर्वसीयती के जीवनकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस अंश का विभाजन, जो वह संतान यदि वह निर्वसीयती की मृत्यु पर जीवित रहती तो लेती, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार ही किया जाएगा;

---

[1] 1939 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा (12-6-1939 से) मूल धारा 50 से धारा 56 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1991 के अधिनियम सं० 51 की धारा 4 द्वारा मूल धारा 51 और धारा 52 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(घ) जहां निर्वसीयती के दूरतर पारंपरिक वंशज की मृत्यु निर्वसीयती के जीवनकाल के दौरान हो जाती है वहां खंड (ग) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे किसी अंश के विभाजन को लागू होंगे, जिसके लिए वह वंशज, यदि वह निर्वसीयती की मृत्यु पर जीवित होता या होती तो, उसके और निर्वसीयती के बीच सीधे निर्वसीयती के सभी पारंपरिक वंशजों की पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण हकदार होता या होती ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][**54. संपत्ति का विभाजन, जहां निर्वसीयती कोई पारंपरिक वंशज नहीं छोड़ जाता/जाती है किन्तु कोई विधवा या विधुर या किसी पारंपरिक वंशज की विधवा या विधुर छोड़ जाता/जाती है**—जहां किसी पारसी की कोई पारंपरिक वंशज छोड़े बिना किन्तु विधवा या विधुर या किसी पारंपरिक वंशज की विधवा या विधुर को छोड़कर मृत्यु हो जाती है वहां वह संपत्ति, जिसके संबंध में निर्वसीयती की वसीयत किए बिना मृत्यु हो जाती है, निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि निर्वसीयती विधवा या विधुर छोड़ जाता/जाती है, किन्तु किसी पारंपरिक वंशज की कोई विधवा या विधुर नहीं छोड़ जाता/जाती है तो विधवा या विधुर उक्त संपत्ति का आधा लेगी/लेगा;

(ख) यदि निर्वसीयती कोई विधवा या विधुर और किसी पारंपरिक वंशज की विधवा या विधुर भी छोड़ जाता/जाती है तो उसकी विधवा या उसका विधुर उक्त संपत्ति का एक तिहाई प्राप्त करेगी/करेगा और किसी पारंपरिक वंशज की विधवा या विधुर अन्य एक तिहाई प्राप्त करेगी/करेगा या यदि पारंपरिक वंशजों की ऐसी एक से अधिक विधवाएं या विधुर हैं तो अंतिम वर्णित एक तिहाई उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा;

(ग) यदि निर्वसीयती विधवा या विधुर नहीं छोड़ जाता/जाती है किन्तु किसी पारंपरिक वंशज की एक विधवा या विधुर छोड़ जाता/जाती है तो पारंपरिक वंशज की ऐसी विधवा या विधुर उक्त सपंत्ति की एक तिहाई प्राप्त करेगी/करेगा या यदि निर्वसीयती विधवा या विधुर नहीं छोड़ जाता/जाती है, किन्तु किसी पारंपरिक वंशजों की एक से अधिक विधवाएं या विधुर छोड़ जाता/जाती है तो उक्त सम्पत्ति का दो तिहाई पारंपरिक वंशजों की ऐसी विधवाओं/विधुरों के बीच बराबर अंशों में विभाजित किया जाएगा;

(घ) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट विभाजन किए जाने के पश्चात् अवशेष का वितरण निर्वसीयती के नातेदारों के बीच अनुसूची 2 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट क्रम में किया जाएगा; और उस अनुसूची के भाग 1 में पहले स्थान पर आने वाले निकट रक्त संबंधियों को दूसरे स्थान पर आने वालों पर और दूसरे स्थान पर आने वालों को तीसरे स्थान पर आने वालों पर और ऐसे ही अनुक्रम में अधिमान दिया जाएगा, परन्तु संपत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री को, जो संबंध सामीप्य की एक ही डिग्री में आते हैं, बराबर अंश मिलेगा;

(ङ) यदि खंड (घ) के अधीन अवशेष के लिए हकदार कोई नातेदार नहीं है तो सम्पूर्ण अवशेष का वितरण इस धारा के अधीन अंशों को प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्तियों के बीच विनिर्दिष्ट अंशों के अनुपात में किया जाएगा] ।

55. संपत्ति का विभाजन, जहां निर्वसीयती न तो कोई पारंपरिक वंशज, न विधवा या विधुर न किसी पारंपरिक वंशज की कोई विधवा छोड़ जाता है—जहां कोई पारसी न तो कोई पारंपरिक वंशज न कोई विधवा या विधुर न [2][किसी पारंपरिक वंशज की विधवा या विधुर छोड़कर मर जाता/जाती है,] वहां उसका निकट रक्त संबंधी अनुसूची 2 के भाग 2 में वर्णित क्रम में, उस संपूर्ण संपत्ति को, जिसके संबंध में उसकी वसीयत किए बिना मृत्यु हुई है, उत्तराधिकार में प्राप्त करने का हकदार होगा । उस निकट रक्त संबंधी को जो अनुसूची के भाग 2 में पहले स्थान पर आता है दूसरे स्थान पर आने वालों पर, दूसरे स्थान पर आने वालों को तीसरे पर आने वालों पर और ऐसे ही अनुक्रम में अधिमान दिया जाएगा, परन्तु संपत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाएगगा कि [2][प्रत्येक पुरुष और स्त्री को, जो संबंध सामीप्य की एक ही डिग्री में आते हैं, बराबर अंश प्राप्त होंगे] ।

56. संपत्ति का वितरण, जहां ऐसा कोई नातेदार नहीं है, जो इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन उत्तराधिकारी होने का हकदार है—जहां ऐसी संपत्ति का, जिसके संबंध में किसी पारसी की वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई है, इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन उत्तराधिकारी होने का हकदार कोईनातेदार नहीं है वहां उस संपत्ति का विभाजन निर्वसीयती के ऐसे नातेदारों के बीच समान रूप से किया जाएगा जो उसके रक्त संबंध की निकटतम डिग्री में आते हैं ।]

भाग 6

वसीयती उत्तराधिकार

अध्याय 1—प्रारम्भिक

[3][**57. इस भाग के कतिपय उपबंधों का हिन्दुओं आदि द्वारा किए गए विलों के एक वर्ग को लागू होना**—इस भाग के वे उपबन्ध, जो अनुसूची 3 में उपवर्णित हैं, उसमें विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और उपांतरणों सहित—

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 51 की धारा 4 द्वारा मूल धारा 54 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 51 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1926 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 द्वारा धारा 57 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया था और उपधारा (2) को जोड़ा गया था । तत्पश्चात् 1929 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया और उपधारा (1) को धारा 57 के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) ऐसे सभी विलों और क्रोडपत्रों को लागू होंगे जो किसी हिन्दू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा 1870 के सितंबर के प्रथम दिन या उसके पश्चात् उस राज्यक्षेत्र में किए गए हैं जो उक्त तारीख को बंगाल के लैफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन या मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर आते हैं;

(ख) ऐसे सभी विलों और क्रोडपत्रों को, जो ऐसे राज्यक्षेत्र या सीमाओं के बाहर किए गए हैं, वहां तक लागू होंगे जहां तक उनका संबंध उन राज्यक्षेत्रों या सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति से है; [1][और

(ग) ऐसे सभी विलों और क्रोडपत्रों को लागू होंगे जो किसी हिंदू, बौद्ध, सिक्ख या जैन द्वारा 1927 की जनवरी के प्रथम दिन या उसके पश्चात् किए गए हैं और जिन पर उन उपबन्धों को खंड (क) और (ख) द्वारा लागू नही किया गया है :]

परंतु विवाह ऐसे किसी विल या क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत नहीं करेगा ।

58. इस भाग का साधारणत: लागू होना—(1) धारा 57 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस भाग के उपबंध, न तो किसी मुसलमान की संपत्ति के वसीयती उत्तराधिकार को और न ही किसी हिंदू, बौद्ध, सिक्ख या जैन के वसीयती उत्तराधिकार को लागू होंगे, और न ही वे 1866 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व किए गए किसी विल को लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस भाग के उपबन्ध, वसीयती उत्तराधिकार के सभी मामलों को लागू होने वाली [2][भारत] की विधि होंगे ।

अध्याय 2—विलें और क्रोडपत्र

59. विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति—प्रत्येक स्वस्थचित्त व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है, विल द्वारा अपनी सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1—कोई विवाहित स्त्री ऐसी किसी संपत्ति का विल द्वारा व्ययन कर सकेगी, जिसका वह अपने जीवनकाल में अपने कृत्य द्वारा अन्य संक्रामण कर सकती थी ।

स्पष्टीकरण 2—ऐसे व्यक्ति, जो बधिर, मूक या अंधे हैं, उस कारण कोई विल करने से असमर्थ नहीं हो जाते हैं यदि वे यह जानने में समर्थ हैं कि वे उसके द्वारा क्या कर रहे हैं ।

स्पष्टीकरण 3—कोई व्यक्ति, जो मामूली तौर पर उन्मत्त है, उस अन्तराल में, जब वह स्वस्थचित्त है विल कर सकता है ।

स्पष्टीकरण 4—कोई व्यक्ति जब वह, चाहे मत्तता से या बीमारी से या किसी अन्य कारण से उद्भूत ऐसी मनोदशा में है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है, तब विल नहीं कर सकता है ।

दृष्टांत

(i) **क** यह अनुभव कर सकता है कि उसके आस-पास क्या घटित हो रहा है और सुपरिचित प्रश्नों का उत्तर दे सकता है किन्तु उसे अपनी संपत्ति की प्रकृति या उन व्यक्तियों की बाबत, जो उसके रक्त संबंधी हैं या जिनके पक्ष में यह उचित होगा कि वह अपना विल करे, सक्षम समझ नहीं है । **क** विधिमान्य विल नहीं कर सकता है ।

(ii) **क** अपने विल के रूप में एक लिखत निष्पादित करता है किन्तु वह न तो लिखत की प्रकृति और न उसके उपबंधों के प्रभाव को ही समझ सकता है । यह लिखत विधिसम्मत विल नहीं है ।

(iii) **क** जो बहुत ही असशक्त और दुर्बल है, किन्तु अपनी संपत्ति के व्ययन की उचित रीति की बाबत निर्णय लेने में समर्थ है, विल करता है । यह विधिमान्य विल है ।

60. वसीयती संरक्षक—पिता, उसकी चाहे जो आयु हो, अपनी संतान की अवयस्कता के दौरान, उसके लिए किसी संरक्षक या संरक्षकों की नियुक्ति कर सकता है ।

61. कपट, प्रपीड़न या अतियाचना द्वारा अभिप्राप्त विल—ऐसा विल या विल का कोई भाग, जो कपट, प्रपीड़न द्वारा या ऐसी अतियाचना द्वारा किया गया है, जिससे निर्वसीयत स्वतंत्रकर्ता नहीं रह जाता है, शून्य है ।

दृष्टांत

(i) **क,** वसीयतकर्ता से मिथ्या और जानबूझकर यह व्यपदेशन करता है कि वसीयतकर्ता के एक मात्र पुत्र की मृत्यु हो गई है या उसने कुछ कर्तव्य विरुद्ध कृत्य किए हैं और उसके द्वारा वसीयतकर्ता को अपने पक्ष में विल करने के लिए उत्प्रेरित करता है; ऐसा विल कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है और अवैध है ।

(ii) **क,** कपट और प्रवंचना द्वारा अपने पक्ष में वसीयत करने के लिए वसीयतकर्ता पर अभिभावी हो जाता है, वसीयत अवैध है ।

---

[1] 1929 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा "और" शब्द तथा खंड (ग) जोड़ा गया ।

[2] 1951 के अधिनियम 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iii) **क,** विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा बंदी रहते हुए अपना विल करता है । विल कारावास के कारण अवैध नहीं है ।

(iv) **क, ख** को यह धमकी देता है कि यदि वह **ग** के पक्ष में वसीयत नहीं करता है तो वह उसको गोली मार देगा या उसका घर जला देगा या उसे किसी दांडिक आरोप के लिए गिरफ्तार करा देगा । परिणामस्वरूप **ख, ग** के पक्ष में एक वसीयत कर देता है । वसीयत शून्य है, क्योंकि वह प्रपीड़न द्वारा कराई गई है ।

(v) **क,** जिसमें, यदि दूसरे के प्रभाव द्वारा विघ्न न डाला जाए, विल करने के लिए पर्याप्त बुद्धि है, **ख** के इतने नियंत्रण में है कि वह स्वतंत्रकर्ता नहीं है, **ख** के बोलने के अनुसार विल करता है, यह प्रतीत होता है, यदि **ख** का भय न होता तो वह विल निष्पादित नहीं करता । विल अवैध है ।

(vi) **क** पर, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना असशक्त है कि अतियाचना का प्रतिरोध नहीं कर सकता है, **ख** द्वारा किसी तात्पर्य का विल करने के लिए दबाव डाला जाता है और वह उससे छुटकारा पाने के लिए और **ख** की इच्छा के सामने झुकते हुए ऐसा करता है । विल अवैध है ।

(vii) **क** के स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि वह अपने स्वनिर्णय और स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है । **ख** कुछ तात्पर्य का विल करने के लिए उससे अर्जेंट निवेदन और अनुनय करता है । **क** निवेदन और अनुनय के अनुसरण में किन्तु अपने स्वनिर्णय और स्वेच्छा का स्वतन्त्र उपयोग करते हुए **ख** द्वारा सिफारिश की गई रीति से अपना विल करता है । विल **ख** के निवेदन और अनुनय के कारण अवैध नहीं होता है ।

(viii) **क, ख** से कोई वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उसका ध्यान रखता है और उसकी चाटुकारिता करता है और उसके द्वारा उसमें **क** के प्रति एक अनुचित पक्षपात उत्पन्न कर देता है । **ख** ऐसे ध्यान और चाटुकारिता के परिणामस्वरूप अपना विल करता है जिससे वह **क** के लिए एक वसीयत संपदा छोड़ता है । वसीयत **क** के ध्यान और चाटुकारिता के कारण अवैध नहीं हो जाती है ।

62. विल प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकती है—विल को करने वाला विल को किसी समय जब वह विल द्वारा अपनी संपत्ति के व्ययन के लिए सक्षम हो, प्रतिसंहृत या परिवर्तित कर सकेगा ।

अध्याय 3—विशेषाधिकार रहित विलों का निष्पादन

63. विशेषाधिकार रहित विलों का निष्पादन—प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ सैनिक [1][या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक] या समुद्र पर कोई जहाजी नहीं है अपने विल निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा :—

(क) वसीयतकर्ता विल पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निदेशानुसार हस्ताक्षर किया जाएगा;

(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किए जाएंगे या लगाए जाएंगे कि उससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को विल के रूप में प्रभावी करने का आशय था;

(ग) विल को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुए या चिह्न लगाते हुए देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है; और प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेगा किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हों और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्ररूप आवश्यक नहीं होगा ।

64. निर्देश द्वारा कागजों का सम्मिलित किया जाना—यदि कोई वसीयतकर्ता सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किसी विल या क्रोडपत्र में किसी अन्य दस्तावेज को निर्दिष्ट करता है जो तब उसके आशय के किसी भाग को व्यक्त करते हुए वास्तव में लिखा गया है तो ऐसी दस्तावेज उस विल या क्रोडपत्र का भाग मानी जाएगी जिसमें उसको निर्दिष्ट किया गया है ।

अध्याय 4—विशेषाधिकार वाले विल

65. विशेषाधिकार वाले विल—कोई सैनिक, जो किसी अभियान में नियोजित किया गया है या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ है [1][या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक] या समुद्र पर कोई जहाजी, यदि उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो, धारा 66 में उपबन्धित रीति में विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा । ऐसे विल विशेषाधिकार वाले कहे जाते हैं ।

दृष्टांत

(i) **क** को, जो किसी रेजीमेंट से संलग्न चिकित्सा अधिकारी है, किसी अभियान में वास्तव में नियोजित किया गया है । वह किसी अभियान में वास्तव में नियोजित सैनिक है, और विशेषाधिकार वाला विल कर सकता है ।

---

[1] 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) **क,** किसी वाणिज्यिक पोत में, जिसमें वह पोतनीस है, समुद्र पर है । वह एक जहाजी है और समुद्र पर होने के कारण विशेषाधिकार वाला विल कर सकता है ।

COURT BOOK

(iii) **क,** जो विद्रोहियों के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में सेवा कर रहा है वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ एक सैनिक है अत:, विशेषाधिकार वाला विल कर सकता है ।

(iv) **क** जो किसी पोत का जहाजी है, यात्रा के दौरान जब पोत बन्दरगाह में खड़ा है अस्थायी रूप से तट पर है । वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए समुद्र पर जहाजी है और विशेषाधिकार वाला विल कर सकता है ।

(v) **क,** एक एडमिरल है और नौसेना को समादिष्ट करता है किन्तु वह तट पर रहता है और अपने पोत फलक पर केवल कभी-कभी जाता है, वह समुद्र पर नहीं माना जाता है और विशेषाधिकार वाला विल नहीं कर सकता है ।

(vi) **क,** जो किसी सैनिक अभियान में सेवा कर रहा जहाजी है किन्तु समुद्र पर नहीं है, एक सैनिक माना जाता है और विशेषाधिकार वाला विल कर सकता है ।

66. विशेषाधिकार वाले विलों को करने की रीति और निष्पादन के नियम—(1) विशेषाधिकार वाले विल लेखबद्ध रूप में हो सकते हैं या मौखिक शब्दों द्वारा किए जा सकते हैं ।

(2) विशेषाधिकार वाले विलों का निष्पादन निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित होगा :—

(क) विल निष्पादक द्वारा अपने हस्तलेख में पूर्णत: लिखा जा सकता है । ऐसे मामले में उस पर हस्ताक्षर या उसे अनुप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्णत: या भागत: लिखा जा सकता है और वसीयतकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं । ऐसे मामले में उसे अनुप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) यदि विल तात्पर्यित कोई लिखत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्णत: या भागत: लिखी गई है और उस पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो उसे उसका विल तब माना जाएगा यदि यह दर्शित किया जाए कि वह वसीयतकर्ता के निदेश द्वारा लिखी गई थी या उसने उसे अपने विल के रूप में मान्यता दी थी;

(घ) यदि लिखत को देखने से ही यह प्रकट होता है कि उसका निष्पादन वसीयतकर्ता द्वारा आशयित रीति से पूरा नहीं किया गया था तो लिखत उस परिस्थिति के कारण अवैध नहीं होगी परन्तु यह तब जबकि उसके निष्पादन का न किया जाना लिखत में अभिव्यक्त वसीयती आशयों को त्यागने से भिन्न कुछ अन्य कारण से युक्तियुक्त रूप में माना जा सकता है;

(ङ) यदि सैनिक, [1][वायुसैनिक] या जहाजी ने अपना विल तैयार करने के लिए अनुदेश लिखे हैं किन्तु उसको तैयार किए जाने या निष्पादित किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसे अनुदेशों को उसका विल गठित करने वाला माना जाएगा;

(च) यदि सैनिक, [1][वायुसैनिक] या जहाजी ने दो साक्षियों की उपस्थिति में अपना विल तैयार करने के लिए मौखिक अनुदेश दिया है और उन्हें उसके जीवनकाल में लेखबद्ध कर लिया गया है किन्तु लिखत को तैयार और निष्पादित किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी लिखतों को उसका विल गठित करने वाला माना जाएगा यद्यपि, उन्हें उसकी उपस्थिति में लेखबद्ध नहीं किया गया है न ही उसे पढ़ कर सुना गया है;

(छ) सैनिक, [1][वायुसैनिक] या जहाजी एक ही समय पर उपस्थित दो साक्षियों के समक्ष अपने आशय की घोषणा करके मौखिक शब्दों द्वारा विल कर सकता है;

(ज) मौखिक शब्दों द्वारा किया गया विल वसीयतकर्ता के, यदि वह जीवित है, विशेषाधिकार वाला विल करने का हकदार न रह जाने के पश्चात् एक मास के अवसान पर शून्य हो जाएगा ।

अध्याय 5—विलों का अनुप्रमाणन, प्रतिसंहरण, परिवर्तन और पुन: प्रवर्तन

67. अनुप्रमाणन साक्षी को दान का प्रभाव—किसी विल को इस कारण अपर्याप्त रूप से अनुप्रमाणित नहीं माना जाएगा कि उसके द्वारा उसे अनुप्रमाणित करने वाले किसी व्यक्ति को या उसकी पत्नी या उसके पति को या तो वसीयत के रूप में या नियोजन के रूप में कोई फायदा दिया गया है; किन्तु वसीयत या नियोजन वहां तक शून्य हो जाएगा जहां तक उसका संबंध इस प्रकार अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसके पति या उनमें से किसी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति से है ।

स्पष्टीकरण—विल की पुष्टि करने वाले किसी क्रोडपत्र को अनुप्रमाणित करने से किसी विल के अधीन किसी वसीयतदार की वसीयत संपदा की हानि नहीं होती है ।

---

[1] 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 द्वारा और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।

68. हित के कारण या निष्पादक होने के कारण साक्षी का निरर्हित न होना—कोई व्यक्ति, विल में हित होने के कारण या उसका निष्पादक होने के कारण, विल के निष्पादन को साबित करने के लिए या उसकी वैधता या अवैधता साबित करने के लिए साक्षी के रूप में निरर्हित नहीं होगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

69. वसीयतकर्ता के विवाह द्वारा विल का प्रतिसंहरण—नियोजन की शक्ति का प्रयोग करते हुए, किए गए विल के सिवाय प्रत्येक विल, उसे करने वाले के विवाह पर प्रतिसंहृत हो जाएगा यदि वह संपत्ति, जिस पर नियोजन की शक्ति का प्रयोग किया गया है, ऐसे नियोजन के न होने पर, उसके निष्पादक या प्रशासक को या निर्वसीयतता की दशा में, हकदार व्यक्ति को संक्रांत नहीं होती ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी व्यक्ति में ऐसी संपत्ति के, जिसका वह स्वामी नहीं है, व्ययन को अवधारित करने की शक्ति निहित की गई है, वहां उसे ऐसी संपत्ति के नियोजन की शक्ति रखने वाला कहा जाता है ।

70. विशेषाधिकार रहित विल या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण—किसी विशेषाधिकार रहित विल या क्रोडपत्र का या उसके किसी भाग का प्रतिसंहरण विवाह द्वारा या किसी अन्य विल या क्रोडपत्र द्वारा, या ऐसे किसी लेख द्वारा, जिसमें उसे प्रतिसंहृत करने का आशय घोषित किया गया है और जिसे ऐसी रीति से निष्पादित किया गया है जिसमें किसी विशेषाधिकार रहित विल को इसमें इसके पूर्व निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की गई है, या वसीयतकर्ता द्वारा या उसकी उपस्थिति में और इसके निदेश द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा, उसे प्रतिसंहृत करने के आशय से, जलाकर, फाड़कर या अन्यथा नष्ट करके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

दृष्टांत

(i) **क** ने एक विशेषाधिकार रहित विल किया है । तत्पश्चात् वह दूसरा विशेषाधिकार रहित विल करता है जिसका तात्पर्य प्रथम विल को प्रतिसंहृत करना है । यह प्रतिसंहरण है ।

(ii) **क** ने एक विशेषाधिकार रहित विल किया है । तत्पश्चात् **क** विशेषाधिकार वाला विल करने का हकदार होने पर एक विशेषाधिकार वाला विल करता है जिसका तात्पर्य विशेषाधिकार रहित विल को प्रतिसंहृत करना है, यह प्रतिसंहरण है ।

71. विशेषाधिकार रहित विल में मिटाने, अंतरालेखन या परिवर्तन का प्रभाव—किसी विशेषाधिकार रहित विल में उसके निष्पादन के पश्चात् किसी मिटाने, अंतरालेखन या किसी अन्य परिवर्तन का, जब तक कि ऐसे परिवर्तन का निष्पादन उसी रीति से नहीं किया गया है जैसा इसमें इसके पूर्व विल के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि विल के शब्द अपठनीय न हो गए हों या अर्थ समझ में न आता हो :

परन्तु इस प्रकार परिवर्तित विल को सम्यक् रूप से निष्पादित माना जाएगा यदि वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर या साक्षियों का सत्यापन ऐसे परिवर्तन के सामने या उसके निकट विल के पार्श्व में या उसके किसी अन्य भाग में या ऐसे परिवर्तन को निर्दिष्ट करने वाले और विल के अंत में या किसी अन्य भाग में लिखे गए किसी ज्ञापन के नीचे या अन्त में या उसके सामने किया गया हो ।

72. विशेषाधिकार वाले विल या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण—कोई विशेषाधिकार वाला विल या क्रोडपत्र वसीयतकर्ता द्वारा किसी विशेषाधिकार रहित विल या क्रोडपत्र द्वारा या उसे प्रतिसंहृत करने के आशय को व्यक्त करने वाले किसी कार्य द्वारा और ऐसी प्ररूपिकताओं के साथ, जो किसी विशेषाधिकार वाले विल को विधिमान्यता देने के लिए पर्याप्त हो, या उसे प्रतिसंहृत करने के आशय से वसीयतकर्ता द्वारा या उसकी उपस्थिति में और उसके निदेशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा उसे जलाकर, फाड़कर या अन्यथा विनष्ट करके प्रतिसंहृत किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—किसी विशेषाधिकार वाले विल को विधिमान्यता देने के लिए पर्याप्त प्ररूपिकताओं के साथ किसी कार्य द्वारा विशेषाधिकार वाले विल या क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वसीयतकर्ता वह कार्य करते समय ऐसी स्थिति में हो जो उसे विशेषाधिकार वाला विल करने के लिए हकदार बनाती है ।

73. विशेषाधिकार रहित विल का पुन:प्रवर्तन—(1) किसी विशेषाधिकार रहित विल या क्रोडपत्र का या उसके किसी भाग का, जो किसी भी रीति में प्रतिसंहृत कर दिया गया है, पुन: प्रवर्तन उसे पुन: निष्पादित करके या इसमें इसके पूर्व अपेक्षित रीति से निष्पादित और उसे पुन: प्रवर्तित करने का आशय दर्शित करने वाले किसी क्रोडपत्र द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(2) जहां कोई विल या क्रोडपत्र, जिसे, भागत: प्रतिसंहृत किया गया है और तत्पश्चात् पूर्ण रूप से प्रतिसंहृत किया गया है, पुन: प्रवर्तित किया जाता है, वहां ऐसे पुन: प्रवर्तन का विस्तार, जब तक कि विल या क्रोडपत्र में इसके विरुद्ध कोई आशय दर्शित न किया जाए, उसके उस भाग पर नहीं होगा जो उसको पूर्णरूप से प्रतिसंहृत किए जाने के पूर्व प्रतिसंहृत किया गया है ।

अध्याय 6—विलों का अर्थान्वयन

74. विल के शब्द—यह आवश्यक नहीं है कि विल में कोई तकनीकी शब्द या पारिभाषिक पद रखे जाएं किन्तु केवल ऐसे शब्द आवश्यक हैं जिनसे वसीयतकर्ता के आशय को जाना जा सके ।

75. विल को पाने वाले या उसकी विषयवस्तु से संबंधित किसी प्रश्न को अवधारित करने के लिए जांच—ऐसे प्रश्नों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि विल में प्रयुक्त किन्हीं शब्दों द्वारा किस व्यक्ति या किस संपत्ति का द्योतन होता है कोई न्यायालय उन व्यक्तियों के, जो ऐसे विल के अधीन हितबद्ध होने का दावा करते हैं, उस संपत्ति के, जिसका व्ययन की विषयवस्तु के रूप

में दावा किया गया है, वसीयतकर्ता और उसके कुटुम्ब की परिस्थितियों के संबंध में, प्रत्येक तात्त्विक तथ्य की और ऐसे प्रत्येक तथ्य की जांच करेगा, जिसकी जानकारी उन शब्दों के, जिनका प्रयोग वसीयतकर्ता ने किया है, सही उपयोग में साधक हैं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

(i) **क,** अपने विल द्वारा, 1,000 रुपए की वसीयत अपने ज्येष्ठतम पुत्र या अपने कनिष्ठतम पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री या अपनी कजिन मेरी को करता है । न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर सकता है कि विल में किया गया वर्जन किस व्यक्ति को लागू होता है ।

(ii) **क,** अपने विल द्वारा, **ख** को "ब्लैक एकर नाम से ज्ञात मेरी संपदा" छोड़ जाता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि वसीयत की विषयवस्तु क्या है, अर्थात् वसीयतकर्ता की कौन सी संपदा ब्लैक एकर कही जाती है, साक्ष्य लेना आवश्यक हो सकता है ।

(iii) **क,** अपनी वसीयत द्वारा **ख** को "वह संपदा जो **ग** से खरीदी है" छोड़ जाता है । सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी संपदा वसीयतकर्ता ने **ग** से खरीदी है, साक्ष्य लेना आवश्यक हो सकता है ।

76. पाने वाले का मिथ्या नाम या मिथ्या वर्णन—(1) जहां किसी वसीयतदार या वसीयतदारों के किसी वर्ग को अभिहित या वर्णित करने के लिए किसी विल में प्रयुक्त शब्दों से पर्याप्त रूप में यह दर्शित होता है कि उनसे क्या अभिप्रेत है वहां नाम या वर्णन में कोई त्रुटि वसीयत को प्रभावी होने से निवारित नहीं करेगी ।

(2) वसीयतदार के नाम में किसी भूल को उसके वर्णन द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा और वसीयतदार के वर्णन में ऐसी किसी भूल को उनके नाम द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा ।

दृष्टांत

(i) **क** "मेरे भाई जान के द्वितीय पुत्र थामस को" वसीयत संपदा की वसीयत करता है । वसीयतकर्ता का जान नाम का केवल एक भाई है जिसे थामस नाम का कोई पुत्र नहीं है किन्तु विलियम नाम का द्वितीय पुत्र है । विलियम को वसीयत संपदा मिलेगी ।

(ii) **क** "मेरे भाई जान के द्वितीय पुत्र थामस को" वसीयत संपदा की वसीयत करता है । वसीयतकर्ता का जान नाम का केवल एक भाई है जिसके प्रथम पुत्र का नाम थामस है और जिसके द्वितीय पुत्र का नाम विलियम है । विलियम वसीयत संपदा लेगा ।

(iii) वसीयतकर्ता **ग** की धर्मज संतान **क** और **ख** को अपनी सपंत्ति की वसीयत करता है । **ग** की कोई धर्मज संतान नहीं है । किन्तु दो अधर्मज संतानें **क** और **ख** हैं । **क** और **ख** को वसीयत प्रभावी होगी यद्यपि वे अधर्मज हैं ।

(iv) वसीयतकर्ता, अपनी अवशिष्ट संपदा को "मेरी सात संतानों" के बीच विभाजित किए जाने के लिए देता है और उनकी प्रगणना में केवल छह नामों का वर्णन करता है । यह लोप सातवीं संतान को दूसरों के साथ एक अंश लेने से निवारित नहीं करेगा ।

(v) वसीयतकर्ता, जिसके छह पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री हैं, "मेरे छह पौत्रों-पौत्रियों-दौहित्रों-दौहित्रियों" को वसीयत करता है और उनका वर्णन उनके क्रिश्चियन नाम से करने में एक को दो बार वर्णित करता है और एक को बिल्कुल छोड़ देता है । जिसका नाम वर्णन नहीं किया गया है वह दूसरों के साथ एक अंश लेगा ।

(vi) वसीयतकर्ता "**क** की तीन संतानों से प्रत्येक को 1,000 रुपए" की वसीयत करता है विल की तारीख को **क** की चार संतानें हैं । इन चार संतानों में से प्रत्येक, यदि वह वसीयतकर्ता की उत्तरजीवी हैं, 1,000 रुपए की वसीयत संपदा प्राप्त करेगी ।

77. शब्दों की पूर्ति कब की जाएगी—जहां अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए तात्त्विक किसी शब्द का लोप हो गया है वहां उसकी पूर्ति संदर्भ द्वारा की जाएगी ।

दृष्टांत

वसीयतकर्ता "पांच सौ" की वसीयत संपदा अपनी पुत्री **क** को और "पांच सौ रुपए" की वसीयत संपदा अपनी पुत्री **ख** को देता है । **क** पांच सौ रुपए की वसीयत संपदा लेगी ।

78. विषयवस्तु के वर्णन में गलत वर्णन का अस्वीकार किया जाना—यदि उस वस्तु की, जिसकी वसीयत करने का वसीयतकर्ता का आशय था, पर्याप्त पहचान विल में दिए गए उसके वर्णन से की जा सकती है किन्तु वर्णन के कुछ भाग लागू नहीं होते हैं तो वर्णन के उन भागों को अस्वीकार कर दिया जाएगा कि वह गलत है और वसीयत प्रभावी होगी ।

दृष्टांत

(i) **क,** "मेरी कच्छ भूमि जो, **ठ** में स्थित है और **म** के अधिभोगाधीन है" **ख** को वसीयत करता है । वसीयतकर्ता के पास **ठ** में स्थित कच्छ भूमि थी किन्तु **न** के अधिभोगाधीन कच्छ भूमि नहीं थी । "**म** के अधिभोगाधीन" शब्दों को अस्वीकार कर दिया जाएगा कि वे गलत हैं और **ठ** में स्थित वसीयतकर्ता की कच्छ भूमि वसीयत द्वारा संक्रांत होगी ।

(ii) वसीयतकर्ता "रामपुर की मेरी जमींदारी" **क** को वसीयत करता है । उसकी रामपुर में संपदा थी किन्तु वह ताल्लुक था जमींदारी नहीं थी । ताल्लुक इस वसीयत द्वारा संक्रांत होगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

79. वर्णन का भाग कब अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह गलत है—यदि किसी विल में उस चीज के वर्णन स्वरूप, जिसकी वसीयत करने का वसीयतकर्ता का आशय था, विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया गया है और उसकी ऐसी कोई संपत्ति है जिसकी बाबत वे सभी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वसीयत ऐसी सम्पत्ति तक सीमित समझी जाएगी और वर्णन के किसी भाग को उस कारण कि वसीयतकर्ता के पास ऐसी अन्य संपत्तियां थीं जिसे वर्णन का ऐसा भाग लागू नहीं होता है, गलत मानकर अस्वीकार करना विधिपूर्ण नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—यह निर्णय करने के लिए कि मामला इस धारा के अर्थ के अधीन आता है कि नहीं ऐसे किन्हीं शब्दों को जो धारा 78 के अधीन अस्वीकार किए जा सकते हों, विल में से काट दिया गया समझा जाएगा ।

दृष्टांत

(i) **क,** "मेरी कच्छ भूमि, जो **ठ** में स्थित है और **भ** के अधिभोगाधीन है" **ख** को वसीयत करता है । वसीयतकर्ता के पास **ठ** में स्थित कच्छ भूमि थी जिसमें से कुछ **भ** के अधिभोगाधीन थी । और कुछ **भ** के अधिभोगाधीन नहीं थी । वसीयत को वसीयतकर्ता की **ठ** में स्थित ऐसी कच्छ भूमि तक ही सीमित समझा जाएगा जो **भ** के अधिभोगाधीन है ।

(ii) **क** "मेरी कच्छ भूमि, जो **ठ** में स्थित है और **भ** के अधिभोगाधीन है और जिसमें 1,000 बीघा भूमि है" **ख** को वसीयत करता है । वसीयतकर्ता की **ठ** में स्थित कच्छ भूमि थी जिसमें से कुछ भूमि **भ** के अधिभोगाधीन थी और कुछ **भ** के अधिभोगाधीन नहीं थी । दिया गया माप किसी भी वर्ग की कच्छ भूमि को या दोनों को मिलाकर संपूर्ण कच्छ भूमि को लागू नहीं होता है । यह माना जाएगा कि वह विल में से काट दिया गया है और **ठ** में स्थित वसीयतकर्ता की ऐसी कच्छ भूमि, जो **भ** के अधिभोगाधीन हो, वसीयत द्वारा संक्रांत होगी ।

80. प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता के मामलों में बाहरी साक्ष्य की ग्राह्यता—जहां विल के शब्द असंदिग्ध हैं किन्तु बाहरी साक्ष्य से यह पाया जाता है कि उसके एक से अधिक उपयोजन हो सकते हैं जिसमें एक ही वसीयतकर्ता द्वारा आशयित रहा होगा वहां यह दर्शित करने के लिए बाहरी साक्ष्य लिया जा सकता है कि आशय उनमें से किस उपयोजन का था ।

दृष्टांत

(i) एक व्यक्ति जिसकी मेरी नाम की दो कजिन हैं "मेरी कजिन मेरी" को कुछ धन राशि वसीयत करता है । यह प्रतीत होता है कि ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक विल में दिए गए वर्णन के अनुरूप हैं । अत: इस वर्णन के दो उपयोजन हैं जिनमें से वसीयतकर्ता का आशय केवल एक रहा होगा । यह दर्शित करने के लिए बाहरी साक्ष्य लिया जा सकता है कि वसीयतकर्ता का आशय दोनों उपयोजनों में से किस उपयोजन से था ।

(ii) **क,** अपने बिल द्वारा "सुलतानपुर खुर्द नामक मेरी संपदा" **ख** को छोड़ जाता है । यह प्रकट होता है कि उसके पास सुलतानपुर खुर्द नामक दो संपदाएं थीं । यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य हो सकता है कि उसका आशय किस संपदा से था ।

81. प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता या कमी से मामलों में बाहरी साक्ष्य की अग्राह्यता—जहां विल में प्रत्यक्षत: संदिग्धार्थता या कमी है वहां वसीयतकर्ता के आशय के बारे में कोई बाहरी साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा ।

दृष्टांत

(i) व्यक्ति **क** की एक आन्ट कैरोलीन और एक कजिन मेरी है और मेरी नाम की कोई आन्ट नहीं है । अपने विल द्वारा वह 1,000 रुपए "मेरी आन्ट कैरोलीन" के लिए और 1,000 रुपए "मेरी कजिन मेरी" के लिए वसीयत करता है और तत्पश्चात् 2,000 रुपए "मेरी पूर्व वर्णित आन्ट मेरी" के लिए वसीयत करता है । यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे विल में दिया गया वर्णन लागू हो सकता है और यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा कि "मेरी पूर्व वर्णित आन्ट मेरी" से कौन अभिप्रेत था । अत: विल धारा 89 के अधीन अनिश्चितता के कारण शून्य है ।

(ii) **क**…………………को वसीयतदार का नाम खाली छोड़कर 1,000 रुपए की वसीयत करता है । यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं है कि वसीयतकर्ता का आशय कौन सा नाम अन्त:स्थापित करने का था ।

(iii) **क ख** को………..रुपए या "……….की मेरी संपदा" की वसीयत करता है । यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं है कि कितनी राशि या किस संपदा को अंत:स्थापित करने का वसीयतकर्ता का आशय था ।

82. खंड का अर्थ सम्पूर्ण विल से निकाला जाना—विल के किसी खंड का अर्थ सम्पूर्ण लिखत से निकाला जाएगा और उसके सभी भागों का अर्थान्वियन एक दूसरे के प्रति निर्देश से किया जाएगा ।

दृष्टांत

(i) वसीयतकर्ता **क** की मृत्यु पर **ख** को विनिर्दिष्ट निधि या सम्पत्ति देता है और पश्चात्वर्ती खंड द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति **क** को देता है । विभिन्न खंडों का एक साथ मिलकर प्रभाव विनिर्दिष्ट निधि या सम्पत्ति को **क** में जीवनकाल के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** में निहित करना है । **ख** की वसीयत से यह प्रतीत होता है कि वसीयतकर्ता का आशय उन शब्दों का निर्बन्धित अर्थों में प्रयोग करने का था जिसमें उसने यह वर्णित किया है कि वह **क** को क्या देता है ।

(ii) जहां वसीयतकर्ता के पास एक ऐसी सम्पदा है जिसका एक भाग ब्लैक एकर कहा जाता है, अपनी सम्पूर्ण सम्पदा **क** को वसीयत करता है और अपने विल के दूसरे भाग में ब्लैक एकर को **ख** को वसीयत करता है । पश्चात्वर्ती वसीयत को प्रथम वसीयत के अपवाद के रूप में पढ़ा जाएगा मानो उसने यह कहा हो कि "मैं ब्लैक एकर **ख** को देता हूं और अपनी सभी शेष सम्पदा **क** को देता हूं" ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

83. शब्दों को कब निर्बंधित अर्थों में और कब प्रायिक से विस्तृत अर्थों में समझा जाएगा—साधारण शब्दों को निर्बंधित अर्थों में समझा जा सकेगा जहां विल से यह अर्थ निकाला जा सके कि वसीयतकर्ता उनके उपयोग निर्बन्धित अर्थों में करना चाहता था और जहां विल के अन्य शब्दों से यह अर्थ निकाला जा सके कि वसीयतकर्ता उनका उपयोग उनके प्रायिक अर्थों से विस्तृत अर्थों में करना चाहता था वहां शब्दों को उनसे विस्तृत अर्थों में समझा जा सकेगा ।

दृष्टांत

(i) वसीयतकर्ता **क** को "**ख** के अधिभोगाधीन मेरा फार्म" और **ग** को "**ठ** में स्थित मेरी सभी कच्छभूमि" देता है । **ख** के अधिभोगाधीन फार्म का एक भाग **ठ** में स्थित कच्छभूमि है, और वसीयतकर्ता की **ठ** में स्थित अन्य कच्छभूमि भी है । साधारण शब्द "**ठ** में स्थित मेरी सभी कच्छभूमि" **क** को किए गए दान द्वारा निर्बन्धित हैं । **क, ख** के अधिभोगाधीन सम्पूर्ण फार्म लेगा जिसमें फार्म का वह प्रभाग भी सम्मिलित है, जिसमें **ठ** में स्थित कच्छभूमि है ।

(ii) वसीयतकर्ता (जो पोत फलक पर एक नाविक है) अपनी माता को अपनी सोने की अंगूठी, बटन और कपड़ों की पेटी और अपने मित्र **क** (पोत के साथी) को अपना लाल सन्दूक, खटकेदार चाकू और ऐसी सभी चीजें, जो पहले वसीयत न की गई हों, वसीयत करता है । वसीयतकर्ता का किसी घर में अंश इस वसीयत के अधीन **क** को संक्रांत नहीं होता है ।

(iii) **क** अपने विल द्वारा **ख** को अपना सभी घरेलू फर्नीचर, प्लेट, वस्त्र, चीनी के बर्तन, पुस्तकें, चित्र और सभी प्रकार के सभी अन्य माल वसीयत करता है और उसके बाद **ख** को अपनी सम्पत्ति का एक भाग वसीयत करता है, प्रथम वसीयत के अधीन **ख** वसीयतकर्ता की केवल ऐसी वस्तुओं के लिए हकदार है जो उसमें संगणित वस्तुओं की प्रकृति की है ।

84. दो सम्भाव्य अर्थान्वयन में से किसे अधिमान दिया जाएगा—जहां किसी खण्ड के दो अर्थ सम्भव हैं जिनमें से एक के अनुसार उसका कुछ प्रभाव होता है और दूसरे के अनुसार उसका कोई प्रभाव नहीं होता है वहां पूर्ववर्ती को अधिमान दिया जाएगा ।

85. यदि युक्तियुक्त अर्थान्वयन किया जा सके तो किसी भाग को अस्वीकृत न किया जाना—यदि विल के किसी भाग का युक्तियुक्त अर्थान्वयन सम्भव है तो उसे अर्थहीन मानकर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

86. विल के विभिन्न भागों में पुन: प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन—यदि एक ही विल के विभिन्न भागों में एक ही शब्द आते हैं तो जब तक कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो तो उनके बारे में यह माना जाएगा कि उनका प्रयोग सर्वत्र एक ही अर्थ में हुआ है ।

87. जहां तक संभव हो वसीयतकर्ता के आशय को प्रभावी बनाया जाना—वसीयतकर्ता के आशय को इसलिए अपास्त नहीं किया जाएगा कि वह पूर्ण रूप से प्रभावशील नहीं हो सकता है किन्तु उसे, जहां तक सम्भव हो, प्रभावशील किया जाएगा ।

दृष्टांत

वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु शैय्या पर किए गए विल द्वारा अपनी सभी सम्पत्ति **ग, घ** को जीवनपर्यन्त के लिए, और उसकी मृत्यु के पश्चात् किसी अस्पताल को वसीयत करता है । वसीयतकर्ता के आशय को उसके पूर्ण विस्तार तक प्रभावशील नहीं किया जा सकता है । क्योंकि अस्पताल को दान धारा 118 के अधीन शून्य है, किन्तु वह वहां तक प्रभावी होगा जहां तक उसका संबंध **ग, घ** और किए गए दान से है ।

88. दो असंगत खंडों में से अंतिम का अभिभावी होना—जहां विल में के दो खंडों या दोनों में ऐसा अनमेल है जिससे वे साथ-साथ नहीं रह सकते हैं वहां अंतिम अभिभावी होगा ।

दृष्टांत

(i) वसीयतकर्ता अपने विल के प्रथम खंड द्वारा अपनी रामनगर की संपदा "**क** के लिए" छोड़ता है और अपने विल के अंतिम खंड द्वारा उसे "**ख** के लिए न कि **क** के लिए" छोड़ता है । वह **ख** को मिलेगी ।

(ii) यदि कोई व्यक्ति विल के प्रारंभ में अपना गृह **क** को देता है और उसके अंत में यह निदेश देता है कि उसके गृह का विक्रय किया जाएगा और उसके आगमों को **ख** के फायदे के लिए विनिहित किया जाएगा, तो अंतिम व्ययन अभिभावी होगा ।

89. अनिश्चितता के कारण विल या वसीयत का शून्य होना—कोई विल या वसीयत जिसमें कोई निश्चित आशय व्यक्त नहीं होता है, अनिश्चितता के कारण शून्य है ।

दृष्टांत

यदि कोई वसीयतकर्ता यह कहता है कि "मैं माल **क** को वसीयत करता हूं" या "मैं **क** को वसीयत करता हूं" या "मैं अनुसूची में वर्णित सभी माल **क** के लिए छोड़ता हूं" और कोई अनुसूची नहीं पाई जाती है, या "धन", "गेहूं", "तेल" या ऐसी ही चीजें "**क** के लिए वसीयत करता हूं" और उसकी मात्रा नहीं बताता है । यह शून्य है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

90. वस्तुओं का वर्णन करने वाले शब्दों का, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, वर्णन के अनुरूप संपत्ति को निर्दिष्ट करना—विल में अंतर्विष्ट संपत्ति के, जो दान की विषयवस्तु है, वर्णन को जब तक विल से कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उस वर्णन के अनुरूप संपत्ति को निर्दिष्ट करने वाला और सम्मिलित करने वाला समझा जाएगा ।

91. साधारण वसीयत द्वारा निष्पादित नियोजन की शक्ति—जब तक कि विल से कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो वसीयतकर्ता की संपदा की वसीयत का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें ऐसी कोई संपत्ति सम्मिलित है जिसे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए, जिसे वह ठीक समझे, विल द्वारा नियोजित करने की उसे शक्ति है और वह ऐसी शक्ति के निष्पादन के रूप में प्रवर्तित होगी; और साधारण रीति से वर्णित संपत्ति की वसीयत का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें ऐसी संपत्ति सम्मिलित है जिसे ऐसा वर्णन लागू हो सके, और जिसे ऐसे किसी उद्देश्य के लिए, जिसे वह ठीक समझे, नियोजित करने की उसे शक्ति है और वह ऐसी शक्ति के निष्पादन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

92. नियोजन के अभाव में शक्तियों के उद्देश्यों के लिए विवक्षित दान—जहां सम्पत्ति ऐसे कतिपय उद्देश्यों के लिए या उसके फायदे के लिए, जैसा कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति नियोजित करे या कतिपय उद्देश्यों के फायदे के लिए ऐसे अनुपात में, जो कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति नियोजित करे, वसीयत की गई है और विल में, नियोजन न किए जाने की दशा में, कोई उपबन्ध नहीं है; वहां, यदि विल द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है तो संपत्ति शक्ति के सभी उद्देश्यों के लिए समान अंशों में प्रयुक्त होती है ।

दृष्टांत

क अपने विल द्वारा एक निधि अपनी पत्नी को जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत करता है और निदेश देता है कि पत्नी की मृत्यु पर यह उसकी संतानों के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित की जाएगी जैसा उसकी पत्नी नियोजित करे । विधवा कोई नियोजन किए बिना मर जाती है । निधि संतानों में समान रूप से विभाजित की जाएगी ।

93. किसी व्यक्ति के "वारिसों" आदि को, विशेषित करने वाले शब्द के बिना वसीयत—जहां किसी विशिष्ट व्यक्ति के "वारिसों" या "सही वारिसों" या "नातेदारों" या "समीपतम नातेदारों" या "कुटम्ब" या "रक्त संबंधी" या "निकटतम संबंधी" या "निकट संबंधी" को विशेषित करने वाले किसी शब्द के बिना, वसीयत की जाती है और ऐसा अभिहित वर्ग वसीयत का प्रत्यक्ष और स्वतन्त्र उद्देश्य है वहां वसीयत की गई संपत्ति इस प्रकार वितरित की जाएगी मानो वह ऐसे व्यक्ति की थी और उसकी, इसकी बाबत, अपने ऋणों का संदाय करने के लिए ऐसी संपत्ति से पृथक् आस्तियां छोड़कर, वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई थी ।

दृष्टांत

(i) **क** अपनी संपत्ति "मेरे अपने निकटतम नातेदारों" के लिए छोड़ता है । संपत्ति उन्हें मिलेगी जो उसके लिए हकदार होते यदि **क** अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपत्ति से स्वतंत्र रूप से आस्तियां छोड़कर, वसीयत किए बिना मर गया होता ।

(ii) **क,** 10,000 रुपए की वसीयत "**ख** को, उसके जीवनपर्यन्त, और **ख** की मृत्यु के पश्चात् मेरे अपने सही वारिसों के लिए" करता है । वसीयत संपदा **ख** की मृत्यु के पश्चात् उनकी होगी जो उसके लिए हकदार होते यदि वह **क** की वसीयत न की गई संपत्ति की भाग होती ।

(iii) **क** अपनी संपत्ति को **ख** के लिए; किन्तु यदि **ख** की मृत्यु उसके पूर्व हो जाती है तो **ख** के निकट संबंधी के लिए छोड़ता है; **ख** की मृत्यु **क** के पूर्व हो जाती है; संपत्ति वैसे ही न्यागत होगी मानो वह **ख** की थी और उसकी, अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपत्ति से पृथक् आस्तियां छोड़कर, वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई थी ।

(iv) **क,** 10,000 रुपए "**ख** को उसके जीवनपर्यन्त" और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ग** के वारिसों के लिए छोड़ता है । वसीयत संपदा वैसे ही मिलेगी मानो वह **ग** की थी और उसकी, अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी वसीयत संपदा से पृथक् आस्तियां छोड़कर, वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई थी ।

94. विशिष्ट व्यक्ति के "प्रतिनिधियों" आदि को वसीयत—जहां, कोई वसीयत किसी "विशिष्ट व्यक्ति के" प्रतिनिधियों या "विधिक प्रतिनिधियों" या "वैयक्तिक प्रतिनिधियों" या "निष्पादकों" या "प्रशासकों" को की गई है और इस प्रकार अभिहित वर्ग वसीयत का प्रत्यक्ष और स्वतंत्र उद्देश्य है तो वसीयत की गई संपत्ति वैसे ही वितरित की जाएगी मानो वह ऐसे व्यक्ति की थी और उसकी, इसकी बाबत वसीयत किए बिना, मृत्यु हो गई थी ।

दृष्टांत

क के "विधिक प्रतिनिधियों" के लिए एक वसीयत की गई है । **क** की वसीयत किए बिना और दिवालिया के रूप में मृत्यु हो गई है । **ख** उसका प्रशासक है । **ख** वसीयत सम्पदा प्राप्त करने का हकदार है और उसका उपयोग प्रथमत: **क** के ऋणों के ऐसे भाग को चुकाने में करेगा जिसका संदाय नहीं किया गया है; यदि कोई अतिशेष हो तो **ख** उसका संदाय उन व्यक्तियों को, जो **क** की ऐसी संपत्ति को, जो उसके ऋणों का संदाय करने के पश्चात् बची हो, प्राप्त करने का हकदार होते या ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को संदत्त करेगा ।

95. परिसीमा संबंधी शब्दों के बिना वसीयत—जहां सम्पत्ति किसी व्यक्ति को वसीयत की जाती है वहां वह उसमें, जब तक कि विल से यह प्रकट न हो कि उसके लिए केवल निर्बन्धित हित का आशय था, वसीयतकर्ता के संपूर्ण हित का हकदार होता है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

96. अनुकल्पी वसीयत—जहां सम्पत्ति की वसीयत किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के वर्ग के लिए अनुकल्पी वसीयत के साथ की गई है वहां यदि विल से कोई विरुद्ध आशय प्रकट नहीं होता है तो प्रथम नामित वसीयतदार वसीयत संपदा का हकदार होगा यदि वह उस समय जीवित है जब वह प्रभावी होती है; किन्तु यदि वह उस समय पर मर चुका है तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो अनुकल्प की दूसरी शाखा में नामित है, वसीयत संपदा लेगा ।

दृष्टांत

(i) एक वसीयत **क** के लिए या **ख** के लिए की जाती है । **क** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है, **ख** को कुछ नहीं मिलता है ।

(ii) एक वसीयत **क** के लिए या **ख** के लिए की जाती है । **क** की मृत्यु विल की तारीख के पश्चात् और वसीयतकर्ता के पूर्व हो जाती है । वसीयत सम्पदा **ख** को मिलती है ।

(iii) एक वसीयत **क** के लिए या **ख** के लिए की जाती है । **क** की मृत्यु विल की तारीख को हो जाती है । वसीयत संपदा **ख** को मिलती है ।

(iv) संपत्ति की वसीयत **क** के लिए या उसके वारिसों के लिए की जाती है । **क** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है । **क** संपत्ति को पूर्णत: लेता है ।

(v) सम्पत्ति की वसीयत **क** के लिए या उसके निकटतम संबंधी के लिए की जाती है । **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **क** के निकटतम संबंधी के लिए वसीयत प्रभावी होती है ।

(vi) सम्पत्ति की वसीयत **क** को उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** या उसके वारिसों के लिए की जाती है । **क** और **ख** वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं । **ख** की मृत्यु **क** के जीवनकाल में ही हो जाती है । **क** की मृत्यु पर **ख** के वारिसों को वसीयत प्रभावी होगी ।

(vii) सम्पत्ति की वसीयत **क** को उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** या उसके वारिसों के लिए की जाती है । **ख** की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है । **क** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है । **क** की मृत्यु पर **ख** के वारिसों के लिए वसीयत प्रभावी होती है ।

97. किसी व्यक्ति के लिए वसीयत में किसी वर्ग का वर्णन करने वाले शब्दों को जोड़ने का प्रभाव—जहां सम्पत्ति की वसीयत किसी व्यक्ति के लिए की गई है और ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, जो व्यक्तियों के किसी वर्ग का वर्णन करते हैं किन्तु उन्हें किसी विशिष्ट और स्वतंत्र दान के प्रत्यक्ष उद्देश्य के रूप में घोषित नहीं करते हैं वहां ऐसा व्यक्ति, जब तक विल से कोई विरुद्ध आशय प्रकट न हो उसमें वसीयतकर्ता के सम्पूर्ण हित का हकदार होगा ।

दृष्टांत

(i) कोई वसीयत—

क और उसकी सन्तानों के लिए,

क और उसकी वर्तमान पत्नी द्वारा उसकी संतानों के लिए,

क और उसके वारिसों के लिए,

क और उसके औरस वारिसों के लिए,

क और उसके औरस पुरुष वारिसों के लिए,

क और उसके औरस स्त्री वारिसों के लिए,

क और उसकी संतति के लिए,

क और उसके कुटुम्ब के लिए,

क और उसके वंशजों के लिए,

क और उसके प्रतिनिधियों के लिए,

क और उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों के लिए,

क और उसके निष्पादकों और प्रशासकों के लिए,

की जाती है ।

इन प्रत्येक मामलों में, **क** वह सम्पूर्ण हित प्राप्त करता है, जो वसीयतकर्ता सम्पत्ति में रखता था ।

(ii) एक वसीयत **क** और उसके भाइयों के लिए की जाती है । **क** और उसके भाई वसीयत सम्पदा के लिए संयुक्त रूप से हकदार हैं ।

(iii) एक वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतति के लिए की जाती है । **क** की मृत्यु पर सम्पत्ति ऐसे सभी व्यक्तियों की, जो **क** की संतति के वर्णन में आते हों, समान अंशों में होती है ।

98. केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को वसीयत—जहां केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को वसीयत की जाती है वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे वर्णन के शब्द उनके मामूली अर्थों में लागू नहीं होते हैं, वसीयत सम्पदा प्राप्त नहीं करेगा ।

99. पदों का अर्थान्वयन—विल में—

(क) "संतानें" शब्द उस व्यक्ति के जिसकी संतानें कही जाती हैं, केवल प्रथम डिग्री के पदों का अर्थान्वयन पारम्परिक वंशजों को लागू होता है;

(ख) "पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री" शब्द उस व्यक्ति के, जिसके पौत्र-पौत्री-दौहित्र-दौहित्री कहे जाते हैं, केवल द्वितीय डिग्री के पारम्परिक वंशजों को लागू होते हैं;

(ग) "नैफ्यूज" और "नीसेज" शब्द केवल भाइयों या बहन की संतानों को लागू होते हैं;

(घ) "कजिन्स" या "फर्स्ट कजिन्स" या "कजिन्स जर्मन" शब्द उस व्यक्ति के, जिसके "कजिन्स" या "फर्स्ट कजिन्स" या "कजिन्स जर्मन" कहे जाते हैं, पिता या माता के केवल भाइयों या बहनों की संतानों को लागू होते हैं;

(ङ) "फर्स्ट कजिन्स वन्स रिमूव्ड" शब्द केवल कजिन्स जर्मन की संतानों को या उस व्यक्ति के, जिसके "फर्स्ट कजिन्स वन्स रिमूव्ड" कहे जाते हैं, पिता या माता के कजिन्स जर्मन को लागू होते हैं;

(च) "सैकिन्ड कजिन्स" शब्द उस व्यक्ति के, जिसके "सैकिन्ड कजिन्स" कहे जाते हैं, पितामह या पितामही के केवल भाइयों और बहनों के प्रपौत्रों-प्रपौत्रियों-प्रदौहित्रों-प्रदौहित्रियों को लागू होते हैं;

(छ) "संतति" और "वंशज" शब्द उस व्यक्ति के, जिसकी "संतति" या "वंशज" कहे जाते हैं, सभी पारम्परिक वंशजों को, वे चाहे जो हों, लागू होते हैं;

(ज) सांपार्श्विक नातेदारी को अभिव्यक्त करने वाले शब्द पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त नातेदारों को समान रूप से लागू होते हैं;

(झ) नातेदारी को अभिव्यक्त करने वाले सभी शब्द गर्भस्थित संतान को, लागू होते हैं जो बाद में जीवित जन्म लेती है ।

100. नातेदारी अभिव्यक्त करने वाले शब्द केवल धर्मज नातेदारों को या ऐसे नातेदारों के न होने पर ख्यात धर्मज नातेदारों को द्योतित करते हैं—विल में किसी विरुद्ध संसूचना के न होने पर "संतान" शब्द "पुत्र" शब्द "पुत्री" शब्द या ऐसे शब्द की बाबत, जो नातेदारी अभिव्यक्त करता है, यह समझा जाएगा मानो वह किसी धर्मज नातेदार को या जहां ऐसा धर्मज नातेदार नहीं है वहां ऐसे किसी व्यक्ति को द्योतित करता है जो विल की तारीख को ऐसा नातेदार होने की ख्याति अर्जित कर लेता है ।

दृष्टांत

(i) **क** जिसकी **ख, ग** और **घ** तीन संतानें हैं जिनमें से **ख** और **ग** धर्मज हैं और **घ** अधर्मज है अपनी सम्पत्ति "मेरी संतानों" के बीच समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ता है । सम्पत्ति **घ** को अपवर्जित करके **ख** और **ग** की समान अंशों में होती है ।

(ii) **क** की अधर्मज जन्म की एक नीस है, जिसने उसकी नीस होने की ख्याति अर्जित कर ली है और उसकी कोई धर्मज नीस नहीं है । **क** कुछ धनराशि अपनी नीस को वसीयत करता है, अधर्मज नीस वसीयत सम्पदा के लिए हकदार है ।

(iii) **क,** जिसने अपनी विल में अपनी संतानों का वर्णन किया है और उनमें से एक का नाम **ख** दिया है जो अधर्मज है । अपनी वसीयत सम्पदा "मेरी उक्त संतानों" के लिए छोड़ता है । **ख** को धर्मज संतानों के साथ वसीयत सम्पदा में एक अंश मिलेगा ।

(iv) **क** एक वसीयत संपदा "**ख** की संतानों" के लिए छोड़ता है । **ख** की मृत्यु हो गई है और उसने अधर्मज संतानों के सिवाय कोई संतान नहीं छोड़ी है । वे सभी जिन्होंने विल की तारीख को **ख** की संतान होने की ख्याति अर्जित कर ली है दान को पाने वाले हैं ।

(v) **क** एक वसीयत संपदा "**ख** की संतानों" के लिए वसीयत करता है । **ख** की कभी भी कोई धर्मज संतान नहीं थी । **ग** और **घ** ने विल की तारीख को **ख** को संतान न होने की ख्याति अर्जित कर ली थी । विल की तारीख के पश्चात् वसीयतकर्ता की मृत्यु के पूर्व **ङ** और **च** का जन्म हुआ था और उन्होंने **ख** की संतान होने की ख्याति अर्जित कर ली थी । केवल **ग** और **घ** वसीयत को पाने वाले हैं ।

(vi) **क** किसी स्त्री से, जो उसकी पत्नी नहीं है, अपनी संतान के पक्ष में एक वसीयत करता है । **ख** ने विल की तारीख को अभिहित स्त्री द्वारा **क** की संतान होने की ख्याति अर्जित कर ली थी । **ख** वसीयत संपदा प्राप्त करता है ।

(vii) **क** किसी ऐसी स्त्री से, जो उसकी पत्नी कभी भी नहीं होती है, उत्पन्न अपनी संतान के पक्ष में वसीयत करता है । वसीयत शून्य है ।

(viii) **क** ऐसी किसी स्त्री की, जिससे उसका विवाह नहीं हुआ है, और जो गर्भवती है, संतान के पक्ष में वसीयत करता है। वसीयत अवैध है।

COURT BOOK

101. जहां विल में एक ही व्यक्ति को दो वसीयतें करने का तात्पर्य हो वहां अर्थान्वयन के सिद्धांत—जहां किसी विल में एक ही व्यक्ति को दो वसीयतें करने का तात्पर्य है और यह प्रश्न उठता है कि क्या वसीयतकर्ता का प्रथम वसीयत के स्थान पर या उसके अतिरिक्त दूसरी वसीयत करने का आशय था, वहां यदि विल में यह दर्शित करने के लिए कोई बात नहीं है कि उसका क्या आशय था तो विल के अर्थान्वयन का अवधारण करने के लिए निम्नलिखित नियम प्रभावी होंगे :—

(क) यदि एक ही विशिष्ट चीज एक ही विल में या विल में और फिर क्रोडपत्र में एक ही वसीयतदार को दो बार वसीयत की गई है तो वह केवल उस विनिर्दिष्ट चीज को प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) जहां एक ही विल में या एक ही क्रोडपत्र में, दो स्थानों पर एक ही चीज की एक मात्रा या परिमाण को एक ही व्यक्ति को वसीयत किए जाने का तात्पर्य है वहां वह ऐसी केवल एक वसीयत सम्पदा के लिए हकदार होगा।

(ग) जहां एक ही विल या एक ही क्रोडपत्र में एक ही व्यक्ति के लिए असमान मात्रा की दो वसीयत सम्पदाएं दी गई हैं वहां वसीयतदार दोनों के लिए हकदार हैं।

(घ) जहां, चाहे समान या चाहे असमान मात्रा की, दो वसीयत संपदाएं जिनमें से एक विल द्वारा और दूसरी क्रोडपत्र द्वारा या प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्रोडपत्रों द्वारा, एक ही वसीयतदार को दी गई है वहां वसीयतदार दोनों वसीयत संपदाओं के लिए हकदार हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के खण्ड (क) से (घ) तक में "विल" शब्द में क्रोडपत्र सम्मिलित नहीं है।

दृष्टांत

(i) **क** ने, जिसके इंपीरियल बैंक आफ इंडिया में केवल दस शेयर हैं अधिक नहीं, एक विल किया है जिसमें उसके प्रारम्भिक भाग में "मैं इंपीरियल बैंक आफ इंडिया में अपने दस शेयरों को **ख** के लिए वसीयत करता हूं" शब्द अन्तर्विष्ट हैं। अन्य वसीयतों के पश्चात् विल की समाप्ति "और मैं इंपीरियल बैंक आफ इंडिया में अपने दस शेयरों को **ख** के लिए वसीयत करता हूं" शब्दों से होती है। **ख** केवल इंपीरियल बैंक आफ इंडिया में **क** के दस शेयरों को प्राप्त करने का हकदार है।

(ii) **क** जिसके पास एक हीरे की अंगूठी है जो **ख** ने उसे दी है, उस हीरे की अंगूठी को जो **ख** ने दी है **ग** को वसीयत करता है। तत्पश्चात् **क** ने अपने विल के लिए एक क्रोडपत्र तैयार किया है और उसके द्वारा अन्य वसीयत सम्पदाओं को देने के पश्चात् उसने उस हीरे की अंगूठी को, जो **ख** ने उसे दी थी **ग** के लिए वसीयत किया है। **ग** उस हीरे की अंगूठी के सिवाय, जो **ख** ने **क** को दी थी, किसी भी चीज का दावा नहीं कर सकता है।

(iii) **क** अपने विल द्वारा **ख** के लिए 5,000 रुपए की वसीयत करता है। और तत्पश्चात् उसी विल में वसीयत को उन्हीं शब्दों में दोहराता है। **ख** केवल 5,000 रुपए की एक वसीयत संपदा के लिए हकदार है।

(iv) **क,** अपने विल द्वारा, **ख** के लिए 5,000 रुपए की वसीयत करता है और तत्पश्चात् उसी विल में **ख** के लिए 6,000 रुपए की वसीयत करता है। **ख** 11,000 रुपए प्राप्त करने का हकदार है।

(v) **क,** अपने विल द्वारा, **ख** के लिए 5,000 रुपए की वसीयत करता है और विल के क्रोडपत्र द्वारा वह उसे 5,000 रुपए की वसीयत करता है। **ख** 10,000 रुपए प्राप्त करने का हकदार है।

(vi) **क,** अपने विल में एक क्रोडपत्र द्वारा **ख** के लिए 5,000 रुपए की वसीयत करता है और दूसरी क्रोडपत्र द्वारा उसके लिए 6,000 रुपए की वसीयत करता है। **ख** 11,000 रुपए प्राप्त करने का हकदार है।

(vii) **क,** अपने विल द्वारा "**ख** के लिए क्योंकि वह मेरी परिचारिका थी, 500 रुपए" की वसीयत करता है और विल के अन्य भाग में **ख** के लिए, "क्योंकि वह मेरी संतानों के साथ इंग्लैण्ड गई थी", 500 रुपए की वसीयत करता है। **ख** 1,000 रुपए प्राप्त करने की हकदार है।

(viii) **क,** अपने विल द्वारा, **ख** के लिए 5,000 रुपए की राशि और विल के अन्य भाग में 400 रुपए की एक वार्षिकी की वसीयत करता है। **ख** दोनों वसीयत सम्पदाओं के लिए हकदार है।

(ix) **क,** अपने विल द्वारा, **ख** के लिए 5,000 रुपए की धनराशि वसीयत करता है और यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो 5,000 रुपए की धनराशि भी वसीयत करता है। **ख** 5,000 रुपए की एक राशि के लिए पूर्णरूप से हकदार है और 5,000 रुपए की दूसरी राशि में समाश्रित हित प्राप्त करता है।

102. अवशिष्टीय वसीयतदार का गठन—किसी अवशिष्टीय वसीयतदार का गठन ऐसे किसी शब्द द्वारा किया जा सकेगा जो वसीयतकर्ता की ओर से यह आशय दर्शित करे कि अभिहित व्यक्ति उसकी संपत्ति का अतिशेष या अवशिष्ट लेगा।

COURT BOOK

दृष्टांत

(i) **क** अपनी विल करती है, जिसमें बहुत से वसीयती कागजपत्र हैं, जिसमें से एक में निम्नलिखित अंतर्विष्ट है—"मैं यह सोचती हूं कि सभी अन्त्येष्टि के खर्चे आदि चुकाने के पश्चात् **ख** को, जो स्कूल में है, ऐसी किसी वृत्ति के लिए, जिसमें वह उसके पश्चात् नियुक्त किया जाए, उसे योग्य बनाने की दृष्टि से देने के लिए कुछ बचेगा" । **ख** को अविशिष्टीय वसीयतदार गठित किया गया है ।

(ii) **क,** अपना विल करता है, जिसके अन्त में निम्नलिखित अंश है—"मुझे विश्वास है कि मेरे बैंककार के हाथ में, मेरे ऋणों को अदा करने और चुकाने के लिए, पर्याप्त धन मिलेगा । मैं इसके द्वारा चाहता हूं कि **ख** यह कार्य करे और अवशेष को वह अपने उपयोग और भोग के लिए रखे । **ख** को अवशिष्टीय वसीयतदार गठित किया गया है ।

(iii) **क** कुछ स्टाकों और निधियों को छोड़कर, जिसे वह **ग** के लिए वसीयत करता है, अपनी सभी सम्पत्ति **ख** के लिए वसीयत करता है । **ख** अवशिष्टीय वसीयतदार है ।

103. संपत्ति, जिसके लिए अवशिष्टीय वसीयतदार हकदार है—अवशिष्टीय वसीयत के अधीन, वसीयतदार, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, उसकी ऐसी सभी संपत्ति के लिए हकदार है, जिसका उसने ऐसा कोई अन्य वसीयती व्ययन नहीं किया है जो प्रभावी हो सके ।

दृष्टांत

क अपने विल द्वारा कतिपय वसीयत संपदाओं की वसीयत करता है जिनमें से एक धारा 118 के अधीन शून्य है और दूसरी वसीयतदार की मृत्यु द्वारा व्यपगत हो जाती है । वह अपनी संपत्ति के अवशेष की वसीयत **ख** के लिए करता है । अपने विल की तारीख के पश्चात् **क** एक जमींदारी खरीदता है जो उसकी मृत्यु के समय उसकी रहती है, **ख** अवशिष्ट भाग के रूप में उन दो वसीयत सम्पदाओं और जमींदारी के लिए हकदार है ।

104. साधारण निबन्धनों वाली वसीयत संपदा के निहित होने का समय—यदि कोई सम्पदा साधारण निबन्धनों के अनुसार दी गई है और वह समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि वह कब संदत्त की जाएगी तो वसीयतदार का हित उसमें वसीयतकर्ता की मृत्यु के दिन से निहित होता है, और, यदि उसकी मृत्यु उसे प्राप्त किए बिना हो जाती है तो वह उसके प्रतिनिधियों को संक्रांत हो जाएगी ।

105. वसीयत संपदा किन मामलों में व्यपगत होती है—(1) यदि वसीयतदार वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी नहीं है तो वसीयत प्रभावी नहीं होगी, व्यपगत हो जाएगी और वसीयतकर्ता की सम्पत्ति का अवशिष्ट भाग होगी, जब तक कि वसीयत से यह प्रकट न हो कि वसीयतकर्ता का आशय था कि वह किसी अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए ।

(2) हकदार बनने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि वह वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी था ।

दृष्टांत

(i) वसीयतकर्ता **ख** के लिए "5 रुपए, जो **ख** मुझे देनदार है" वसीयत करता है । **ख** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है; वसीयत सम्पदा व्यपगत हो जाती है ।

(ii) **क** और उसकी संतानों के लिए एक वसीयत की गई है । **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है या जब विल किया जाता है वह मर चुका था । **क** और उसकी संतानों के लिए वसीयत संपदा व्यपगत हो जाती है ।

(iii) एक वसीयत संपदा **क** के लिए, और यदि उसकी मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है तो **ख** के लिए दी जाती है । **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है । वसीयत सम्पदा **ख** को मिलेगी ।

(iv) एक धनराशि की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** के लिए की जाती है । **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है । **ख** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है । **ख** के लिए वसीयत प्रभावी होगी ।

(v) एक धनराशि की वसीयत **क** के लिए, उसके अठारह वर्ष पूरा कर लेने पर और अठारह वर्ष पूरा करने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, **ख** के लिए की जाती है । **क** अठारह वर्ष पूरे कर लेता है और उसकी मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है । **क** के लिए वसीयत संपदा व्यपगत हो जाती है और **ख** के लिए वसीयत प्रभावी नहीं होती है ।

(vi) वसीयतकर्ता और वसीयतदार एक ही पोतध्वंस में नष्ट हो जाते हैं । यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसकी मृत्यु पहले हुई है । वसीयत संपदा व्यपगत हो जाती है ।

106. वसीयत संपदा व्यपगत नहीं होती यदि दो संयुक्त वसीयतदारों में से एक की मृत्यु हो जाती है—यदि कोई वसीयत संपदा दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दी गई है और उनमें से एक की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है तो दूसरा वसीयतदार संपूर्ण संपदा प्राप्त करता है ।

दृष्टांत

कोई वसीयत संपदा सीधे **क** और **ख** के लिए है । **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है । **ख** संपूर्ण संपदा प्राप्त करता है ।

107. विशिष्ट अंश देने की वसीयतकर्ता के आशय को दर्शित करने वाले शब्दों का प्रभाव—यदि कोई वसीयत संपदा किसी वसीयतदार को ऐसे शब्दों में दी गई है जो यह दर्शित करते हैं कि वसीयतकर्ता का उन्हें विशिष्ट अंश देने का आशय था तब, यदि किसी

वसीयतदार की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है तो उतनी वसीयत संपदा, जो उसके लिए आशयित थी, वसीयतकर्ता की संपत्ति के अवशेष में आ जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

एक धनराशि **क, ख** और **ग** को आपस में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए वसीयत की गई है । **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है । **ख** और **ग** को केवल उतना मिलेगा जितना वे तब पाते जब **क** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता ।

108. व्यपगत अंश कब अव्ययनित समझा जाएगा—जहां ऐसा कोई अंश, जो व्यपगत हो जाता है, विल द्वारा वसीयत किए गए साधारण अवशेष का एक भाग है, वहां वह अंश अव्ययनित समझा जाएगा ।

दृष्टांत

वसीयतकर्ता अपनी संपदा का अवशेष **क, ख** और **ग** को आपस में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए वसीयत करता है । **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है । अवशेष की उसकी एक तिहाई अव्ययनित समझी जाती है ।

109. वसीयतकर्ता की संतान या पारम्परिक वंशज के लिए वसीयत वसीयतकर्ता के जीवनकाल में उसकी मृत्यु हो जाने पर कब व्यपगत नहीं होती है—जहां कोई वसीयत, वसीयतकर्ता की किसी संतान या अन्य पारम्परिक वंशज को की गई है और वसीयतदार की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है किन्तु उसका कोई पारम्परिक वंशज वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है वहां वसीयत व्यपगत नहीं होगी और यदि विल से कोई विरुद्ध आशय प्रकट नहीं होता है तो वैसे ही प्रभावी होगी मानो वसीयतदार की मृत्यु वसीयतकर्ता की मृत्यु के ठीक पश्चात् हुई है ।

दृष्टांत

क एक विल करता है जिसके द्वारा वह एक धनराशि की वसीयत अपने पुत्र **ख** को उसके स्वयं के पूर्ण उपयोग और फायदे के लिए करता है । **ख** की मृत्यु **क** के पूर्व हो जाती है और वह एक पुत्र **ग** छोड़ जाता है, जो **क** का उत्तरजीवी होता है, तथा अपना विल कर जाता है, जिसके द्वारा अपनी सभी संपत्ति अपनी विधवा **घ** के लिए वसीयत कर जाता है । धन **घ** को मिलेगा ।

110. ख के फायदे के लिए क की वसीयत क को मृत्यु से व्यपगत नहीं होती—जहां कोई वसीयत एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए की जाती है वहां उस व्यक्ति की, जिसको वसीयत की गई है, वसीयतकर्ता के जीवनकाल में मृत्यु के कारण वसीयत संपदा व्यपगत नहीं होती है ।

111. वर्णित वर्ग के लिए वसीयत के मामले में उत्तरजीविता—जहां वसीयत केवल किसी वर्णित वर्ग के व्यक्तियों के लिए की गई है वहां वसीयत की गई चीज केवल उन्हें मिलेगी जो वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित हैं ।

अपवाद—यदि संपत्ति की वसीयत किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रक्त संबंध की किसी विशिष्ट डिग्री में आने वाले व्यक्तियों के रूप में वर्णित व्यक्तियों के किसी वर्ग को की गई है किन्तु उस पर उसका कब्जा किसी पूर्ववर्ती वसीयत के कारण या अन्यथा वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् के किसी समय तक आस्थगित कर दिया गया है वहां वह सम्पत्ति उस समय उनमें से जो जीवित हैं उनके और उनमें से जिनकी मृत्यु हो गई है उनके प्रतिनिधियों को मिलेगी ।

दृष्टांत

(i) **क,** 1,000 रुपए की वसीयत "**ख** की संतानों" के लिए, बिना यह कथन करते हुए करता है कि उसे उनके बीच कब वितरित किया जाएगा । **ख** तीन संतानें, **ग, घ** और **ङ** को छोड़कर विल की तारीख से पूर्व मर गया था । **ङ** की मृत्यु विल की तारीख के पश्चात् किन्तु **क** की मृत्यु से पूर्व हो गई है । **ग** और **घ, क** के उत्तरजीवी हैं । वसीयत संपदा **ङ** के प्रतिनिधियों को अपवर्जित करते हुए **ग** और **घ** की होगी ।

(ii) किसी गृह का निश्चित अवधि का पट्टा **क** को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** की संतानों के लिए वसीयत किया गया था । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ख** की दो संतानें, **ग** और **घ** जीवित थीं, और उसकी कभी भी कोई अन्य संतान नहीं थी । तत्पश्चात् **क** के जीवन काल में ही **ग, ङ** को अपना निष्पादक छोड़ कर मर गया । **घ, क** का उत्तरजीवी हुआ । **घ** और **ङ** पट्टाधृति अवधि के उतने भाग के लिए संयुक्त रूप से हकदार हैं जो व्यतीत नहीं हुई है ।

(iii) एक धनराशि की वसीयत **क** को उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** की संतानों के लिए की गई थी । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ख** की दो संतानें **ग** और **घ** जीवित थीं और उस घटना के पश्चात् **ख** की दो संतानें **घ** और **च** पैदा हुई थीं । **ग** और **ङ** की मृत्यु **क** के जीवनकाल में हो गई । **ग** ने एक और विल किया था । **ङ** ने कोई विल नहीं किया था । **क** की मृत्यु **घ** और **च** को उत्तरजीवी छोड़कर हो गई । वसीयत सम्पदा चार समान भागों में विभाजित की जाएगी जिसमें से एक भाग **ग** के निष्पादक को, एक **घ** को, एक **ङ** के प्रशासक को और एक **च** को संदत्त किया जाएगा ।

(iv) **क** अपनी भूमि के एक तिहाई की वसीयत **घ** को, जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** की बहनों के लिए करता है । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ख** की दो बहनें, **ग** और **घ,** जीवित थीं, और उस घटना के पश्चात् एक अन्य बहन **ङ** पैदा हुई । **ग** की मृत्यु **ख** के जीवनकाल में हो गई । **घ** और **ङ ख** की उत्तरजीवी हुई । **क** की भूमि की एक तिहाई समान अंशों में **घ, ङ** और **ग** के प्रतिनिधियों की होगी ।

COURT BOOK

(v) **क** 1,000 रुपए की वसीयत **ख** की जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ग** की संतानों के बीच समान रूप से करता है । **ख** की मृत्यु तक **ग** की कोई सन्तान नहीं थी । **ख** की मृत्यु के पश्चात् वसीयत शून्य है ।

(vi) **क,** 1000 रुपए की वसीयत **ख** की "पैदा हुई या पैदा होने वाली सभी संतानों" को, **ग** की मृत्यु के पश्चात् उनके बीच विभाजित किए जाने के लिए करता है । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ख** की दो संतानें **घ** और **ङ** जीवित थीं । वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् किन्तु **ग** के जीवनकाल में **ख** को दो और संतानें **च** और **छ** पैदा होती हैं । **ग** की मृत्यु के पश्चात् **ख** की एक अन्य संतान पैदा होती है । वसीयत संपदा **ख** की सबसे बाद में पैदा हुई संतान को अपवर्जित करते हुए, **घ, ङ, च** और **छ** की होगी ।

(vii) **क** एक निधि की वसीयत **ख** की संतानों को, इस प्रकार करता है कि वह उनके बीच तब विभाजित की जाएगी जब ज्येष्ठतम संतान वयस्क हो जाए । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ख** की एक संतान जीवित थी जिसका नाम **ग** था । तत्पश्चात् उसको **घ** और **ङ** नाम की दो अन्य संतानें हुई थीं । **ङ** की मृत्यु हो गई किन्तु **ग** और **घ** उस समय जीवित थी जब **ग** वयस्क हुआ । निधि, ऐसी किसी संतान को अपवर्जित करते हुए जो **ख** को **ग** के वयस्क होने के पश्चात् पैदा हो **ग, घ** और **ङ** के प्रतिनिधियों को मिलेगी ।

अध्याय 7—शून्य वसीयतें

112. किसी विशिष्ट वर्णन वाले किसी व्यक्ति को, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु पर विद्यमान नहीं है, वसीयत—जहां किसी विशेष वर्णन वाले किसी व्यक्ति को वसीयत की गई है और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो उस वर्णन के अनुरूप है, वहां वसीयत शून्य है ।

अपवाद—यदि सम्पत्ति की वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति को की गई है जिसका वर्णन किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टि के रक्त संबंध की किसी विशिष्ट डिग्री में आने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है किन्तु उसका कब्जा किसी पूर्ववर्ती वसीयत के कारण या अन्यथा वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् किसी समय तक आस्थगित कर दिया गया है, और यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उस वर्णन के अनुरूप कोई व्यक्ति जीवित है या उस घटना और ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख के बीच अस्तित्व में आता है तो संपत्ति ऐसे पश्चात्वर्ती समय पर, उस व्यक्ति को मिलेगी या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रतिनिधियों को मिलेगी ।

दृष्टांत

(i) **क,** 1,000 रुपए की वसीयत **ख** के ज्येष्ठतम पुत्र को करता है । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ख** का कोई पुत्र नहीं था । वसीयत शून्य है ।

(ii) **क,** 1,000 रुपए की वसीयत **ख** को उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ग** के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ग** को कोई पुत्र नहीं था । तत्पश्चात् **ख** के जीवनकाल में **ग** को एक पुत्र पैदा होता है । **ख** की मृत्यु पर वसीयत संपदा **ग** के पुत्र को मिलेगी ।

(iii) **क,** 1,000 रुपए की वसीयत **ख** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ग** के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ग** को कोई पुत्र नहीं था । तत्पश्चात् **ख** के जीवनकाल में **ग** को **घ** नाम का एक पुत्र पैदा होता है । **घ** की मृत्यु हो जाती है उसके बाद **ख** की मृत्यु हो जाती है । वसीयत संपदा **घ** के प्रतिनिधियों को मिलेगी ।

(iv) **क,** अपनी ग्रीन एकर की संपदा की वसीयत **ख** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु पर **ग** के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है । **ख** की मृत्यु तक **ग** को कोई पुत्र नहीं था । **ग** के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए वसीयत शून्य है ।

(v) **क,** 1,000 रुपए की वसीयत **ग** के ज्येष्ठतम पुत्र को, **ख** की मृत्यु के पश्चात् उसे संदाय किए जाने के लिए करता है । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ग** को कोई पुत्र नहीं था किन्तु बाद में उसे **ख** के जीवनकाल में एक पुत्र पैदा होता है और **ख** की मृत्यु पर जीवित रहता है । **ग** का पुत्र 1,000 रुपए का हकदार है ।

113. वसीयतकर्ता की मृत्यु पर अविद्यमान व्यक्ति को पूर्वोक्त वसीयत के अध्यधीन वसीयत—जहां कोई वसीयत विल में अन्तर्विष्ट किसी पूर्विक वसीयत के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है की जाती है, वहां पश्चात्वर्ती वसीयत जब तक कि उसमें वसीयत की गई चीज में वसीयतकर्ता का संपूर्ण शेष हित समाविष्ट न हो, शून्य होगी ।

दृष्टांत

(i) संपत्ति की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त, और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठतम पुत्र को, जीवनपर्यन्त और पश्चात्वर्ती की मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठतम पुत्र के लिए की गई है । वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय **क** को कोई पुत्र नहीं है । यहां **क** के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए वसीयत ऐसे व्यक्ति के लिए वसीयत है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है । यह ऐसे संपूर्ण-हितों की वसीयत नहीं है जो वसीयतकर्ता के लिए अवशेष हों । **क** के ज्येष्ठतम पुत्र को, उसके जीवनपर्यन्त वाली वसीयत शून्य है ।

(ii) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्रियों के लिए की गई है । **क** वसीयततर्ता का उत्तरजीवी है । **क** की पुत्रियां हैं जिनमें से कुछ वसीयतकर्ता की मृत्यु पर अस्तित्व में नहीं थीं । **क** की पुत्रियों के लिए वसीयत में ऐसे संपूर्ण हित समाविष्ट हैं जो वसीयत की गई चीज में वसीयतकर्ता के पास थे । **क** की पुत्रियों के लिए वसीयत वैध है ।

(iii) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्रियों के लिए इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि उनमें से कोई अपना विवाह अठारह वर्ष से कम आयु में करती है तो उसके प्रभाग का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाएगा कि वह उसका जीवनपर्यन्त रहे और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतानों के बीच विभाजित किया जा सके । **क** को वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय कोई जीवित पुत्री नहीं थी किन्तु बाद में उसे पुत्री पैदा हुई जो उसकी उत्तरजीवी है । यहां व्यवस्थापन के निदेश का प्रभाव ऐसी प्रत्येक पुत्री के मामले में, जो अठारह वर्ष से कम आयु में विवाह करती है उसके लिए पूर्ण वसीयत के स्थान पर, उसके लिए केवल उसके जीवनपर्यन्त वसीयत को प्रतिस्थापित करना है, अर्थात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है, ऐसी चीज की वसीयत है जो वसीयत की गई चीज में वसीयतकर्ता के अवशेष संपूर्ण हित से कम हैं । निधि के व्यवस्थापन का निदेश शून्य है ।

(iv) **क** एक धनराशि की वसीयत **ख** को, उसके जीवनपर्यन्त के लिए करता है और निदेश देता है कि **ख** की मृत्यु पर निधि का व्यवस्थापन उसकी पुत्रियों पर ऐसे किया जाएगा जिससे प्रत्येक पुत्री का भाग, उसका उसके जीवपर्यन्त रहे और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतानों में विभाजित किया जा सकेगा । वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय **ख** की कोई पुत्री जीवित नहीं थी । इस मामले में केवल **ख** की पुत्रियों के लिए वसीयत निधि के व्यवस्थापन के निदेश में समाविष्ट है और यह निदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, निधि में जीवपर्यन्त हित की वसीयत के समान है अर्थात् ऐसी कोई चीज को वसीयत की गई चीजों में वसीयतकर्ता के संपूर्ण हित से कम है । **ख** की पुत्रियों पर निधि के व्यवस्थापन का निदेश शून्य है ।

114. शाश्वतता के विरुद्ध नियम—ऐसी कोई वसीयत वैध नहीं है जिसके द्वारा वसीयत की गई चीज का निहित होना वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवनकाल के पश्चात् और किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस अवधि की समाप्ति के समय अस्तित्व में हो तथा जिसे वसीयत की गई चीज उस समय मिलनी हो जब वह पूर्ण आयु प्राप्त करे, अवयस्कता के पश्चात् तक विलम्ब होता हो ।

दृष्टांत

(i) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, उसके जीवनपर्यन्त और **ख** की मृत्यु के पश्चात् **ख** के पुत्रों में से उस पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा, की गई है । **क** और **ख** वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी हो जाते हैं । यहां **ख** का वह पुत्र जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुआ पुत्र हो सकता है । ऐसा पुत्र **क** और **ख** में से जो भी दीर्घजीवी हो, उसकी मृत्यु से 18 वर्ष से अधिक के व्यतीत हो जाने तक 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकता है, और इस प्रकार निधि के निहित होने में **क** और **ख** के जीवनकाल और **ख** के पुत्रों की अवयस्कता के बाद तक विलम्ब हो सकता है । **ख** की मृत्यु के पश्चात् वसीयत शून्य है ।

(ii) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को उसके जीवनपर्यन्त और **ख** की मृत्यु के पश्चात् **ख** के पुत्रों में से उस पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा, की गई है । **ख** की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है और वह एक या अधिक पुत्र छोड़ जाता है । इस मामले में **ख** के पुत्र वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय जीवित व्यक्ति है और वह समय, जब उनमें से कोई 25 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा आवश्यक रूप से उसके स्वयं के जीवनकाल के भीतर आता है । वसीयत विधिमान्य है ।

(iii) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को उसके जीवनपर्यन्त, इस निदेश के साथ की जाती है कि **ख** की मृत्यु के पश्चात् उसका विभाजन **ख** की ऐसी संतानों के बीच किया जाएगा जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे । किन्तु यदि **ख** की कोई संतान वह आयु प्राप्त नहीं करेगी तो निधि **ग** को मिलेगी । यहां निधि के विभाजन का समय वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित व्यक्ति **ख** की मृत्यु के अधिक से अधिक 18 वर्ष के अवसान पर पहुंचना चाहिए । सभी वसीयतें विधिमान्य हैं ।

(iv) एक निधि की वसीयत, वसीयतकर्ता की पुत्रियों के फायदे के लिए न्यासियों को इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि उनमें से कोई वय से पहले विवाह कर लेती है तो निधि में उसके अंश का व्यवस्थापन ऐसे किया जाएगा कि वह उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी उन संतानों पर न्यागत हो जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी । वसीयतकर्ता की किसी भी पुत्री को, जिसे निदेश लागू होता है, उसकी मृत्यु पर अस्तित्व में होना चाहिए और निधि का कोई भाग, जिसका व्यवस्थापन अन्ततः यथानिर्दिष्ट रूप में किया जा सकेगा, उन पुत्रियों की, जिनका वह अंश है, मृत्यु से 18 वर्ष के भीतर निहित होना चाहिए । ये सभी उपबन्ध विधिमान्य हैं ।

115. उस वर्ग को वसीयत जिनमें से कुछ धारा 113 और 114 के अन्दर आते हैं—यदि वसीयत व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग के लिए की जाती है जिनमें से कुछ के सम्बन्ध में यह धारा 113 और 114 के उपबन्धों के कारण अप्रवर्तनीय हो जाती है, तो ऐसी वसीयत [1][केवल उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में न कि सम्पूर्ण वर्ग के संबंध में शून्य] होगी ।

दृष्टांत

(i) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सभी ऐसी सन्तानों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, की जाती है । **क** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है और उसकी कुछ सन्तानें वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित रहती हैं । वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित **क** की प्रत्येक सन्तान को, वसीयत के लिए अनुज्ञात समय के भीतर (किसी भी दशा में) 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए । किन्तु **क** की वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् संतानें हो सकती हैं, जिनमें से कुछ **क** की

[1] 1929 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा "पूर्णतया शून्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तक 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकती हैं । अत: **क** की सन्तानों के लिए वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुई किसी सन्तान के लिए [1][और उनकी बाबत, जो **क** की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष के भीतर 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती हैं,] अप्रवर्तनीय है, [1][किन्तु यह **क** की अन्य सन्तानों की बाबत प्रवर्तनीय है] ।

(ii) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख, ग, घ** और **क** की सभी ऐसी अन्य सन्तानों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, की जाती है । **ख, ग, घ,** वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित क की सन्तानें हैं । अन्य सभी बातों में मामला वैसा ही है जैसा दृष्टांत (i) में अनुमित है । [1][यद्यपि **ख, ग** और **घ** का उल्लेख वसीयत को किसी वर्ग के लिए वसीयत माने जाने से निवारक नहीं करता है, वह पूर्णतया शून्य नहीं है । यह **ख, ग** या **घ** की ऐसी किन्हीं सन्तानों के बारे में, जो **क** की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष के भीतर 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, प्रवर्तनीय है] ।

[2][**116. वसीयत का किसी पूर्विक वसीयत की निष्फलता पर प्रभावी होना**—जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के पक्ष में की गई वसीयत धारा 113 और 114 में अन्तर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या ऐसे संपूर्ण वर्ग की बाबत शून्य हो जाती है, वहां उसी विल में अन्तर्विष्ट और ऐसी पूर्विक वसीयत की निष्फलता के पश्चात् या पर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई वसीयत भी शून्य हो जाती है ।

दृष्टांत

(i) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऐसे पुत्र को जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेता है, उसके जीवनपर्यन्त और ऐसे पुत्र की मृत्यु के पश्चात् **ख** के लिए की जाती है । **क** और **ख** वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं । **ख** के लिए वसीयत **क** के ऐसे पुत्रों की वसीयत के पश्चात् जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं, प्रभावी होने के लिए आशयित है । ऐसी वसीयत धारा 114 के अधीन शून्य है । **ख** के लिए वसीयत शून्य है ।

(ii) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऐसे पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं, और यदि **क** का कोई पुत्र वह आयु प्राप्त नहीं करता है तो **ख** के लिए की जाती है । **क** और **ख** वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं । **ख** के लिए वसीयत **क** के ऐसे पुत्रों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं वसीयत के असफल हो जाने पर प्रभावी होने के लिए आशयित है । ऐसी वसीयत धारा 114 के अधीन शून्य है । **ख** के लिए वसीयत शून्य है ।

[2][**117. संचयन के लिए निदेश का प्रभाव**—(1) जहां किसी विल के निबन्धन यह निर्दिष्ट करते हैं कि किसी संपत्ति से उद्भूत आय वसीयतकर्ता की मृत्यु से अठारह वर्ष से अधिक किसी कालावधि तक पूर्णत: या भागत: संचित की जाएगी, वहां इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय ऐसा निदेश वहां तक शून्य होगा, जहां तक वह अवधि, जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट है, पूर्वोक्त अवधि से अधिक है और अठारह वर्ष की उक्त अवधि का अन्त होने पर वह संपत्ति और उसकी आय का व्ययन इस प्रकार किया जाएगा मानो वह अवधि, जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट किया गया है, बीत गई है ।

(2) यह धारा ऐसे किसी निदेश पर प्रभाव नहीं डालेगी जो—

(i) वसीयतकर्ता के या विल के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों का संदाय करने के, या

(ii) वसीयतकर्ता के या विल के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सन्तानों या दूरतर संतति के लिए हिस्सों का उपबन्ध करने के, या

(iii) वसीयत की गई संपत्ति के परिरक्षण या अनुरक्षण के, प्रयोजन के लिए संचय करने के लिए हो,

और ऐसा निदेश तद्नुसार किया जा सकेगा ।]

118. धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए वसीयत—ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका कोई नेफ्यू या नीस या कोई निकटतर नातेदार हो, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए किसी संपत्ति की वसीयत करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु यह अपनी मृत्यु के बारह मास से अन्यून अवधि के पूर्व कोई विल निष्पादित करके और उसके निष्पादन से छह मास के भीतर, जीवित व्यक्तियों के विलों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए विधि द्वारा उपबन्धित किसी स्थान में उसे निक्षिप्त करके ऐसा कर सकेगा :

[3][परन्तु इस धारा की कोई बात किसी पारसी को लागू नहीं होगी] ।

दृष्टांत

क जिसका एक नेफ्यू है, विल द्वारा कोई वसीयत, जो अपेक्षित रूप में निष्पादित या निक्षिप्त नहीं की गई है, निम्नलिखित के लिए करता है :—

गरीब लोगों की सहायता के लिए;

बीमार सैनिकों के भरण-पोषण के लिए;

---

[1] 1929 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा कतिपय मूल शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1929 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1991 के अधिनियम सं० 51 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अस्पताल बनाने या उसको चलाने के लिए;

अनाथों की शिक्षा और तरक्की के लिए;

विद्वानों की सहायता के लिए;

स्कूल बनाने या उसको चलाने के लिए;

पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए;

सड़कें बनाने के लिए;

चर्च बनाने या उसको चलाने के लिए;

चर्च की मरम्मत के लिए;

धर्म-कर्म कराने वालों के फायदों के लिए;

सार्वजनिक उद्यान बनाने या चलाने के लिए,

ये सभी वसीयतें शून्य हैं।

अध्याय 8—वसीयत संपदा का निहित होना

119. वसीयत संपदा के निहित होने की तारीख जब संदाय या कब्जा रोक दिया गया हो—जहां वसीयत के निबन्धनों द्वारा वसीयतदार वसीयत की गई चीज के अव्यवहित कब्जा का हकदार नहीं है वहां उसे समुचित समय पर पाने का अधिकार, जब तक विल से प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयतदार में निहित होगा और यदि वसीयतदार की मृत्यु उस समय के पूर्व और वसीयत प्राप्त किए बिना हो जाती है तो वह उसके प्रतिनिधियों को संक्रांत हो जाएगी और ऐसे मामले में वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से, निहित हित कही जाती है।

स्पष्टीकरण—केवल ऐसे उपबन्धों से, जिसके द्वारा वसीयत की गई चीज का संदाय या कब्जा रोक दिया जाता है, या उसमें कोई पूर्विक हित किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर दिया जाता है या जिसके द्वारा वसीयत की गई निधि से उद्भूत आय का उस समय तक संचित किए जाने का निदेश किया जाता है जब तक संदाय का समय नहीं आ जाता है या केवल ऐसे किसी उपबन्ध से कि यदि कोई विशिष्ट घटना घटित हो जाती है तो वह वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगी। इस आशय का अनुमान नहीं किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को की गई वसीयत में उसका हित निहित नहीं होगा।

दृष्टांत

(i) **क,** 100 रुपए की वसीयत **ख** को करता है जो **ग** की मृत्यु पर उसे संदत्त किए जाने हैं। **क** की मृत्यु पर वसीयत संपदा में **ख** का हित निहित हो जाता है और यदि **ग** के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रतिनिधि वसीयत सम्पदा के हकदार होंगे।

(ii) **क,** 100 रुपए की वसीयत **ख** को करता है जो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उसे संदत्त किए जाने हैं। **क** की मृत्यु पर वसीयत संपदा में **ख** का हित हो जाता है।

(iii) एक निधि की वसीयत **क** को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को की जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर **ख** को की गई वसीयत संपदा में **ख** का हित निहित हो जाता है।

(iv) एक निधि की वसीयत **क** को, उस समय तक के लिए की जाती है जब तक **ख** 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, और तब यह **ख** को की जाती है। वसीयत संपदा में वसीयतकर्ता की मृत्यु से **ख** का हित निहित हो जाता है।

(v) **क** अपनी संपूर्ण संपत्ति को न्यास बनाकर उसकी आय में से कतिपय ऋणों का संदाय करने के लिए और उसके बाद निधि को **ग** को सौंप देने के लिए **ख** को वसीयत करता है। **क** की मृत्यु पर **ग** को किए गए दान में उसका हित निहित हो जाता है।

(vi) एक निधि की वसीयत **क, ख** और **ग** को समान अंशों में, जो उन्हें उनके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर संदत्त की जानी है, इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि उनमें से सभी की मृत्यु 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है तो वसीयत संपदा **घ** को न्यागत होगी। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर अंश में, **क, ख** और **ग** का हित इस शर्त के साथ निहित होता है कि यदि **क, ख** और **ग** में से सभी की मृत्यु 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है तो वह र्निहित हो जाएगा और उनमें से किसी की (अंतिम उत्तरवर्ती के सिवाय) 18 वर्ष से कम आयु में मृत्यु हो जाने पर उसका निहित हित, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, उसके प्रतिनिधि को संक्रान्त हो जाएगा।

120. निहित होने की तारीख जब वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर समाश्रित हो—(1) कोई वसीयत संपदा, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में, वसीयत की जाती है, तब तक निहित नहीं होगी जब तक वह घटना घटित नहीं होती है।

(2) कोई वसीयत संपदा, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने की दशा में वसीयत की जाती है, तब तक निहित नहीं होती है जब तक उस घटना का घटित होना असंभव नहीं हो जाता है।

COURT BOOK

(3) दोनों मामलों में जब तक शर्त पूरी न हो जाए, वसीयतदार का हित समाश्रित हित कहा जाता है ।

अपवाद—जहां, किसी निधि की वसीयत किसी व्यक्ति को, उसके कोई विशिष्ट आयु प्राप्त कर लेने पर, की जाती है और विल उसे उस आयु पर पहुंचने से पूर्व निधि से उद्‌भूत आय आत्यंतिक रूप से देता भी है और आय को या उसके उतने भाग को, जो आवश्यक है, उसके फायदे के लिए उपयोजन का निदेश भी देता है, वहां निधि की वसीयत समाश्रित नहीं है ।

दृष्टांत

(i) एक वसीयत संपदा की वसीयत **घ** को, **क, ख** और **ग** की 18 वर्ष की आयु से कम में मृत्यु हो जाने की दशा में, की गई है । वसीयत संपदा में **घ** का उस समय तक समाश्रित हित है जब तक **क, ख** और **ग** में से सभी की 18 वर्ष से कम आयु में मृत्यु नहीं हो जाती है या जब तक उनमें से कोई वह आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ।

(ii) एक धनराशि की वसीयत **क** को उस दशा में की जाती है "यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है" या "जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है" । **क** का हित वसीयत संपदा में तब तक समाश्रित है जब तक वह शर्त, उसके द्वारा वह आयु प्राप्त करके पूरी नहीं कर दी जाती है ।

(iii) किसी संपदा की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को, यदि **ख** उस समय जीवित हो, किन्तु यदि **ख** उस समय जीवित न हो तो **ग** को की जाती है । **क, ख** और **ग** वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं । **ख** और **ग** में से प्रत्येक उस संपदा में तब तक समाश्रित हित रखता है जब तक वह घटना, जिससे वह सम्पदा एक या दूसरे में निहित होनी हो, घटित नहीं हो जाती है ।

(iv) किसी संपदा की वसीयत ऊपर वाले कल्पित मामले के अनुसार की जाती है । **ख** की मृत्यु **क** और **ग** के जीवनकाल में हो जाती है । **ख** की मृत्यु पर **ग, क** की मृत्यु पर संपदा का कब्जा अभिप्राप्त करने का निहित अधिकार अर्जित कर लेता है ।

(v) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, या उस आयु से कम आयु में **ख** की सम्मति से विवाह कर ले, इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करती है या उस आयु से कम आयु में विवाह **ख** की सम्मति से नहीं करती है तो वसीयत संपदा **ग** को चली जाएगी । **क** और **ग**, प्रत्येक वसीयत संपदा में समाश्रित हित प्राप्त कर लेते हैं । **क** 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है **क** वसीयत संपदा की आत्यंतिक रूप से हकदार होती है यद्यपि उसने 18 वर्ष से कम आयु में **ख** की सम्मति के बिना विवाह किया है ।

(vi) किसी संपदा की वसीयत **क** को जब तक उसका विवाह नहीं होता है और उस घटना के पश्चात् **ख** को की जाती है । वसीयत में **ख** का हित तब तक समाश्रित है जब तक वह शर्त **क** के विवाह द्वारा पूरी नहीं की जाती है ।

(vii) किसी संपदा की वसीयत **ख** को, जब तक वह दिवालिया ऋणी के अनुतोष के लिए किसी विधि का लाभ नहीं उठाता है, और उस घटना के पश्चात् **ख** को की जाती है । वसीयत में **ख** का हित तब तक समाश्रित है जब तक **क** ऐसी किसी विधि का लाभ नहीं उठाता है ।

(viii) किसी संपदा की वसीयत **क** को, यदि वह **ख** को 500 रुपए का संदाय करे, की जाती है । वसीयत में **क** का हित तब तक समाश्रित हित है जब तक वह **ख** को 500 रुपए का संदाय नहीं कर देता है ।

(ix) **क** अपना सुलतानपुर खुर्द का फार्म **ख** के लिए छोड़ देता है यदि ख सुलतानपुर बुजुर्ग का अपना फार्म **ग** को हस्तान्तरित कर दे । वसीयत में **ख** का हित तब तक समाश्रित है जब तक वह पश्चात्‌वर्ती फार्म को हस्तान्तरित नहीं कर देता है ।

(x) एक निधि की वसीयत **क** को, यदि **ख** वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर **ग** से विवाह नहीं करता है । की जाती है । वसीयत संपदा में **क** का हित तब तक समाश्रित हित है जब तक **ख** और **ग** विवाह किए बिना पांच वर्ष व्यतीत करके उस शर्त को पूरी न कर दे या उस अवधि के दौरान ऐसी घटना घटित न हो जाए जो उस शर्त को पूरा करना असंभव बना दे ।

(xi) किसी निधि की वसीयत **क** को, यदि **ख** बिल द्वारा उसके लिए कोई उपबन्ध नहीं करेगा, की जाती है । वसीयत संपदा **ख** की मृत्यु तक समाश्रित है ।

(xii) **क, ख** को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक वर्ष 300 रुपए की वसीयत करता है और निदेश देता है कि उसका ब्याज या उसका पर्याप्त भाग उसके फायदे के लिए तब तक उपयोजित किया जाएगा जब तक वह उस आयु तक न पहुंच जाए । वसीयत संपदा निहित हो गई है ।

(xiii) **क** 500 रुपए की वसीयत **ख** को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, करता है और निदेश देता है कि दूसरी निधि में से कुछ राशि उसके भरण-पोषण के लिए तब तक उपयोजित होगी जब तक वह उस आयु तक नहीं पहुंच जाता है । वसीयत संपदा समाश्रित है ।

121. किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों का वसीयत में हित निहित होना, जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे—जहां कोई वसीयत किसी वर्ग के केवल ऐसे सदस्यों को की गई है जो कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करे, वहां वसीयत संपदा में ऐसे किसी व्यक्ति का हित निहित नहीं होता है, जिसने वह आयु प्राप्त नहीं कर ली है ।

दृष्टांत

जहां किसी निधि की वसीयत **क** की ऐसी संतानों के लिए, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें, इस निदेश के साथ की गई है कि जब तक **क** की कोई संतान 18 वर्ष से कम आयु की रहेगी उस अंश की आय, जिसके लिए यह उपधारणा की जा सकती है कि वह अन्तत: हकदार होगा, उसके भरण-पोषण और शिक्षा पर उपयोजित की जाएगी । **क** की ऐसी संतान का, जो 18 वर्ष से कम आयु की हो, वसीयत में निहित हित नहीं है ।

अध्याय 9—दुर्भर वसीयतें

122. दुर्भर वसीयतें—जहां वसीयत वसीयतदार पर कोई बाध्यता अधिरोपित करती है वहां वह उसके द्वारा कुछ नहीं पा सकता है, जब तक वह उसे पूर्णत: प्रतिगृहीत नहीं करता है ।

दृष्टांत

क, जिसके एक उन्नतिशील संयुक्त स्टाक कंपनी (भ) में शेयर हैं और (म) में भी हैं, जो एक कठिनाई में पड़ी संयुक्त स्टाक कंपनी है, जिसके शेयरों की बाबत भारी मांग किए जाने की प्रत्याशा है, उन संयुक्त स्टाक कंपनियों में अपने सभी शेयरों को **ख** के लिए वसीयत करता है, **ख** (म) में के शेयरों को स्वीकार करने से इंकार करता है । (भ) में उसका शेयर समपहृत हो जाता है ।

123. एक ही व्यक्ति को दो पृथक् और स्वतंत्र वसीयतों में से एक प्रतिगृहीत तथा दूसरी इंकार की जा सकती है—जहां किसी विल में एक ही व्यक्ति के लिए दो पृथक् और स्वतंत्र वसीयतें अन्तर्विष्ट हैं वहां वसीयतदार उनमें से एक को प्रतिगृहीत करने और दूसरी को इंकार करने के लिए स्वतंत्र है यद्यपि पूर्ववर्ती फायदाप्रद है और पश्चात्वर्ती दुर्भर है ।

दृष्टांत

क, जिसके पास कोई गृह निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर है, जिसका भाटक उस अवधि के दौरान संदाय करने का दायित्व उस पर तथा उसके प्रतिनिधियों पर है और जो उससे अधिक है जिसके लिए गृह को भाटक पर दिया जा सकता है, **ख** को उस पट्टे की और एक धनराशि की वसीयत करता है । **ख** पट्टे को प्रतिगृहीत करने से इंकार करता है । इस इंकार से धन समपहृत नहीं होगा ।

अध्याय 10—समाश्रित वसीयतें

124. वसीयत जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर, जिसके घटित होने के लिए समय वर्णित नहीं है, समाश्रित है—जहां कोई वसीयत संपदा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर दी जाती है और उस घटना के घटित होने के लिए विल में कोई समय नहीं दिया गया है, वहां वह वसीयत तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ऐसी घटना उस अवधि के पूर्व घटित नहीं होती है जब वसीयत की गई निधि संदेय या वितरणीय होती है ।

दृष्टांत

)i) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को और उसकी मृत्यु की दशा में **ख** को की जाती है । यदि **क** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है तो वसीयत संपदा **ख** के लिए प्रभावी नहीं होती है ।

)ii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को और उसकी नि:संतान मृत्यु होने की दशा में **ख** को की जाती है । यदि **क** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है या उसके जीवनकाल में कोई संतान छोड़कर उसकी मृत्यु हो जाती है तो **ख** के लिए वसीयत संपदा प्रभावी नहीं होती है ।

)iii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को जब और यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और उसकी मृत्यु की दशा में **ख** को की जाती है । **क** 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है । **ख** के लिए वसीयत संपदा प्रभावी नहीं होती है ।

)iv) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को, जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को और "यदि **ख** की नि:संतान मृत्यु हो जाती है" तो **ग** को की जाती है । यदि "**ख** की नि:संतान मृत्यु हो जाती है" शब्दों से यह समझा जाएगा कि उनसे अभिप्रेत है, यदि **ख** की **क** के जीवनकाल के दौरान नि:संतान मृत्यु हो जाती है ।

)v) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को और "**ख** की मृत्यु की दशा में" **ग** को की जाती है । "**ख** की मृत्यु की दशा में" शब्दों से यह समझा जाएगा कि उनसे "**क** के जीवनकाल में **ख** की मृत्यु की दशा में," अभिप्रेत है ।

125. निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को वसीयत जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हैं—जहां कोई वसीयत निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को की जाती है जो किसी अवधि पर उत्तरजीवी रहें किंतु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां वह वसीयत संपदा जब तक कि विल से कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है उन व्यक्तियों में से ऐसी को चली जाएगी जो संदाय या वितरण के समय जीवित है ।

COURT BOOK

दृष्टांत

)i) किसी संपत्ति की वसीयत **क** और **ख** को, उनके बीच समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए या उनके उत्तरजीवी को की गई है। यदि **क** और **ख** दोनों वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं तो वसीयत संपदा उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाती है। यदि **क** की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है और **ख** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है तो वह **ख** को चली जाती है।

)ii) किसी संपत्ति की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त, उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** और **ग** को, उनके बीच समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए, या उनके उत्तरजीवी को की गई है। **ख** की मृत्यु **क** के जीवनकाल में हो जाती है ; **ग, क** का उत्तरजीवी होता है। **क** की मृत्यु पर वसीयत संपदा **ग** को मिलती है।

)iii) किसी सम्मति की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** और **ग** को या उत्तरजीवी को इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि **ख** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी नहीं होता है तो उसका स्थान उसकी संतानें लेगी। **ग** की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है, **ख** वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है किंतु **क** के जीवन काल में मर जाता है। वसीयत संपदा **ख** के प्रतिनिधियों को मिलती है।

)iv) किसी संपत्ति की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** और **ग** को इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि उनमें से किसी की मृत्यु **क** के जीवनकाल में हो जाती है, तो संपूर्ण सम्पत्ति उत्तरजीवी को मिलेगी। **ख** की मृत्यु **क** के जीवनकाल में हो जाती है। तत्पश्चात् **ग** की मृत्यु **क** के जीवनकाल में हो जाती है। वसीयत संपदा **ग** के प्रतिनिधियों को मिलेगी।

अध्याय 11—सशर्त वसीयतें

126. असंभव शर्त पर वसीयत—असम्भव शर्त पर वसीयत शून्य है।

दृष्टांत

)i) किसी संपदा की वसीयत **क** को इस शर्त पर की गई है कि वह एक घंटे में 100 मील चलेगा। वसीयत शून्य है।

)ii) **क** 500 रुपए की वसीयत **ख** को इस शर्त पर करता है कि वह **क** की पुत्री से विवाह करेगा। **क** की पुत्री की मृत्यु विल की तारीख को गई थी। वसीयत शून्य है।

127. अवैध या अनैतिक शर्त पर वसीयत—ऐसी शर्त के साथ की गई वसीयत शून्य है जिसका पूरा किया जाना विधि या नैतिकता के विरुद्ध है।

दृष्टांत

(i) **क** 500 रुपए की वसीयत **ख** को इस शर्त पर करता है कि वह ग की हत्या करेगा। वसीयत शून्य है।

(ii) **क** 500 रुपए की वसीयत अपनी नीस को इस शर्त पर करता है कि वह अपने पति को त्याग देगी। वसीयत शून्य है।

128. वसीयत संपदा के निहित होने के लिए पुरोभाव्य शर्त की पूर्ति—जहां विल कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करता है जो इससे पहले कि वसीयतदार वसीयत की गई किसी चीज में निहित हित प्राप्त कर सके, पूरी की जानी हो वहां यदि उस शर्त का सारत: अनुपालन कर दिया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसकी पूर्ति कर दी गई है।

दृष्टांत

)i) एक वसीयत संपदा की वसीयत **क** को इस शर्त पर की गई है कि वह **ख, ग, घ** और **ङ** की सम्मति से विवाह करेगा। **क, ख** की लिखित सम्मति से विवाह करता है, **ग** विवाह के समय उपस्थित रहता है। **घ** विवाह से पूर्व **क** को उपहार भेजता है। **ङ** को **क** ने अपने आशय की व्यक्तिगत रूप से सूचना दी और उसने कोई आक्षेप नहीं किया। **क** ने शर्त को पूरा कर दिया है।

)ii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को इस शर्त पर की गई है कि वह **ख, ग** और **घ** की सम्मति से विवाह करेगा। **घ** की मृत्यु हो जाती है। **क, ख** और **ग** की सम्मति से विवाह करता है। **क** ने शर्त पूरी कर दी है।

)iii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को इस शर्त पर की गई है कि **ख, ग** और **घ** की सम्मति से विवाह करेगा। **क** केवल **ख** और **ग** की सम्मति से **ख, ग** और **घ** के जीवनकाल में विवाह करता है। **क** ने शर्त पूरी नहीं की है।

)iv) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को इस शर्त पर की गई है कि वह **ख, ग** और **घ** की सम्मति से विवाह करेगा। **क, ङ** के साथ अपने विवाह के लिए **ख, ग** और **घ** की शर्त रहित अनुमति प्राप्त करता है। तत्पश्चात् **ख, ग** और **घ** अनुचित रूप से अपनी सम्मति वापस ले लेते है। **क, ङ** के साथ विवाह करता है। **क** ने शर्त पूरी कर दी है।

)v) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को इस शर्त पर की गई है कि वह **ख, ग** और **घ** की सम्मति से विवाह करेगा। **क, ख, ग** और **घ** की सम्मति के बिना विवाह करता है किंतु विवाह के बाद उनकी सम्मति प्राप्त करता है। **ख** ने शर्त पूरी नहीं की है।

)vi) **क** अपनी विल करता है, जिसके द्वारा वह एक धनराशि की वसीयत **ख** को यदि वह **ख** के निष्पादकों की सम्मति से विवाह करे तो, करता है। **ख, क** के जीवनकाल में विवाह करता है और बाद में **क** विवाह को अपना अनुमोदन देता है। **क** की मृत्यु हो जाती है। **ख** को वसीयत प्रभावी होगी।

)vii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को की जाती है । यदि वह विल में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दस्तावेज निष्पादित करता है । दस्तावेज को **क** युक्तियुक्त समय के भीतर निष्पादित करता है किन्तु विल में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित नहीं करता है । **क** ने शर्त पूरी नहीं की है और वसीयत संपदा को प्राप्त करने का हकदार नहीं है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

129. क को वसीयत, और पूर्विक वसीयत के निष्फल हो जाने पर, ख को वसीयत—जहां कोई वसीयत एक व्यक्ति को की गई है और उसी चीज की वसीयत, यदि पूर्विक वसीयत निष्फल हो जाए तो, किसी अन्य व्यक्ति को की गई है, वहां पूर्विक वसीयत के निष्फल होने पर द्वितीय वसीयत प्रभावी हो जाएगी । यद्यपि वह निष्फलता अन्तरक द्वारा अनुध्यात रीति से नहीं हुई है ।

दृष्टांत

)i) **क** एक धनराशि की वसीयत अपनी स्वयं की संतानों को यदि वे उसकी उत्तरजीवी हों, और यदि वे सभी 18 वर्ष से कम आयु में मर जाएं, तो **ख** को करता है । **क** की मृत्यु हो जाती है । उसकी कभी भी कोई संतान नहीं थी । **ख** को वसीयत प्रभावी होती है ।

)ii) **क** एक धनराशि की वसीयत **ख** को इस शर्त पर करता है कि वह **क** की मृत्यु के पश्चात् तीन मास के भीतर कतिपय दस्तावेजों को निष्पादित करेगा और यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करता है तो **ग** को वसीयत करता है । **ख** की मृत्यु निष्पादक के जीवनकाल में हो जाती है । **ग** को वसीयत प्रभावी होती है ।

130. प्रथम वसीयत की निष्फलता पर द्वितीय वसीयत का कब प्रभावी न होना—जहां विल से यह आशय दर्शित होता है कि प्रथम वसीयत के किसी विशिष्ट प्रकार से निष्फल होने की दशा में ही द्वितीय वसीयत प्रभावी होगी वहां जब तक पूर्ववर्ती वसीयत उस विशिष्ट प्रकार से निष्फल नहीं होती है द्वितीय वसीयत प्रभावी नहीं होगी ।

दृष्टांत

क एक वसीयत अपनी पत्नी को करता है किन्तु उसके जीवनकाल में पत्नी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसी चीज की वसीयत, जिसकी वसीयत उसने अपनी पत्नी को की थी, **ख** को करता है । **क** और उसकी पत्नी ऐसी परिस्थितियों में साथ-साथ मर जाते हैं कि यह साबित करना असंभव हो जाता है कि पत्नी उसके पूर्व मरी थी । **ख** को वसीयत प्रभावी नहीं होती है ।

131. परवर्ती वसीयत का विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर आश्रित होना—)1) कोई वसीयत किसी व्यक्ति को इस अधियोजित शर्त के साथ की जा सकेगी कि विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में वसीयत की गई चीज दूसरे व्यक्ति को मिलेगी या विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में वसीयत की गई चीज दूसरे व्यक्ति को मिलेगी ।

)2) हर एक दशा में परतर वसीयत धारा 120, धारा 121, धारा 122, धारा 123, धारा 124, धारा 125, धारा 126, धारा 127, धारा 129 और धारा 130 में अन्तर्विष्ट नियमों के अध्यधीन है ।

दृष्टांत

)i) एक धनराशि की वसीयत **क** को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे संदत्त किए जाने के लिए और यदि उसकी उस आयु को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाए तो **ख** को की गई है । **क** वसीयत संपदा में निहित हित इस शर्त के अधीन रहते हुए पाता है कि 18 वर्ष से कम आयु में **क** की मृत्यु हो जाने की दशा में वह निर्निहित हो जाएगी और **ख** को चली जाएगी ।

)ii) एक संपदा की वसीयत **क** को इस परन्तुक के साथ की गई है कि यदि **क** विल करने की वसीयतकर्ता की सक्षमता पर विवाद करेगा तो संपदा **ख** को चली जाएगी । **क**, विल करने की वसीयतकर्ता की सक्षमता पर विवाद करता है । संपदा **ख** को चली जाती है ।

)iii) एक धनराशि की वसीयत **क** को, जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को की गई है ; किन्तु तब यदि **ख** की मृत्यु एक पुत्र छोड़कर हो जाती है तो ऐसा पुत्र **ख** का स्थान ले लेगा । **ख** वसीयत संपदा में निहित हित इस शर्त के अधीन रहते हुए लेता है कि यदि उसकी मृत्यु **क** के जीवनकाल में एक पुत्र छोड़कर हो जाती है तो वह निर्निहित हो जाएगी ।

)iv) एक धनराशि की वसीयत **क** और **ख** को और यदि उनमें से किसी की मृत्यु **ग** के जीवनकाल में हो जाती है तो उस उत्तरजीवी को, जो **ग** की मृत्यु पर जीवित हो, की जाती है । **क** और **ख** की मृत्यु **ग** के पूर्व हो जाती है । परवर्ती दान प्रभावी नहीं रह सकता है किन्तु धन का आधा **क** का प्रतिनिधि ले लेगा और आधा **ख** का प्रतिनिधि ले लेगा ।

)v) **क** किसी निधि में हित की वसीयत **ख** को, जीवनपर्यन्त के लिए करता है और यह निदेश देता है कि वह निधि उसकी मृत्यु पर उसकी तीन संतानों के बीच या उनमें से उनके बीच, जो उसकी मृत्यु पर जीवित रहे, बराबर-बराबर विभाजित की जाएगी । **ख** की सभी संतानें **ख** के जीवनकाल में मर जाती है । परवर्ती वसीयत प्रभावी नहीं रह सकती है किन्तु संतानों के हित, उसके प्रतिनिधियों को संक्रान्त हो जाते हैं ।

132. शर्तों का कड़ाई से पूरा किया जाना—धारा 131 द्वारा अनुध्यात किस्म की परतर वसीयत प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि शर्त की पूर्ति यथावत नहीं हो जाती है ।

COURT BOOK

दृष्टांत

)i) एक वसीयत संपदा की वसीयत **क** को इस परन्तुक के साथ की जाती है यदि वह **ख**, **ग** और **घ** की सम्मति के बिना विवाह करता है तो वसीयत संपदा **ङ** को चली जाएगी । **घ** की मृत्यु हो जाती है । यद्यपि **क** अपना विवाह **ख** और **ग** की सम्मति के बिना करता है फिर भी **ङ** को दान प्रभावी नहीं होता है ।

)ii) एक वसीयत संपदा की वसीयत **क** क‍ो इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह **ख** की सम्मति के बिना विवाह करता है तो वसीयत संपदा **ग** को चली जाएगी । **क, ख** क‍ी सम्मति से विवाह करता है । वह बाद में विधुर हो जाता है और **ख** की सम्मति के बिना पुन: विवाह करता है । **ग** को वसीयत प्रभावी नहीं होती है ।

)iii) एक वसीयत संपदा की वसीयत **क** को 18 वर्ष की आयु पर या विवाह पर संदत्त किए जाने के लिए इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि **क** की मृत्यु 18 वर्ष से कम में हो जाती है या वह **ख** की सम्मति के बिना विवाह करता है तो वसीयत संपदा **ग** को चली जाएगी । **क** 18 वर्ष से कम आयु में **ख** क‍ी सम्मति के बिना विवाह करता है । **ग** को वसीयत प्रभावी होती है ।

133. मूल वसीयत का द्वितीय वसीयत क‍ी अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना—यदि परतर वसीयत विधिमान्य न हो तो मूल वसीयत पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दृष्टांत

)i) किसी वसीयत संपदा की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त के लिए इस अधियोजित शर्त के साथ की जाती है कि यदि वह किसी बताए गए दिन को एक घंटे में 100 मील नहीं चलेगा तो सम्पदा **ख** को चली जाएगी । यह शर्त शून्य होने के कारण **क** अपनी संपदा उसी प्रकार प्रतिधारित करता है मानो विल में कोई शर्त अन्त:स्थापित नहीं की गई थी ।

)ii) किसी संपदा की वसीयत **क** को, जीवनपर्यन्त और यदि वह अपने पति का त्याग नहीं करती है तो **ख** को की गई है । **क** अपने जीवनकाल के दौरान संपदा के लिए वैसे ही हकदार है मानो विल में कोई शर्त अन्त:स्थापित नहीं की गई ।

)iii) किसी संपदा की वसीयत **क** को जीवनपर्यन्त और यदि वह विवाह करता है तो, **ख** क‍े ज्येष्ठतम पुत्र को जीवनपर्यन्त के लिए की गई है । **ख** को, वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख को कोई पुत्र नहीं था । परवर्ती वसीयत धारा 105 के अधीन शून्य है, और **क** अपने जीवनकाल के दौरान संपदा के लिए हकदार है ।

134. इस शर्त के साथ वसीयत कि यह विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी नहीं रहेगी—कोई वसीयत इस अधियोजित शर्त के साथ की जा सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में या किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में वह प्रभावहीन हो जाएगी ।

दृष्टांत

)i) किसी संपदा की वसीयत **क** को, जीवनपर्यन्त के लिए, इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह एक विशेष जंगल काटता है तो वसीयत का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा । **क** उस जंगल को काटता है । वह संपदा में अपना जीवनपर्यन्त हित खो देता है ।

)ii) किसी संपदा की वसीयत **क** को इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह विल में नामित निष्पादकों की सम्मति के बिना 25 वर्ष की आयु से कम में विवाह करता है तो संपदा उसकी नहीं रह जाएगी । **क** निष्पादाक‍ो‍ं की सम्मति के बिना 25 वर्ष से कम आयु में विवाह करता है । संपदा उसकी नहीं रह जाती है ।

)iii) किसी संपदा की वसीयत **क** को इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् तीन वर्षों के भीतर इंगलैण्ड नहीं जाता है तो संपदा में उसका हित नहीं रह जाएगा । **क** विहित समय के भीतर इंगलैण्ड नहीं जाता है । संपदा में उसका हित समाप्त हो जाता है ।

)iv) किसी संपदा की वसीयत **क** को इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह भिक्षुणी (नन) हो जाती है तो संपदा में उसका कोई हित नहीं रह जाएगा । **क** भिक्षुणी (नन) बन जाती है । वह विल के अधीन अपना हित खो देती है ।

)v) एक निधि की वसीयत **क** को, जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** को, यदि **ख** उस समय जीवित रहे, इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि **ख** भिक्षुणी (नन) बन जाएगी तो उसकी वसीयत का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा । **ख**, **क** के जीवनकाल में भिक्षुणी (नन) बन जाती है । इसके द्वारा वह निधि में अपना समाश्रित हित खो देती है ।

135. ऐसी शर्त धारा 120 के अधीन अविधिमान्य नहीं होनी चाहिए—इसके लिए कि यह शर्त विधिमान्य हो कि वसीयत निष्प्रभाव हो जाएगी, यह आवश्यक है कि वह घटना, जिससे वह संबंधित है ऐसी हो जो वसीयत की धारा 120 में अनुध्यात शर्त विधित: हो सकती है ।

136. वसीयतदार द्वारा उस कार्य को, जिसके लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है और जिसके न किए जाने पर विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलेगी, असंभव बनाने या अनिश्चित काल तक रोकने का परिणाम—जहां कोई वसीयत इस शर्त के साथ की जाती है कि जब तक वसीयतदार अमुक कार्य न करे, वसीयत की विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलेगी या वसीयत निष्प्रभाव हो जाएगी, किन्तु इस कार्य को करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां यदि वसीयतदार ऐसा कोई कार्य करता है जो अपेक्षित कार्य का किया जाना

असंभव बना देता है या अनिश्चितकाल तक रोक देता है तो वसीयत संपदा वैसे ही मिलेगी मानो वसीयतदार ऐसा कार्य किए बिना मर गया है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

)i) एक वसीयत **क** को इस परन्तुक के साथ की गई है कि यदि वह सेना में भर्ती नहीं होता है तो वह संपदा **ख** को चली जाएगी। **क** सन्यास ले लेता है जिससे शर्त पूरी होना असंभव हो जाती है। **ख** वसीयत संपदा प्राप्त करने के लिए हकदार है।

)ii) एक वसीयत **क** को इस परंतुक के साथ की जाती है कि यदि वह **ख** की पुत्री से विवाह नहीं करता है तो वह निष्प्रभाव हो जाएगी। **क** किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेता है जिससे उस शर्त को पूरा करना अनिश्चितकाल के लिए टल जाता है। वसीयत निष्प्रभाव हो जाती है।

137. पुरोभाव्य या उत्तरभाव्य शर्त का विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना। कपट के मामले में अतिरिक्त समय—जहां विल में यह अपेक्षा की गई है कि वसीयत का उपभोग किए जाने के पहले पूरी की जाने वाली शर्त के रूप में या ऐसी शर्त के रूप में जिसकी आपूर्ति की दशा में वसीयत की विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलती है या वसीयत निष्प्रभाव हो जाती है, कोई कार्य, विनिर्दिष्ट समय वसीयतकर्ता द्वारा किया जाए वहां वह कार्य, विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाना चाहिए। जब तक कि उसका किया जाना कपट द्वारा निवारित न कर दिया जाए, और ऐसा होने पर इतना अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा, जिसका ऐसे कपट द्वारा किए गए विलम्ब की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है।

अध्याय 12—लागू होने या उपभोग के बारे में निर्देश के साथ वसीयतें

138. किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए निधि की आत्यंतिक वसीयत के बाद यह निदेश कि निधि का उपयोजन विशिष्ट रीति से किया जाए—जहां किसी निधि की वसीयत किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए आत्यंतिक रूप से की जाती है किन्तु विल में यह निदेश है कि उसका उपयोजन या उपभोग विशिष्ट रीति से किया जाएगा वहां वसीयतदार उस निधि को ऐसे प्राप्त करने का हकदार होगा मानो विल में कोई निर्देश अन्तर्विष्ट नहीं है।

दृष्टांत

एक धनराशि की वसीयत **क** के लिए एक ग्राम्य निवास का क्रय करने के लिए या **क** के लिए एक वार्षिकी का क्रय करने के लिए या **क** को कारबार में लगाने के लिए की जाती है। **क** वसीयत संपदा को धन में प्राप्त करना चाहता है। वह ऐसा करने का हकदार है।

139. यह निदेश कि आत्यन्तिक वसीयत के उपभोग की रीति, वसीयतदार को विनिर्दिष्ट फायदा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जानी है—जहां वसीयतकर्ता किसी निधि की आत्यंतिक वसीयत करता है। जिससे वह निधि उसकी स्वयं की सम्पदा से पृथक् हो जाती है, किन्तु यह निदेश देता है कि वसीयतदार द्वारा उसके उपभोग की रीति निर्बन्धित होगी जिससे वसीयतदार के लिए विनिर्दिष्ट फायदा सुनिश्चित किया जा सके, वहां यदि वह फायदा वसीयतदार के लिए अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो निधि उसकी वैसे ही होगी मानो विल में ऐसा कोई निदेश अन्तर्विष्ट नहीं था।

दृष्टांत

)i) **क** अपनी सम्पत्ति के अवशेष की वसीयत अपनी पुत्रियों के बीच समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए करता है और निदेश देता है कि पुत्रियों के अंशों का व्यवस्थापन उन पर उनके जीवनपर्यन्त के लिए किया जाएगा और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अंश उनकी सन्तानों को संदत्त किए जाएंगे। सभी पुत्रियां बिना विवाह किए मर जाती हैं। प्रत्येक पुत्री के प्रतिनिधि अवशेष में उसके अंश के लिए हकदार हैं।

)ii) **क** अपनी पुत्री के लिए धनराशि इकट्ठा करने के लिए अपने न्यासियों को निदेश देता है और फिर वह निदेश देता है कि वे निधि का विनिधान करेंगे और उससे उद्भूत आय को उसके जीवनकाल में उसे देंगे और उसकी मृत्यु के पश्चात् मूलधन को उसकी सन्तानों के बीच विभाजित करेंगे। पुत्री को कभी कोई सन्तान नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके प्रतिनिधि निधि के लिए हकदार हैं।

140. निधि की कतिपय प्रयोजनों के लिए, जिनमें से कुछ को पूरा नहीं किया जा सकता है, वसीयत—जहां वसीयतकर्ता निधि की आत्यंतिक रूप से वसीयत नहीं करता है जिससे वह निधि उसकी स्वयं की संपदा से पृथक् नहीं हो पाती है, किन्तु उसे कतिपय प्रयोजनों के लिए देता है और उन प्रयोजनों का कोई भाग पूरा नहीं किया जा सकता है। वहां वह निधि या उसका उतना भाग जो विल द्वारा अनुध्यात प्रयोजनों पर व्यय नहीं किया गया है, वसीयतकर्ता की सम्पदा का भाग बना रहता है।

दृष्टांत

)i) **क** निदेश देता है कि उसके न्यासी किसी धनराशि का विनिधान किसी विशिष्ट रीति से करेंगे और ब्याज उसके पुत्र को जीवनपर्यन्त संदत्त करेंगे और उसकी मृत्यु पर मूलधन को उसकी संतानों में विभाजित करेंगे। पुत्र की, कभी कोई संतान नहीं हुई और उसकी नि:संतान मृत्यु हो जाती है। निधि, पुत्र की मृत्यु के पश्चात् वसीयतकर्ता की संपदा की हो जाती है।

)ii) **क** अपनी संपदा के अवशेष की वसीयत, अपनी पुत्रियों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए इस निदेश के साथ करता है कि उनका हित केवल उनके जीवनकाल के दौरान रहेगा और उनकी मृत्यु के पश्चात् निधि उनकी संतानों को मिलेगी। पुत्रियों की संतानें नहीं हैं। निधि, वसीयतकर्ता की सम्पदा की हो जाती है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 13—किसी निष्पादक को वसीयत

141. निष्पादक के रूप में नामित वसीयतदार जब तक निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय दर्शित न करे, वह वसीयत संपदा प्राप्त नहीं कर सकता है—यदि कोई वसीयत सम्पदा किसी व्यक्ति को, जिसे विल के निष्पादक के रूप में नामित किया गया है, वसीयत की गई है तो वह जब तक विल को साबित न करे या अन्यथा निष्पादक के रूप में कार्य करने का कोई आशय व्यक्त न करे, वसीयत संपदा प्राप्त नहीं करेगा।

दृष्टांत

एक वसीयत संपदा **क** को दी जाती है जिसे निष्पादक के रूप में नामित किया गया है। **क** विल में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार अन्त्येष्टि का आदेश देता है और वसीयतकर्ता की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात् उसकी विल को साबित किए बिना मृत्यु हो जाती है। **क** ने निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय व्यक्त किया है।

अध्याय 14—विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा

142. विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा की परिभाषा—जहां कोई वसीयतकर्ता किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का कोई ऐसा विनिर्दिष्ट भाग वसीयत करता है, जो उसकी संपत्ति के सभी अन्य भागों से भिन्न है, वहां वसीयत संपदा को विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा कहा जाता है।

दृष्टांत

)i) **क, ख** को वसीयत करता है :—

"हीरे की अंगूठी, जो **ग** ने मुझे उपहार में दी है" ;

"मेरी सोने की जंजीर" ;

"ऊन की अमुक गांठ" ;

"कपड़े का अमुक टुकड़ा" ;

"मेरा सभी घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय, कलकत्ता में **ड** सड़क स्थित मेरे निवास गृह में या उसके पास हो" ;

"अमुक पेटी में की 1,000 रुपए की राशि" ;

"वह ऋण जो मेरा ख पर है" ;

"मेरी सभी विलें, बंधपत्र और मेरी प्रतिभूतियां जो कलकत्ता स्थित मेरे निवास में हैं" ;

"मेरे कलकत्ता स्थित घर में का मेरा सभी फर्नीचर" ;

"अमुक पोत पर, जो अब हुगली नदी में खड़ा है, मेरा सभी माल" ;

"मेरे 2,000 रुपए जो **ग** के हाथ में है" ;

"**घ** के बंधपत्र पर मुझे देय धन" ;

"रामपुर के कारखाने पर मेरा बंधक" ;

"रामपुर के कारखाने के मेरे बंधक पर मुझे देय धन का आधा" ;

"1,000 रुपए, जो **ग** से मुझे देय ऋण का भाग है" ;

"ईस्ट इंडिया स्टाक में 1,000 पौंड का मेरा पूंजी स्टाक" ;

"10,000 रुपए के मेरे केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र जो उनके 4 प्रतिशत वाले उधार में हैं" ;

"ऐसी सभी धनराशि, जो मेरे निष्पादक, मेरी मृत्यु के पश्चात् **घ** और कंपनी की दिवालिया फर्म से मुझे देय ऋण की बाबत, प्राप्त करे" ;

"वह सभी शराब जो मेरे पास मेरी मृत्यु के समय मेरे सुरागार में हो" ;

"मेरे ऐसे घोड़े जिनका **ख** चयन करे" ;

"इंपीरियल बैंक आफ इंडिया में मेरे सभी शेयर" ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

"इंपीरियल बैंक आफ इंडिया में मेरे सभी शेयर, जो, मेरे पास मेरी मृत्यु के समय हों" ;

"ऐसे सभी धन, जो केन्द्रीय सरकार के 5 प्रतिशत वाले उधार में मेरे हैं" ;

"सभी सरकारी प्रतिभूतियां, जिनके लिए मैं मेरी मृत्यु के समय हकदार होऊंगा" ;

इनमें से प्रत्येक वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट है ।

)ii) **क**, जिसके पास 10,000 रुपए के सरकारी वचनपत्र हैं, **ख** के फायदे के लिए "10,000 रुपए के सरकारी वचनपत्र विक्रय के लिए न्यास के रूप में" अपने निष्पादकों को वसीयत करता है । वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा है ।

(iii) **क**, जिसकी बनारस में और अन्य स्थान पर भी संपत्ति है, **ख** को बनारस स्थित अपनी सभी संपत्ति की वसीयत करता है । वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा है ।

)iv) **क, ख** को—

कलकत्ता स्थित अपना गृह ;

रामपुर की अपनी जमींदारी ;

रामनगर का अपना ताल्लुक ;

सलकिया के नील-कारखाने का अपना पट्टा ;

ब स्थित अपनी जमींदारी के भाटक में से 500 रुपए की एक वार्षिकी की वसीयत करता है ।

क, भ स्थित अपनी जमींदारी के विक्रय के लिए और उसके आगमों को **ख** फायदे के लिए विनिधान करने का निदेश देता है ।

इन सभी वसीयतों में से प्रत्येक विनिर्दिष्ट है ।

)v) **क**, अपने विल द्वारा **म** स्थित अपनी जमींदारी पर **ग** के लिए उसके जीवनकाल के दौरान 1,000 रुपए की एक वार्षिकी भारित करता है और इस भार के अध्यधीन रहते हुए वह जमींदारी **घ** के लिए वसीयत करता है । इन वसीयतों में से प्रत्येक विनिर्दिष्ट है ।

)vi) **क** एक धनराशि की वसीयत निम्नलिखित के लिए करता है :—

"**ख** के लिए कलकत्ता में एक गृह का क्रय करने के लिए" ;

"**ख** के लिए जिला फरीदपुर में संपदा का क्रय करने के लिए" ;

"**ख** के लिए हीरे की अंगूठी का क्रय करने के लिए" ;

"**ख** के लिए एक घोड़े का क्रय करने के लिए" ;

"**ख** के लिए इंपीरियल बैंक आफ इंडिया के शेयर में विनिधान करने के लिए" ;

"**ख** के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान करने के लिए" ;

क, ख के लिए—

"एक हीरे की अंगूठी" ;

"एक घोड़ा" ;

"10,000 रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति" ;

"500 रुपयों की एक वार्षिकी" ;

"2,000 रुपए नकद में संदत्त किए जाने के लिए" ;

"इतना धन जिससे 5,000 रुपए की 4 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां आ सके, वसीयत करता है ।"

ये वसीयतें विनिर्दिष्ट वसीयतें नहीं है ।

)vii) **क**, जिसकी इंगलैंड में संपत्ति और भारत में संपत्ति है, **ख** के लिए एक वसीयत संपदा की वसीयत करता है और यह निदेश देता है कि उसका संदाय उस संपत्ति में से किया जाएगा जो वह भारत में छोड़े । वह **ग** को भी एक वसीयत संपदा की वसीयत करता है और निदेश देता है कि उसका संदाय उस संपत्ति में से किया जाएगा जो वह इंग्लैंड में छोड़े । इनमें से कोई भी वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

143. कतिपय धनराशि की वसीयत, जहां वह स्टाक आदि, जिसमें उसका विनिधान किया गया है वर्णित है—जहां कतिपय धनराशि की वसीयत की गई है वहां वसीयत संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है कि उस स्टाक, निधि या प्रतिभूति का, जिनमें उसका विनिधान किया गया है, विल में वर्णन है ।

दृष्टांत

क, ख को निम्नलिखित वसीयत करता है :—

"मेरी निधि में विनिहित संपत्त‍ि के 10,000 रुपए" ;

"मेरी संपत्ति के 10,000 रुपए, जो अब ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के शेयरों में विनिहित है‍ं" ;

"10,000 रुपए, जो इस समय रामपुर के कारखाने के बंधक द्वारा प्रतिभूत है‍ं" ;

इनमें से कोई भी वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है ।

144. स्टाक की वसीयत, जहां वसीयतकर्ता के पास विल की तारीख को उसी प्रकार के स्टाक की समान या अधिक मात्रा है—जहां किसी प्रकार के स्टाक की कतिपय मात्रा की साधारण निबन्धनों के अनुसार वसीयत की जाती है, वहां वसीयत संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है कि वसीयतकर्ता के कब्जे में, उसके विल की तारीख को, वसीयत की गई मात्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा के विनिर्दिष्ट प्रकार के स्टाक थे ।

दृष्टांत

क, 5,000 रुपए की पांच प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां **ख** को वसीयत करता है । **क** के पास विल की तारीख को 5,000 रुपयों की पांच प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां थी । वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है ।

145. धन की वसीयत, जहां वह, जब तक वसीयतकर्ता की संपत्ति का भाग कतिपय रीति से व्ययन न किया जाए, संदेय नहीं है—कोई धन के रूप में वसीयत संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है कि विल में उसके संदाय को तब तक रोक देने का निदेश है, जब तक वसीयतकर्ता की संपत्ति का कुछ भाग विशेष रूप में परिवर्तित न कर दिया गया हो या विशेष स्थान पर प्रेषित न कर दिया गया हो ।

दृष्टांत

क, 10,000 रुपए की वसीयत **ख** को करता है और निदेश देता है कि **क** की भारत स्थित संपत्ति के इंग्लैण्ड में आप्त होने पर यथाशीघ्र इस वसीयत संपदा को संदत्त किया जाएगा यह वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट नहीं है ।

146. कब प्रगणित वस्तुओं को विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया नहीं माना जाता है—जहां किसी विल में वसीयतकर्ता की संपत्ति के अवशेष की वसीयत, संपत्ति की कुछ ऐसी मदों को प्रगणित करते हुए की गई है जिनकी पहले वसीयत नहीं की गई हो, वहां प्रगणित वस्तुओं को विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत किया गया नहीं माना जाएगा ।

147. विभिन्न व्यक्तियों को क्रमवार विनिर्दिष्ट वसीयत का उसी रूप में प्रतिधारण—जहां सम्पत्ति की दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई है वहां वह उसी रूप में प्रतिधारित की जाएगी जिस रूप में वसीयतकर्ता ने उसे छोड़ा था यद्यपि वह ऐसी प्रकृति की हो सकती है कि जिसका मूल्य निरंतर कम हो रहा है ।

दृष्टांत

)i) **क** किसी गृह का निश्चित अवधि के लिए पट्टेदार है उसकी मृत्यु के समय से उसमें पन्द्रह वर्ष व्यतीत नहीं हुए थे । **क** ने पट्टे की वसीयत **ख** को उसके जीवनपर्यन्त, और ख की मृत्यु के पश्चात् **ग** को की है । **ख** को संपत्ति का उपभोग वैसे ही करना है जैसे **क** ने उसे छोड़ा है । तथापि, यदि **ख** पन्द्रह वर्ष तक जीवित रहता है तो **ग** को वसीयत के अधीन कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

)ii) **क**, जिसके पास **ख** के जीवन काल के दौरान एक वार्षिकी है, उसकी वसीयत **ग** को, उसके जीवनपर्यन्त और **ग** की मृत्यु के पश्चात् **ख** को करता है । **ग** क‍ो वार्षिकी का उपभोग वैसे ही करना है जैसे **क** ने उसे छोड़ा था तथापि, यदि **ख** की मृत्यु **घ** के पूर्व हो जाती है तो **घ** को वसीयत के अधीन कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

148. दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार वसीयत की संपत्ति का विक्रय और आगमों का विनिधान—जहां दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार वसीयत में समाविष्ट संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत नहीं की गई है वहां उसका, किसी विरुद्ध निदेश के न होने पर, विक्रय किया जाएगा और विक्रय के आगमों को, ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा जो उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा प्राधिकृत या निदेशित करे और इस प्रकार गठित निधि का उपभोग आनुक्रमिक वसीयतदारों द्वारा विल के निबन्धनों के अनुसार किया जाएगा ।

दृष्टांत

क, जिसके पास निश्चित अवधि का कोई पट्टा है, अपनी संपत्ति की वसीयत **ख** को जीवनपर्यन्त और **ख** की मृत्यु के पश्चात् **ग** को करता है । पट्टे का विक्रय किया जाना चाहिए, आगमों का विनिधान इस धारा में जैसा कथित है उस रूप में किया जाना चाहिए,

और निधि से उद्‌भूत वार्षिक आय का संदाय **ख** को जीवनपर्यन्त किया जाएगा । **ख** की मृत्यु के पश्चात् निधि की पूंजी का संदाय **ग** को किया जाएगा ।

COURT BOOK

149. जहां वसीयत संपदा के संदाय के लिए आस्तियों में कमी है वहां विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा का साधारण वसीयत संपदा के साथ उपशमन न होना—यदि वसीयत संपदा के संदाय के लिए आस्तियों की कमी है तो कोई विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा साधारण वसीयत संपदा के साथ उपशमन के लिए दायी नहीं है ।

अध्याय 15—निदर्शित वसीयत संपदा

150. निदर्शित वसीयत संपदा की परिभाषा—जहां वसीयतकर्ता कतिपय धनराशि की या किसी अन्य वस्तु की कतिपय मात्रा की वसीयत करता है और किसी ऐसी विशिष्ट निधि या स्टाक को निर्दिष्ट करता है ताकि वह ऐसी मूल निधि या स्टाक के रूप में गठित हो जाए, जिसमें में संदाय किया जाने वाला है वहां वसीयत को निदर्शित वसीयत संपदा कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण—विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा और निदर्शित वसीयत संपदा के बीच विभेद इस बात में है कि—

जहां वसीयतदार को विनिर्दिष्ट संपत्ति दी जाती है वहां वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट है ।

जहां वसीयत संपदा को किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति में से संदत्त किए जाने का निदेश है वहां उसे, निदर्शित वसीयत संपदा कहा जाता है ।

दृष्टांत

)i(**क**, 1,000 रुपए की वसीयत **ख** को करता है । ये रुपए **ब** से **क** को देय ऋण का भाग है । वह 1,000 रुपए की वसीयत **ग** को भी करता है जो **ब** से उसे देय ऋण से संदत्त की जानी है । **ख** की वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा है, **ग** की वसीयत संपदा निदर्शित वसीयत संपदा है ।

)ii) क, ख को निम्नलिखित की वसीयत करता है—

"10 बूशल अनाज जो ग्रीन एकर वाले मेरे खेत में उपजे" ;

"नील की, जो रामपुर के मेरे कारखाने में बनाया जाए, 80 पेटियां" ;

"मेरे पांच प्रतिशत वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र में से 10,000 रुपए" ;

"मेरी निधि में विनिहित संपत्ति में से 500 रुपए की वार्षिकी" ;

"**ग** से मुझे देय 2,000 रुपए की राशि में से 1,000 रुपए" ;

एक वार्षिकी का और यह निदेश देता है कि उसका "रामनगर के मेरे ताल्लुक से उद्‌भूत भाटक में से" संदाय किया जाएगा ।

)iii) क, ख को—

"रामनगर की मेरी संपत्ति में से 10,000 रुपए" की वसीयत करता है या उसे रामनगर की अपनी संपदा पर भारित करता है ;

"10,000 रुपए, जो कतिपय कारबार में लगाई गई पूंजी के मेरे शेयर हैं" वसीयत करता है ।

इनमें से प्रत्येक वसीयत संपदा निदर्शित वसीयत संपदा है ।

151. संदाय का आदेश जहां वसीयत संपदा का संदाय ऐसी निधि से किए जाने का निदेश हो, जो विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा की विषय-वस्तु हो—जहां निधि का कोई भाग विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत किया गया है और वसीयत संपदा को उसी निधि में से संदाय किए जाने का निदेश है वहां विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत किया गया भाग वसीयतदार को पहले संदत्त किया जाएगा, और निदर्शित वसीयत संपदा निधि के अवशेष में से संदत्त की जाएगी और अवशेष में जितनी कमी हो उतनी वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से संदत्त की जाएगी ।

दृष्टांत

क, 1,000 रुपए की वसीयत, जो **ब** से उसे देय ऋण का भाग है, **ख** को करता है । वह 1,000 रुपए की वसीयत **ग** को भी करता है जो उसे **ब** से उसे देय ऋण में से संदत्त किया जाना है । **ब** से **क** को देय ऋण केवल 1,500 है । इन 1,500 रुपए में से, 1,000 रुपए **ख** के हैं ; और 500 रुपए **ग** को संदत्त किए जाने हैं । **ग** वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से भी 500 रुपए प्राप्त करेगा ।

अध्याय 16—वसीयत का विखण्डन

152. विखंडन का स्पष्टीकरण—यदि ऐसी कोई चीज, जो विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय उसकी नहीं है या भिन्न प्रकार की संपत्ति में परिवर्तित कर दी गई है तो वसीयत विखंडित हो जाती है, अर्थात् यह इस कारण प्रभावी नहीं हो सकती है कि विषयवस्तु को विल के प्रवर्तन से प्रत्याहृत कर लिया गया है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

)i) क, ख को निम्नलिखित की वसीयत करता है :—

"ग द्वारा मुझे उपहार में दी गई हीरे की अंगूठी" ;

"मेरी सोने की जंजीर" ;

"ऊन की अमुक गांठ " ;

"कपड़े का अमुक टुकड़ा" ;

"मेरा सभी घरेलू माल, जो कलकत्ता में **ड** सड़क स्थित मेरे निवास गृह में या उसके आस-पास मेरी मृत्यु के समय हो" ।

क अपने जीवन काल मे :—

अंगूठी का विक्रय कर देता है या उसे दे देता है ;

जंजीर को प्याले में परिवर्तित कर देता है ;

ऊन को कपड़े में परिवर्तित कर देता है ;

कपड़े का परिधान बना देता है ;

दूसरा गृह ले लेता है, जिसमें वह अपना सभी माल हटा देता है ।

इनमें से प्रत्येक वसीयत विखंडित हो गई है ।

)ii) क, ख को वसीयत करता है—

"एक पेटी में 1,000 रुपए की धनराशि" ;

"मेरे अस्तबल में के सभी घोड़े" ।

क की मृत्यु पर उस पेटी में कोई धन और अस्तबल में कोई घोड़ा नहीं पाया जाता है ; वसीयतें विखंडित हो जाती हैं ।

)iii) **क** माल की कतिपय गाठें **ख** को वसीयत करता है । **क** माल को अपने साथ समुद्र यात्रा पर ले जाता है । पोत और माल समुद्र में नष्ट हो जाते हैं और **क** डूब जाता है । वसीयत संपदा विखंडित हो जाती है ।

153. निदर्शित वसीयत का विखंडित न होना—कोई निदर्शित वसीयत इस कारण विखंडित नहीं होती है कि ऐसी संपत्ति जिस पर वह वसीयत बिल द्वारा भारित है वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है या भिन्न प्रकार की संपत्ति में परिवर्तित कर दी गई है, किंतु ऐसे मामले में उसका संदाय वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से किया जाएगा ।

154. तृतीय पक्षकार से कुछ प्राप्त करने के अधिकार की विनिर्दिष्ट वसीयत का विखंडन—जहां विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई चीज तृतीय पक्षकार से कोई मूल्यवान चीज प्राप्त करने का अधिकार है और वसीयतकर्ता स्वयं उसे प्राप्त करता है, वहां वसीयत विखंडित हो जाती है ।

दृष्टांत

)i) **क, ख** को निम्नलिखित वसीयत करता है—

"वह ऋण जिसके लिए **ग** मुझे देनदार है" ;

"मेरे 2,000 रुपए जो **घ** के पास हैं" ;

"वह धन जो ङ के बन्धपत्र पर मुझे देय है" ;

"रामपुर कारखाने पर मेरा बन्धक" ।

ये सभी ऋण **क** के जीवनकाल में, कुछ उसकी सम्मति से और कुछ उसकी सम्मति के बिना, समाप्त हो जाते हैं । सभी वसीयतें विखंडित हो गई हैं ।

)ii) **क** जीवन बीमा की कतिपय पालिसियों में अपने हित **ख** को वसीयत करता है । **क** अपने जीवनकाल में पालिसियों की रकम प्राप्त करता है । वसीयत विखंडित हो गई है ।

155. विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई संपूर्ण चीज के भाग की वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन—विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई संपूर्ण चीज के किसी भाग की वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति, इस प्रकार प्राप्त राशि के विस्तार तक वसीयत के विखंडन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

क "ग द्वारा मुझे देय ऋण" **ख** को वसीयत करता है । ऋण 10,000 रुपए है । **ग, क** को ऋण का आधा, 5,000 रुपए संदत्त करता है । वसीयत, जहां तक **क** द्वारा प्राप्त 5,000 रुपए का संबंध है, विखंडन द्वारा प्रतिसंहृत हो जाती है ।

156. ऐसी संपूर्ण निधि के भाग की, जिसक० भाग विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है, वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन—यदि किसी संपूर्ण निधि या स्टाक का कोई भाग विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है तो निधि या स्टाक के भाग का वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति, केवल उस रकम तक ही, जो इस प्रकार प्राप्त की गई है, विखंडन के रूप में प्रवर्तित होगी ; और निधि या स्टाक के अवशेष का उपयोजन विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा को चुकाने के लिए किया जाएगा ।

दृष्टांत

क 10,000 रुपयों की राशि का, जो **ब** द्वारा उसे देय है, आधा **ख** को वसीयत करता है । **क** अपने जीवनकाल में 6,000 रुपए, जो 10,000 रुपए का भाग है, प्राप्त करता है, 4000 रुपए जो **ब** द्वारा **क** को, उसकी मृत्यु के समय देय हैं, विनिर्दिष्ट वसीयत के अधीन **ख** के होंगे ।

157. संदाय का क्रम, जहां निधि का भाग एक वसीयतदार को विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है और उसी निधि पर भारित वसीयत संपदा अन्य व्यक्ति को वसीयत की गई है और वसीयतकर्ता ने उस निधि का एक भाग प्राप्त किया है और अब शेष दोनों वसीयतों का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है—जहां निधि का एक भाग एक वसीयतदार को विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है और उसी निधि पर भारित वसीयत संपदा अन्य वसीयतदार को वसीयत की गई है वहां यदि वसीयतकर्ता उस निधि का कोई भाग प्राप्त करता है और उस निधि का अवशेष विनिर्दिष्ट और निदर्शित दोनों, वसीयत संपदा का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है तो विनिर्दिष्ट वसीयत का संदाय पहले किया जाएगा और निधि के अवशेष (यदि कोई हों) का उपयोजन, जहां तक हो सके, निदर्शित वसीयत संपदा का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष निदर्शित वसीयत संपदा का संदाय वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से किया जाएगा ।

दृष्टांत

क, 1,000 रुपए की वसीयत, जो **ब** द्वारा उसे देय 2,000 रुपयों के ऋण का भाग है, **ख** को करता है । वह 1,000 रुपए की वसीयत **ग** को भी करता है जिसका **ब** द्वारा उसे देय ऋण में से संदाय किया जाना है । **क** तत्पश्चात् [1][500] रुपए, जो उस ऋण का भाग है, प्राप्त करता है और **ब** से उसे देय केवल 1,500 रुपए छोड़कर मर जाता है । इन 1,500 रुपए में से 1,000 रुपए **ख** के होते हैं और 500 रुपए **ग** को संदत्त किए जाने के लिए हैं । **ग** को 500 रुपए वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से भी प्राप्त करने हैं ।

158. जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया स्टाक वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है, वहां विखंडन—जहां वह स्टाक, जो विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है वहां वसीयत विखंडित हो जाती है ।

दृष्टांत

क, ख को वसीयत करता है :—

"ईस्ट इंडिया स्टाक में 1,000 पौंड का मेरा पूंजी स्टाक" ;

"10,000 रुपए के मेरे केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र जो उनके 4 प्रतिशत ब्याज वाले उधार में हैं" ,

क स्टाक और वचनपत्रों का विक्रय करता है । वसीयत विखंडित हो जाती है ।

159. जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया स्टाक, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय, केवल भागत: विद्यमान रहता है, वहां उस सीमा तक विखंडन—जहां वह स्टाक, जो विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय केवल भागत: विद्यमान रहता है वहां वसीयत स्टाक के उस भाग की बाबत, जो विद्यमान नहीं रह गया है, विखंडित हो जाती है ।

दृष्टांत

क केन्द्रीय सरकार के $5^1/_2$ प्रतिशत ब्याज वाले उधारों में अपने 10,000 रुपए की वसीयत **ख** को करता है । **क** प्रश्नगत उधार में अपने 10,000 रुपए के आधे का विक्रय करता है । आधी वसीयत विखंडित हो जाती है ।

160. ऐसे माल की, जिसक० वर्णन किसी स्थान से उसे संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट वसीयत का माल हटाए जाने के कारण विखंडित न होना—ऐसे किसी माल की, जिसका वर्णन उसे किसी निश्चित स्थान से संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट वसीयत इस कारण विखंडित नहीं होती है कि उसे किसी अस्थायी कारण से या कपट द्वारा या वसीयतकर्ता की जानकारी या मंजूरी के बिना ऐसे स्थान से हटा दिया गया है ।

---

[1] 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "5,000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

)i) **क** "मेरे सभी घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय कलकत्ता स्थित मेरे निवास गृह में या उसके पास हों" **ख** को वसीयत करता है । माल को अग्नि से बचाने के लिए गृह से हटा दिया गया है उसे वापस लाने के पूर्व **क** की मृत्यु हो जाती है ।

)ii) **क** "मेरे सभी घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय कलकत्ता में मेरे निवास गृह में या उसके पास हो, **ख** को वसीयत करता है । **क** के यात्रा पर होने के कारण अनुपस्थित रहने के दौरान संपूर्ण माल को गृह से हटा दिया जाता है । उन्हे हटाने की मंजूरी दिए बिना **क** की मृत्यु हो जाती है ।

इनमें से कोई भी वसीयत विखंडित नहीं होती है ।

161. वसीयत की गई चीज का हटाया जाना कब विखंडन गठित नहीं करता है—वसीयत की गई चीज का उस स्थान से हटाए जाने से, जिसमें स्थित होने का विल में कथन किया गया है, कोई विखंडन नहीं होगा जहां उस स्थान का निर्देश केवल उस चीज का वर्णन पूरा करने के लिए किया गया है । जिसको वसीयत करने का वसीयतकर्ता का अभिप्राय: था ।

दृष्टांत

)i) **क** "मेरे सभी विल, बन्धपत्र और धन की सभी अन्य प्रतिभूतियां जो अब कलकत्ता स्थित मेरे निवास में रखी हैं" **ख** को वसीयत करता है । उसकी मृत्यु के समय इन चीजबस्तों को कलकत्ता स्थित उसके निवास से हटा दिया गया था ।

)ii) **क** अपने सभी ऐसे फर्नीचर की, जो उस समय कलकत्ता स्थित उसके गृह में हों, **ख** को वसीयत करता है । वसीयर्ता का एक गृह कलकत्ता में और दूसरा चिनसुरा में जिसमें वह बारी-बारी से रहता है, और उसके पास फर्नीचर का केवल एक सैट है जिसे वह अपने साथ प्रत्येक गृह में ले जाता है । उसकी मृत्यु के समय वे फर्नीचर चिनसुरा स्थित गृह में है ।

)iii) **क** अपना सभी माल, जो उस समय हुगली नदी में स्थित कतिपय पोत पर है, **ख** को वसीयत करता है । माल को **क** के निदेशानुसार किसी भंडार गृह में ले जाया जाता है । जिसमें वह **क** की मृत्यु के समय रहता है ।

इन वसीयतों में से कोई भी वसीयत विखंडन द्वारा प्रतिसंहृत नहीं है ।

162. जहां वसीयत की गई चीज वसीयतकर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाली मूल्यवान वस्तु है और वसीयतकर्ता स्वयं या उसका प्रतिनिधि उसे प्राप्त करता है—जहां वसीयत की गई चीज अन्य व्यक्ति से कोई मूल्यवान चीज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है किन्तु ऐसा धन या अन्य वस्तु है जो स्वयं वसीयतकर्ता द्वारा या उसके प्रतिनिधियों द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है वहां ऐसी धनराशि या अन्य वस्तु की वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति से विखंडन नहीं होगा किन्तु यदि वह उसे अपनी संपत्ति के साधारण पुंज में मिला देता है तो वसीयत विखंडित हो जाएगी ।

दृष्टांत

क, जो कोई राशि **ग** पर उसके दावे से प्राप्त हो **ख** को वसीयत करता है । **क, ग** पर अपने संपूर्ण दावे को प्राप्त करता है और उसे अपनी संपत्ति के साधारण पुंज से अलग रखता है वसीयत विखंडित नहीं होती है ।

163. विनिर्दिष्ट वसीयत की विषयवस्तु में, विल की तारीख और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बीच, विधि के प्रवर्तन द्वारा तब्दीली—जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत की गई वस्तु में विल की तारीख और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बीच कोई तब्दीली होती है, और वह तब्दीली विधि के प्रर्वतन द्वारा या किसी ऐसी विधिक लिखत के उपबन्धों के निष्पादन के अनुक्रम में होती है जिसके अधीन वसीयत की गई वस्तु धारित थी वहां वसीयत ऐसी तब्दीली के कारण विखंडित नहीं होती है ।

दृष्टांत

)i) **क** "मेरा वह सब धन जो केन्द्रीय सरकार के $5^1/_2$ प्रतिशत ब्याज वाले उधार में है" **ख** को वसीयत करता है । $5^1/_2$ प्रतिशत ब्याज वाले उधार के लिए प्रतिभूतियां **क** के जीवनकाल में 5 प्रतिशत ब्याज वाले स्टाक में संपरिवर्तित हो जाती है ।

)ii) **क** 2,000 पौंड की राशि, जो **क** के न्यासियों के नाम में समेकित वार्षिकी में विनिहित है, **ख** को वसीयत करता है । 2,000 पौंड की राशि न्यासियों द्वारा **क** के नाम में अन्तरित कर दी जाती है ।

)iii) **क** केंद्रीय सरकारों के वचनपत्रों में 10,000 रुपए की राशि, जिसका अपने विवाह के व्यवस्थापन के अधीन, विल द्वारा व्ययन करने की उसे शक्ति प्राप्त है, **ख** को वसीयत करता है । उसके बाद, वह निधि, **क** के जीवनकाल में, उस व्यवस्थापन में अन्तर्विष्ट प्राधिकार के आधार पर समेकित वार्षिकी में परिवर्तित कर दी जाती है ।

इन वसीयतों में से कोई भी वसीयत विखंडित नहीं हुई है ।

164. वसीयतकर्ता की जानकारी के बिना विषयवस्तु में तब्दीली—जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत की गई वस्तु में, विल की तारीख और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बीच कोई तब्दीली होती है और ऐसी तब्दीली वसीयतकर्ता की जानकारी या मंजूरी के बिना होती है वहां वसीयत विखंडित नहीं होती है ।

दृष्टांत

क "मेरी सभी 3 प्रतिशत ब्याज वाली समेकित वार्षिकी" की वसीयत **ख** को करता है । समेकित वार्षिकी का विक्रय **क** की जानकारी के बिना उसके अभिकर्ता द्वारा कर दिया जाता है और आगमों को ईस्ट इंडिया स्टाक में संपरिवर्तित कर दिया जाता । यह वसीयत विखंडित नहीं हुई ।

COURT BOOK

165. विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया स्टाक तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया जाना कि उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा—जहां कोई स्टाक, जो विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है, किसी तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया गया है कि उसे प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसे तद्नुसार प्रतिस्थापित किया जाता है वहां वसीयत विखंडित नहीं होती है ।

166. विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किए गए स्टाक को विक्रय करके उसका प्रतिस्थापन होना और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उसका वसीयतकर्ता के स्वामित्व में होना—जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किए गए स्टाक का विक्रय किया जाता है उसी स्टाक की समान मात्रा को बाद में क्रय किया जाता है और वह वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उसके स्वामित्व में होता है वहां वसीयत विखंडित नहीं होती है ।

अध्याय 17—किसी वसीयत की विषय-वस्तु की बाबत दायित्वों का संदाय

167. विनिर्दिष्ट वसीयतदारों को विमुक्त करने का निष्पादक का दायित्व न होना—)1) जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत की गई संपत्ति वसीयतकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अधीन वह दावा करता है, सृजित किसी गिरवी, धारणाधिकार या विल्लंगम के अधीन, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय है, वहां जब तक विल से कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो, वसीयतदार, यदि वह वसीयत को स्वीकार करता है तो, उसे ऐसी गिरवी या विल्लंगम के अधीन रहते हुए स्वीकार करेगा और (जहां तक उसके और वसीयतकर्ता की संपदा के बीच का संबंध है) ऐसी गिरवी या विल्लंगम की रकम की प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा ।

)2) यदि विल में वसीयतकर्ता के ऋणों को साधारणत: संदाय करने के लिए कोई निदेश अंतर्विष्ट है तो इससे किसी विरुद्ध आशय का अनुमान नहीं लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—भू-राजस्व की प्रकृति का या भाटक की प्रकृति का कालिक संदाय ऐसा विल्लगम नहीं है जो इस धारा में अनुध्यात है ।

दृष्टांत

)i) **क**, एक हीरे की अंगूठी **ख** को वसीयत करता है जो **ग** ने उसे दी थी । **क** की मृत्यु पर वह अंगूठी **घ** द्वारा जिसके पास **क** ने उसे गिरवी रखा था, पण्यम में धारित है । **क** के निष्पादकों का यह कर्तव्य है कि, यदि वसीयतकर्ता की आस्तियों की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है तो, **ख** को अंगूठी का मोचन करने की अनुज्ञा दें ।

)ii) **क** एक जमींदारी की वसीयत **ख** को करता है । जमींदारी **क** की मृत्यु पर 10,000 रुपए के लिए बन्धक है ; और सम्पूर्ण मूलधन की रकम उस पर 1,000 रुपए ब्याज सहित **क** की मृत्यु के समय देय है । **ख** यदि वह वसीयत को स्वीकार करता है तो उसे इस भार सहित स्वीकार करता है और जहां तक उसका और **क** की संपदा के बीच का संबंध है वह इस प्रकार देय 11,000 रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी है ।

168. वसीयत की गई चीज के लिए वसीयतकर्ता के हक को पूरा करना उसकी संपदा के खर्च पर होगा—जहां वसीयत की गई चीज के लिए वसीयतकर्ता के हक को पूरा करने के लिए कोई बात की जानी है वहां वह वसीयतकर्ता की संपदा के खर्च पर की जाएगी ।

दृष्टांत

)i) **क**, जिसने कुछ कीमत पर भूमि के किसी भाग का क्रय करने का साधारण निबन्धनों में संविदा की है, उसे **ख** को वसीयत करता है और क्रयधन का संदाय करने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है । क्रयधन की प्रतिपूर्ति **क** की आस्तियों में से ही की जानी चाहिए ।

)ii) **क** ने कुछ धनराशि के बदले भूमि के किसी भाग को क्रय करने की संविदा की है इसमें से आधी धनराशि तुरंत संदत्त करनी है और शेष आधी की भूमि के बन्धक द्वारा प्रतिभूति दी जानी है । **क** उस भूमि की **ख** को वसीयत करता है । धन के किसी भाग का संदाय करने या उसकी प्रतिभूति देने के पूर्व **क** की मृत्यु हो जाती है । क्रयधन के आधे का संदाय **क** की आस्तियों में से ही किया जाना चाहिए ।

169. वसीयतदार की स्थावर संपत्ति की विमुक्ति, जिसके लिए भू-राजस्व या भाटक कालिक रूप से संदेय है—जहां ऐसी स्थावर संपत्ति में जिसकी बाबत भू-राजस्व की प्रकृति का या भाटक की प्रकृति का संदाय कालिक रूप में किया जाना है, किसी हित की वसीयत की जाती है वहां वसीयतकर्ता की सम्पदा से (जहां तक संपदा और वसीयतदार के बीच का संबंध है) उसकी मृत्यु की तारीख तक, यथास्थिति, ऐसे संदायों या उसके आनुपातिक भाग की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

दृष्टांत

क एक गृह की वसीयत जिसकी बाबत भाटक के रूप में प्रतिवर्ष 365 रुपए संदेय है **ख** को करता है । **क** प्रायिक समय पर अपने भाटक का संदाय करता है और उसके 25 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है । **क** की संपदा से भाटक की बाबत 25 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

170. संयुक्त स्टाक कम्पनी में विनिर्दिष्ट वसीयतदार के स्टाक की विमुक्ति—बिल में किसी निदेश के न होने पर, जहां किसी संयुक्त स्टाक कंपनी में स्टाक की विनिर्दिष्ट वसीयत है, वहां यदि स्टाक की बाबत वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय वसीयतकर्ता से कोई मांग या अन्य संदाय देय है तो ऐसी मांग या संदाय का वहन वसीयतकर्ता की संपदा और वसीयतदार के बीच, संपदा द्वारा किया जाएगा । किन्तु यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् ऐसे स्टाक की बाबत कोई मांग या अन्य संदाय देय होता है तो, यदि वसीयतदार वह वसीयत स्वीकार करता है तो, उसका वहन वसीयतकर्ता की संपदा और वसीयतदार के बीच वसीयतदार द्वारा किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दृष्टांत

)i) **क** किसी रेल में अपने शेयर की वसीयत **ख** को करता है । **क** की मृत्यु पर प्रत्येक शेयर की बाबत 100 रुपए की राशि देय थी, जो सम्यक् रूप से की गई मांग की रकम थी और प्रत्येक शेयर की बाबत पांच रुपए की राशि देय थी, जो ऐसे ब्याज की रकम थी, जो उस मांग की बाबत शोध्य थी । इन संदायों का वहन **क** की संपदा द्वारा किया जाना चाहिए ।

)ii) **क** ने एक संयुक्त स्टाक कम्पनी में, जो बनाई जाने वाली है, पचास शेयरों के लिए करार किया है और प्रत्येक ऐसे शेयर की बाबत 100 रुपए का संदाय करने की संविदा की है । इस राशि का संदाय उन शेयरों के लिए उसके हक के पूरा करने के पूर्व किया जाना चाहिए । **क** इन शेयरों की **ख** को वसीयत करता है । **क** की संपदा वह सब, संदाय करेगी जो **क** के हक को पूरा करने के लिए आवश्यक है ।

)iii) **क** किसी रेल में अपने शेयर को **ख** को वसीयत करता है । **ख** वसीयत संपदा स्वीकार करता है । **क** की मृत्यु के बाद शेयरों की बाबत मांग की जाती है । **ख** मांगोें का संदाय करेगा ।

)iv) **क** संयुक्त स्टाक कम्पनी के अपने शेयरों की वसीयत **ख** को करता है । **ख** वसीयत स्वीकार करता है । आगे चलकर कम्पनी के कारबार का परिसमापन हो जाता है और प्रत्येक शेयरधारक से अपना अभिदाय करने की मांग की जाती है । अभिदाय की रकम का वहन वसीयतदार करेगा ।

)v) **क** किसी रेल कम्पनी से दस शेयरों का स्वामी है । उसके जीवन काल के दौरान किए गए अधिवेशन में प्रति शेयर पचास रुपए का संदाय करने की मांग की जाती है जो तीन किस्तों में किया जाना है । **क** अपने शेयरों की वसीयत **ख** को करता है और प्रथम किस्त के संदाय के लिए नियत दिन और द्वितीय किस्त के संदाय के लिए नियत दिन के बीच उसकी प्रथम किस्त का संदाय किए बिना मृत्यु हो जाती है । **क** की संपदा प्रथम किस्त का संदाय करेगी और यदि **ख** वसीयत संपदा स्वीकार करता है, तो वह अवशेष किस्तों का संदाय करेगा ।

अध्याय 18—साधारण शब्दों में वर्णित चीजों की वसीयतें

171. साधारण शब्दों में वर्णित चीजों की वसीयत—यदि ऐसी किसी चीज की वसीयत की जाती है जिसका साधारण शब्दों में वर्णन किया गया है तो निष्पादक को वसीयतदार के लिए ऐसा क्रय करना चाहिए, जो युक्तियुक्त रूप से वर्णन के अनुरूप माना जा सके ।

दृष्टांत

)i) **क** गाड़ी के घोड़ों की एक जोड़ी की या एक हीरे की अंगूठी की **ख** को वसीयत करता है । निष्पादक को, यदि आस्तियों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है तो, वसीयतदार के लिए ऐसी वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए ।

)ii) **क** "गाड़ी के घोड़ों की मेरी जोड़ी" की वसीयत **ख** को करता है । **क** के पास उसकी मृत्यु के समय गाड़ी के घोड़ों की जोड़ी नहीं थी । वसीयत निष्फल हो जाती है ।

अध्याय 19—निधि के ब्याज या आगम की वसीयतें

172. निधि के ब्याज या आगम की वसीयत—जहां किसी निधि के ब्याज या आगम की वसीयत किसी व्यक्ति को की जाती है और विल में यह आशय उपदर्शित नहीं किया जाता है कि वसीयत का उपभोग सीमित अवधि तक किया जाना चाहिए, वहां मूलधन और ब्याज और वसीयतदार के होंगे ।

दृष्टांत

)i) **क** अपने पांच प्रतिशत ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के ब्याज की वसीयत **ख** को करता है । उस विल में उन प्रतिभूतियों के बारे में कोई अन्य खण्ड नहीं है । **क** के पांच प्रतिशत ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के लिए **ख** हकदार है ।

)ii) **क** $5^1/_2$ प्रतिशत ब्याज वाले अपने केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के ब्याज की वसीयत **ख** कòो, जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ग** को, करता है । **ख** अपने जीवनकाल के दौरान वचनपत्रों के ब्याज का हकदार है और **ख** की मृत्यु पर **ग** वचनपत्रों के लिए हकदार है ।

)iii) **क, भ** स्थित अपनी भूमि के भाटक की वसीयत **ख** को करता है । **ख** भूमि के लिए हकदार है ।

अध्याय 20—वार्षिकी की वसीयतें

COURT BOOK

173. जब तक विल से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, विल द्वारा सृजित वार्षिकी केवल जीवनपर्यन्त संदेय होगी—जहां विल द्वारा कोई वार्षिकी सृजित की जाती है वहां वसीयतदार, जब तक विल से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, इस बात के होते हुए भी कि वार्षिकी का साधारणत: संपत्ति में से संदाय करने का निदेश दिया गया है या कुछ धनराशि उसका क्रय करने में विनिधान करने के लिए वसीयत की गई है, उसे केवल अपने जीवनपर्यन्त प्राप्त करने का हकदार है ।

दृष्टांत

)i) **क** 500 रुपए प्रतिवर्ष की वसीयत **ख** को करता है । **ख** अपने जीवनकाल के दौरान 500 रुपयों की वार्षिक राशि प्राप्त करने का हकदार है ।

)ii) **क** 500 रुपए की मासिक राशि **ख** को वसीयत करता है । **ख** अपने जीवनकाल के दौरान प्रतिमास 500 रुपयों की राशि प्राप्त करने का हकदार है ।

)iii) **क** 500 रुपए की एक वार्षिकी की वसीयत **ख** को जीवनपर्यन्त और **ख** की मृत्यु पर **ग** के लिए करता है । **ख** अपने जीवनकाल के दौरान 500 रुपए की वार्षिकी का हकदार है । **ग**, यदि वह **ख** का उत्तरजीवी होता है तो, **ख** की मृत्यु से अपनी स्वयं की मृत्यु तक 500 रुपए की वार्षिकी का हकदार है ।

174. जहां विल में यह निदेश दिया गया हो कि वार्षिकी संपत्ति के आगमों में से या साधारणत: संपत्ति में से दी जानी चाहिए या जहां वसीयत किए गए धन का विनिधान वार्षिकी का क्रय करने में किया जाना है, वहां विनिधान की अवधि—जहां विल में यह निदेश दिया गया है कि कोई वार्षिकी किसी व्यक्ति को संपत्ति के आगमों में से या साधारणत: संपत्ति में से दी जाएगी या जहां वसीयत किए गए धन का विनिधान वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, किसी व्यक्ति के लिए किसी वार्षिकी का क्रय करने में किया जाना है वहां वसीयत संपदा में वसीयतदार का हित निहित हो जाता है और वह अपने विकल्प पर अपने लिए कोई वार्षिकी का क्रय करने का या विल द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनियोजित धन प्राप्त करने का हकदार है ।

दृष्टांत

)i) **क** अपने विल द्वारा यह निदेश देता है कि उसके निष्पादक उसकी संपत्ति में से, 1,000 रुपए की वार्षिकी का क्रय **ख** के लिए करेंगे । **ख** अपने विकल्प पर, 1,000 रुपए की वार्षिकी अपने जीवनपर्यन्त के लिए क्रय करने का या ऐसी रकम को, जो ऐसी किसी वार्षिकी का क्रय करने के लिए पर्याप्त हो, प्राप्त करने का हकदार है ।

)ii) **क** कोई निधि **ख** को, उसके जीवनपर्यन्त के लिए, वसीयत करता है और निदेश देता है कि **ख** की मृत्यु के पश्चात् उसका उपयोग **ग** के लिए कोई वार्षिकी क्रय करने में किया जाएगा । **ख** और **ग** वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं । **ग** की मृत्यु **ख** के जीवनकाल में हो जाती है । **ख** की मृत्यु पर निधि **ग** के प्रतिनिधियों की हो जाती है ।

175. वार्षिकी का उपशमन—जहां किसी वार्षिकी की वसीयत की गई है किन्तु वसीयतकर्ता की आस्तियां विल द्वारा दी गई वसीयत संपदाओं का संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है । वहां वार्षिकी का उपशमन उसी अनुपात में होगा जैसा कि विल में दी गई अन्य धन सम्बन्धी वसीयती संपदाओं का होगा ।

176. जहां वार्षिकी का दान और अवशिष्ट दान हो, वहां सम्पूर्ण वार्षिकी का पहले चुकाया जाना—जहां किसी वार्षिकी का दान और कोई अवशिष्ट दान है वहां संपूर्ण वार्षिकी, उसके अवशेष के किसी भाग का अवशिष्ट वसीयतदार को संदाय किए जाने के पूर्व, चुकाई जाएगी और यदि आवश्यक हो तो वसीयतकर्ता की संपदा की पूंजी उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

अध्याय 21—लेनदारों और हिस्सा पाने वालों की वसीयत संपदा

177. लेनदार, प्रथमदृष्ट्या, वसीयत संपदा, तथा ऋण, दोनों के लिए भी हकदार है—जहां कोई ऋणी अपने लेनदार को किसी वसीयत संपदा की वसीयत करता है और विल से यह प्रकट नहीं होता है कि वसीयत संपदा से ऋण का चुकता हो जाना अभिप्रेत है वहां लेनदार वसीयत संपदा तथा ऋण की रकम, दोनों, के लिए हकदार होगा ।

178. संतान प्रथमदृष्ट्या, वसीयत संपदा तथा हिस्सा, दोनों के लिए भी हकदार है—जहां माता या पिता, जो संविदा द्वारा किसी संतान के लिए किसी हिस्से का उपबन्ध करने के लिए बाध्य है, ऐसा करने में असफल रहता है और बाद में संतान के लिए किसी वसीयत संपदा की वसीयत करता है और अपने विल से यह संसूचित नहीं करता है कि वसीयत संपदा से हिस्से का चुकता हो जाना अभिप्रेत है, वहां संतान वसीयत संपदा तथा वह हिस्सा, दोनों, प्राप्त करने की हकदार है ।

दृष्टांत

क ने **ख** के साथ अपने विवाह को आसन्न मानकर किए गए किसी अनुच्छेद द्वारा, यह प्रसंविदा की है कि वह आशयित विवाह की प्रत्येक पुत्री को, उसके विवाह पर, 20,000 रुपए का हिस्सा संदत्त करेगा । इस प्रसंविदा को भंग कर दिए जाने पर **क** अपनी और **ख** की प्रत्येक विवाहित पुत्री को 20,000 रुपए की वसीयत करता है । वसीयतदार अपने हिस्से के अतिरिक्त इस वसीयत के फायदे के भी हकदार हैं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

179. वसीयतदार के लिए पश्चात्वर्ती उपबन्ध द्वारा विखंडन न होना—वसीयतदार के लिए व्यवस्थापन द्वारा या अन्यथा किए गए किसी पश्चात्वर्ती उपबन्ध द्वारा कोई वसीयत पूर्णत: या भागत: विखंडित नहीं होगी।

दृष्टांत

)i) **क** अपने पुत्र **ख** को 20,000 रुपए की वसीयत करता है। वह उसके पश्चात् **ख** को 20,000 रुपए की राशि देता है। इसके द्वारा वसीयत विखंडित नहीं होती है।

)ii) **क** अपनी अनाथ नीस **ख** को, जिसे उसने उसकी बाल्यावस्था से पाला था, 40,000 रुपए की वसीयत करता है। इसके पश्चात् **ख** के विवाह के अवसर पर **क** उसे 30,000 रुपए का व्यवस्थापन करता है। इससे वसीयत संपदा में कमी नहीं होती है।

अध्याय 22—निर्वाचन

180. किन परिस्थितियों में निर्वाचन होता है—जहां कोई व्यक्ति, अपने बिल द्वारा ऐसी किसी चीज का व्ययन करने की प्रव्यंजना करता है जिसका व्ययन करने का उसे अधिकार नहीं है, वहां उस व्यक्ति को जिसकी वह वस्तु है यह निर्वाचन करना होगा कि या तो वह ऐसे व्ययन को पुष्ट करे या उससे विसम्मत हो और पश्चात्कथित दशा में वह ऐसे किसी फायदे को त्याग देगा जिसका उपबन्ध विल द्वारा उसके लिए किया गया है।

181. स्वामी द्वारा त्यागे गए हित का न्यागमन—धारा 180 में कथित परिस्थितियों में त्यागे गए किसी हित का न्यागमन वैसे ही होगा मानो उसका विल द्वारा व्ययन वसीयतदार के पक्ष में नहीं किया गया है, तथापि यह हित उस निराश वसीयतदार को उस दान की, जिसे विल द्वारा उसे दिए जाने का प्रयत्न किया गया था, रकम या उसके मूल्य को चुका देने के भार के अधीन होगा।

182. वसीयतकर्ता के स्वामित्व की बाबत उसका विश्वास तत्त्वहीन है—धारा 180 और 181 के उपबंध लागू होते हैं चाहे वसीयतकर्ता यह विश्वास करता हो या न करता हो कि जिसका व्ययन करने की वह अपने विल द्वारा प्रव्यंजना करता है वह उसका अपना है।

दृष्टांत

)i) सुलतानपुर का खेत **ग** की संपत्ति था। **क** ने **ग** को 1,000 रुपयों की वसीयत संपदा देकर उसे **ख** को वसीयत कर दिया। **ग** ने, सुलतानपुर के अपने खेत को, जो 800 रुपए मूल्य का है, अपने पास रखने का निर्वाचन किया है। **ग** की 1,000 रुपए की वसीयत समपहृत हो जाती है जिसमें 800 रुपए **ख** को चले जाते हैं और अवशिष्ट 200 रुपए अवशिष्ट वसीयत में चले जाते हैं, या निर्वसीयत उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार न्यागत होते हैं।

)ii) **क** किसी संपदा की **ख** को वसीयत करता है, यदि **ख** के ज्येष्ठ भाई की (जो विवाहित है और जिसकी संतानें हैं) उसकी मृत्यु पर कोई जीवित संतान न हो। **क** एक आभूषण, जो **ख** का है, **ग** को भी वसीयत करता है। **ख** को आभूषण को त्यागने या संपदा को छोड़ने का निर्वाचन करना चाहिए।

)iii) **क** 1,000 रुपए **ख** को और एक संपदा, जो व्यवस्थापन के अधीन **ख** की होगी, **ग** को वसीयत करता है, यदि **ख** के ज्येष्ठ भाई को (जो विवाहित है और जिसकी संतानें हैं) उसकी मृत्यु पर कोई जीवित संतान न हो। **ख** को संपदा को त्यागने या वसीयत संपदा को छोड़ने का निर्वाचन करना चाहिए।

)iv) **क**, 18 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति है, जो [1][भारत] का अधिवासी है। **क** इंग्लैंड स्थित पूर्ण स्वामिक स्थावर संपत्ति का स्वामी है, जिसके लिए **ग** विधि के अनुसार वारिस है। **क** एक वसीयत संपदा की **ग** को वसीयत करता है और उसके अधीन रहते हुए विल लिखकर "मेरी सभी संपत्ति चाहे जितनी हो और जहां हो" **ख** को वसीयत करता है और 21 वर्ष से कम आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में स्थित पूर्ण स्वामिक स्थावर संपत्ति विल द्वारा संक्रांत नहीं होती है। **ग** अपनी वसीयत संपदा का दावा इंग्लैंड स्थित पूर्ण स्वामिक स्थावर संपत्ति का त्याग किए बिना कर सकता है।

183. व्यक्ति के फायदे के लिए वसीयत निर्वाचन के प्रयोजन के लिए कैसे माना जाए—किसी व्यक्ति के फायदे के लिए वसीयत को, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, वैसे ही माना जाता है जैसे उसे की गई वसीयत को।

दृष्टांत

क, सुलतानपुर खुर्द के खेत को, जो **ख** की संपत्ति है, **ग** को वसीयत करता है ; और सुलतानपुर बुजुर्ग नामक एक दूसरे खेत को अपने स्वयं के निष्पादकों को, इस निदेश के साथ वसीयत करता है कि उसका विक्रय किया जाना चाहिए और उसके आगमों का उपयोग **ख** के ऋणों के संदाय के लिए किया जाना चाहिए। **ख**, को यह निर्वाचन करना चाहिए कि क्या वह विल को मानेगा या उसके विरुद्ध सुलतानपुर खुर्द का खेत अपने पास रखेगा।

184. अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पाने वाले व्यक्ति को निर्वाचन नहीं करना है—जो व्यक्ति किसी विल के अधीन कोई फायदा सीधा नहीं लेता है किन्तु उसके अधीन फायदा उसे परत: व्युत्पन्त होता है उसे निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं है।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

दृष्टांत

सुलतानपुर की भूमि का व्यवस्थापन **ग** पर जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् **घ** पर, जो उसकी एकमात्र संतान है, किया गया है। **क** सुलतानपुर की भूमि की **ख** को और 1,000 रुपए की **ग** को वसीयत करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के कुछ दिन बाद **ग** की वसीयत किए बिना मृत्यु हो जाती है और उसने कोई निर्वाचन नहीं किया है। **घ, ग** के लिए प्रशासन ग्रहण करता है, और प्रशासक के रूप में **ग** की संपदा की ओर से विल के अधीन भूमि लेने का निर्वाचन करता है। उस हैसियत में वह 1,000 रुपए की वसीयत संपदा प्राप्त करता है और सुलतानपुर की भूमि के भाटक के लिए, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् और **ग** की मृत्यु के पूर्व उद्भूत हो **ख** को लेखा देता है। अपनी व्यष्टिक हैसियत में वह विल के विरुद्ध सुलतानपुर की भूमि को प्रतिधारित करता है।

185. विल के अधीन व्यष्टिक हैसियत में लेने वाला व्यक्ति दूसरी हैसियत में उसके विरुद्ध लेने का निर्वाचन कर सकेगा—जो व्यक्ति अपनी व्यष्टि हैसियत में कोई फायदा विल के अधीन लेता है वह दूसरी हैसियत में विल के विरुद्ध लेने का निर्वाचन कर सकेगा।

दृष्टांत

सुलतानपुर की संपदा का व्यवस्थापन **क** पर, जीवनपर्यन्त के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् **ख** पर किया गया है। **क** सुलतानपुर की संपदा **घ** के लिए और 2,000 रुपए **ख** के लिए तथा 1,000 रुपए **ग** के लिए छोड़ता है जो **ख** की एकमात्र संतान है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् **ख** की बिना वसीयत किए मृत्यु हो जाती है और उसने कोई निर्वाचन नहीं किया है। **ग, ख** के लिए प्रशासन ग्रहण करता है और प्रशासक के रूप में विल के विरुद्ध सुलतानपुर की संपदा रखने का और 2,000 रुपए की वसीयत संपदा के त्यजन का निर्वाचन करता है। **ग** ऐसा कर सकता है और फिर भी विल के अधीन 1,000 रुपयों की अपनी वसीयत संपदा का दावा कर सकता है।

186. अंतिम छह धाराओं के उपबन्धों का अपवाद—धारा 180 से 185 तक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां वसीयतदार को किसी ऐसी चीज के बदले, जो वसीयतदार की है, किसी विशिष्ट दान का दावा किया जाना विल में अभिव्यक्त किया गया है और उसका ऐसे विल द्वारा वस्तुत: व्ययन भी किया गया है वहां यदि ऐसा वसीयतदार उस चीज का दावा करे तो उसे उस विशिष्ट दान का त्याग करना होगा किन्तु वह विल द्वारा उसे दिए गए किसी अन्य फायदे को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है।

दृष्टांत

क के विवाह व्यवस्थापन के अधीन उसकी पत्नी **क** की उत्तरजीवी होने पर, अपने जीवनकाल के दौरान सुलतानपुर की संपदा के उपभोग की हकदार है। **क** सुलतानपुर की संपदा में अपनी पत्नी के हित के बदले उसे उसके जीवनकाल के दौरान 2,000 रुपए की वार्षिकी की वसीयत अपने विल द्वारा करता है और वह संपदा अपने पुत्र को वसीयत कर देता है। वह अपनी पत्नी को 1,000 रुपए की वसीयत संपदा भी देता है। विधवा उसका, निर्वाचन करती है जिसके लिए वह व्यवस्थापन के अधीन हकदार है। वह वार्षिकी को त्यागने के लिए आबद्ध है किन्तु 1,000 रुपयों की वसीयत संपदा को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है।

187. विल द्वारा दिए गए फायदे का प्रतिग्रहण कब विल के अधीन लेने के निर्वाचन को गठित करता है—विल द्वारा दिए गए किसी फायदे का प्रतिग्रहण, विल के अधीन लेने के लिए वसीयतदार द्वारा किया गया निर्वाचन गठित करता है यदि उसे निर्वाचन करने के अपने अधिकार का ज्ञान है और उन परिस्थितियों का ज्ञान है जो निर्वाचन करने में किसी युक्तिमान मनुष्य के निर्णय पर प्रभाव डालती हों अथवा यदि वह उन परिस्थितियों की जांच करने का अधित्यजन कर देता है।

दृष्टांत

)i) **क**, सुलतानपुर खुर्द नामक किसी संपदा का स्वामी है और सुलतानपुर बुजुर्ग नामक किसी दूसरी संपदा में जीवनपर्यन्त हित रखता है जिसके लिए उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र आत्यंतिक रूप से हकदार होगा। **क** के विल में सुलतानपुर खुर्द की संपदा **ख** को तथा सुलतानपुर बुजुर्ग की संपदा **ग** को दी गई है। **ख** सुलतानपुर बुजुर्ग की संपदा में अपने स्वयं के अधिकार की जानकारी न होने के कारण **ग** को उसका कब्जा देता है और सुलतानपुर खुर्द की संपदा का कब्जा ले लेता है। **ख** ने **ग** को सुलतानपुर बुजुर्ग की वसीयत की पुष्टि नहीं की है।

)ii) **ख** जो **ग** को ज्येष्ठतम पुत्र है सुलतानपुर नामक संपदा का कब्जाधारी है। **क** सुलतानपुर की वसीयत **ग** को और **क** की संपत्ति का अवशेष **ख** को वसीयत करता है। **ख, क** के निष्पादकों द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर कि अवशेष 5,000 रुपए होगा **ग** को सुलतानपुर का कब्जा ले लेने देता है। तत्पश्चात् उसे यह पता चलता है कि अवशेष 500 रुपए से अधिक नहीं है। **ख** ने **ग** को सुलतानपुर की वसीयत की पुष्टि नहीं की है।

188. वे परिस्थितियां जिनमें ज्ञान या अधित्यजन उपधारित या अनुमित किया जाता है—)1) यदि वसीयतदार विसम्मति अभिव्यक्त करने के लिए कोई कार्य किए बिना विल द्वारा उसके लिए उपबंधित फायदों का उपभोग दो वर्ष तक कर लेता है तो ऐसा ज्ञान या जांच का अधित्यजन प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव के उपधारित कर लिया जाएगा।

)2) ऐसा ज्ञान या जांच का अधित्यजन वसीयतदार के किसी ऐसे कार्य से अनुमित किया जा सकेगा जिसने वसीयत की विषयवस्तु में हितबद्ध व्यक्तियों को उसी दशा में रखना असंभव बना दिया है जिसमें वे होते यदि वह कार्य न किया गया होता।

दृष्टांत

क कोई संपदा **ख** को वसीयत करता है जिसके लिए **ग** हकदार है और **ग** को कोयले की एक खान की वसीयत करता है । **ग** खान को, कब्जे में लेता है और उसे नि:शेष कर देता है । उसके द्वारा उसने संपदा की वसीयत की पुष्टि कर दी है ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

189. वसीयतकर्ता के प्रतिनिधि वसीयतदार से निर्वाचन करने के लिए कब कह सकेंगे—यदि वसीयतदार वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के भीतर विल की पुष्टि करने या उससे विसम्मति का अपना आशय वसीयतकर्ता के प्रतिनिधियों को जता नहीं देता है तो प्रतिनिधि उस कालावधि के अवसान पर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्वाचन करे ; और यदि वह ऐसी अपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर उसका पालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने विल की पुष्टि करने का निर्वाचन कर लिया है ।

190. निर्योग्यता की दशा में निर्वाचन को मुल्तवी रखना—निर्योग्यता की दशा में निर्वाचन उस समय तक मुल्तवी रहेगा जब तक उस निर्योग्यता का अन्त नहीं हो जाता या जब तक निर्वाचन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता ।

अध्याय 23 —मृत्यु को आसन्न मानकार किए गए दान

191. मृत्यु को आसन्न मानकर दान द्वारा अन्तरणीय संपत्ति—)1) कोई व्यक्ति मृत्यु को आसन्न मानकार किए गए दान द्वारा किसी ऐसी जंगम संपत्ति का व्ययन कर सकेगा जिसका वह विल द्वारा वययन कर सकता है ।

)2) किसी दान को, मृत्यु को आसन्न मानकर किया गया दान वहां कहा जाता है जहां कोई मनुष्य जो बीमार है और जिसे अपनी बीमारी के कारण शीघ्र ही मर जाने की प्रत्यांशका है, किसी जंगम वस्तु का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है कि वह, यदि दानकर्ता की उस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाए तो उसे दान के रूप में रखे ।

)3) ऐसे दान को दानकर्ता वापस ले सकेगा ; और यदि वह उस बीमारी से, जिसके दौरान वह दान किया गया था, ठीक हो जाता है या यदि वह उस व्यक्ति का उत्तरजीवी होता है, जिसके लिए वह दान किया गया था तो वह प्रभावशील नहीं होगा ।

दृष्टांत

)i) **क** बीमार है । वह मृत्यु की प्रत्याशंका के कारण **ख** को, निम्नलिखित का परिदान करता है, जो **ख** की मृत्यु हो जाने पर **क** प्रतिधारित करेगा,—

एक घड़ी ;

ग द्वारा **क** को अनुदत्त एक बन्धपत्र ;

एक बैंक-नोट ;

निरंक पृष्ठांकित केन्द्रीय सरकार का एक वचनपत्र ;

निरंक पृष्ठांकित एक विनिमय-पत्र ;

कतिपय बन्धक-विलेख ।

क की मृत्यु उस बीमारी का कारण हो जाती है जिसके दौरान उसने इन वस्तुओं का परिदान किया था ।

ख निम्नलिखित के लिए हकदार है :—

घड़ी ;

ग के बन्धपत्र द्वारा प्रतिभूत ऋण ;

बैंक-नोट ;

केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र ;

विनिमय-पत्र ;

बन्धक-विलेख द्वारा प्रतिभूत धन ।

)ii) **क** बीमार है । वह मृत्यु की प्रत्यांशका के कारण **ख** को किसी ट्रंक की चाबी का या किसी ऐसे भण्डार की चाबी का परिदान, जिसमें **क** के भारी मात्रा में माल निक्षिप्त हैं ; ट्रंक में रखी गई वस्तुओं पर या निक्षिप्त माल पर उसे कब्जा देने के आशय से, करता है और उससे यह वांछा करता है कि वह **क** की मृत्यु की दशा में उन्हें रखे । **क** की मृत्यु उस बीमारी में हो जाती है जिसके दौरान उसने ऐसी वस्तुओं का परिदान किया था । **ख** ट्रंक और उसकी अन्तर्वस्तुओं का या भण्डार में **क** के भारी मात्रा में माल का हकदार है ।

)iii) **क** बीमार है । वह मृत्यु की प्रत्याशंका के कारण कुछ वस्तुओं को अलग-अलग पार्सलों में पृथक् रख देता है और पार्सलों पर क्रमश: **ख** और **ग** के नाम लिख देता है । पार्सल **क** के जीवनकाल में परिदत्त नहीं किए जाते हैं । **क** की मृत्यु उस बीमारी में हो जाती है, जिसके दौरान उसने उन पार्सलों को पृथक् रखा था । **ख** और **ग** पार्सलों की अन्तर्वस्तुओं के लिए हकदार नहीं हैं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 7

मृतक की सम्पत्ति का संरक्षण

192. मृतक की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार द्वारा अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति सदोष कब्जे के विरुद्ध अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा—)1) यदि कोई व्यक्ति जंगम या स्थावर सम्पत्ति छोड़कर मर जाता है तो उसके लिए या उसके किसी भाग के लिए उत्तराधिकार द्वारा किसी अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति, अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक कब्जा ले लिए जाने के पश्चात् या जब कब्जा अभिग्रहण करने में बल का प्रयोग किए जाने की आशंका हो तो, उस जिले के जिला न्यायाधीश को, जिसमें सम्पत्ति का कोई भाग पाया जाता है या स्थित है, अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा ।

)2) जहां कोई अवयस्क, या कोई निरर्हित या अनुपस्थित व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति के लिए, जैसी पहले वर्णित है, उत्तराधिकार द्वारा हकदार है वहां कोई अभिकर्ता, नातेदार, निकट मित्र या प्रतिपाल्य अधिकारी, अपने संज्ञान में आने वाले मामलों में, अनुतोष के लिए वैसे ही आवेदन कर सकेगा ।

193. न्यायाधीश द्वारा की गई जांच—वह जिला न्यायाधीश, जिसे ऐसा आवेदन किया जाता है, प्रथमत: आवेदक की शपथ पर परीक्षा करेगा और इस बारे में ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करेगा जैसा वह आवश्यक समझे कि क्या यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि कब्जाधारी पक्षकार को या कब्जा अभिग्रहण के लिए बल का प्रयोग करने वाले पक्षकार को विधिपूर्ण हक नहीं है, और वह आवेदक या वह व्यक्ति, जिसकी ओर से वह आवेदन करता है, वास्तव में हकदार है और यदि उसे बाद के मामूली उपचार के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पर तात्विक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और आवेदन सद्भाविक रूप से किया गया है ।

194. प्रक्रिया—यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि यथापूर्वोक्त विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है किन्तु अन्यथा नहीं है तो वह उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, समन करेगा और खाली या विघ्नयुक्त कब्जे की सूचना प्रकाशन द्वारा देगा और युक्तियुक्त समय के अवसान के पश्चात् कब्जे के अधिकार को (इसमें इसके पश्चात् यथाउपबन्धित वाद के अधीन रहते हुए) संक्षिप्तत: अवधारित करेगा और तद्नुसार कब्जा देगा :

परन्तु न्यायाधीश को ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो किसी चीज-बस्त की सूची तैयार करने और उसे मुद्राबंद करने या अन्यथा सुरक्षित रखने के प्रयोजन के लिए आवेदन दिए जाने पर अविलम्ब वैसा करेगा चाहे उसने उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, समन करने के लिए आवश्यक जांच पूरी कर ली है या नहीं ।

195. कार्यवाहियों के अवधारण के लंबित रहने के दौरान रक्षक की नियुक्ति—यदि यथापूर्वोक्त जांच किए जाने पर आगे यह प्रतीत होता है कि संक्षिप्त कार्यवाही का अवधारण किए जाने के पूर्व सम्पत्ति के दुर्विनियोजन या दुर्व्यय के खतरे की आशंका है और कब्जाधारी पक्षकार से प्रतिभूति अभिप्राप्त करने में विलम्ब या उसकी अपर्याप्तता से कब्जा विहीन पक्षकार के लिए पर्याप्त जोखिम होने की संभावना है और वह विधिपूर्ण स्वामी भी है तो जिला न्यायाधीश एक या अधिक रक्षक नियुक्त कर सकेगा जिसका प्राधिकार उसकी या उनकी अपनी नियुक्तियों के निबन्धनों के अनुसार जारी रहेगा और किसी भी दशा में संक्षिप्त कार्यवाहियों का अवधारण किए जाने और उसके परिणामस्वरूप कब्जे की पुष्टि या परिदान किए जाने के आगे जारी नहीं रहेगा :

परन्तु भूमि के मामले में, न्यायाधीश रक्षक की शक्तियों को कलेक्टर या कलेक्टर के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा :

परन्तु यह और किसी सम्पत्ति की बाबत रक्षक की प्रत्येक नियुक्ति सम्यक् रूप से प्रकाशित की जाएगी ।

196. रक्षक को प्रदान की जा सकने वाली शक्तियां—जिला न्यायाधीश रक्षक को सम्पत्ति का कब्जा, या तो साधारणत: लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक कब्जा रखने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिभूति न दे दी जाए या जब तक सम्पत्ति की सूचियां न बना ली जाएं या कब्जाधारी पक्षकार द्वारा दुर्विनियोजन या दुर्व्यय से सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक किसी अन्य प्रयोजन के लिए कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यह न्यायाधीश के विवेक पर होगा कि वह प्रतिभूति देने या न देने पर कब्जाधारी पक्षकार को ऐसा कब्जा बनाए रखने की अनुज्ञा दे और कब्जे को रखना ऐसे आदेशों के अधीन होगा जैसा वह न्यायाधीश सूचियों या विलेखों या अन्य चीज-बस्त की सुरक्षा के सम्बन्ध में जारी करे ।

197. रक्षक द्वारा कतिपय शक्तियों के प्रयोग का प्रतिषेध—)1) जहां भाग 10 के अधीन या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889[1])1889 का 7) के अधीन कोई प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया गया है वहां इस भाग के अधीन नियुक्त रक्षक प्रमाणपत्र के धारक के या निष्पादक या प्रशासक के किसी विधिसम्मत प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा ।

[1] 1925 के अधिनियम सं० 39 द्वारा भागत: निरसित तथा 1938 के अधिनियम सं० 1 द्वारा अंतिम रूप से निरसित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

)2) **रक्षक को ऋणों आदि का संदाय**—ऐसे सभी व्यक्तियों का, जिन्होंने कोई ऋण या भाटक प्राप्त करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत रक्षक को ऋण या भाटक का संदाय किया है, परित्राण किया जाएगा और रक्षक उनका संदाय ऐसे व्यक्ति को करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसने, यथास्थिति, प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अभिप्राप्त किया है ।

198. रक्षक प्रतिभूति देगा और पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा—)1) न्यायाधीश रक्षक से उसके न्यास के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से उसका समाधानप्रद लेखा देने के लिए प्रतिभूति लेगा और उसे सम्पत्ति में से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो जिला न्यायाधीश युक्तियुक्त समझे, किन्तु ऐसा पारिश्रमिक किसी भी दशा में जंगम सम्पत्ति के और स्थावर सम्पत्ति के वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

)2) रक्षक द्वारा वसूल किया गया सभी अधिशेष धन न्यायालय ने संदत्त किया जाएगा और उन व्यक्तियों के फायदे के लिए लोक प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा जो संक्षिप्त कार्यवाहियों के न्यायनिर्णयन पर उनके लिए हकदार हों ।

)3) रक्षक से प्रतिभूति की अपेक्षा युक्तियुक्त शीघ्रता से की जाएगी और जहां यह साध्य हो वहां यह साधारणत: ऐसे सभी मामलों के सम्बन्ध में होगी जिनके लिए वह व्यक्ति बाद में रक्षक नियुक्त किया जाए ; किन्तु प्रतिभूति लेने में कोई विलम्ब न्यायाधीश को अपने पद की शक्तियों को रक्षक में तुरन्त विनिहित करने से निवारित नहीं करेगा ।

199. कलेक्टर की रिपोर्ट जहां संपदा में राजस्व संदत्त करने वाली भूमि सम्मिलित है—)1) जहां मृत व्यक्ति की सम्पदा में पूर्णत: या भागत: ऐसी भूमि सम्मिलित है, जिसके लिए सरकार को राजस्व संदत्त किया जाता है, वहां कब्जाधारी व्यक्ति को समन करने, रक्षक की नियुक्ति करने या उस नियुक्ति के लिए व्यष्टियों को नामनिर्देशित करने के औचित्य की बाबत सभी विषयों में जिला न्यायाधीश कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांगेगा और तब कलेक्टर रिपोर्ट देगा :

परन्तु अत्यन्त आवश्यक मामलों में न्यायाधीश प्रथमत: ऐसी रिपोर्ट के बिना कार्यवाही करेगा ।

)2) न्यायाधीश ऐसी किसी रिपोर्ट के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा, किन्तु ऐसी रिपोर्ट के अनुसार कार्य न करने पर वह न करने के कारणों का कथन उच्च न्यायालय को तुरन्त अग्रेषित करेगा, और यदि उच्च नयायालय ऐसे कारणों से सन्तुष्ट नहीं है तो वह न्यायाधीश को कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुरूप कार्यवाही करने का निदेश देगा ।

200. वादों को संस्थित करना और उनमें प्रतिरक्षा करना—रक्षक वादों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने की बाबत जिला न्यायाधीश के आदेशों के अधीन कार्य करेगा और सभी वाद संपदा की ओर से रक्षक के नाम से संस्थित किए जाएंगे या उनमें प्रतिरक्षा की जाएगी :

परन्तु रक्षक की नियुक्ति के आदेश में ऋणों या भाटकों के संग्रहण के लिए अभिव्यक्त प्राधिकार की अपेक्षा होगी किन्तु ऐसा अभिव्यक्त प्राधिकार उसके आधार पर प्राप्त धन की किन्हीं राशियों का निस्तारण करने के लिए रक्षक को समर्थ बनाएगा ।

201. रक्षक द्वारा अभिरक्षा के लंबित रहने के दौरान दृश्यमान स्वामियों को भत्ते—रक्षक द्वारा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लम्बित रहने के दौरान उनके लिए प्रथमदृष्ट्या अधिकार रखने वाले पक्षकारों को जिला न्यायाधीश ऐसे भत्ते देगा जैसे वह हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों और परिस्थितियों का संक्षिप्त अन्वेषण करने पर आवश्यक समझे, और संक्षिप्त कार्यवाही के न्यायनिर्णयन पर पक्षकार से उसके लिए हकदार न पाए जाने पर उसका ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने के लिए अपने विवेकानुसार प्रतिभूति ले सकेगा ।

202. रक्षक द्वारा लेखा फाइल किया जाना—रक्षक संक्षिप्त मासिक लेखा फाइल करेगा और तीन मास की प्रत्येक अवधि के अवसान पर, यदि उसका प्रशासन इतने दिन चलता रहे, और सम्पत्ति का कब्जा त्याग देने पर जिला न्यायाधीश के समाधानप्रद रूप में अपने प्रशासन का विस्तृत लेखा फाइल करेगा ।

203. लेखाओं का निरीक्षण और दोहरी प्रति रखने का हितबद्ध पक्षकार का अधिकार—)1) रक्षक का लेखा सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ; और ऐसा कोई हितबद्ध पक्षकार, रक्षक द्वारा सभी प्राप्तियों और संदायों का दोहरा लेखा रखने के लिए पृथक् व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए सक्षम होगा ।

)2) यदि यह पाया जाता है कि रक्षक के लेखा बकाया हैं या वे त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हैं या यदि रक्षक को जब किसी जिला न्यायाधीश द्वारा उन्हें पेश करने के लिए निदेश दिया जाता है तब वह उन्हें पेश नहीं करता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।

204. एक ही संपत्ति के लिए दूसरे रक्षक की नियुक्ति पर बंधन—यदि किसी जिला न्यायाधीश ने किसी मृत व्यक्ति की संपूर्ण सम्पत्ति की बाबत, किसी रक्षक की नियुक्ति की है तो ऐसी नियुक्ति उसी राज्य के भीतर किसी अन्य जिला के न्यायाधीश को किसी अन्य रक्षक की नियुक्ति करने से प्रवारित करेगी, किन्तु मृतक की सम्पत्ति के किसी भाग की बाबत किसी रक्षक की नियुक्ति, अवशिष्ट की या उसके किसी भाग की बाबत उसी राज्य में किसी अन्य रक्षक की नियुक्ति को प्रवारित नहीं करेगी :

परन्तु कोई न्यायाधीश किसी ऐसी सम्पत्ति की बाबत, जो किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष इस भाग के अधीन पहले से संस्थित किसी संक्षिप्त कार्यवाही की विषय-वस्तु है कोई रक्षक नियुक्त नहीं करेगा या संक्षिप्त कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी सम्पदा के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न न्यायाधीशों द्वारा दो या अधिक रक्षक नियुक्त किए गए हैं तो उच्च न्यायालय, सम्पूर्ण सम्पत्ति के एक रक्षक की नियुक्ति करने के लिए ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे ।

205. रक्षक के लिए आवेदन करने की समय-सीमा—जिला न्यायाधीश को इस भाग के अधीन कोई आवेदन उस स्वत्वधारी की मृत्यु से छह मास के भीतर किया जाना चाहिए जिसकी सम्पत्ति का दावा उत्तराधिकार में अधिकार द्वारा किया जाता है।

COURT BOOK

206. मृतक द्वारा लोक व्यवस्थापन या विधिक निदेश के विरुद्ध इस भाग के प्रवर्तन का वर्जन—इस भाग में की कोई बात, व्यवस्थापन के किसी लोक कार्य के या किसी सम्पत्ति के मृतक स्वत्वधारी द्वारा, अवयस्कता की दशा में या अन्यथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पति के कब्जे के लिए दिए गए किन्हीं विधिक निदेशों के उल्लंघन को प्राधिकृत करने वाली नहीं मानी जाएगा, और ऐसे प्रत्येक मामले में मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर अधिकारिता रखने वाले न्यायाधीश का ऐसे निदेशों के विद्यमान होने के बारे में जैसे ही समाधान हो जाए वहां वह उन्हें प्रभावशील करेगा।

207. प्रतिपाल्य अधिकारी को ऐसे अवयस्क के मामले में जिसकी सम्पत्ति उसकी अधिकारिता के अधीन है, रक्षक बनाया जाएगा—इस भाग में की कोई बात किसी सम्पत्ति पर प्रतिपाल्य अधिकरण के कब्जे में कोई विघ्न प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी ; और ऐसे मामले में, जिसमें ऐसा अवयस्क या अन्य निरर्हित व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति प्रतिपाल्य अधिकरण के अध्यधीन है, ऐसा पक्षकार है जिसकी ओर से इस भाग के अधीन आवेदन किया गया है, जिला न्यायाधीश, यदि वह कब्जाधारी पक्षकार को समन करने का और रक्षक की नियुक्ति करने का अवधारण करता है, कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान प्रतिपाल्य अधिकरण में यथापूर्वोक्त प्रतिभूति लिए बिना सम्पदा का रक्षकत्व विनिहित करेगा और यदि संक्षिप्त कार्यवाही के न्यायनिर्णयन पर अवयस्क या अन्य निरर्हित व्यक्ति सम्पत्ति का हकदार प्रतीत होता है तो कब्जा प्रतिपाल्य अधिकरण को प्रदत्त किया जाएगा।

208. वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति—इस भाग में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे पक्षकार द्वारा कोई वाद लाने में अड़चन डालने वाली नहीं होगी। जिसका आवेदन कब्जाधारी पक्षकार को समन करने के पूर्व या पश्चात् नामंजूर कर दिया गया है या जिसे इस भाग के अधीन कब्जे से बेदखल कर दिया गया है।

209. संक्षिप्त कार्यवाही के विनिश्चय का प्रभाव—इस भाग के अधीन किसी संक्षिप्त कार्यवाही में जिला न्यायाधीश के विनिश्चय का वास्तविक कब्जे के परिनिर्धारण से भिन्न कोई प्रभाव नहीं होगा ; किन्तु इस प्रयोजन के लिए यह अन्तिम होगा और किसी अपील या पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा।

210. लोक रक्षकों की नियुक्ति—राज्य सरकार किसी जिले या कुछ जिलों के लिए लोक रक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी, और ऐसा जिला न्यायाधीश जो अधिकारिता रखता है, ऐसे सभी मामलों में, जिसमें इस भाग के अधीन रक्षकों का चयन करना उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है, ऐसे लोक रक्षकों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

भाग 8

उत्तराधिकार पर मृतक की संपत्ति के लिए प्रतिनिधि हक

211. निष्पादक या प्रशासक की, उस रूप में, प्रकृति और संपत्ति—)1) मृत व्यक्ति का, यथास्थिति, निष्पादक या प्रशासक सभी प्रयोजनों के लिए उसका विधिक प्रतिनिधि है और मृत व्यक्ति की सभी सम्पत्ति उसमें, उस रूप में, विनिहित होती है।

)2) जहां मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, [1][जैन या पारसी] या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है वहां इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी निष्पादक या प्रशासक में मृत व्यक्ति की ऐसी कोई सम्पदा निहित नहीं करेगी जो अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरजीविता द्वारा संक्रांत हो जाती।

212. निर्वसीयत की सम्पत्ति के लिए अधिकार—)1(ऐसे व्यक्ति की जिसकी वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई है सम्पत्ति के किसी भाग के लिए कोई अधिकार किसी न्यायालय में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा प्रशासन-पत्र पहले अनुदत्त न किया गया हो।

)2(यह धारा, किसी हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, [2][भारतीय क्रिश्चियन या पारसी] की निर्वसीयतता के मामले में लागू नहीं होगी।

213. निष्पादक या वसीयतदार के रूप में अधिकारिता कब स्थापित होती है—)1) निष्पादक या वसीयतदार के रूप में कोई अधिकार किसी न्यायालय में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक [3][भारत] के सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने ऐसी विल का प्रोबेट, जिसके अधीन उस अधिकार का दावा किया गया है, अनुदत्त न किया हो या विल उपाबद्ध करके या विल की प्राधिकृत प्रति की एक प्रति उपाबद्ध करके प्रशासन-पत्र अनुदत्त न किया हो।

[4][)2) यह धारा मुस्लिमों [5][या भारतीय क्रिश्चियनों] द्वारा किए गए विलों के मामलों में लागू नहीं होगी और केवल निम्नलिखित मामलों में लागू होगी :—

---

[1] 1962 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा "या जैन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1962 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा "या भारतीय क्रिश्चियन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1962 के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK

)i) किसी हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख या जैन द्वारा किए गए विलों के मामले में, जहां ऐसे विल धारा 57 के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट वर्गों के हैं ; और

)ii) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1962)1962 का 16) के प्रारम्भ के पश्चात् मरने वाले किसी पारसी द्वारा किए विलों के मामलों में, जहां ऐसे विल कलकत्ता, मद्रास और मुंबई स्थित उच्च न्यायालयों की [1][मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता] की स्थानीय सीमाओं के भीतर किए गए हैं और जहां ऐसे विल उन सीमाओं के बाहर किए गए हैं वहां जहां तक उनका सम्बन्ध उन सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति से है ।

214. न्यायालय के माध्यम से मृत व्यक्तियों के ऋणियों से ऋणों की वसूली के लिए प्रतिनिधि हक के सबूत का पुरोभाव्य शर्त होना—)1) कोई भी न्यायालय—

(क) मृत व्यक्ति के किसी ऋणी के विरुद्ध, उसके ऋण का संदाय ऐसे व्यक्ति को करने के लिए, जो उत्तराधिकार पर मृत व्यक्ति की चीज-बस्त के लिए या उसके किसी भाग के लिए हकदार होने का दावा करता है, कोई डिक्री केवल वहां पारित करेगा, या

(ख) इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे ऋणी के विरुद्ध, उसके ऋण का संदाय करने के लिए, कोई डिक्री या आदेश निष्पादित करने के लिए केवल वहां अग्रसर होगा, जहां इस प्रकार दावा करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित पेश करे,—

)i) वह प्रोबेट या प्रशासन-पत्र जो मृतक की सम्पदा का प्रशासन उसे अनुदत्त करने का साक्ष्य है, या

)ii) वह प्रमाणपत्र जो महाप्रशासक अधिनियम, 1913)1913 का 3) की धारा 31 या धारा 32 के अधीन अनुदत्त किया गया है और जिसमें ऋण वर्णित है, या

)iii) वह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जो भाग 10 के अधीन अनुदत्त किया गया है और जिसमें ऋण वर्णित है, या

)iv) वह प्रमाणपत्र जो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889[2])1889 का 7) के अधीन अनुदत्त किया गया है, या

)v) वह प्रमाणपत्र जो 1827 के मुंबई रेगूलेशन संख्यांक 8 के अधीन अनुदत्त किया गया है और यदि वह 1 मई, 1889 के पश्चात् अनुदत्त किया है तो उसमें ऋण विनिर्दिष्ट है ।

)2) उपधारा (1) में, "ऋण" शब्द के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि के बारे में संदेय भाटक, राजस्व या लाभों के सिवाय कोई ऋण है ।

215. पश्चात्वर्ती प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव—)1) किसी सम्पदा की बाबत प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान को, सम्पदा में सम्मिलित किन्हीं ऋणों या प्रतिभूतियों की बाबत भाग 10 के अधीन या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889[2])1889 का 7) के अधीन या 1827 मुम्बई रेगुलेशन संख्यांक 8 के अधीन पहले अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र का अधिक्रमण करने वाला समझा जाएगा ।

)2) जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों के अनुदान के समय, किसी ऐसे ऋण या प्रतिभूति के बारे में किसी ऐसे प्रमाणपत्र के धारक द्वारा संस्थित कोई वाद या अन्य कार्यवाही लम्बित है, तब वह व्यक्ति, जिसे अनुदान किया गया है, उस न्यायालय में जिसमें वाद या कार्यवाही लम्बित है, आवेदन देने पर, वाद या कार्यवाही में प्रमाणपत्र के धारक का स्थान लेने के लिए हकदार होगा :

परन्तु जब कोई प्रमाणपत्र इस धारा के अधीन अधिक्रांत किया जाता है तब ऐसे अधिक्रमण की अनभिज्ञता के कारण ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को किए सभी संदाय, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अधीन दावों के विरुद्ध मान्य होंगे ।

216. केवल प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के प्राप्तकर्ता द्वारा, जब तक उसे प्रतिसंहृत न कर दिया जाए, वाद आदि लाया जाना—प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के किसी अनुदान के पश्चात् उस व्यक्ति से भिन्न, जिसे उसका अनुदान किया जा सकता था, किसी अन्य व्यक्ति को उस राज्य में सर्वत्र, जिसमें वह अनुदत्त किया गया है, मृतक के प्रतिनिधि के रूप में वाद लाने या वाद के बारे में आगे कार्यवाही करने की कोई शक्ति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे प्रोबोट या प्रशासन-पत्रों को वापस या प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो ।

भाग 9

प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और मृतक की आस्तियों का प्रशासन

217. इस भाग का लागू होना—इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय प्रोबेट या विल के साथ उपाबद्ध प्रशासन-पत्रों के सभी अनुदान तथा निर्वसीयत उत्तराधिकार के मामलों में मृतक की आस्तियों का प्रशासन इस भाग के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, किया या निर्वहन किया जाएगा ।

---

[1] 1964 के अधिनियम सं० 52 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "मामूली सिविल अधिकारिता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1925 के अधिनियम सं० 39 द्वारा भागत: और 1938 के अधिनियम सं० 1 द्वारा अन्तिम रूप से निरसित ।

अध्याय 1—प्रोबेट और प्रशासन-पत्र का अनुदान

218. जहां मृतक हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन या छूट प्राप्त व्यक्ति है वहां प्रशासन किसे अनुदत्त किया जाएगा—)1) यदि मृतक की वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई है और वह कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति था तो उसकी सम्पदा का प्रशासन किसी ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त किया जा सकेगा जो ऐसे मृतक के मामले में लागू सम्पदा के वितरण के नियमों के अनुसार ऐसे मृतक की सम्पदा के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए हकदार होगा ।

)2) जब ऐसे प्रशासन के लिए ऐसे कई व्यक्ति आवेदन करते हैं तब यह न्यायालय के विवेक पर होगा कि वह उसे उनमें से किसी एक को या अधिक को अनुदत्त करे ।

)3) जब ऐसा कोई व्यक्ति आवेदन नहीं करता है तब उसे मृतक के लेनदार को अनुदत्त किया जा सकेगा ।

219. जहां मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन या छूट प्राप्त व्यक्ति नहीं है—यदि मृतक की वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई है और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धारा 218 में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी में आता है तो वे जो या तो विवाह द्वारा या समरक्तता द्वारा, उससे सम्बन्धित है इसमें इसके पश्चात् कथित क्रम में और नियमों के अनुसार उसकी सम्पदा और चीज-बस्त का प्रशासन-पत्र अभिप्राप्त करने के हकदार हैं, अर्थात् :—

(क) यदि मृतक कोई विधवा छोड़ गया है तो, जब तक कि न्यायालय उसे या तो कुछ वैयक्तिक निरर्हता के आधार पर या इस कारण कि वह मृतक की सम्पदा में कोई हित नहीं रखती है अपवर्जित करने का कोई कारण न देखे, प्रशासन विधवा को अनुदत्त किया जाएगा ।

दृष्टांत

)i) विधवा पागल है या उसने जारकर्म किया है या उसे अपने विवाह व्यवस्थापन के कारण अपने पति की सम्पदा में सभी हित वर्जित हैं । प्रशासन से उसे अपवर्जित करने के लिए कारण है ।

)ii) विधवा ने अपने पति की मृत्यु पर पुन: विवाह कर लिया है । यह उसके अपवर्जन के लिए अच्छा कारण नहीं है ।

(ख) यदि न्यायाधीश उचित समझे तो वह प्रशासन में विधवा के साथ किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा जो, यदि कोई विधवा नहीं होती तो, प्रशासन के लिए अकेले हकदार होता या होते ।

(ग) यदि कोई विधवा नहीं है या यदि न्यायालय विधवा को अपवर्जित करने का कारण देखता है तो वह प्रशासन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप देगा जो निर्वसीयती की सम्पदा के वितरण के नियमों के अनुसार सम्पदा के लिए फायदाप्रद रूप में हकदार है :

परन्तु जहां मृतक की माता इस प्रकार हकदार व्यक्तियों के वर्ग में से एक है वहां वह प्रशासन के लिए अकेले हकदार होगी ।

(घ) जो मृतक के रक्त संबंध की समान डिग्री में आते हैं वे प्रशासन के लिए समान रूप से हकदार हैं ।

(ङ) अपनी पत्नी के उत्तरजीवी पति को उसकी संपदा के प्रशासन का वैसा ही अधिकार है जैसा विधवा को अपने पति की संपदा की बाबत है ।

(च) जहां विवाह या समरक्तता द्वारा मृतक से संबंधित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रशासन-पत्र के लिए हकदार है और कार्य करने के लिए इच्छुक है, वहां उन्हें किसी लेनदार को अनुदत्त किया जा सकेगा ।

(छ) जहां मृतक ने [1][भारत] में संपत्ति छोड़ी है, वहां प्रशासन-पत्र पूर्वगामी नियमों के अनुसार, इस बात के होते हुए भी, अनुदत्त किए जाएंगे कि उसका अधिवास ऐसे देश में था जिसमें वसीयती और निर्वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित विधि [1][भारत] की विधि से भिन्न है ।

220. प्रशासन-पत्र का प्रभाव—प्रशासन-पत्र प्रशासक को निर्वसीयती के सभी अधिकारों के लिए वैसे ही प्रभावशील रूप में हकदार बनाता है मानो प्रशासन उसकी मृत्यु के तुरन्त पश्चात् अनुदत्त किया गया हो ।

221. प्रशासन-पत्र द्वारा कृत्यों को वैध न किया जाना—प्रशासन-पत्र प्रशासक के किन्हीं अन्तरिम कृत्यों को जो निर्वसीयती की संपदा में कमी या हानि करते हों, वैध नहीं बनाता है ।

222. प्रोबेट केवल नियुक्त निष्पादक के लिए ही—)1) प्रोबेट केवल विल द्वारा नियुक्त निष्पादक को अनुदत्त किया जाएगा ।

)2) नियुक्ति या तो अभिव्यक्त या आवश्यक विवक्षा द्वारा हो सकेगी ।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

दृष्टांत

)i) **क** यह विल करता है कि यदि **ख** न हो तो **ग** उसका निष्पादक होगा । **ख** विवक्षा द्वारा निष्पादक नियुक्त किया गया है ।

)ii) **क** एक वसीयत संपदा **ख** को और बहुत सी वसीयत संपदाएं अन्य व्यक्तियों को, बचे हुए में से अपनी पुत्रवधु **ग** को देता है और यह जोड़ देता है कि "यदि इसमें नामित **ग** जीवित नहीं है तो मैं **ख** को अपनी एक मात्र निष्पादिका नियत और नियुक्त करता हूं" । **ग** विवक्षा द्वारा निष्पादिका नियुक्त की गई है ।

)iii) **क** विभिन्न व्यक्तियों को अपने विल और क्रोड़पत्रों का निष्पादक और अपने नेफ्यू को अवशिष्ट वसीयतदार नियुक्त करता है और दूसरे क्रोड़पत्र में ये शब्द हैं—"मै विभिन्न तारीखों को हस्ताक्षरित मेरे विल और क्रोड़पत्रों के प्रति सभी विधिसम्मत मांगों को चुकाने के लिए नेफ्यू को अपना अवशिष्ट वसीयतदार नियुक्त करता हूं" । नेफ्यू को विवक्षा द्वारा निष्पादक नियुक्त किया गया है ।

223. वे व्यक्ति जिन्हें प्रोबेट अनुदत्त नहीं किए जा सकते हैं—प्रोबेट ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है जो अवयस्क है या विकृतचित है [1][और न ही] किसी व्यष्टि संगम को, किन्तु ऐसे व्यष्टि संगम को किया जा सकता है जो ऐसी कम्पनी है जो [2][राज्य सरकार] द्वारा [3][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित शर्तें पूरी करती है ।

224. विभिन्न निष्पादकों को साथ-साथ या विभिन्न समय पर प्रोबेट का अनुदान—जब विभिन्न निष्पादक नियुक्त किए जाते हैं तब उन्हें प्रोबेट का अनुदान साथ-साथ या भिन्न-भिन्न समय पर किया जा सकेगा ।

दृष्टांत

क, ख की विल का अभिव्यक्त नियुक्ति द्वारा निष्पादक और **ग** उसका विवक्षा द्वारा निष्पादक है । प्रोबेट **क** और **ग** को एक ही समय पर या **क** को पहले और तब **ग** को या **ग** को पहले और तब **क** को अनुदत्त किया जा सकेगा ।

225. प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् क्रोड़पत्र के पृथक् प्रोबेट का पता लगना—)1) यदि प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् किसी क्रोड़पत्र का पता लगता है तो उस क्रोड़पत्र का पृथक् प्रोबेट निष्पादक को अनुदत्त किया जा सकेगा यदि क्रोड़पत्र से विल द्वारा की गई निष्पादकों की नियुक्ति को किसी भी प्रकार निरसित नहीं किया गया है ।

)2) यदि क्रोड़पत्र द्वारा भिन्न निष्पादक की नियुक्ति की जाती है तो विल का प्रोबेट प्रतिसंहृत किया जाएगा और विल और क्रोडपत्र को मिलाकर नया प्रोबेट अनुदत्त किया जाएगा ।

226. उत्तरजीवी निष्पादक के प्रतिनिधित्व का प्रोद्भूत होना—जब प्रोबेट विभिन्न निष्पादकों को अनुदत्त किया गया है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो वसीयतकर्ता का संपूर्ण प्रतिनिधित्व उत्तरजीवी निष्पादक या निष्पादकों को प्रोद्भूत होता है ।

227. प्रोबेट का प्रभाव—जब बिल का प्रोबेट अनुदत्त किया जाता है तो वह वसीयतकर्ता की मृत्यु से विल को स्थापित करता है और निष्पादक ने उस रूप में जो अंतरिम कृत्य किए हैं उन्हें वैध बनाता है ।

228. राज्य के बाहर साबित विलों की अधिप्रमाणित प्रति की प्रति उपाबद्ध करके प्रशासन—जब राज्य की सीमा के बाहर, चाहे [4][भारत] की सीमा के भीतर हो या बाहर, स्थित सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कोई विल साबित या निक्षिप्त किया गया है और विल की समुचित रूप से अधिप्रमाणित प्रति पेश की जाती है तो प्रशासन-पत्र ऐसी प्रतियों की एक प्रति को उपाबद्ध करके अनुदत्त किया जा सकेगा ।

229. जहां निष्पादक ने पद त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन का अनुदान—जहां निष्पादक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने निष्पादकत्व का त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा उपस्थिति पत्र जारी नहीं किया गया है जिसमें निष्पादक को अपने निष्पादकत्व को स्वीकार करने या त्यागने के लिए कहा गया है :

परन्तु जब विभिन्न निष्पादकों में से एक या अधिक ने किसी विल को साबित किया है तब न्यायालय उनके उत्तरजीवियों की मृत्यु पर, जिन्होंने उसे साबित किया है, उनको उपस्थिति पत्र जारी किए बिना, जिन्होंने उन्हें साबित नहीं किया है, प्रशासन-पत्र अनुदत्त कर सकेगा ।

230. निष्पादकत्व के त्याग का प्ररूप और प्रभाव—त्याग न्यायाधीश की उपस्थिति में मौखिक रूप से या त्याग करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लेख द्वारा किया जा सकेगा और जब ऐसा किया जाता है तब वह इसके पश्चात् कभी भी उसे निष्पादक नियुक्त करने वाले विल के प्रोबेट के लिए आवेदन करने से प्रवारित रहेगा ।

---

[1] 1931 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया । "और न ही किसी विवाहित स्त्री को उसके पति की पूर्व सहमति के बिना किया जा सकता है यदि मृतक कोई हिन्दू, मुसलमान, और बौद्ध, सिख या जैन अथवा कोई छूट प्राप्त व्यक्ति नहीं है ।" ये शब्द मूल रूप से इस धारा के अन्त में आते थे । 1927 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा इन शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1938 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अन्त: स्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" शब्दों का अनुक्रमश: संशोधन किया गया है और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उन्हें उपरोक्त रूप में रखा गया है ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी के डोमिनियन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

231. जहां निष्पादक त्याग करता है या समय के भीतर स्वीकार करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया—यदि कोई निष्पादक निष्पादकत्व का त्याग करता है या उसे स्वीकार या इंकार करने के लिए समय सीमा के भीतर उसे स्वीकार करने में असफल रहता है तो विल को साबित किया जा सकेगा और प्रशासन-पत्र विल की प्रति को उपाबद्ध करते हुए उस व्यक्ति को अनुदत्त किए जा सकेंगे जो निर्वसीयतता की दशा में प्रशासन के लिए हकदार होता है ।

232. सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार को प्रशासन का अनुदान—जब—

(क) मृतक ने कोई विल किया है कि‍िन्तु कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया है, या

(ख) मृतक ने कोई निष्पादक नियुक्त किया है जो विधिक रूप से असमर्थ है या कृत्य करने से इंकार करता है या जिसकी मृत्यु वसीयकर्ता के पूर्व या विल को उसके द्वारा साबित किए जाने के पूर्व हो जाती है, या

(ग) निष्पादक की मृत्यु विल को साबित करने के पश्चात् किन्तु उसके द्वारा मृतक की संपूर्ण संपदा का प्रशासन लिए जाने के पूर्व हो जाती है,

तब सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार विल को साबित कर सकेगा और उसे संपूर्ण संपदा के या उसके उतने भाग के, जिसको प्रशासित नहीं किया गया है, प्रशासन-पत्र विल को उपाबद्ध करते हुए अनुदत्त किए जा सकेंगे ।

233. मृतक अवशिष्ट वसीयतदार के प्रतिनिधि का प्रशासन के लिए अधिकार—जब कोई अवशिष्ट वसीयतदार, जो फायदाप्रद हित रखता है, वसीयकर्ता का उत्तरजीवी होता है किन्तु संपदा को पूर्णत: प्रशासित किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके प्रतिनिधि को विल उपाबद्ध करके प्रशासन के लिए वही अधिकार होता है जैसा ऐसे अवशिष्ट वसीयतदार का था ।

234. जहां निष्पादक, अवशिष्ट वसीयतदार या ऐसे वसीयतदार का प्रतिनिधि नहीं है वहां प्रशासन का अनुदान—जहां कोई निष्पादक या कोई अवशिष्ट वसीयतदार या अवशिष्ट वसीयतदार का प्रतिनिधि नहीं है या वह कृत्य करने से इंकार करता है या असमर्थ है या पाया नहीं जा सकता है वहां ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जो मृतक की संपदा का, यदि उसकी वसीयत किए बिना मृत्यु हो जाती है, प्रशासन करने के लिए हकदार है, या कोई फायदाप्रद हित रखने वाला कोई अन्य वसीयतदार या कोई लेनदार विल को साबित कर सकेगा और तदनुसार उसे या उन्हें प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा ।

235. सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार से भिन्न वसीयतदारों को प्रशासन-पत्र के अनुदान के प०ूर्व उपस्थिति पत्र—किसी सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार से भिन्न किसी अन्य वसीयतदार को प्रशासन-पत्र, विल को उपाबद्ध करते हुए, तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके निकट संबंधी को प्रशासन-पत्र को स्वीकार का अस्वीकार करने के लिए कहते हुए उसमें इसके पश्चात् वर्णित रीति में कोई उपस्थिति पत्र जारी या प्रकाशित नहीं किया गया है ।

236. किन्हें प्रशासन-पत्र अनुदत्त नहीं किया जा सकेगा—प्रशासन-पत्र ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है जो अवयस्क है या विकृतचित्त है [1][और न ही किसी व्यष्टि संगम को; किन्तु, ऐसे व्यष्टि संगम को किया जा सकता है जो ऐसी कंपनी है जो [2][राज्य सरकार] द्वारा [3][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित शर्तें पूरी करती है ।]

[1][**236क. नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना**—धारा 223 और धारा 236 के अधीन राज्य सरकार द्वारा, बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने पर यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

अध्याय 2—समय सीमा वाले अनुदान

सीमा वाले अनुदान

237. खो गए विल की प्रति या प्रारूप का प्रोबेट—जब कोई विल वसीयकर्ता की मृत्यु के बाद खो गया है या गलत स्थान पर रख दिया गया है या गलती या दुर्घटना से न कि वसीयकर्ता के किसी कृत्य द्वारा, विनष्ट हो गया है और विल की एक प्रति का प्ररूप परिरक्षित है तब ऐसी प्रति या प्रारूप का प्रोबेट अनुदत्त किया जा सकेगा जो मूल या उसकी समुचित रूप से अधिप्रमाणित प्रति के पेश किए जाने तक के लिए सीमित होगा ।

238. खो गए या विनष्ट बिल की अंतर्वस्तुओं का प्रोबेट—जब कोई विल खो गया है और उसकी कोई प्रति नहीं बनाई गई है, न ही उसका प्रारूप परिरक्षित है तब उसकी अन्तर्वस्तुओं का प्रोबेट, यदि उन्हें साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सके, अनुदत्त किया जा सकेगा ।

239. जहां मूल विद्यमान है वहां उसकी प्रति का प्रोबेट—जहां कोई विल किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, जो उस राज्य के बाहर निवास करता है जिसने प्रोबेट के लिए आवेदन किया है और जिसने उसे प्रदत्त करने से इंकार किया है या प्रदत्त करने की उपेक्षा

[1] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1931 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया । "और न ही किसी विवाहित स्त्री को उसके पति की पूर्व सहमति के बिना किया जा सकता है यदि मृतक कोई हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, सिख या जैन अथवा कोई छूट प्राप्त व्यक्ति नहीं है ।" ये शब्द मूल रूप से इस धारा के अंत में आते थे । 1927 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वार इन शब्दों का लोप किया गया ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 "सपरिषद् गवर्नर जनरल" शब्दों का अनुक्रमश: संशोधन किया गया है और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उन्हें उपरोक्त रूप में रखा गया है ।

की है किन्तु एक प्रति निष्पादक को प्रेषित की गई है और संपदा के हित में यह आवश्यक है कि मूल के पहुंचने तक प्रतीक्षा किए बिना प्रोबेट अनुदत्त किया जाए तो इस प्रकार प्रेषित प्रति का प्रोबेट अनुदत्त किया जा सकेगा, जो विल या उसकी अधिप्रमाणित प्रति को पेश किए जाने तक के लिए समिति होगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

240. विल के पेश किए जाने तक प्रशासन—जहां मृतक का कोई विल उपलब्ध नहीं है किन्तु यह विश्वास करने का कारण है कि कोई विल विद्यमान है वहां प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा जो विल या उसकी प्राधिकृत प्रति को पेश किए जाने तक के लिए सीमित होगा ।

अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों के उपयोग और फायदे के लिए अनुदान

241. अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी को विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन—जब कोई निष्पादक उस राज्य से अनुपस्थित है, जिसमें आवेदन किया गया है, और राज्य के भीतर ऐसा कोई निष्पादक नहीं है जो कृत्य करने के लिए इच्छुक है, तब अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी या अभिकर्ता को प्रशासन-पत्र, विल को उपाबद्ध करते हुए, उसके मालिक के उपयोग और फायदे के लिए अनुदत्त किया जाएगा जो तब तक के लिए सीमित होगा जब तक वह उसे अनुदत्त प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अभिप्राप्त न कर ले ।

242. ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के जो यदि उपस्थित होता तो प्रशासन के लिए हकदार होता, अटर्नी को विल उपाबद्ध करते हुए प्रशासन—जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे यदि वह उपस्थित होता तो विल उपाबद्ध करके प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जाता, राज्य में उपस्थित नहीं है तब उसके अटर्नी या अभिकर्ता को, विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा, जो धारा 241 में वर्णित रूप में सीमित होगा ।

243. निर्वसीयतता के मामले में प्रशासन के लिए हकदार अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी को प्रशासन—जब निर्वसीयतता के मामले में प्रशासन के लिए हकदार कोई व्यक्ति राज्य में उपस्थित नहीं है और समान रूप से हकदार कोई व्यक्ति कृत्य करने के लिए इच्छुक नहीं है तब अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी या अभिकर्ता को प्रशासन-पत्र अनुदत्त किए जा सकेंगे, जो धारा 241 में वर्णित रूप में सीमित होंगे ।

244. एकमात्र निष्पादक या अवशिष्ट वसीयतदार की अवयस्कता के दौरान प्रशासन—जब कोई अवयस्क एकमात्र निष्पादक या एकमात्र अवशिष्ट वसीयतदार है, तब विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र, ऐसे अवयस्क के विधिक संरक्षक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे न्यायालय ठीक समझे, अवयस्क के वयस्क होने तक के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा, वयस्क होने पर, न कि उसके पूर्व, विल का प्रोबेट उसे अनुदत्त किया जाएगा ।

245. विभिन्न निष्पादकों या अवशिष्ट वसीयतदारों की अवयस्कता के दौरान प्रशासन—जहां दो या अधिक अवयस्क निष्पादक हैं और ऐसा कोई भी निष्पादक नहीं है जो वयस्क हो गया है या दो या अधिक अवशिष्ट वसीयतदार हैं और ऐसा कोई भी अवशिष्ट वसीयतदार नहीं है जो वयस्क हो गया हो वहां अनुदान तब तक के लिए सीमित होगा जब तक उनमें से एक वयस्क न हो जाए ।

246. पागल या अवयस्क के उपयोग और फायदे के लिए प्रशासन—यदि ऐसा एकमात्र निष्पादक या एकमात्र सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार या ऐसा कोई व्यक्ति, जो मृतक के मामले में लागू निर्वसीयती की संपदाओं को लागू वितरण के नियमों के अनुसार निर्वसीयती की संपदा के लिए एकमात्र हकदार है, अवयस्क या पागल है तो, यथास्थिति, विल को उपाबद्ध करते हुए या उपाबद्ध न करते हुए प्रशासन उस व्यक्ति को अनुदत्त किया जाएगा, जिसे उसकी संपदा की देखभाल सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपी गई है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसे अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किया जाएगा जिसे न्यायालय ऐसे अवयस्क या पागल के, यथास्थिति, वयस्क होने तक या स्वस्थचित्त होने तक उसके उपयोग और फायदे के लिए नियुक्त करना ठीक समझे ।

247. वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रशासन—किसी मृत व्यक्ति की विल की विधिमान्यता से संबंधित या किसी प्रोबेट को अभिप्राप्त करने के लिए या प्रशासन-पत्रों के किसी अनुदान के लिए किसी वाद के विचाराधीन रहने के दौरान न्यायालय ऐसे मृत व्यक्ति की संपदा का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा, और उसे ऐसी संपदा के वितरण के अधिकार से भिन्न साधारण प्रशासक के सभी अधिकार और शक्तियां होंगी और हर ऐसा प्रशासक न्यायालय के अव्यवहित नियंत्रण के अधीन होगा और उसके निदेश के अधीन कार्य करेगा ।

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान

248. विल में विनिर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित प्रोबेट—यदि कोई निष्पादक विल में विनिर्दिष्ट किसी सीमित प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है तो प्रोबेट उस प्रयोजन तक सीमित होगा और यदि वह उसकी ओर से प्रशासन के लिए किसी अटर्नी या अभिकर्ता की नियुक्ति करता है तो विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र तदनुसार सीमित होंगे ।

249. विशिष्ट प्रयोजन के लिए सीमित प्रशासन, विल को उपाबद्ध करते हुए—यदि साधारणत: नियुक्त कोई निष्पादक अपनी ओर से किसी विल को साबित करने के लिए किसी अटर्नी या अभिकर्ता को प्राधिकार देता है और प्राधिकार किसी विशिष्ट प्रयोजन तक सीमित है तो विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र तदनुसार सीमित होगा ।

250. संपत्ति तक सीमित प्रशासन जिसमें व्यक्ति फायदाप्रद हित रखता है—जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसी संपत्ति को छोड़कर हो जाती है जिसका वह एकमात्र उत्तरजीवी न्यासी था या जिसमें उसका अपने लेखे कोई फायदाप्रद हित नहीं था और कोई

साधारण प्रतिनिधि नहीं छोड़ जाता है या ऐसा कोई प्रतिनिधि छोड़ जाता है जो उस रूप में कृत्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है वहां ऐसी संपत्ति तक सीमित प्रशासन-पत्र हिताधिकारी को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किया जा सकेगा ।

COURT BOOK

251. वाद तक सीमित प्रशासन—जब यह आवश्यक है कि किसी मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को किसी लंबित वाद में पक्षकार बनाया जाए और निष्पादक या प्रशासन के लिए हकदार व्यक्ति कृत्य करने में असमर्थ है या अनिच्छुक है तब ऐसे वाद में किसी पक्षकार के नामनिर्देशिती को ऐसा प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जाएगा जो उक्त वाद में या किसी अन्य हेतुक या वाद में, जो उन्हीं पक्षकारों के बीच या किन्हीं अन्य पक्षकारों के बीच उस हेतुक या वाद में विवाद्य विषय के संबंध में उसी या किसी अन्य न्यायालय में प्रारंभ किया जाए और उक्त हेतु या वाद में अंतिम डिक्री किए जाने तक और संपूर्ण निष्पादन हो जाने तक मृतक का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन तक सीमित होगा ।

252. प्रशासक के विरुद्ध लाए जाने वाले वाद में पक्षकार बनने के प्रयोजन तक सीमित प्रशासन—यदि किसी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र की तारीख से बारह मास के अवसान पर वह निष्पादक या प्रशासक, जिसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया गया है, उस राज्य में उपस्थित नहीं रहता है, जिसमें वह न्यायालय, जिसने प्रोबेट या प्रशासन-पत्र जारी किया है, अधिकारिता का प्रयोग करता है तो न्यायालय किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, ऐसे प्रशासन-पत्र अनुदत्त कर सकेगा जो निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध वाद में पक्षकार होने या बनाए जाने और उस डिक्री को, जो उसमें दी जाए, प्रभावशील बनाए जाने के प्रयोजन तक सीमित होगा ।

253. मृत व्यक्ति की संपत्ति के संग्रहण और परिरक्षण तक सीमित प्रशासन—ऐसे किसी मामले में जिसमें किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति के परिरक्षण के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो, वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर कोई संपत्ति स्थित है, किसी व्यक्ति को, जिसे वह न्यायालय ठीक समझे, ऐसे प्रशासन-पत्र अनुदत्त कर सकेगा जो मृतक की संपत्ति के संग्रहण और परिरक्षण तक और न्यायालय के निदेशों के अधीन रहते हुए, उसकी संपदा के लिए देय ऋणों को उन्मोचन देने तक सीमित होगा ।

254. उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की प्रशासक के रूप में नियुक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के लिए हकदार है—(1) जब किसी व्यक्ति की मृत्यु वसीयत किए बिना या ऐसा कोई विल छोड़कर हो जाती है, जिसका कोई निष्पादक कृत्य करने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है या जहां निष्पादक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय राज्य के बाहर निवास करता है और न्यायालय को उस व्यक्ति से, जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के अनुदान के लिए हकदार होता भिन्न किसी व्यक्ति को संपदा या उसके किसी भाग का प्रशासन करने के लिए नियुक्त करना आवश्यक या सुविधाजनक प्रतीत होता है, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार समरक्तता, हित की मात्रा, संपदा की सुरक्षा और इस संभाव्यता का कि उसका समुचित प्रशासन किया जाएगा ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में प्रशासन-पत्र सीमित हो सकेंगे या सीमित नहीं हो सकेंगे, जैसा न्यायालय ठीक समझे ।

अपवाद सहित अनुदान

255. अपवाद के अधीन रहते हुए, प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र—जब भी मामले की प्रकृति से यह अपेक्षित हो कि कोई अपवाद किया जाना चाहिए तो विल का प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किए जाएंगे ।

256. अपवाद सहित प्रशासन-पत्र—जब भी मामले की प्रकृति से यह अपेक्षित हो कि कोई अपवाद किया जाना चाहिए तो प्रशासन-पत्र ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किए जाएंगे ।

अवशेष के अनुदान

257. अवशिष्ट का प्रोबेट या प्रशासन—जब भी प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करके या विल के बिना प्रशासन-पत्र का अनुदान अपवाद सहित किया जाता है तब मृतक की संपदा के अवशेष भाग में प्रोबेट या प्रशासन के लिए हकदार व्यक्ति मृतक की अवशिष्ट संपदा का, यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान ले सकता है ।

अप्रशासित चीजबस्त का अनुदान

258. अप्रशासित चीजबस्त का अनुदान—यदि किसी ऐसे प्रशासक की, जिसे प्रोबेट अनुदत्त किया गया है, मृत्यु वसीयकर्ता की संपदा के किसी भाग को अप्रशासित छोड़ कर हो जाती है तो संपदा के ऐसे भाग के प्रशासन के प्रयोजन के लिए किसी नए प्रतिनिधि को नियुक्त किया जा सकेगा ।

259. अप्रशासित चीजबस्त के अनुदान के बारे में नियम—किसी ऐसी संपदा के, जो पूर्णत: प्रशासित न हो, प्रशासन-पत्रों के अनुदान में न्यायालय का मार्गदर्शन उन्हीं नियमों से होगा जो मूल अनुदानों को लागू होते हैं और वह प्रशासन-पत्र केवल उन व्यक्तियों को अनुदत्त करेगा, जिन्हें मूल अनुदान किए जा सकते थे ।

260. प्रशासन जहां सीमित अनुदान का पर्यवसान हो गया हो फिर भी संपदा का कुछ भाग अप्रशासित हो—जहां किसी सीमित अनुदान का समय व्यतीत हो जाने पर या ऐसी घटना या आकस्मिकता के घटित होने से, जिस पर वह सीमित था, अवसान हो जाता है और फिर भी मृतक की संपदा का कुछ भाग अप्रशासित रह जाता है वहां प्रशासन-पत्र उन व्यक्तियों को अनुदत्त किया जाएगा जिन्हें मूल अनुदान किए जा सकते थे ।

अध्याय 3—अनुदानों का परिवर्तन और प्रतिसंहरण

261. कौन सी गलतियां न्यायालय द्वारा सुधारी जा सकेंगी—किसी सीमित अनुदान में नामों और वर्णनों में या मृतक की मृत्यु के समय और स्थान के या प्रयोजनों के उपवर्णनों में गलतियों को न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकेगा और प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अनुदान में तदनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा ।

262. बिल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन का अनुदान करने के पश्चात् क्रोडपत्र का पता चलने पर प्रक्रिया—यदि विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र का अनुदान करने के पश्चात् किसी क्रोड़पत्र का पता चलता है तो उसे सम्यक् सबूत और पहचान पर अनुदान के साथ जोड़ा जा सकेगा और अनुदान में तदनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा ।

263. न्यायोचित कारण से प्रतिसंहरण या बातिलीकरण—प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदान न्यायोचित कारणों से प्रतिसंहृत या बातिल किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—न्यायोचित कारण वहां विद्यमान माना जाएगा जहां—

(क) अनुदान अभिप्राप्त करने की कार्यवाहियां सारवान् रूप में त्रुटिपूर्ण थी; या

(ख) अनुदान असत्य द्वारा या उस मामले के लिए किसी तात्त्विक बात को न्यायालय से छिपाकर कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था; या

(ग) अनुदान, अनुदान को न्यायोचित बनाने के लिए विधि की दृष्टि से आवश्यक तथ्य के असत्य अभिकथन के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया था यद्यपि ऐसा अभिकथन अनभिज्ञता से या अनवधानता से किया गया था; या

(घ) परिस्थितियों के कारण अनुदान अनुपयोगी और अप्रवर्तनीय हो गया है; या

(ङ) उस व्यक्ति ने, जिसे अनुदान किया गया था, जानबूझकर और युक्तियुक्त कारण के बिना, इस भाग के अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार किसी सूची या लेखा का पेश करना छोड़ दिया है या उस अध्याय के अधीन ऐसी सूची या लेखा पेश किया है, जो तात्त्विक रूप में असत्य है ।

दृष्टांत

(i) उस न्यायालय को जिसके द्वारा अनुदान किया गया था, अधिकारिता नहीं थी ।

(ii) अनुदान ऐसे पक्षकारों को उपस्थिति पत्र भेजे बिना किया गया था जिन्हें उपस्थिति पत्र भेजा जाना चाहिए था ।

(iii) वह विल, जिसका प्रोबेट अभिप्राप्त किया था, कूटकृत था या प्रतिसंहृत हो चुका था ।

(iv) **क** ने **ख** की संपदा के लिए प्रशासन-पत्र उसकी विधवा के रूप में अभिप्राप्त किया था, किन्तु उसके बाद यह प्रकट हुआ कि **क** का **ख** से कभी भी विवाह नहीं हुआ था ।

(v) **क** ने **ख** की संपदा का प्रशासन उस रूप में लिया था मानो उसकी वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई थी किन्तु उसके बाद एक विल का पता चला ।

(vi) प्रोबेट के परिदत्त किए जाने के बाद पश्चात्वर्ती विल का पता चला ।

(vii) प्रोबेट के अनुदान किए जाने के बाद एक क्रोड़पत्र का पता चला जो विल के अधीन निष्पादकों की नियुक्ति को प्रतिसंहृत करता है या उसमें वृद्धि करता है ।

(viii) वह व्यक्ति जिसे प्रोबेट का या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया गया था, बाद में विकृतचित्त हो गया ।

अध्याय 4—प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों के अनुदान और प्रतिसंहरण की पद्धति

264. प्रोबेटों आदि के अनुदान और प्रतिसंहरण में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता—(1) जिला न्यायाधीश को अपने जिले के भीतर सभी मामलों में प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों का अनुदान और प्रतिसंहरण करने की अधिकारिता होगी ।

(2) उन मामलों के सिवाय जिन्हें धारा 57 लागू होती है कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई नगरों [1]*** की सीमाओं के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई न्यायालय, जहां मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए तब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे करने के लिए उसे प्राधिकृत न किया हो ।

265. अप्रतिविरोधात्मक मामलों में कार्यवाही करने के लिए जिला न्यायाधीश की प्रत्यायोजिती की नियुक्ति करने की शक्ति—(1) उच्च न्यायालय किसी जिले के भीतर ऐसे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा वह ऐसी स्थानीय सीमाओं

---

[1]भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "और बर्मा प्रान्त" शब्दों का लोप किया गया ।

के भीतर, जिसे वह विहित करे, अप्रतिविरोधात्मक मामले में प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों का अनुदान करने के लिए जिला न्यायाधीश के प्रत्यायोजिती के रूप में कार्य करने के लिए ठीक समझे :

COURT BOOK

परन्तु ऐसे उच्च न्यायालयों के मामले में, जो रायल चार्टर द्वारा स्थापित नहीं हैं, ऐसी नियुक्ति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी ।

(2) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति "जिला प्रतिनिधि" कहा जाएगा ।

266. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के बारे में जिला न्यायाधीश की शक्तियां—जिला न्यायाधीश को प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के अनुदान तथा उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में वैसी ही शक्तियां और प्राधिकार होंगे जैसे उसके न्यायालय में लंबित किसी सिविल वाद या कार्यवाहियों के संबंध में उसमें विधि द्वारा निहित हैं ।

267. जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति को वसीयती कागज पत्र पेश करने का आदेश दे सकेगा—(1) जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति को ऐसे किसी कागज या लेख को, जो वसीयती है या जिसका वसीयती होना तात्पर्यित है तथा जिसके बारे में यह दर्शित किया जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन है, न्यायालय में पेश करने या लाने के लिए आदेश दे सकेगा ।

(2) यदि यह दर्शित नहीं किया गया है कि ऐसा कोई कागज या लेख ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रणाधीन है किन्तु यह विश्वास करने का कारण है कि उसे ऐसे किसी कागज या लेख की जानकारी है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उसकी बाबत परीक्षा किए जाने के प्रयोजन के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का, जो न्यायालय उससे पूछे, सत्यतापूर्वक उत्तर देने के लिए और यदि ऐसा आदेश दिया जाए तो ऐसे कागज या लेख को पेश करने या लाने के लिए बाध्य होगा और उपस्थित न होने या ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देने या ऐसे कागज या लेख को न लाने के व्यतिक्रम के मामले में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन वैसे ही दण्डनीय होगा जैसे वह उस मामले में होता जिसमें वह वाद में पक्षकार होता और ऐसे व्यतिक्रम करता ।

(4) कार्यवाही के खर्चे न्यायाधीश के विवेकाधीन होंगे ।

268. प्रोबेट और प्रशासन के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां—प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के अनुदान के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां मामले की परिस्थितियों में अनुज्ञेय है, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियमित होंगी ।

269. संपत्ति के संरक्षण के लिए जिला न्यायाधीश कब और कैसे हस्तक्षेप कर सकता है—(1) जब तक किसी मृत व्यक्ति के विल का प्रोबेट अनुदत्त नहीं किया जाता है या उसकी संपदा का प्रशासक नियत नहीं किया जाता है तब तक वह जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता के भीतर मृत व्यक्ति की संपत्ति का कोई भाग स्थित है, उनमें हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर और ऐसे सभी अन्य मामलों में, जहां न्यायाधीश का यह विचार है कि संपत्ति को कोई हानि या नुकसान का जोखिम है, ऐसी संपत्ति के संरक्षण के लिए हस्तक्षेप करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह ठीक समझे तो संपत्ति का कब्जा लेने और रखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत है और उससे ऐसी अपेक्षा है ।

(2) यह धारा तब लागू नहीं होगी जब मृतक हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है और न ही किसी भारतीय क्रिश्चियन की सम्पत्ति के किसी भाग को लागू होगी जिसकी मृत्यु वसीयत किए बिना हो गई है ।

270. जिला न्यायाधीश द्वारा प्रोबेट या प्रशासन पत्र कब अनुदत्त किया जा सकेगा—मृत व्यक्ति के विल का प्रोबेट या संपदा के लिए प्रशासन-पत्र जिला न्यायालय द्वारा, अपनी मुद्रा के अधीन अनुदत्त किया जा सकेगा यदि उसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से सत्यापित, किसी अर्जी द्वारा यह प्रतीत होता है कि, यथास्थिति, वसीयतकर्ता या निर्वसीयती का उसकी मृत्यु के समय उस न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर कोई नियत निवास स्थान था या उसकी कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति थी ।

271. उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृतक का नियत निवास स्थान नहीं था, किए गए आवेदन का निपटारा—जब उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृतक का उसकी मृत्यु के समय कोई नियत निवास स्थान नहीं था, आवेदन किया जाता है तब यह न्यायाधीश के विवेकाधीन होगा कि वह आवेदन को, यदि उसके निर्णय के अनुसार उसका निपटारा किसी अन्य जिले में अधिक न्यायसंगत और सुविधाजनक रूप में किया जा सकता है, नामंजूर कर दे या जहां आवेदन प्रशासन-पत्र के लिए है, वहां उसे पूर्णत: या अपनी अधिकारिता के भीतर की संपत्ति तक सीमित रूप में अनुदत्त करे ।

272. प्रोबेट और प्रशासन-पत्र प्रतिनिधि द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है—प्रोबेट और प्रशासन-पत्र का अनुदान, जिला प्रतिनिधि को उस प्रयोजन के लिए किए गए किसी आवेदन पर, उसके द्वारा ऐसे किसी मामले में जिसमें कोई प्रतिविरोध न हो, किया जा सकेगा यदि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में सत्यापित अर्जी द्वारा यह प्रकट होता है कि, यथास्थिति, वसीयकर्ता या निर्वसीयती का उसकी मृत्यु के समय ऐसे प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था ।

273. प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का निश्चायक होना—प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का प्रभाव मृतक की जंगम या स्थावर सभी संपत्ति और संपदा पर उस सम्पूर्ण राज्य में होगा जिसमें उसे या उन्हें अनुदत्त किया गया है और वह मृतक के सभी ऋणियों और ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जो उस संपत्ति को, जो उसकी है, धारण करते हैं, प्रतिनिधि हक के बारे में निश्चायक होगा और ऐसे सभी ऋणियों

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

को जो अपने ऋणों का संदाय और ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो ऐसी संपत्ति का परिदान उस व्यक्ति को करते हैं, जिसे ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों का अनुदान किया गया है, पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा :

परन्तु—

(क) उच्च न्यायालय द्वारा; या

(ख) जिला न्यायाधीश द्वारा, जहां मृतक का उसकी मृत्यु के समय ऐसे न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था और ऐसा न्यायाधीश यह प्रमाणित करता है कि राज्य की सीमा के बाहर प्रभावित संपत्ति और संपदा का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक नहीं है,

अनुदत्त प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों का, जब तक अनुदान द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, [1]*** [2][अन्य राज्यों] में सर्वत्र वैसा ही प्रभाव होगा ।

[3][इस धारा का परन्तुक [4][भारत] से बर्मा और अदन के पृथक्करण के पश्चात् भारत में उन प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों को लागू होगा जो ऐसे पृथक्करण की तारीख से पूर्व बर्मा और अदन में अनुदत्त किए गए हों और उस तारीख के पश्चात्[5] ऐसी कार्यवाहियों में भी लागू होगा जो उस तारीख को लंबित थी ।]

[6][यह परन्तुक [4][भारत] [7]*** से पाकिस्तान के पृथक् होने के पश्चात्[8], भारत में उन प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों को भी लागू होगा जो ऐसे पृथक्करण की तारीख से पूर्व अनुदत्त किए गए हैं और उस तारीख के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियों में भी लागू होगा जो उस तारीख को ऐसे किसी राज्यक्षेत्र में लंबित थी, जो उस तारीख को पाकिस्तान का भाग था ।]

274. धारा 273 के परन्तुक के अधीन अनुदानों के प्रमाणपत्र का उच्च न्यायालय को पारेषण—(1) जहां धारा 273 के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रभाव का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र किसी उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश द्वारा अनुदत्त किया गया है, वहां उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश उसका प्रमाणपत्र निम्नलिखित न्यायालयों में भेजेगा—

(क) जब अनुदान किसी उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है तब प्रत्येक अन्य उच्च न्यायालय को;

(ख) जब अनुदान किसी न्यायाधीश द्वारा किया गया है तब उच्च न्यायालय को, जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है, और प्रत्येक अन्य उच्च न्यायालय को ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाणपत्र परिस्थितियों में यथासंभव अनुसूची 4 में दिए गए प्ररूप में तैयार किया जाएगा और ऐसा प्रमाणपत्र उसे प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा फाइल किया जाएगा ।

(3) जहां अर्जीदाता द्वारा, जैसा इसमें इसके पश्चात् धारा 276 और धारा 278 में उपबंधित है, यह कहा गया है कि आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य राज्य में किसी जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित है वहां वह न्यायालय, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र भेजने की अपेक्षा की गई है, उसकी एक प्रति ऐसे जिला न्यायाधीश को भेजेगा और ऐसी प्रति उसे प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा फाइल की जाएगी ।

275. प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन का, यदि उन्हें समुचित रूप से लिखा और सत्यापित किया गया है निश्चायक होना—प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन, यदि उसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखा और सत्यापित किया गया है, प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान को प्राधिकृत करने के प्रयोजन के लिए निश्चायक होगा; और ऐसे किसी अनुदान पर केवल इस कारण अधिक्षेप नहीं किया जाएगा कि वसीयतकर्ता या निर्वसीयती का उसकी मृत्यु के समय जिले के भीतर कोई नियत स्थान या कोई संपदा नहीं थी, किन्तु यदि अनुदान न्यायालय से कपट करके अभिप्राप्त किया गया है तो उसे प्रतिसंहृत करने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी ।

276. प्रोबेट के लिए अर्जी—(1) प्रोबेट के लिए या विल को उपाबद्ध करके प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन अंग्रेजी में या उस न्यायालय के, जिसमें आवेदन किया गया है, समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में साधारणत: प्रयुक्त होने वाली भाषा में सुस्पष्टत: लिखित अर्जी द्वारा, विल के साथ या धारा 237, 238 और 239 में वर्णित मामलों में उसकी प्रति, प्रारूप या उसकी विषय-वस्तु के कथन को उपाबद्ध करते हुए, प्रस्तुत किया जाएगा और निम्नलिखित कथन होंगे :—

(क) वसीयकर्ता की मृत्यु का समय;

(ख) कि उपाबद्ध लेख उसका अंतिम विल और वसीयत है;

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के" शब्दों का लोप किया गया ।
[2] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[4] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1 अप्रैल, 1937
[6] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा जोड़ा गया ।
[7] 1953 के अधिनियम सं० 42 की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा "भारत के" शब्दों का लोप किया गया ।
[8] 15 अगस्त, 1947

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) कि यह सम्यक् रूप से निष्पादित किया गया था;

(घ) उन आस्तियों की रकम, जिनकी अर्जीदाता के हाथों में आने की संभावना है; और

(ङ) जब आवेदन प्रोबेट के लिए है तो यह कि अर्जीदाता विल में नामित निष्पादक है।

(2) इन विशिष्टियों के अतिरिक्त अर्जी में आगे निम्नलिखित कथन होंगे :—

(क) जब आवेदन जिला न्यायाधीश को किया गया है तब यह कि मृतक का उसकी मृत्यु के समय न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित नियत निवास स्थान था या कुछ संपत्ति थी; और

(ख) जब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि को किया गया है तब यह कि मृतक का उसकी मृत्यु के समय ऐसे जिला प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर एक नियत निवास स्थान था।

(3) जहां आवेदन किसी जिला न्यायाधीश को किया गया है और उन आस्तियों का कोई भाग, जिनकी अर्जीदाता के हाथों में आने की संभावना है, किसी अन्य राज्य में स्थित है वहां अर्जी में प्रत्येक राज्य में ऐसी आस्तियों की रकम का और उन जिला न्यायाधीशों का भी कथन किया जाएगा जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसी आस्तियां स्थित हैं।

277. किन मामलों में विल का अनुवाद अर्जी के साथ उपाबद्ध किया जाएगा। न्यायालय के अनुवादक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अनुवाद का सत्यापन—ऐसे मामलों में जिनमें विल, प्रति या प्रारूप ऐसी भाषा में लिखा गया है जो अंग्रेजी से या न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा से भिन्न है वहां उसका न्यायालय के किसी अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद, यदि वह भाषा ऐसी है जिसके लिए कोई अनुवादक नियुक्त किया गया है, अर्जी के साथ उपाबद्ध किया जाएगा या, यदि विल, प्रति या प्रारूप किसी अन्य भाषा में है तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसका अनुवाद करने में सक्षम है, किया गया अनुवाद अर्जी के साथ उपाबद्ध किया जाएगा; ऐसे मामले में उस अनुवाद को उस व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित रूप में सत्यापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"मैं (कख) यह घोषणा करता हूं कि मैने मूल को पढ़ा है और मैं उसकी भाषा और प्रकृति को पूर्णत: समझता हूं और उपरोक्त उसका सत्य और शुद्ध अनुवाद है"।

278. प्रशासन-पत्र के लिए अर्जी—(1) प्रशासन-पत्र के लिए, अर्जीदार द्वारा पूर्वोक्त रूप में सुस्पष्टत: लिखा गया आवेदन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित कथन होंगे :—

(क) मृतक की मृत्यु का समय और स्थान;

(ख) मृतक का कुटुम्ब और अन्य नातेदार तथा उनके निवास स्थान;

(ग) वह अधिकार जिसके आधार पर अर्जीदार दावा करता है;

(घ) उन आस्तियों की रकम जिनकी अर्जीदार के हाथों में आने की संभावना है;

(ङ) जब आवेदन जिला न्यायाधीश को किया गया है, तब यह कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित नियत निवास स्थान था या कुछ संपत्ति थी; और

(च) अब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि को किया गया है तब यह कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, ऐसे प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था।

(2) जहां आवेदन किसी जिला न्यायाधीश को किया गया है और उन आस्तियों का कोई भाग, जिनकी अर्जीदार के हाथों में आने की संभावना है, किसी अन्य राज्य में स्थित है वहां अर्जी में प्रत्येक राज्य में ऐसी आस्तियों की रकम का और उन जिला न्यायाधीशों का भी कथन किया जाएगा जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसी आस्तियां स्थित हैं।

279. कतिपय मामलों में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए अर्जी, आदि में कथनों में वृद्धि—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो विल के प्रोबेट के लिए या किसी संपदा के प्रशासन-पत्र के लिए जिनके [1][भारत] में सर्वत्र प्रभावी किए जाने का आशय है, धारा 273 के परन्तुक में वर्णित किसी न्यायालय को आवेदन करता है, अपनी अर्जी में धारा 276 और धारा 278 में अपेक्षित विषयों के अतिरिक्त यह कथन करेगा कि उसके सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार उसी विल के प्रोबेट के लिए या उसी संपदा के प्रशासन-पत्र के लिए, जिनको पूर्व कथित रूप में प्रभावी करने का आशय है, किसी अन्य न्यायालय में कोई आवेदन नहीं किया गया है;

या जहां ऐसा कोई आवेदन किया गया है वहां यह कथन करेगा कि वह कौन सा न्यायालय है जिसे आवेदन किया गया है, वह कौन व्यक्ति या वे कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा वह किया गया है और क्या कार्यवाही (यदि कोई हो) उस पर की गई है।

(2) यदि वह न्यायालय, जिसे धारा 273 के परन्तुक के अधीन ऐसा कोई आवेदन किया गया है, ठीक समझे तो, उसे नामंजूर कर सकेगा।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

280. प्रोबेट आदि के लिए अर्जी पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन—प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए अर्जी पर सभी मामलों में अर्जीदार और उसका अभिकर्ता, यदि कोई हो, हस्ताक्षर करेगा और अर्जीदार उसे निम्नलिखित रीति से सत्यापित करेगा, अर्थात् :—

COURT BOOK

"मैं (कख), जो उपरोक्त अर्जी में अर्जीदार हूं, यह घोषणा करता हूं कि उसमें किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है" ।

281. प्रोबेट के लिए अर्जी को विल के एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना—जहां आवेदन प्रोबेट के लिए है वहां अर्जी में विल के साक्षियों में से कम से कम एक द्वारा (यदि उपलब्ध हो) निम्नलिखित रूप में या निम्नलिखित प्रभाव का सत्यापन भी किया जाएगा, अर्थात् :—

"मैं (गघ), उपरोक्त अर्जी में वर्णित वसीयतकर्ता के अंतिम विल और वसीयत का एक साक्षी हूं और यह घोषणा करता हूं कि मैं उपस्थित था और मैंने उक्त वसीयकर्ता को उस पर अपने हस्ताक्षर करते (या चिह्न लगाते) देखा था (या कि उक्त वसीयकर्ता ने उपरोक्त अर्जी से उपाबद्ध लेख को अपने अंतिम विल और वसीयत के रूप में मेरे समक्ष अभिस्वीकृति दी थी) ।"

282. अर्जी या घोषणा में मिथ्या प्रकथन के लिए दंड—यदि किसी ऐसी अर्जी या घोषणा में, जिसे इसके द्वारा सत्यापित किए जाने की अपेक्षा है, ऐसा कोई प्रकथन है जिसके मिथ्या होने का सत्यापन करने वाले व्यक्ति को या तो ज्ञान है या विवास है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन कोई अपराध किया है ।

283. जिलान्यायाधीश की शक्तियां—(1) यदि जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि, उचित समझे तो वह सभी मालमों में,—

(क) अर्जीदार की शपथ पर व्यक्तिगत रूप में परीक्षा कर सकेगा;

(ख) यथास्थिति, विल के सम्यक् निष्पादन के या प्रशासन-पत्र पाने के लिए अर्जीदार के अधिकार के और साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) मृतक की संपदा में कोई हित रखने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को यह अपेक्षा करने वाले उपस्थिति पत्र जारी कर सकेगा कि वे आएं और प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किए जाने से पूर्व की कार्यवाहियां देखें ।

(2) उपस्थिति पत्र न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर और जिले के कलक्टर के कार्यालय पर भी चिपकाया जाएगा और ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित किया जाएगा या ज्ञापित किया जाएगा जैसा उसे जारी करने वाला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि निदेश दे ।

(3) जहां आस्तियों के किसी भाग के बारे में अर्जीदार द्वारा यह कथन किया गया है कि वह किसी अन्य राज्य में किसी जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित है वहां उसे जारी करने वाला जिला न्यायाधीश उपस्थिति पत्र की एक प्रति ऐसे अन्य जिला न्यायाधीश को भेजेगा जो उसे उसी रीति में प्रकाशित करेगा मानो वह उसके द्वारा जारी किया गया उपस्थिति पत्र है और ऐसे प्रकाशन का प्रमाणपत्र उस जिला न्यायाधीश को देगा जिसने उपस्थिति पत्र जारी किया था ।

284. प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट—(1) प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि के पास दाखिल किए जाएंगे ।

(2) किसी जिला प्रतिनिधि के पास किसी केवियट के दाखिल किए जाने पर तुरन्त वह उसकी एक प्रति जिला न्यायाधीश को भेजेगा ।

(3) जिला न्यायाधीश के पास किसी केवियट की प्रविष्टि किए जाने पर तुरन्त उसकी एक प्रति उस जिला प्रतिनिधि को, यदि कोई हो, दी जाएगी जिसकी अधिकारिता के भीतर यह अभिकथन किया गया है कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, नियत निवास स्थान था और किसी अन्य न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को दी जाएगी जिसे केवियट पारेषित करना जिला न्यायाधीश को समीचीन प्रतीत हो ।

(4) **केवियट का प्ररूप**—केवियट, परिस्थितियों में यथासंभव, अनुसूची 5 में किए गए प्ररूप में तैयार किया जाएगा ।

285. केवियट की प्रविष्टि के पश्चात् अर्जी पर किसी कार्यवाही का तब तक न किया जाना जब तक केवियटकर्ता को सूचना न दे दी जाए—प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए अर्जी पर उसके अनुदान के विरुद्ध किसी केवियट के किसी ऐसे न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि के पास, जिसे आवेदन किया गया है, प्रविष्ट किए जाने के पश्चात् या किसी अन्य प्रतिनिधि के पास उसके प्रविष्ट किए जाने की सूचना दिए जाने के पश्चात् कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह प्रविष्ट किया गया है ऐसी सूचना न दे दी जाए जैसी न्यायालय युक्तियुक्त समझे ।

286. जिला प्रतिनिधि कब प्रोबेट या प्रशासन का अनुदान नहीं करेगा—कोई जिला प्रतिनिधि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान ऐसे किसी मामले में नहीं करेगा जिसमें अनुदान की बाबत प्रतिविरोध है या जिसमें उसे यह प्रतीत होता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को उसके न्यायालय में अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण—"प्रतिविरोध" से कार्यवाही का विरोध करने के लिए किसी का व्यक्तिगत रूप में या अपने मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कृत्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा उपसंजात होना अभिप्रेत है ।

COURT BOOK

287. संदेहास्पद मामलों में जहां कहीं प्रतिविरोध नहीं है जिला न्यायाधीश को कथन पारेषित करने की शक्ति—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कोई प्रतिविरोध नहीं है, किन्तु जिला प्रतिनिधि को यह संदेहास्पद होता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया जाना चाहिए या नहीं या किसी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान के या अनुदान के लिए आवेदन के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है, तो जिला प्रतिनिधि, यदि वह उचित समझे, प्रश्नगत विषयवस्तु का कथन जिला न्यायाधीश को पारेषित कर सकेगा । जिला न्यायाधीश जिला प्रतिनिधि को आवेदन के विषय में ऐसे अनुदेशों के अनुसार, कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा जैसे न्यायाधीश आवश्यक या समीचीन समझे या ऐसे आवेदन की विषयवस्तु के संबंध में आगे कार्यवाही करने से जिला प्रतिनिधि को निषिद्ध कर सकेगा और प्रश्नगत अनुदान के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार को न्यायाधीश को आवेदन करने के लिए छूट दे सकेगा ।

288. जहां प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि यह सोचता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र देना उसके न्यायालय में नामंजूर किया जाना चाहिए वहां प्रक्रिया—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि की यह राय है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र देना उसके न्यायालय में नामंजूर किया जाना चाहिए तो अर्जी उसके साथ फाइल की गई दस्तावेजों सहित उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसने आवेदन किया था ताकि वह जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सके जब तक कि जिला प्रतिनिधि न्याय के प्रयोजनों के लिए, उसे परिबद्ध करना आवश्यक न समझे । ऐसा करने के लिए उसे इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे मामले में जिला प्रतिनिधि वह आवेदन जिला न्यायाधीश को भेजेगा ।

289. प्रोबेट के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना—जब जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को यह प्रतीत हो कि विल के प्रोबेट का अनुदान किया जाना चाहिए तब वह उसका अनुदान अपने न्यायालय की मुद्रा के अधीन अनुसूची 6 में दिए गए प्ररूप में करेगा ।

290. प्रशासन-पत्रों के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना—जब जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को यह प्रतीत होता है कि किसी मृत व्यक्ति की संपदा के लिए प्रशासन-पत्र का अनुदान विल की प्रति को उपाबद्ध करते हुए या किए बिना किया जाना चाहिए तब वह उसका अनुदान अपने न्यायालय की मुद्रा के अधीन, अनुसूची 7 में दिए गए प्ररूप में करेगा ।

291. प्रशासन बन्धपत्र—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 241 के अधीन अनुदत्त प्रशासन-पत्र के अनुदान से भिन्न प्रशासन-पत्र का कोई अनुदान किया जाता है, मृतक की संपदा का सम्यक् संग्रहण करने, भार-साधन में लेने और प्रशासन करने के लिए वचनबद्ध होते हुए एक या अधिक प्रतिभू या प्रतिभुओं के साथ जिला न्यायाधीश को एक बन्धपत्र देगा जो बन्धपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा जिला न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

(2) जहां मृतक हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है, वहां—

(क) धारा 241 के अधीन अनुदान की बाबत उपधारा (1) द्वारा किया गया अपवाद प्रवृत्त नहीं होगा;

(ख) जिला न्यायाधीश ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसे प्रोबेट अनुदत्त किया जाता है, ऐसा ही बन्धपत्र मांग सकेगा ।

292. प्रशासन बन्धपत्र का समनुदेशन—न्यायालय अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे किसी बन्धपत्र के वचनबंध का पालन नहीं किया गया है और प्रतिभूति की बाबत ऐसे निबन्धनों पर या यह उपबन्ध करते हुए कि प्राप्त धन न्यायालय में या अन्यथा, जैसा न्यायालय ठीक समझे, संदत्त किया जाए उसे किसी व्यक्ति को या उसके निष्पादकों या प्रशासकों को समनुदिष्ट कर सकेगा जो उसके पश्चात् अपने नाम या अपने नामों से उक्त बन्धपत्र पर वाद लाने के लिए वैसे ही हकदार होंगे मानो वह न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर उसे या उन्हें मूल रूप में दिया गया हो और उस पर, सभी हितबद्ध व्यक्तियों के न्यासियों के रूप में उसके किसी भंग की बाबत वसूल की जा सकने वाली संपूर्ण रकम वसूल करने के हकदार होंगे ।

293. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के लिए समय—विल के प्रोबेट का अनुदान वसीयतकर्ता या निर्वसीयती की मृत्यु के दिन से सात पूर्ण दिनों का अवसान हो जाने पर और प्रशासन-पत्र का अनुदान वसीयतकर्ता या निर्वसीयती की मृत्यु के दिन से चौदह पूर्ण दिनों का अवसान हो जाने पर ही किया जाएगा ।

294. मूल विलों को, जिनके प्रोबेट या प्रशासन-पत्र विल को उपाबद्ध करते हुए, अनुदत्त किए गए हों, फाइल करना—(1) प्रत्येक जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि ऐसे सभी मूल विलों को, जिनके प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करते हुए, प्रशासन-पत्र, उसके द्वारा अनुदत्त किए जाएं, अपने न्यायालय के अभिलेखों में तब तक फाइल और परिरक्षित रखेगा जब तक विल के लिए कोई लोक रजिस्ट्री स्थापित नहीं कर दी जाती है ।

(2) राज्य सरकार इस प्रकार फाइल किए गए विलों के परिरक्षण और निरीक्षण के लिए विनियम बनाएगी ।

295. प्रतिविरोध के मामले में प्रक्रिया—जिला न्यायाधीश के समक्ष ऐसे किसी मामले में, जिसमें प्रतिविरोध है, कार्यवाहियां, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबन्धों के अनुसार, यथासंभव, नियमित वाद के निकटतम रूप में होंगी । जिनमें, यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए अर्जीदार वादी होगा और वह व्यक्ति प्रतिवादी होगा जो अनुदान का विरोध करने के लिए उपसंजात हुआ है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

296. प्रतिसंहृत प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अभ्यर्पण—(1) जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान इस अधिनियम के अधीन प्रतिसंहृत या बातिल किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसे अनुदान किया गया है, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को तुरन्त उस न्यायालय को प्रदात्त करेगा, जिसने अनुदान किया था।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना, प्रोबेट या पत्र को इस प्रकार प्रदत्त नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।

297. प्रोबेट या प्रशासन के प्रतिसंहृत किए जाने के पूर्व निष्पादक या प्रशासक को संदाय—जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान प्रतिसंहृत किया जाता है तब उसके प्रतिसंहृत किए जाने के पूर्व, ऐसे अनुदान के अधीन किसी निष्पादक या प्रशासक को किए गए सभी सद्भाविक संदाय, ऐसे प्रतिसंहरण के होते हुए भी, उसे करने वाले व्यक्ति के लिए वैध उन्मोचन होंगे और ऐसा निष्पादक या प्रशासक, जिसने ऐसे प्रतिसंहृत अनुदान के अधीन कृत्य किया है, अपने द्वारा किए गए ऐसे किन्हीं संदायों की बाबत, जो वह व्यक्ति जिसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र बाद में अनुदत्त किया जाता तो विधिपूर्ण रूप से करता, प्रतिधारण और अपनी प्रतिपूर्ति कर सकेगा।

298. प्रशासन-पत्र को नामंजूर करने की शक्ति—इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, जहां मृतक कोई मुस्लिम, बौद्ध या छूट प्राप्त व्यक्ति या कोई हिन्दू, सिख या जैन है, जिसे धारा 57 लागू नहीं होती है, वहां यह न्यायालय के विवेकाधीन होगा कि वह प्रशासन-पत्र के लिए ऐसे कारणों से, जो उनके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आवेदन को नामंजूर करने का आदेश दे।

299. जिला न्यायाधीश के आदेश से अपीलें—जिला न्यायाधीश को इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश से अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के, अपीलों को लागू होने वाले, उपबन्धों के अनुसार, उच्च न्यायालय में हो सकेगी।

300. उच्च न्यायालय की समवर्ती अधिकारिता—(1) उच्च न्यायालय को इसके द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने में जिला न्यायाधीश के साथ समवर्ती अधिकारिता होगी।

(2) उन मामलों के सिवाय, जिन्हें धारा 57 लागू होती है, कोई उच्च न्यायालय इसके द्वारा प्रदत्त समवर्ती अधिकारिता का कलकत्ता, मद्रास और मुंबई नगरों [1]*** की सीमाओं के बारह किसी स्थानीय क्षेत्र पर प्रयोग करते हुए, जहां मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न कर दिया हो।

301. निष्पादक या प्रशासक का हटाया जाना और उत्तराधिकारी के लिए उपबंध—उच्च न्यायालय, उसे आवेदन किए जाने पर किसी प्राइवेट निष्पादक या प्रशासक को निलंबित कर सकेगा, हटा सकेगा या सेवोन्मुक्त कर सकेगा और ऐसे किसी निष्पादक या प्रशासक के, जो अपने पद पर नहीं रह जाता है, स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार के लिए और संपदा की किसी संपत्ति के ऐसे उत्तराधिकारी में निहित होने का उपबंध कर सकेगा।

302. निष्पादक या प्रशासक को निदेश—जहां किसी संपदा की बाबत कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किया गया है या किए गए हैं वहां उच्च न्यायालय, उसे आवेदन किए जाने पर, संपदा की बाबत या उसके प्रशासन की बाबत कोई साधारण या विशेष निदेश निष्पादक या प्रशासक को दे सकेगा।

अध्याय 5—स्वयं के दोष से निष्पादक

303. स्वयं के दोष से निष्पादक—कोई व्यक्ति जो, जब कोई अधिकारवान् निष्पादक या प्रशासक विद्यमान न हो तब मृतक की संपदा के साथ दखलंदाजी करता है या ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जो निष्पादक के पद का कार्य है, ऐसा करके अपने को स्वयं के दोष से निष्पादक बनाता है।

अपवाद—(1) मृतक के माल के साथ, उसे परिरक्षित करने के या उसकी अन्त्येष्टि के लिए या उसके कुटुम्ब या संपत्ति की तुरन्त की आवश्यकताओं के लिए उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए दखलंदाजी करने से कोई व्यक्ति स्वयं के दोष से निष्पादक नहीं बना जाता है।

(2) किसी अन्य से प्राप्त मृतक के माल की बाबत कारबार के सामान्य अनुक्रम में संव्यवहार करने से कोई व्यक्ति स्वयं के दोष से निष्पादक नहीं बना जाता है।

दृष्टांत

(i) **क** मृतक के कुछ माल का उपयोग करता है या दे देता है या विक्रय करता या उन्हें स्वयं के ऋण या वसीयत संपदा को चुकाने के लिए ले लेता है या मृतक के ऋणों के संदाय को प्राप्त करता है। वह अपने स्वयं के दोष से निष्पादक है।

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "और बर्मा प्रान्त" शब्दों का लोप किया गया।

(ii) **क** को मृतक ने अपने जीवन काल में अपने ऋणों का संग्रह करने और उसके माल का विक्रय करने के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया था । **क** को उसकी मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् भी वह ऐसा करता रहता है । वह उन कार्यों की बाबत, जो वह मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् करता है, स्वयं के दोष से निष्पादक है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(iii) **क** मृतक के निष्पादक के रूप में, जबकि वह ऐसा नहीं है, वाद लाता है । वह स्वयं के दोष से निष्पादक है ।

304. स्वयं के दोष से निष्पादक का दायित्व—जब कोई व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है कि वह स्वयं के दोष से निष्पादक बन जाता है तब वह मृतक के अधिकारवान् निष्पादक या प्रशासक के या उसके किसी लेनदार या वसीयतदार के प्रति उस सीमा तक आस्तियों के लिए उत्तरदायी है जो अधिकारवान् निष्पादक या प्रशासक को किए गए संदायों और प्रशासन के सम्यक् अनुक्रम में किए गए संदाय की कटौतियों के पश्चात् उसके हाथ में आई हों ।

अध्याय 6—निष्पादक या प्रशासक की शक्तियां

305. मृतक की मृत्यु से समाप्त न हुए वाद हेतुकों और मृत्यु पर देय ऋणों की बाबत—किसी निष्पादक या प्रशासक को उन सभी वाद हेतुकों की बाबत, जो मृतक की मृत्यु से समाप्त नहीं हुए हैं, वही शक्ति है, और वह ऋणों की वसूली के लिए उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो मृतक की उसके जीवित रहते समय थी ।

306. मृतक की या उसके विरुद्ध मांगे और कार्यवाही करने के अधिकारों का निष्पादक या प्रशासक के पक्ष में या उसके विरुद्ध समाप्त न होना—किसी व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध, उसकी मृत्यु के समय, विद्यमान सभी मांगें, चाहे वे जो भी हों, और किसी कार्रवाई या विशेष कार्यवाही को आगे चलाने के या उसमें प्रतिरक्षा करने के सभी अधिकार, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में, यथापरिभाषित मानहानि, हमले या अन्य ऐसी वैयक्तिक क्षतियों के, जिससे पक्षकार की मृत्यु कारित न हो, वाद हेतुकों के सिवाय; और ऐसे मामलों के सिवाय, जहां पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् ईप्सित अनुतोष का उपभोग न किया जा सकता हो या उसका प्रदान करना निरर्थक होगा, उसके निष्पादक या प्रशासक को और उनके विरुद्ध समाप्त नहीं होते हैं ।

दृष्टांत

(i) किसी रेल पर किसी पदधारी की उपेक्षा या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप कोई टक्कर होती है और किसी यात्री को गंभीर उपहति होती है किन्तु उतनी नहीं कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए; तत्पश्चात् कोई कार्यवाही किए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है । वाद हेतुक समाप्त हो जाता है ।

(ii) **क** विवाह विच्छेद के लिए वाद लाता है । **क** की मृत्यु हो जाती है । वाद हेतुक समाप्त हो जाता है उसके प्रतिनिधि के लिए बचा नहीं रहता है ।

307. सम्पत्ति के व्ययन के लिए निष्पादक या प्रशासक की शक्ति—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी निष्पादक या प्रशासक को धारा 211 के अधीन उसमें निहित मृतक की संपत्ति को, या तो पूर्णत: या भागत: ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, व्ययन करने की शक्ति है ।

दृष्टांत

(i) मृतक ने अपनी संपत्ति के भाग की विनिर्दिष्ट वसीयत की है, निष्पादक वसीयत के लिए अनुमति नहीं देता है और उसकी विषय वस्तु का विक्रय करता है । विक्रय वैध है ।

(ii) निष्पादक, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, मृतक की स्थावर संपदा के एक भाग को बंधक रखता है । विक्रय वैध है ।

(2) यदि मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है तो उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त साधारण शक्ति निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :—

(i) किसी निष्पादक की, उसमें इस प्रकार निहित स्थावर संपत्ति का विक्रय करने की शक्ति ऐसे किसी निर्बन्धन के अधीन, जो उसकी नियुक्ति करने वाले विल द्वारा अधिरोपित किया जाए, तब तक है जब तक उसे प्रोबेट अनुदत्त न किया गया हो, और उस न्यायालय ने, जिसने प्रोबेट अनुदत्त किया है, निर्बन्धन के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा उसे आदेश में विनिर्दिष्ट किसी स्थावर संपत्ति का आदेश द्वारा अनुज्ञात रीति से व्ययन करने की अनुज्ञा न दे दी हो;

(ii) कोई प्रशासक उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसने प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया है :—

(क) धारा 211 के अधीन उसमें निहित किसी स्थावर संपत्ति को बन्धक नहीं रख सकेगा, भारित नहीं कर सकेगा या विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं कर सकेगा; या

(ख) ऐसी किसी संपत्ति को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकेगा ।

(iii) निष्पादक या प्रशासक द्वारा संपत्ति का, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) का उल्लंघन करते हुए, कोई व्ययन, संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर, शून्यकरणीय है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) ऐसे किसी मामले में, कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किए जाने के पूर्व, यथास्थिति, उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (iii) की या उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ii) और खण्ड (iii) की एक प्रति उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध की जाएगी ।

(4) कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र केवल इस कारण अवैध नहीं होगा कि उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन या उपाबन्ध उस पर नहीं किया गया है या उससे संलग्न नहीं किया गया है, न ही ऐसे पृष्ठांकन या उपाबन्ध का न होना किसी निष्पादक या प्रशासक को इस धारा के उपबन्धों के अनुसार से भिन्न, कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

308. प्रशासन की साधारण शक्तियां—कोई निष्पादक या प्रशासक—

(क) ऐसे कार्यों पर, जो उसके द्वारा प्रशासित किसी संपदा की किसी संपत्ति की उचित देखभाल या प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों; और

(ख) उच्च न्यायालय की मंजूरी से, ऐसे धार्मिक, पूर्त और अन्य उद्देश्यों पर और ऐसी अभिवृद्धि पर, जो ऐसी सम्पत्ति के मामले में युक्तियुक्त और उचित हो,

व्यय उपगत कर सकेगा । यह शक्ति व्यय करने की ऐसी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त होगी जो उसके द्वारा विधिसम्मत रूप से प्रयोग की जा सकती हैं उसके अल्पीकरण में नहीं ।

309. कमीशन या अभिकरण प्रभार— कोई निष्पादक या प्रशासक, महाप्रशासक अधिनियम, 1913 (1913 का 3) द्वारा या उसके अधीन महाप्रशासक की बाबत तत्समय नियत दर से ऊंची दर पर कोई कमीशन या अभिकरण प्रभाव प्राप्त करने या प्रतिधारित करने का हकदार नहीं होगा ।

310. मृतक की संपत्ति का निष्पादक या प्रशासक द्वारा क्रय किया जाना—यदि कोई निष्पादक या प्रशासक मृतक की सम्पत्ति के किसी भाग का, या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: क्रय करता है तो विक्रय, विक्रीत सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय है ।

311. कई निष्पादकों या प्रशासकों की शक्तियों का उनमें से एक द्वारा प्रयोग—जब कई निष्पादक या प्रशासक हैं, तो किसी विरुद्ध निदेश के न होने पर, उनमें से कोई एक, जिसने विल को साबित किया है या प्रशासन ग्रहण किया है, सभी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।

दृष्टांत

(i) कई निष्पादकों में से किसी एक को मृतक को देय ऋण को निर्मोचित करने की शक्ति है ।

(ii) एक को पट्टे के अभ्यर्पण की शक्ति है ।

(iii) एक को मृतक की, जंगम या स्थावर संपत्ति का विक्रय करने की शक्ति है ।

(iv) एक को किसी वसीयत संपदा का अनुमोदन करने की शक्ति है ।

(v) एक को मृतक को संदेय किसी वचनपत्र पर पृष्ठांकन करने की शक्ति है ।

(vi) विल **क**, **ख**, **ग** और **घ** को निष्पादक नियुक्त करता है और निदेश देता है कि उनमें से दो से गणपूर्ति होगी । कोई भी कार्य किसी एकल निष्पादक द्वारा नहीं किया जा सकता है ।

312. कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक की मृत्यु पर शक्तियों का समाप्त न होना—कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक या अधिक की मृत्यु हो जाने पर, विल में या प्रशासन-पत्र के अनुदान में किसी विरुद्ध निदेश के न होने पर, पद की सभी शक्तियां उत्तरजीवियों में या उत्तरजीवी में निहित हो जाती हैं ।

313. अप्रशासित चीजबस्त के प्रशासन की शक्ति—अप्रशासित चीजबस्त के प्रशासक को, ऐसी चीजबस्त की बाबत, वही शक्तियां होती हैं जो मूल निष्पादक या प्रशासक को होती हैं ।

314. अवयस्कता के दौरान प्रशासन की शक्तियां—अवयस्कता के दौरान प्रशासक को मामूली प्रशासक की सभी शक्तियां होती हैं ।

315. विवाहित निष्पादिका या प्रशासिका की शक्तियां—जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों का अनुदान किसी विवाहित स्त्री को किया जाता है तो उसे मामूली निष्पादक या प्रशासक की सभी शक्तियां होती हैं ।

अध्याय 7—निष्पादक या प्रशासक के कर्तव्य

316. मृतक की अन्त्येष्टि की बाबत—निष्पादक का यह कर्तव्य है कि वह मृतक की स्थिति के उपयुक्त रीति से उसका आवश्यक अन्त्येष्टि संस्कार करने के लिए निधि का उपबन्ध करे, यदि उसने इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन छोड़ा है ।

317. सूची और लेखा—(1) कोई निष्पादक या प्रशासक, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान से छह मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जैसा वह न्यायालय, जिसने प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया है, नियत करे, उस न्यायालय में एक सूची प्रदर्शित करेगा, जिसमें कब्जे में की सभी संपत्ति का और सभी पावनों का और किसी व्यक्ति द्वारा देय ऐसे सभी ऋणों का भी, जिसके लिए कोई निष्पादक या प्रशासक उस रूप में हकदार है, पूर्ण और सही प्राक्कलन होगा; और उसी रीति से अनुदान से एक वर्ष के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जैसा उक्त न्यायालय नियत करे, संपदा का एक ऐसा लेखा प्रदर्शित करेगा जिसमें वे आस्तियां, जो उसके हाथ में आई हों, और वह रीति, जिसमें उनका उपयोग किया गया है या उनका व्ययन किया गया है, दर्शित की जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उच्च न्यायालय वह प्ररूप, जिसमें इस धारा के अधीन कोई सूची या लेखा प्रदर्शित किया जाएगा, विहित कर सकेगा ।

(3) यदि कोई निष्पादक या प्रशासक इस धारा के अधीन कोई सूची या लेखा प्रदर्शित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जानबूझकर उस अध्यपेक्षा का पालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 54) की धारा 176 के अधीन अपराध किया है ।

(4) इस धारा के अधीन कोई साशय मिथ्या सूची या लेखा प्रदर्शित करना उक्त संहिता की धारा 193 के अधीन अपराध समझा जाएगा ।

318. सूची में कतिपय मामलों में भारत के किसी भी भाग की संपत्ति का सम्मिलित किया जाना—ऐसे सभी मामलों में, जहां प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान इस आशय से किया गया है कि उसका प्रभाव संपूर्ण [1][भारत] [2]*** में होगा वहां निष्पादक या प्रशासक मृतक की चीजबस्त की सूची में उसकी [1][भारत] में स्थित सभी जंगम और स्थावर संपत्ति को सम्मिलित करेगा और प्रत्येक राज्य में स्थित ऐसी सम्पत्ति का मूल्य ऐसी सूची में पृथक्-पृथक् कथित किया जाएगा और प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर, उसके द्वारा प्रभारित संपत्ति की, चाहे वह [1][भारत] के भीतर जहां भी स्थित हों, संपूर्ण रकम या मूल्य की तत्स्थानी फीस प्रभार्य होगी ।

319. मृतक की संपत्ति और उसे देय ऋण की बाबत—निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपत्ति और ऋणों का, जो उसकी मृत्यु के समय उसे देय थे, युक्तियुक्त तत्परता से संग्रह करेगा ।

320. व्ययों का सभी ऋणों के पूर्व संदाय किया जाना—मृतक की प्रास्थिति और हैसियत के अनुसार, युक्तियुक्त मात्रा तक अन्त्येष्टि व्ययों और मृत्युशय्या प्रभारों का, जिसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पूर्व के एक मास तक की चिकित्सा परिचर्या और भोजन और आवास की फीसें भी हैं, संदाय सभी ऋणों के संदाय से पूर्व किया जाएगा ।

321. ऐसे व्ययों के पश्चात् दूसरे व्ययों का संदाय किया जाना—प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को अभिप्राप्त करने के लिए व्ययों का, जिनके अंतर्गत ऐसी किन्हीं न्यायिक कार्यवाहियों के लिए या उनकी बाबत, जो संपदा के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, उपगत खर्चे भी हैं, संदाय अत्येष्टि व्ययों और मृत्यु-शय्या प्रभारों के संदाय के पश्चात् किया जाएगा ।

322. उसके बाद कतिपय सेवाओं के लिए मजदूरियों का और तत्पश्चात् अन्य ऋणों का संदाय—उसके बाद किसी श्रमिक, कारीगर या घरेलू नौकर द्वारा मृतक की, उसकी मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास के भीतर, की गई सेवाओं के लिए देय मजदूरी संदत्त की जाएगी और तब मृतक के अन्य ऋण उनकी पूर्विकता के अनुसार (यदि कोई हों) संदत्त किए जाएंगे ।

323. पूर्वोक्त के सिवाय सभी ऋणों का समान रूप से और आनुपातिक रूप से संदाय किया जाना—पूर्वोक्त के सिवाय किसी भी लेनदार को दूसरे पर अधिमान का अधिकार नहीं होगा, किन्तु निष्पादक या प्रशासक ऐसे सभी ऋणों का, जिसे वह जानता हो, जिसके अंतर्गत उसका ऋण भी है, समान रूप से और आनुपातिक रूप से वहां तक संदाय करेगा जहां तक मृतक की आस्ति से किया जा सके ।

324. जहां अधिवास भारत में न हो वहां ऋण के संदाय के लिए जंगम संपत्ति का उपयोग—(1) यदि मृतक का अधिवास [3][भारत] में नहीं था तो उसके ऋणों के संदाय के लिए उसकी जंगम संपत्ति का उपयोग [3][भारत] की विधि द्वारा विनियमित होगा ।

(2) कोई भी लेनदार, जिसने उपधारा (1) के आधार पर, अपने ऋणों के किसी एक भाग का संदाय प्राप्त किया है, मृतक की स्थावर संपदा के आगमों में किसी अंश के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे संदाय को अन्य लेनदारों के फायदे के लिए हिसाब में नहीं लाता है ।

(3) यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है ।

दृष्टांत

क की मृत्यु किसी ऐसे देश के अधिवासी के रूप में होती है जहां मुद्रांकित लिखतों को अमुद्रांकित लिखतों पर अधिमान मिलता है और वह 5,000 रुपए मूल्य की जंगम सम्पत्ति और 10,000 रुपए मूल्य की स्थावर सम्पत्ति, मुद्रांकित लिखतों पर 10,000 रु० की रकम और उतनी ही रकम का ऋण अमुद्रांकित लिखतों पर छोड़ जाता है । मुद्रांकित लिखतों के धारक लेनदार अपने आधे ऋण जंगम सम्पदा के आगमों में से प्राप्त करते हैं । स्थावर सम्पदा के आगमों का उपयोग अमुद्रांकित लिखतों पर ऋणों का संदाय करने में

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1952 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "भारत के" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

तब तक किया जाएगा, जब तक ऐसे ऋणों का आधा चुका न दिया जाए । इससे 5,000 रुपए बचेंगे जिसका वितरण सभी लेनदारों के बीच बिना किसी भेदभाव के, उन्हें देय बची रकम के अनुपात में किया जाएगा ।

COURT BOOK

325. वसीयत संपदाओं के पूर्व ऋणों का संदाय किया जाना—किसी वसीयत संपदा के संदाय से पूर्व हर प्रकार के ऋणों का संदाय किया जाएगा ।

326. निष्पादक या प्रशासक का प्रतिपूर्ति के बिना, वसीयत संपदा के संदाय के लिए बाध्य न होना—यदि मृतक की संपदा किन्हीं समाश्रित दायित्वों के अधीन है तो निष्पादक या प्रशासक उन दायित्वों को, जब भी वे शोध्य हो जाएं, पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिपूर्ति के बिना किसी वसीयत संपदा का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं है ।

327. साधारण वसीयत संपदाओं में कमी—यदि आस्तियां, ऋणों, आवश्यक व्ययों और विनिर्दिष्ट वसीयत संपदाओं का संदाय करने के पश्चात्, सभी साधारण वसीयत संपदाओं का पूर्ण रूप से संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो साधारण वसीयत संपदा में कमी कर दी जाएगी या उसे समान अनुपात में घटा दिया जाएगा और विल में किसी विरुद्ध निर्देश के न होने पर, निष्पादक को एक वसीयतदार को दूसरे पर अधिमान देकर संदाय करने का या अपने लिए या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसके लिए वह न्यासी है, वसीयत संपदा के लिए कोई धन प्रतिधारित करने का कोई अधिकार नहीं है ।

328. जब आस्तियां ऋणों के संदाय के लिए पर्याप्त हों तब विनिर्दिष्ट वसीयत संपदाओं में कमी न होना—जहां कोई विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा और आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के लिए पर्याप्त हैं वहां विनिर्दिष्ट वस्तु वसीयतदार को कोई कमी किए बिना संदत्त की जाएगी ।

329. जब आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के लिए पर्याप्त हैं तब निदर्शित वसीयत के अधीन अधिकार—जहां कोई निदर्शित वसीयत संपदा है और आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों का संदाय करने के लिए पर्याप्त है वहां वसीयतदार उस निधि में से, जिसमें से वसीयत संपदा का संदाय करने का निदेश है, जब तक ऐसी निधि नि:शेष न हो जाए, अपनी वसीयत संपदा के संदाय के लिए अधिमानी दावा रखता है और यदि निधि के नि:शेष हो जाने के पश्चात् भी वसीयत संपदा का कोई भाग असंदत्त रह जाता है तो वह अवशेष की रकम साधारण आस्तियों में से उसी प्रकार पाने का हकदार है मानो वह असंदत्त अवशेष की रकम की वसीयत संपदा पाने का हकदार हो ।

330. विनिर्दिष्ट वसीयत संपदाओं में आनुपातिक कमी किया जाना—यदि आस्तियां, ऋणों और विनिर्दिष्ट वसीयत सम्पदा को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो विनिर्दिष्ट वसीयत सम्पदा में से उनकी रकमों के अनुपात में कमी की जाएगी ।

दृष्टांत

क ने **ख** को एक हीरे की अंगूठी, जिसका मूल्य 500 रुपए है और **ग** को एक घोड़ा, जिसका मूल्य 1,000 रुपए है, वसीयत किया है । वसीयकर्ता की सभी चीजबस्त का विक्रय करना आवश्यक पाया जाता है और उसकी आस्तियां, ऋणों का संदाय करने के पश्चात् केवल, 1,000 रुपए है । इस राशि में से 333 रु० 5 आ० 4 पा० **ख** को संदाय किए जाने के लिए है और 666 रु० 10 आ० 8 पा० **ग** को संदाय किए जाने के लिए है ।

331. वे वसीयत संपदाएं जो कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण वसीयत संपदाएं मानी जाती हैं—जीवनपर्यन्त की वसीयत, किसी वार्षिकी के सृजन के लिए विल द्वारा विनियोजित राशि और वार्षिकी के मूल्य को, जब उसके सृजन के लिए कोई राशि विनियोजित नहीं की गई है, कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण वसीयत संपदा माना जाएगा ।

अध्याय 8—निष्पादक या प्रशासक द्वारा वसीयत संपदा के लिए अनुमति

332. वसीयतदार के हक को पूर्ण करने के लिए अनुमति का आवश्यक होना—निष्पादक या प्रशासक की अनुमति वसीयत संपदा के लिए वसीयतदार का हक पूर्ण करने के लिए आवश्यक है ।

दृष्टांत

(i) **क** अपने विल द्वारा **ख** को अपनी सरकारी प्रतिभूती की, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में निक्षिप्त है, वसीयत करता है । निष्पादक की अनुमति के बिना न तो बैंक को प्रतिभूतियों का परिदान करने का प्राधिकार है और न ही **ख** को उसका कब्जा लेने के लिए अधिकार है ।

(ii) **क** ने अपने विल द्वारा कलकत्ता स्थित अपना गृह, जिसका अभिधारी **ख** है, **ग** को वसीयत किया है । **ग** निष्पादक या प्रशासक की अनुमति के बिना भाटक प्राप्त करने का हकदार नहीं है ।

333. विनिर्दिष्ट वसीयत के लिए निष्पादक की अनुमति का प्रभाव—(1) विनिर्दिष्ट वसीयत के निष्पादक या प्रशासक की अनुमति उसमें निष्पादक या प्रशासक के रूप में उसका हित निर्निहित करने के लिए और वसीयतदार की वसीयत की विषयवस्तु को अन्तरित करने के लिए तभी पर्याप्त है जब संपत्ति की प्रकृति या परिस्थितियों में यह अपेक्षा नहीं है कि उसका अन्तरण किसी विशिष्ट रीति से किया जाएगा ।

(2) यह अनुमति मौखिक हो सकेगी और या तो अभिव्यक्त हो सकेगी या निष्पादक या प्रशासक के आचरण से विवक्षित हो सकेगी ।

दृष्टांत

(i) एक घोड़े की वसीयत की जाती है । निष्पादक वसीयतदार से उसका व्ययन करने का निवेदन करता है या कोई अन्य व्यक्ति निष्पादक से उस घोड़े को खरीदने का प्रस्ताव करता है । निष्पादक उससे कहता है कि वह वसीयतदार से संपर्क करे । वसीयत के लिए अनुमति विवक्षित है ।

(ii) विल में यह निदेश है कि किसी निधि के ब्याज को वसीयतदार की अवयस्कता के दौरान उसके भरण पोषण के लिए उपयोग में लाया जाए । निष्पादक उसका इस प्रकार उपयोग प्रारंभ करता है । यह संपूर्ण वसीयत के लिए अनुमति है ।

(iii) एक निधि की वसीयत **क** को और उसके पश्चात् **ख** को की गई है । निष्पादक निधि का ब्याज **क** को संदत्त करता है । यह **ख** को वसीयत के लिए विवक्षित अनुमति है ।

(iv) वसीयतकर्ता के सभी ऋणों का संदाय करने के पश्चात् किन्तु विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा को चुकाने के पूर्व निष्पादकों की मृत्यु हो जाती है । वसीयत संपदाओं के लिए अनुमति की उपधारणा की जा सकेगी ।

(v) कोई व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट वस्तु की वसीयत की गई है, उसका कब्जा ले लेता है और किसी आक्षेप के बिना, निष्पादक की ओर से उसे प्रतिधारित रखता है । उसकी अनुमति की उपधारणा की जा सकेगी ।

334. सशर्त अनुमति—किसी वसीयत के लिए निष्पादक या प्रशासक की अनुमति सशर्त हो सकेगी और यदि शर्त ऐसी है जिसे प्रवृत्त करने का उसे अधिकार है और उसका पालन नहीं किया जाता है तो अनुमति नहीं है ।

दृष्टांत

(i) **क** अपनी सुलतानपुर की भूमि को, जो विल की तारीख को और **क** की मृत्यु पर 10,000 रुपए के लिए बंधक के अधीन थी, **ख** को वसीयत करता है । निष्पादक वसीयत के लिए इस शर्त पर अनुमति देना है कि **ख** वसीयतकर्ता की मृत्यु पर बंधक पर देय रकम का एक सीमित समय के भीतर संदाय करेगा । रकम का संदाय नहीं किया जाता है । यहां अनुमति नहीं है ।

(ii) निष्पादक किसी वसीयत के लिए इस शर्त पर अनुमति देता है कि वसीयतदार उसे किसी धनराशि का संदाय करेगा । संदाय नहीं किया जाता है । फिर भी अनुमति वैध है ।

335. अपनी स्वयं की वसीयत के लिए निष्पादक की अनुमति—(1) जब निष्पादक या प्रशासक एक वसीयतदार है तब उसकी स्वयं की वसीयत के लिए उसकी अनुमति उसके लिए उसके हक को पूरा करने के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे तब अपेक्षित होती है जब वसीयत दूसरे व्यक्ति के लिए हो, और उसकी अनुमति उसी प्रकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी ।

(2) अनुमति तब विवक्षित होगी यदि संपत्ति का प्रशासन करने की रीति में वह ऐसा कोई कार्य करता है जो उसकी वसीयतदार की हैसियत को निर्दिष्ट करता है और उसकी निष्पादक या प्रशासक की हैसियत को निर्दिष्ट नहीं करता है ।

दृष्टांत

निष्पादक उसे वसीयत किए गए गृह का भाटक या सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज लेता है और उसका उपयोजन अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है । यह अनुमति है ।

336. निष्पादक की अनुमति का प्रभाव—किसी वसीयत के लिए निष्पादक या प्रशासक की अनुमति उसे वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रभावशील करती है ।

दृष्टांत

(i) एक वसीयतदार अपनी वसीयत संपदा का, उस पर निष्पादक की अनुमति मिलने के पूर्व, विक्रय कर देता है, निष्पादक की तत्पश्चात् अनुमति क्रेता के फायदे के लिए प्रवृत्त होती है और वसीयत संपदा के लिए उसके हक को पूर्ण करती है ।

(ii) **क**, 1,000 रुपए की वसीयत अपनी मृत्यु से ब्याज सहित **ख** को करता है । निष्पादक उसकी वसीयत संपदा के लिए अनुमति **क** की मृत्यु से एक वर्ष का अवसान हो जाने तक नहीं देता है । **ख**, **क** की मृत्यु से ब्याज के लिए हकदार है ।

337. निष्पादक वसीयत संपदा का परिदान कब करेगा—कोई निष्पादक या प्रशासक किसी वसीयत संपदा का संदाय या परिदान तब तक करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक वसीयतकर्ता की मृत्यु से एक वर्ष का अवसान न हो जाए ।

दृष्टांत

क अपने विल द्वारा अपनी वसीयत संपदाओं का संदाय अपनी मृत्यु के पश्चात् छह मास के भीतर करने का निदेश देता है । निष्पादक एक वर्ष के अवसान के पूर्व उनका संदाय करने के लिए बाध्य नहीं है ।

अध्याय 9—वार्षिकियों का संदाय और प्रभाजन

338. वार्षिकी का प्रारंभ, जब विल में कोई समय नियत न हो—जहां विल द्वारा कोई वार्षिकी दी जाती है और उसके प्रारंभ के लिए कोई समय नियत नहीं है वहां वह वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रारंभ होगी और प्रथम संदाय उस घटना के ठीक पश्चात् एक वर्ष के अवसान पर किया जाएगा ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

339. त्रैमासिक या मासिक संदाय वाली वार्षिकी प्रथम बार कब शोध्य होती है—जहां यह निदेश है कि वार्षिकी त्रैमासिक या मासिक होगी वहां प्रथम संदाय वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात्, यथास्थिति, प्रथम त्रैमास या प्रथम मास के अन्त में शोध्य होगा; और यदि निष्पादक या प्रशासक ठीक समझता है तो उस समय संदत्त की जाएगी जब शोध्य हो, किन्तु निष्पादक या प्रशासक उसका संदाय वर्ष के अन्त तक करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

340. आनुक्रमिक संदायों की तारीखें जब प्रथम संदाय दिए गए समय के भीतर या निश्चित दिन करने का निदेश हो, संदाय की तारीख से पूर्व वार्षिकीदार की मृत्यु—(1) जहां यह निदेश है कि किसी वार्षिकी का प्रथम संदाय वसीयतकर्ता की मृत्यु से एक मास या किसी अन्य कालावधि के भीतर या किसी निश्चित दिन किया जाएगा वहां आनुक्रमिक संदाय उस निकटतम दिन की, जिसको विल प्रथम संदाय किया जाना प्राधिकृत करता है, आब्दिकी पर किया जाएगा ।

(2) यदि वार्षिकीदार की मृत्यु संदाय के समयों की बीच के अन्तराल में हो जाती है तो वार्षिकी का प्रभाजित अंश उसके प्रतिनिधियों को संदत्त किया जाएगा ।

अध्याय 10—वसीयत संपदाओं का उपबंध करने के लिए निधियों का विनिधान

341. जहां वसीयत संपदा, जो विनिर्दिष्ट नहीं है, जीवनपर्यन्त के लिए दी गई है, वहां वसीयत की गई धनराशि का विनिधान—जहां कोई वसीयत संपदा, जो विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है, जीवनपर्यन्त के लिए दी गई है वहां वसीयत की गई धनराशि का विनिधान वर्ष के अन्त में ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाएगा जैसा उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा प्राधिकृत करे या निदेश दे और उसके आगमों को, जैसे ही वे देय हो जाएं, वसीयतदार को संदत्त किया जाएगा ।

342. भविष्य में संदेय, साधारण वसीयत संपदा का विनिधान, मध्यवर्ती ब्याज का व्ययन—(1) जहां कोई साधारण वसीयत संपदा भविष्य में संदाय किए जाने के लिए दी जाती है वहां निष्पादक या प्रशासक उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का विनिधान उस प्रकार की प्रतिभूतियों में करेगा जो धारा 341 में वर्णित है ।

(2) मध्यवर्ती ब्याज वसीयतकर्ता की संपदा का अवशिष्ट भाग होगा ।

343. जहां कोई निधि वार्षिकी से भारित या उसके लिए विनियोजित नहीं की गई है वहां प्रक्रिया—जहां कोई वार्षिकी दी गई है और कोई निधि उसके संदाय के लिए भारित या उसे पूरा करने के लिए विल द्वारा विनियोजित नहीं की गई है वहां विनिर्दिष्ट रकम के लिए सरकारी प्रतिभूति का क्रय किया जाएगा या यदि ऐसी कोई वार्षिकी अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है तो उस प्रयोजन के लिए वार्षिकी के सृजन के लिए पर्याप्त धनराशि का विनिधान उस प्रकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा जो धारा 341 में वर्णित है ।

344. समाश्रित वसीयत का अवशिष्ट वसीयतदार को अन्तरण—जहां कोई वसीयत समाश्रित है वहां निष्पादक या प्रशासक वसीयत संपदा की रकम का विनिधान करने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु वह संपदा के संपूर्ण अवशेष को अवशिष्ट वसीयतदार द्वारा, यदि कोई हो, वसीयत संपदा का, यदि वह देय हो जाए, संदाय करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देने पर अवशिष्ट वसीयतदार को अन्तरित कर सकेगा ।

345. किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निदेश के बिना जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत किए गए अवशेष का विनिधान—(1) जहां किसी वसीयकर्ता ने अपनी संपदा के अवशेष की, किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में उनका विनिधान किए जाने का निदेश दिए बिना, किसी व्यक्ति को जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत की है वहां उसका उतना भाग, जितना वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय धारा 341 में वर्णित प्रकार की प्रतिभूतियों में विनिहित नहीं किया गया है । धन में संपरिवर्तित किया जाएगा और उसका ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा ।

(2) यदि मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है तो यह धारा लागू नहीं होगी ।

346. किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निदेश के सहित जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत किए गए अवशेष का विनिधान—जहां वसीयतकर्ता ने, अपनी संपदा के अवशेष की वसीयत किसी व्यक्ति को जीवनपर्यन्त के लिए इस निदेश के साथ की है कि उसका विनिधान कतिपय विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जाएगा वहां उतनी संपदा का, जितनी का विनिधान उसकी मृत्यु के समय विनिर्दिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियों में नहीं किया गया है, धन में संपरिवर्तन किया जाएगा और उसका ऐसी प्रतिभूति में विनिधान किया जाएगा ।

347. संपरिवर्तन और विनिधान का समय और रीति—ऐसा संपरिवर्तन और विनिधान, जैसा धारा 345 और धारा 346 में अनुध्यात है, ऐसे समय पर और ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा निष्पादक या प्रशासक ठीक समझे और जब तक ऐसा संपरिवर्तन और विनिधान पूरा न कर दिया जाए, तब तक वह व्यक्ति, जो इस प्रकार विनिधान किए जाने पर तत्समय निधि की आय को पाने का हकदार होगा, निधि के ऐसे भाग के, जिसको इस प्रकार विनिधान नहीं किया गया है, बाजार मूल्य पर (जो वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख को संगणित किया जाएगा) प्रतिवर्ष चार प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करेगा :

परन्तु जब वसीयतकर्ता हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है तब विनिधान के पूरा होने के पूर्व ब्याज की दर प्रति वर्ष छह प्रतिशत होगी ।

348. ऐसे मामले में प्रक्रिया जहां अवयस्क वसीयत के तुरन्त संदाय या कब्जे का हकदार है और उसके निमित्त किसी व्यक्ति को संदाय किए जाने का निदेश नहीं है—(1) जहां वसीयत के निबंधनों द्वारा वसीयतदार वसीयत किए गए धन या वस्तु के तुरंत

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

संदाय या कब्जे के लिए हकादार है, किन्तु अवयस्क है, और विल में उसके निमित्त किसी व्यक्ति को उसक ा संदाय करने के लिए कोई निदेश नहीं है वहां निष्पादक या प्रशासक उसे उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके द्वारा या जिसके जिला प्रतिनिधि द्वारा प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करते हुए, प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया गया है, वसीयतदार के लेखे में, संदत्त या परिदत्त उस दशा के सिवाय करेगा जब वसीयतदार प्रतिपाल्य अधिकरण का प्रतिपाल्य है ।

(2) यदि वसीयतदार प्रतिपाल्य अधिकरण का प्रतिपाल्य है तो वसीयत संपदा प्रतिपाल्य अधिकरण को वसीयतदार के लेखे संदत्त की जाएगी ।

(3) यथास्थिति, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में या प्रतिपाल्य अधिकरण को ऐसा संदाय इस प्रकार संदत्त धन के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगा ।

(4) जब धन इस धारा के अधीन संदत्त किया जाता है तब उसका विनिधान सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने में किया जाएगा जिन्हें, उन पर ब्याज सहित, उसके लिए हकदार व्यक्ति को अन्तरित या संदत्त किया जाएगा और उसके फायदे के लिए अन्यथा उपयोग में लाया जाएगा जैसा, यथास्थिति, न्यायाधीश या प्रतिपाल्य अधिकरण निदेश दे ।

अध्याय 11—वसीयत संपदाओं के उत्पाद और ब्याज

349. विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा के उत्पाद के लिए वसीयतदार का हक—विनिर्दिष्ट वसीयत का वसीयतदार उसके स्पष्ट उत्पाद का, यदि कोई हो, वसीयतकर्ता की मृत्यु से हकदार होगा ।

अपवाद—किसी विनिर्दिष्ट वसीयत में, जो उसके निबंधनों के अनुसार समाश्रित है, वसीयतकर्ता की मृत्यु और वसीयत के निहित होने के बीच वसीयत संपदा का उत्पाद नहीं आता है । इसका स्पष्ट उत्पाद वसीयतकर्ता की संपदा के अवशेष का भाग होता है ।

दृष्टांत

(i) **क** अपनी भेड़ों के झुंड की वसीयत **ख** को करता है । **क** की मृत्यु और उसके निष्पादक द्वारा परिदान किए जाने के बीच भेड़ों के बाल काटे जाते हैं या कुछ भेड़े मेमनों को जन्म देती हैं । ऊन और मेमनें **ख** की संपत्ति है ।

(ii) **क** अपनी सरकारी प्रतिभूतियों की वसीयत **ख** को करता है किन्तु उनके परिदान को **ग** की मृत्यु तक रोक देता है । **क** की मृत्यु और **ग** की मृत्यु के बीच शोध्य ब्याज **ख** का होगा और प्राप्त होत े ही उसे, उस दशा के सिवाय संदत्त किया जाना चाहिए, जब वह अवयस्क है ।

(iii) वसीयकर्ता, अपने सभी चार प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी वचनपत्र **क** को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, वसीयत करता है । यदि **क** वह आयु प्राप्त कर लेता है तो वह वचनपत्र प्राप्त करने का हकदार है, किन्तु वह ब्याज, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु और **क** के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बीच प्रोद्भूत होता है, अवशेष का भाग होगा ।

350. अवशिष्ट वसीयतदार का अवशिष्ट निधि के उत्पाद पर हक—साधारण अवशिष्ट वसीयत के अधीन वसीयतदार, अवशिष्ट निधि के उत्पाद के लिए वसीयकर्ता की मृत्यु से हकदार है ।

अपवाद—साधारण अवशिष्ट वसीयत में, जो उसके निबन्धनों के अनुसार समाश्रित है, ऐसी आय नहीं आती है, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु और वसीयत संपदा के निहित होने के बीच वसीयत की गई निधि से प्रोद्भूत होती है । ऐसी आय अव्ययनित आय होती है ।

दृष्टांत

(i) वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति के अवशेष की वसीयत एक अवयस्क **क** को, उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संदाय किए जाने के लिए करता है । वसीयकर्ता की मृत्यु से आय **क** की होगी ।

(ii) वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति के अवशेष की वसीयत **क** को, जब वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले, करता है । यदि **क** वह आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह अवशेष प्राप्त करने का हकदार होगा । वह आय जो उसकी बाबत वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रोद्भूत होती है, अव्ययनित आय होती है ।

351. ब्याज, जब साधारण वसीयत संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं है—जहां साधारण वसीयत संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया है वहां ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से एक वर्ष के अवसान से प्रारम्भ होता है ।

अपवाद—(1) जहां वसीयत संपदा की वसीयत किसी ऋण को चुकाने के लिए की गई है वहां ब्याज वसीयकर्ता की मृत्यु से प्रारम्भ होता है ।

(2) जहां वसीयतकर्ता वसीयतदार का माता-पिता या अधिक दूरस्थ पूर्वज रहा है या उसने अपने को वसीयतदार के माता-पिता के स्थान में रखा है वहां, वसीयत संपदा पर ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से लगेगा ।

(3) जहां कोई धनराशि किसी अवयस्क को इस निदेश के साथ वसीयत की गई है कि उसके भरण-पोषण के लिए उसमें से संदाय किया जाएगा वहां ब्याज वसीयकर्ता की मृत्यु से संदेय है ।

COURT BOOK

352. ब्याज जब समय नियत है—जहां साधारण वसीयत संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत किया गया है वहां ब्याज इस प्रकार नियत समय से प्रारंभ होता है । ऐसे समय तक का ब्याज वसीयकर्ता की संपदा के अवशेष का भाग होता है ।

अपवाद—जहां वसीयतकर्ता वसीयतदार का माता-पिता या अधिक दूरस्थ पूर्वज रहा है या अपने को उसने वसीयतदार के पिता के स्थान में रखा है और वसीयतदार अवयस्क है, वहां जब तक भरण-पोषण के लिए विल द्वारा कोई विनिर्दिष्ट धनराशि न दी गई हो या जब तक विल में कोई विरुद्ध निदेश न हो, वसीयत संपदा पर ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से होगा ।

353. ब्याज की दर—ब्याज की दर सभी मामलों में प्रतिवर्ष चार प्रतिशत होगी किन्तु जहां वसीयतकर्ता हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख, या जैन या कोई छूट-प्राप्त व्यक्ति है, वहां वह प्रति वर्ष छह प्रतिशत होगी ।

354. वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रथम वर्ष के भीतर वार्षिकी पर कोई ब्याज न होना—वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रथम वर्ष के भीतर किसी वार्षिकी के अवशेष पर कोई ब्याज संदेय नहीं है यद्यपि उस वर्ष के अवसान से पूर्व की कोई अवधि वार्षिकी का प्रथम संदाय करने के लिए विल द्वारा नियत की गई है ।

355. वार्षिकी का सृजन करने के लिए विनिहित धनराशि पर ब्याज—जहां किसी वार्षिकी के सृजन के लिए किसी धनराशि के विनिहित किए जाने के लिए निदेश है, वहां उस पर ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से संदेय होगा ।

अध्याय 12—वसीयत संपदाओं के प्रतिदाय

356. न्यायालय के आदेशों के अधीन संदत्त वसीयत संपदा का प्रतिदाय—जहां किसी निष्पादक या प्रशासक ने, किसी न्यायालय के आदेश के अधीन किसी वसीयत सम्पदा का संदाय किया है वहां वह यह साबित हो जाने पर कि आस्तियां सभी वसीयत संपदाओं का संदाय करने के लिए अपर्याप्त हैं, वसीयतदार से उसका प्रतिदाय करने की मांग करने का हकदार है ।

357. यदि संदाय स्वैच्छिक है तो प्रतिदाय नहीं होगा—जब किसी निष्पादक या प्रशासक ने, वसीयत संपदा का संदाय स्वेच्छा से किया है तब वह यह साबित हो जाने पर कि आस्तियां सभी वसीयत संपदाओं का संदाय किए जाने के लिए अपर्याप्त हैं वसीयतकर्ता से उसका प्रतिदाय करने की मांग नहीं कर सकता है ।

358. उस समय प्रतिदाय जब वसीयत संपदा धारा 137 के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर शर्त का अनुपालन करने पर देय हो गई है—जब किसी शर्त का अनुपालन करने के लिए विल द्वारा विहित समय, शर्त का अनुपालन किए बिना व्यतीत हो गया है और तत्पश्चात् निष्पादक या प्रशासक ने कपट के बिना आस्तियों का वितरण कर दिया है तब ऐसे मामले में यदि शर्त के अनुपालन के लिए धारा 137 के अधीन अतिरिक्त समय दिया गया है और तदनुसार शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है तो निष्पादक या प्रशासक से वसीयत संपदा का दावा नहीं किया जा सकता है किन्तु वे, जिन्हें उसने उसका संदाय किया है, रकम के प्रतिदाय के लिए दायी हैं ।

359. प्रत्येक वसीयतदार को कब अनुपात में प्रतिदाय करने के लिए विवश किया जा सकेगा—जब निष्पादक या प्रशासक ने वसीयत संपदाओं में की आस्तियों का संदाय कर दिया है और तत्पश्चात् वह किसी ऐसे ऋण को चुकाने के लिए विवश होता है जिसकी उसे पूर्व सूचना नहीं थी तब वह प्रत्येक वसीयतदार के अनुपात में प्रतिदाय करने की मांग करने का हकदार है ।

360. आस्तियों का वितरण—जहां निष्पादक या प्रशासक ने लेनदारों या अन्य व्यक्तियों को मृतक की संपदा के प्रति अपने दावे उसे भेजने के लिए ऐसी सूचनाएं दी हैं जैसी उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा विहित करे या यदि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है तो जैसा उच्च न्यायालय किसी प्रशासन वाद में दे वहां वह दावे को भेजने के लिए उसमें नामित समय के अवसान पर, ऐसे विधिपूर्ण दावों पर, जिन्हें वह जानता हो, चुकाने के लिए आस्तियों या उसके किसी भाग का वितरण करने के लिए स्वतंत्र होगा और इस प्रकार वितरित आस्तियों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होगा जिसके दावों की उसे ऐसे वितरण के समय सूचना नहीं थी :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी लेनदार या दावेदार के उस व्यक्ति के हाथों में की आस्तियों या उसके किसी भाग का, जिसमें उसे भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त किया है, पीछा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

361. लेनदार वसीयतदार से प्रतिदाय की मांग कर सकेगा—ऐसा लेनदार, जिसने अपने ऋण का संदाय प्राप्त नहीं किया है, ऐसे वसीयतदार से, जिसने अपनी वसीयत संपदा का संदाय प्राप्त कर लिया है, प्रतिदाय करने की मांग कर सकेगा चाहे वसीयतकर्ता की संपदा उसकी मृत्यु के समय ऋणों और वसीयत संपदाओं, दोनों का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या नहीं; और चाहे निष्पादक या प्रशासक द्वारा वसीयत संपदाओं का संदाय स्वैच्छिक रहा हो या नहीं ।

362. ऐसा वसीयतदार, जिसकी तुष्टि नहीं हुई है या जिसे धारा 361 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, उस वसीयतदार को, जिसे पूर्ण संदाय किया गया है, प्रतिदाय करने के लिए कब बाध्य नहीं कर सकता है—यदि आस्तियां वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय सभी वसीयत संपदाओं की तुष्टि के लिए पर्याप्त थीं तो ऐसा वसीयतदार, जिसने अपनी वसीयत संपदा का संदाय प्राप्त नहीं किया है या जिसे धारा 361 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने पूर्ण संदाय प्राप्त किया है, चाहे वसीयत संपदा का संदाय उसे वाद के साथ या वाद बिना किया गया है, प्रतिदाय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा, यद्यपि आस्तियां निष्पादक द्वारा दुर्व्यय के कारण बाद में कम पड़ गई हैं ।

363. अतुष्ट वसीयतदार को निष्पादक के विरुद्ध, यदि वह ऋण शोधक्षम है, पहले कब कार्यवाही करनी चाहिए—यदि आस्तियां वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय सभी वसीयत संपदाओं की तुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं थीं तो ऐसे वसीयतदार को, जिसने

अपनी वसीयत संपदा का संदाय प्राप्त नहीं किया है, प्रतिदाय के लिए ऐसे वसीयतदार से मांग करने के पूर्व, जिसकी तुष्टि की गई है, निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध, यदि वह ऋण शोधक्षम है, पहले कार्यवाही करनी चाहिए, किन्तु यदि निष्पादक या प्रशासक दिवालिया है या संदाय करने के लिए दायी नहीं है तो अतुष्ट वसीयतदार प्रत्येक तुष्ट वसीयतदार को आनुपातिक रूप से प्रतिदाय करने के लिए बाध्य कर सकता है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

364. एक वसीयतदार की दूसरे वसीयतदार को प्रतिदाय करने की सीमा—एक वसीयतदार से दूसरे वसीयतदार को प्रतिदाय उस धनराशि से अधिक नहीं होगा जितनी तुष्ट वसीयत संपदा में से कम की जाती यदि संपदा का उचित प्रशासन किया गया होता ।

दृष्टांत

क ने **ख** को 240 रुपए की, **ग** को 460 रुपए की और **घ** को 720 रुपए की वसीयत है । आस्तियां केवल 1,200 रुपए हैं और यदि वसीयत उचित ढंग से प्रशासित होती है तो **ख** को 200 रुपए, **ग** को 400 रुपए और **घ** को 600 रुपए मिलेंगे । **ग** और **घ** को उनकी वसीयत संपदा पूर्ण रूप से संदत्त की गई है, **ख** के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है । **ख**, **ग** को 80 रुपए का प्रतिदाय करने के लिए और **घ** को 120 रुपए का प्रतिदाय करने के लिए बाध्य कर सकता है ।

365. प्रतिदाय पर ब्याज का न होना—प्रतिदाय सभी मामलों में ब्याज के बिना होगा ।

366. अवशेष का प्रायिक संदायों के पश्चात् अवशिष्ट वसीयतदार को संदत्त किया जाना—मृतक की संपत्ति के अधिशेष या अवशेष को, ऋणों और वसीयत संपदाओं का संदाय करने के पश्चात्, अवशिष्ट वसीयतदार को, यदि विल द्वारा कोई नियुक्त किया गया हो, संदत्त किया जाएगा ।

367. अधिवास के देश के निष्पादक या प्रशासक को भारत से आस्तियों का वितरण के लिए अंतरण—जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो [1][भारत] का अधिवासी नहीं है, [1][भारत] में और उस देश में, जहां का वह अपनी मृत्यु के समय अधिवासी था, दोनों में, आस्तियां छोड़कर मर गया है और [1][भारत] में की आस्तियों की बाबत [1][भारत] में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान और अधिवास के देश में की आस्तियों की बाबत उस देश में प्रशासन-पत्र का अनुदान किया गया है, वहां [1][भारत] का, यथास्थिति, निष्पादक या प्रशासक ऐसी सूचनाएं देकर, जैसा धारा 360 में वर्णित है, और ऐसे विधिपूर्ण दावों को, जिन्हें वह जानता है, उनमें नामित समय के अवसान पर चुकाने के पश्चात्, मृतक की संपत्ति के किसी अधिशेष या अवशेष को [1][भारत] के बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो उनके लिए हकदार है; स्वयं वितरण करने के स्थान पर, अधिशेष या अवशेष को, अधिवास के देश के, यथास्थिति, निष्पादक या प्रशासक की अनुमति से उसे, उन व्यक्तियों को वितरण करने के लिए अन्तरित कर सकेगा ।

अध्याय 13—विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व

368. विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व—जहां कोई निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा का दुरुपयोजन करता है या उसे हानि या नुकसान पहुंचाता है वहां वह इस प्रकार हुई हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

दृष्टांत

)i) निष्पादक संपदा में से निराधार दावे का संदाय करता है, वह हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

)ii) मृतक के पास एक मूल्यवान पट्टा था जिसका नवीकरण सूचना देकर किया जा सकता था, निष्पादक समुचित समय पर सूचना देने में उपेक्षा करता है, निष्पादक हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

)iii) मृतक के पास एक पट्टा था, जो उसके लिए संदेय भाटक से कम मूल्य का था किन्तु जो किसी विशिष्ट समय पर सूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता था । निष्पादक सूचना देने में उपेक्षा करता है । वह हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

369. संपत्ति का कोई भाग लेने में उपेक्षा के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व—जहां निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपत्ति का कोई भाग अपने भारसाधन में लेने में उपेक्षा करके, संपदा की हानि करता है वहां वह उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

दृष्टांत

)i) निष्पादक किसी ऋण शोधक्षम व्यक्ति से मृतक को देय कोई ऋण पूर्णतः छोड़ देता है या ऐसे ऋणी से, जो पूर्णतः संदाय करने में समर्थ है, प्रशमन करता है । निष्पादक उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

)ii) निष्पादक किसी ऋण के लिए उस समय तक दावा करने में उपेक्षा करता है जब तक ऋणी यह अभिवाक् करने में समर्थ हो जाता है कि दावा परिसीमा से वर्जित है और उसके द्वारा उस संपदा का वह ऋण डूब जाता है । निष्पादक उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है ।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 10

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

370. इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान पर निर्बन्धन—)1) इस भाग के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) ऐसे किसी ऋण या प्रतिभूति की बाबत अनुदत्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए कोई अधिकार, प्रशासन-पत्र या प्रोबेट द्वारा स्थापित किए जाने की धारा 212 या धारा 213 द्वारा अपेक्षा की गई है :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी ऋण या प्रतिभूति की बाबत मृत भारतीय क्रिश्चियन की चीजबस्त, या उसके किसी भाग के लिए हकदार होने का दावा करता है, इस कारण प्रमाणपत्र के अनुदान को रोकने वाली नहीं मानी जाएगी कि उसके लिए अधिकार इस भाग के अधीन प्रशासन-पत्र द्वारा स्थापित किया जा सकता है ।

)2) इस भाग के प्रयोजनों के लिए "प्रतिभूति" से अभिप्रेत है:—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई वचनपत्र, डिबेन्चर, स्टाक या अन्य प्रतिभूति;

(ख) भारत के राजस्व पर [1][यूनाइटेड किंगडम की] संसद् के अधिनियम द्वारा भारित कोई बन्धपत्र, डिबेन्चर या वार्षिकी;

(ग) किसी कंपनी या अन्य निगमित संस्था का कोई स्टाक या डिबेन्चर या उसमें शेयर;

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके निमित्त जारी किया गया कोई डिबेन्चर या धन के लिए कोई अन्य प्रतिभूति;

(ङ) कोई अन्य प्रतिभूति जिसे [2][राज्य सरकार] राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति के रूप में घोषित करे ।

371. प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय—वह जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक अपनी मृत्यु के समय मामूली तौर से निवास करता था या यदि उस समय उसका कोई नियत निवास स्थान नहीं था तो वह जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक की संपत्ति का कोई भाग पाया जाता है इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा ।

372. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन—)1) ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)1908 का 5) द्वारा, वादी द्वारा या उसके निमित्त किसी वाद को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए, विहित रीति से आवेदक द्वारा या उसके निमित्त हस्ताक्षरित और सत्यापित अर्जी द्वारा जिला न्यायाधीश को किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) मृतक की मृत्यु का समय;

(ख) मृतक का उसकी मृत्यु के समय मामूली निवास स्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस न्यायाधीश की, जिसे आवेदन किया गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था तब उन सीमाओं के भीतर मृतक की संपत्ति;

(ग) मृतक का कुटुम्ब या निकट नातेदार और उनके निवास स्थान;

(घ) वह अधिकार, जिस पर अर्जीदार दावा करता है;

(ङ) प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए या यदि वह अनुदत्त किया गया है तो उसकी विधिमान्यता के लिए इस अधिनियम की धारा 370 या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी अड़चन का अभाव; और

(च) वे ऋण और प्रतिभूतियां जिनकी बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है ।

)2) यदि अर्जी में ऐसा कोई प्राक्कथन है जिसके, उसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति को, मिथ्या होने का या तो ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 198 के अधीन अपराध किया है ।

[3][)3) ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन मृत लेनदार को देय किसी ऋण या किन्हीं ऋणों की बाबत या उनके प्रभागों की बाबत दिया जा सकेगा ।]

373. आवेदन पर प्रक्रिया—)1) यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन को ग्रहण करने के लिए आधार है तो वह उसकी सुनवाई के लिए एक दिन नियत करेगा और आवेदन की और उसकी सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना—

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[2] भारत शासक (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" शब्दों का अनुक्रमशः संशोधन किया गया है और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उन्हें उपरोक्त रूप में रखा गया है ।

[3] 1928 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।

COURT BOOK

(क) ऐसे किसी व्यक्ति पर तामील कराएगा जिसे न्यायाधीश की राय में, आवेदन की विशेष सूचना दी जानी चाहिए; और

(ख) न्याय सदन के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, प्रकाशित कराएगा जैसा न्यायाधीश, इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ठीक समझे,

और नियत दिन को या उसके पश्चात् यथाशक्यशीघ्र प्रमाणपत्र के अधिकार का संक्षिप्त रीति से विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा ।

)2) जब न्यायाधीश यह विनिश्चय करता है कि उसके लिए आवेदक को अधिकार है तो न्यायाधीश उसे प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आदेश देगा ।

)3) यदि न्यायाधीश ऐसी विधि या तथ्य के प्रश्नों का अवधारण किए बिना, जो संक्षिप्त कार्यवाहियों में अवधारण के लिए अधिक जटिल और कठिन प्रतीत होते हैं, प्रमाणपत्र के अधिकार का विनिश्चय नहीं कर सकता है तो भी यदि आवेदक प्रमाणपत्र के लिए प्रथमदृष्ट्या सर्वोत्तम हक रखने वाला प्रतीत होता है तो वह उसे प्रमाणपत्र का अनुदान कर सकेगा ।

)4) जब प्रमाणपत्र के लिए एक से अधिक आवेदक हैं और न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि ऐसे आवेदकों में से एक से अधिक मृतक की सम्पदा में हितबद्ध हैं तब न्यायाधीश, यह विनिश्चित करने में कि प्रमाणपत्र किसे दिया जाए, आवेदकों के हितों के विस्तार का और अन्य बातों में उनकी उपयुक्तता का ध्यान रख सकेगा ।

374. प्रमाणपत्र की विषयवस्तु—जब जिला न्यायाधीश कोई प्रमाणपत्र अनुदत्त करता है तब वह उन ऋणों और प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करेगा जो प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में उपवर्णित हैं और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, प्रतिभूतियों या उनमें से किसी—

(क) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने, या

(ख) का परक्रामण या अन्तरण करने, या

(ग) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने और उनका परक्रामण, या अन्तरण करने या उनमें से कोई कार्य करने के लिए,

सशक्त कर सकेगा ।

375. प्रमाणपत्र के प्राप्तिकर्ता से प्रतिभूति की अध्यपेक्षा—)1) जिला न्यायाधीश ऐसे किसी मामले में जिसमें वह धारा 373 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कार्यवाही करने की प्रस्थापना करता है, प्रमाणपत्र अनुदान करने की पुरोभाव्य शर्त के रूप में यह अध्यपेक्षा करेगा, और किसी अन्य मामले में यह अध्यपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति, जिसे वह अनुदान करने की प्रस्थापना करता है, उसके द्वारा प्राप्त ऋणों और प्रतिभूतियों का लेखा देने के लिए और ऐसे व्यक्तियों के परित्राण के लिए जो उन सम्पूर्ण ऋणों और प्रतिभूतियों के लिए या उसके किसी भाग के लिए हकदार हों, न्यायाधीश को एक या अधिक प्रतिभू या प्रतिभुओं के सहित एक बंधपत्र या पर्याप्त प्रतिभूति दे ।

)2) न्यायाधीश अर्जी द्वारा आवेदन किए जाने पर और उसके समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित किए जाने पर और प्रतिभूति की बाबत ऐसे निबन्धनों पर या यह उपबन्ध करके कि प्राप्त धन न्यायालय में या अन्यथा संदत्त किया जाए, जो वह ठीक समझे, बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूति को किसी समुचित व्यक्ति को समनुदिष्ट कर सकेगा और वह व्यक्ति तत्पश्चात् उस पर स्वयं अपने नाम से वैसे ही वाद लाने के लिए मानो वह न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर स्वयं उसे ही मूल रूप से दी गई हो, और सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए न्यासी के रूप में ऐसी रकम, जो उसके अधीन प्रत्युद्धरणीय हो, प्रत्युद्धृत करने के लिए हकदार होगा ।

376. प्रमाणपत्र का विस्तार—)1) जिला न्यायाधीश इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र के धारक के आवेदन पर प्रमाणपत्र का विस्तार ऐसे किसी ऋण या प्रतिभूति के लिए कर सकेगा जो उसमें मूल रूप से विनिर्दिष्ट नहीं है और ऐसे प्रत्येक विस्तार का वही प्रभाव होगा मानों वह ऋण या प्रतिभूति, जिसके लिए प्रमाणपत्र का विस्तार किया गया है, उसमें मूल रूप से विनिर्दिष्ट हो ।

)2) प्रमाणपत्र के विस्तार पर, ऐसी किसी प्रतिभूति पर, जिसके लिए प्रमाणपत्र का विस्तार किया गया है, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने या उसका परक्रामण या अन्तरण करने की बाबत शक्तियां प्रदत्त की जा सकेंगी और धारा 375 में वर्णित प्रयोजनों के लिए बन्धपत्र या और बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूति की उसी रीति से अपेक्षा की जा सकेगी जैसी प्रमाणपत्र के मूल अनुदान पर अपेक्षित है ।

377. प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र का प्ररूप—प्रमाणपत्रों का अनुदान और प्रमाणपत्रों का विस्तार परिस्थितियों में यथासंभव अनुसूची 8 में दिए गए प्ररूप में किया जाएगा ।

378. प्रतिभूतियों के बारे में शक्तियों की बाबत प्रमाणपत्र का संशोधन—जहां किसी जिला न्यायाधीश ने, प्रमाणपत्र के धारक को प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति की बाबत कोई शक्ति प्रदान नहीं की है या उसे प्रतिभूति पर केवल ब्याज या लाभांश लेने या उसका परक्रामण या अन्तरण करने के लिए सशक्त किया है वहां न्यायाधीश, अर्जी द्वारा आवेदन दिए जाने पर और उसके समाधानप्रद रूप में कारण दर्शित किए जाने पर, धारा 374 में वर्णित किसी शक्ति को प्रदत्त करते हुए या उन शक्तियों में से किसी एक शक्ति को किसी अन्य शक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए, प्रमाणपत्र में संशोधन कर सकेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

379. प्रमाणपत्रों पर न्यायालय की फीस का संग्रहण करने का ढंग—)1) प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र के विस्तार के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, आवेदित प्रमाणपत्र या विस्तार की बाबत न्यायालय फीस अधिनियम, 1870)1870 का 7(के अधीन संदेय फीस के समतुल्य राशि जमा की जाएगी ।

)2) यदि आवेदन मंजूर किया जाता है तो आवेदक द्वारा जमा राशि को पूर्वोक्त रूप में संदेय फीस के द्योतन के लिए स्टाम्प का क्रय करने में, न्यायाधीश के निदेशाधीन व्यय किया जाएगा ।

)3) ऐसी कोई राशि, जो उपधारा (1) के अधीन प्राप्त की गई है और उपधारा (2) के अधीन व्यय नहीं की गई है, उस व्यक्ति को प्रतिदत्त की जाएगी जिसने वह जमा की है ।

380. प्रमाणपत्र का स्थानीय विस्तार—इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र का प्रभाव संपूर्ण [1][भारत] [2]*** पर होगा ।

[3][यह धारा [1][भारत] से बर्मा और अदन के पृथक्करण के पश्चात् भारत में उन प्रमाणपत्रों को लागू होंगी जो पृथक्करण की तारीख[4] से पूर्व बर्मा और अदन में अनुदत्त किए गए हैं या उस तारीख के पश्चात् उन कार्यवाहियों में लागू होगी जो उस तारीख को लंबित थीं ।]

[5][यह [6][भारत] [7]*** से पाकिस्तान के पृथक् होने के पश्चात् [1][भारत] में ऐसे प्रमाणपत्रों को भी लागू होगी जो पृथक्करण की तारीख[8] से पूर्व अनुदत्त किए गए हैं या उस तारीख के पश्चात् उन कार्यवाहियों में लागू होगी जो उस तारीख को ऐसे किन्हीं राज्यक्षेत्रों में लंबित थीं जो उस तारीख को पाकिस्तान के भाग थे ।]

381. प्रमाणपत्र का प्रभाव—इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला न्यायाधीश का प्रमाणपत्र उसमें विनिर्दिष्ट ऋणों और प्रतिभूतियों की बाबत उन व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चायक होगा जो ऐसे ऋणों के देनदार या ऐसी प्रतिभूतियों पर दायी हैं, और धारा 370 के किसी उल्लंघन या किसी अन्य त्रुटि के होते हुए भी, ऐसे सभी व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, ऐसे ऋणों की बाबत सद्‌भाविक रूप से किए गए सभी संदायों या उसके साथ प्रतिभूतियों की बाबत किए गए सभी व्यवहारों के संबंध में पूर्ण परित्राण प्रदान करेगा ।

[9][**382. विदेशी राज्य में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा और कतिपय अन्य मामलों में अनुदत्त या विस्तारित प्रमाणपत्र का प्रभाव**—जहां परिस्थितियों में, यथासंभव अनुसूची 8 के प्ररूप में कोई प्रमाणपत्र—

(क) किसी विदेशी राज्य के भीतर किसी निवासी को, उस राज्य में प्रत्यायित किसी भारतीय प्रतिनिधि द्वारा अनुदत्त किया गया है, या

(ख) भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951)1951 का 3) के प्रारंभ के पूर्व किसी भाग ख राज्य के भीतर किसी निवासी को उस राज्य के जिला न्यायाधीश द्वारा अनुदत्त किया गया है या उसके द्वारा ऐसे प्ररूप में विस्तारित किया गया है, या

(ग) भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951)1951 का 3) के प्रारंभ के पश्चात् जम्मू-कश्मीर राज्य के भीतर किसी निवासी को उस राज्य के जिला न्यायाधीश द्वारा अनुदत्त किया गया है या उसके द्वारा ऐसे प्ररूप में विस्तारित किया गया है,

वहां उस प्रमाणपत्र का, जब उस पर इस भाग के अधीन प्रमाणपत्रों की बाबत न्यायालय फीस अधिनियम, 1870)1870 का 7) के उपबंधों के अनुसार, स्टाम्प लगा दिया गया है, भारत में वही प्रभाव होगा जैसा इस भाग के अधीन अनुदत्त या विस्तारित प्रमाणपत्र का होता है ।]

383. प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण—इस भाग के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की कार्यवाहियां सारतः त्रुटिपूर्ण थीं;

(ख) प्रमाणपत्र असत्य का सुझाव देकर या मामले के लिए किसी तात्त्विक बात को न्यायालय से छिपाकर कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था;

(ग) प्रमाणपत्र उसके अनुदान को न्यायोचित बनाने के लिए विधि की दृष्टि से आवश्यक तथ्य के असत्य अभिकथन के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया था यद्यपि ऐसे अभिकथन को अनभिज्ञता या अनवधानता पूर्वक किया गया था;

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[4] 1 अप्रैल, 1937 ।
[5] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा जोड़ा गया ।
[6] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1952 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "भारत के" शब्दों का लोप किया गया ।
[8] 15 अगस्त, 1947 ।
[9] 1957 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) प्रमाणपत्र परिस्थितियों के कारण अनुपयोगी और अप्रवर्तनीय हो गया है;

(ङ) प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋणों या प्रतिभूतियों को समाविष्ट करने वाली चीजबस्त की बाबत किसी वाद या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश के कारण प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत कर दिया जाना उचित हो गया है ।

COURT BOOK

384. अपीलें—)1) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र को अनुदत्त, नामंजूर या प्रतिसंहृत करने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील उच्च न्यायालय को की जाएगी और उच्च न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, अपील में आदेश द्वारा उस व्यक्ति की घोषणा कर सकेगा जिसे प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए और जिला न्यायाधीश को यह निदेश दे सकेगा कि वह अनुदान का आवेदन किए जाने पर पहले से अनुदत्त प्रमाणपत्र को, यदि कोई हो, अधिक्रांत करते हुए तदनुसार प्रमाणपत्र अनुदत्त करे ।

)2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)1908 का 5) के अधीन अपील के लिए अनुज्ञात समय के भीतर की जानी चाहिए ।

)3) उपधारा (1) के उपबन्धों के और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)1908 का 5) की धारा 141 द्वारा यथा लागू उस संहिता के, उच्च न्यायालय को निर्देश या उसके द्वारा पुनरीक्षण की बाबत और निर्णयों के पुनर्विलोकन की बाबत, उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस भाग के अधीन जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा ।

385. पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव—इस अधिनियम द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मृत व्यक्ति की किसी चीजबस्त की बाबत इसके अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र अविधिमान्य होगा यदि मृत व्यक्ति की संपदा की बाबत ऐसे प्रमाणपत्र या प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का कोई पूर्व अनुदान किया गया है और यदि ऐसा पूर्व अनुदान प्रवृत्त है ।

386. अविधिमान्य प्रमाणपत्र के धारक को सद्भाव से किए गए कतिपय संदायों का विधिमान्यकरण—जहां इस भाग के अधीन कोई प्रमाणपत्र अधिक्रांत कर दिया गया है या धारा 383 के अधीन प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत कर दिए जाने के कारण या धारा 384 के अधीन किसी अपीली आदेश में नामित व्यक्ति को प्रमाणपत्र का अनुदान करने के कारण या प्रमाणपत्र के पूर्ववर्ती अनुदान के कारण या किसी अन्य कारण से अविधिमान्य है वहां उस अधिक्रमण या अविधिमान्यता को अनभिज्ञता में ऐसे अधिक्रांत या अविधिमान्य प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋणों या प्रतिभूतियों की बाबत ऐसे प्रमाणपत्रों के धारक को किए गए सभी संदाय या उसके साथ किए गए संव्यवहार किसी अन्य प्रमाणपत्र के अधीन दावों की प्रति मान्य होंगे ।

387. इस धारा के अधीन विनिश्चयों का प्रभाव और उसके अधीन प्रमाणपत्र धारक का दायित्व—किन्हीं पक्षकारों के बीच अधिकार के किसी प्रश्न पर इस भाग के अधीन कोई विनिश्चय उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी वाद या किसी अन्य कार्यवाही में उसी प्रश्न के विचारण को पारित करने वाला नहीं माना जाएगा और इस भाग की किसी बात का इस प्रकार अर्थान्वियन नहीं किया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी ऋण या प्रतिभूति का संपूर्ण या उसका कोई भाग या किसी प्रतिभूति पर कोई ब्याज या लाभांश प्राप्त करता है, उसके लिए विधिपूर्ण रीति से हकदार व्यक्ति को उसका लेखा-जोखा देने के दायित्व पर प्रभाव डालता है ।

388. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालयों की अधिकारिता अवर न्यायालय को प्रदान करना—)1) राज्य सरकार इस भाग के अधीन जिला न्यायाधीश के कृत्यों का प्रयोग करने की शक्ति जिला न्यायाधीश की श्रेणी से अवर श्रेणी के किसी न्यायालय को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदान कर सकेगी ।

)2) इस प्रकार शक्ति प्राप्त अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, इस भाग द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने में जिला न्यायाधीश के साथ समवर्ती अधिकारिता होगी और जिला न्यायाधीश से संबंधित इस भाग के उपबन्ध ऐसे अवर न्यायालय को वैसे ही लागू होंगे मानो वह जिला न्यायाधीश होः

परन्तु किसी अवर न्यायालय के किसी ऐसे आदेश से, जैसा धारा 384 की उपधारा (1) में वर्णित है कोई अपील जिला न्यायाधीश को की जाएगी न कि उच्च न्यायालय को और जिला न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे अपील पर अपने आदेश द्वारा कोई ऐसी घोषणा या ऐसा निदेश कर सकेगा जैसा उस उपधारा में जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील पर उच्च न्यायालय को अपने आदेश द्वारा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

)3) अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन, अवर न्यायालय के आदेश से अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश, उच्च न्यायालय को निर्देश या उसके द्वारा पुनरीक्षण की बाबत या निर्णयों के पुनर्विलोकन की बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)1908 का 5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसा कि उस संहिता की धारा 141 द्वारा लागू हैं, अंतिम होगा ।

)4) जिला न्यायाधीश इस भाग के अधीन किसी कार्यवाही को अवर न्यायालय से प्रत्याहृत कर सकेगा और उसे या तो स्वयं निपटा सकेगा या जिला न्यायाधीश की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित ऐसे किसी अन्य न्यायालय को, जिसके पास उन कार्यवाहियों को निपटाने का प्राधिकार हो, अन्तरित कर सकेगा ।

)5) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अवर न्यायालय को विशेष रूप से या ऐसे न्यायालयों के किसी वर्ग को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

)6) कोई सिविल न्यायालय, जो किसी अधिनियमिति के किन्हीं प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश का अधीनस्थ है या उसके नियंत्रणाधीन है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश के ग्रेड से अवर ग्रेड का न्यायालय माना जाएगा।

COURT BOOK

389. अधिक्रांत और अविधिमान्य प्रमाणपत्रों का अभ्यर्पण—)1) जब इस भाग के अधीन कोई प्रमाणपत्र, धारा 386 में वर्णित किन्हीं कारणों से अधिक्रांत कर दिया गया है या अविधिमान्य है तब उसका धारक, अनुदत्त करने वाले न्यायालय की अध्यपेक्षा पर, प्रमाणपत्र उस न्यायालय को परिदत्त करेगा।

)2) यदि वह जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसे परिदत्त नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

390. 1827 के बाम्बे रेगूलेशन संख्यांक 8 के अधीन प्रमाणपत्रों की बाबत उपबंध—1827 के बाम्बे रेगूलेशन संख्यांक 8 में किसी बात के होते हुए भी इस भाग के अधीन प्रमाणपत्रों और उनके लिए आवेदनों की बाबत धारा 370 की उपधारा (2), धारा 372 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और धारा 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 383, 384, 387, 388, और 389 के उपबन्ध और निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा सूचियों और लेखाओं के प्रदर्शन की बाबत धारा 317 के उपबन्ध, जहां तक उन्हें लागू किया जा सके, 1 मई, 1889 के पश्चात् उस रेगूलेशन के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्रों को और उसके अधीन प्रमाणपत्रों के लिए दिए गए आवेदनों को और इस प्रकार अनुदत्त ऐसे प्रमाणपत्रों के धारकों द्वारा सूचियों और लेखाओं के प्रदर्शन को लागू होंगे।

भाग 11

प्रकीर्ण

391. व्यावृत्ति—भाग 8, भाग 9 या भाग 10 में की कोई बात—

)i) ऐसे किसी वसीयती व्ययन को विधिमान्य नहीं करेगी जो अन्यथा अविधिमान्य है;

)ii) ऐसे किसी वसीयती व्ययन को अवििधिमान्य नहीं करेगी जो अन्यथा विधिमान्य है;

)iii) किसी व्यक्ति को भरण-पोषण के किसी अधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार है; या

)iv) महाप्रबन्धक अधिनियम, 1913)1913 का 3(को प्रभावित नहीं करेगी।

392. [**निरसन।**]—निरसन अधिनियम, 1927)1927 का 12(की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनुसूची 1

(धारा 28 देखिए)

समरक्तता की सारणी

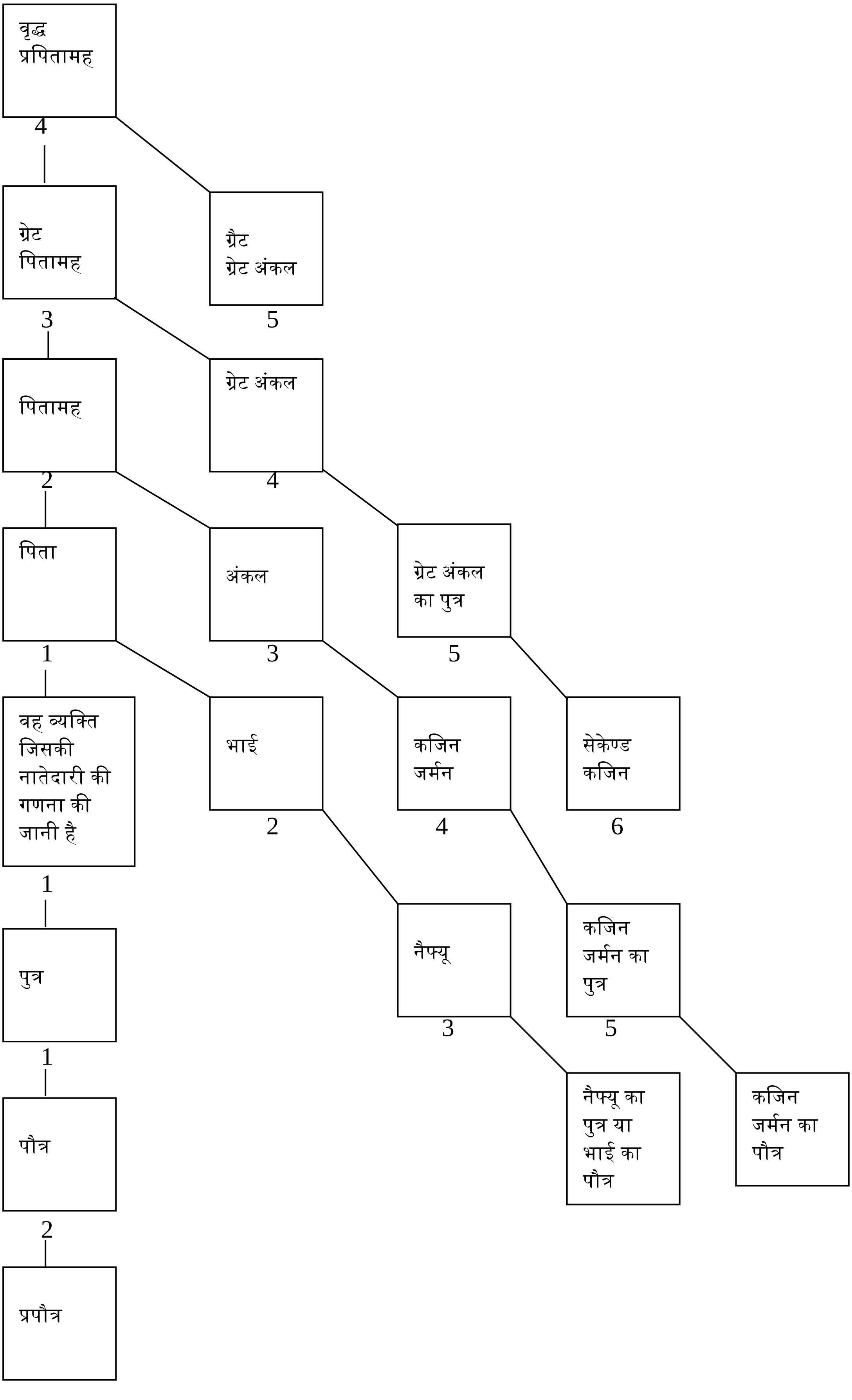

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][अनुसूची 2

भाग 1

(धारा 54 देखिए)

)1) पिता और माता ।

)2) (अर्धरक्त भाइयों और बहनों से भिन्न) भाई और बहन और उनमें से जिनकी निर्वसीयती के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके पारंपरिक वंशज ।

)3) पितामह-पितामही और मातामह-मातामही ।

)4) पितामह-पितामही और मातामह-मातामही की संतानें तथा उनमें से जिनकी निर्वसीयती के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके पारंपरिक वंशज ।

)5) प्रपितामह-प्रपितामही और प्रमातामह-प्रमातामही ।

)6) प्रपितामह-प्रपितामही और प्रमातामह-प्रमातामही की संतानें तथा उनमें से जिनकी निर्वसीयती के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके पारंपरिक वंशज ।

भाग 2

(धारा 55 देखिए)

)1) पिता और माता ।

)2) (अर्धरक्त भाइयों और बहनों से भिन्न) भाई और बहन और उनमें से जिनकी निर्वसीयती के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके पारंपरिक वंशज ।

)3) पितामह-पितामही और मातामह-मातामही ।

)4) पितामह-पितामही और मातामह-मातामही की संतानें तथा उनमें से जिनकी निर्वसीयती के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके पारंपरिक वंशज ।

)5) प्रपितामह-प्रपितामही और प्रमातामह-प्रमातामही ।

)6([2][पितामह-पितामही और मातामह-मातामही के माता-पिता की संतानें] तथा उनमें से जिनकी निर्वसीयती के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके पारंपरिक वंशज ।

)7) अर्धरक्त भाई तथा बहनें और उनमें से जिनके निर्वसीयती के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके पारंपरिक वंशज ।

)8) भाइयों या अर्धरक्त भाइयों की विधवाएं और बहनों या अर्धरक्त बहनों के विधुर ।

)9) पितामह-पितामही या मातामह-मातामही की संतानों की विधवाएं या विधुर ।

)10) निर्वसीयती के मृत पारंपरिक वंशजों की वे विधवाएं या विधुर जिन्होंने निर्वसीयती की मृत्यु के पूर्व पुनर्विवाह नहीं किया है ।]

अनुसूची 3

(धारा 57 देखिए)

धारा 57 में वर्णित कतिपय विलों और क्रोडपत्रों को लागू होने वाले भाग 6 के उपबन्ध

धारा 59, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, [3][117] , 119, 120, 121, 122 , 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 51 की धारा 7 द्वारा अनुसूची 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2001 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा (3-9-2001 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1929 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

पूर्वगामी धाराओं को लागू करने में निर्बंधन और उपान्तरण

1. उनमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी वसीयतकर्ता को ऐसी संपत्ति की वसीयत करने का प्राधिकार नहीं देगी, जिसे वह जीवित व्यक्तियों के बीच अन्य संक्रांत नहीं कर सकता था या किसी व्यक्ति को भरण-पोषण के किसी ऐसे अधिकार से वंचित करने का प्राधिकार नहीं देगी जिससे वह उन्हें, यदि ये धाराएं लागू न होतीं तो, विल द्वारा वंचित नहीं कर सकता था ।

2. उनमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी हिन्दू, बौद्ध, सिख या जैन को संपत्ति में ऐसा कोई हित सृजन करने का प्राधिकार नहीं देगी, जिसका सृजन वह 1870 के सितम्बर के प्रथम दिन के पूर्व नहीं कर सकता था ।

3. उनमें अन्तर्विष्ट कोई बात दत्तक या निर्वसीयती उत्तराधिकार की किसी विधि को प्रभावित नहीं करेगी ।

4. धारा 70 को लागू करने में "विवाह द्वारा या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

5. ऐसे विलों और क्रोडपत्रों को निम्नलिखित धाराओं में से किसी को, अर्थात् धारा पचहत्तर, छिहत्तर, एक सौ पांच, एक सौ नौ, एक सौ ग्यारह, एक सौ बारह, एक सौ तेरह, एक सौ चौदह, एक सौ पन्द्रह और एक सौ सौलह को लागू करने में, "पुत्र", "पुत्रों", "संतान" और "संतानों" शब्दों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत दत्तक संतान है और "पौत्र-पौत्री-दोहित्र्-दोहित्री" शब्दों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत दत्तक या अकृत्रिम संतान की दत्तक या अकृत्रिम संतानें हैं और "पुत्र-वधु" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत दत्तक पुत्र की पत्नी है ।

अनुसूची 4

[धारा 274)2) देखिए]

प्रमाणपत्र का प्ररूप

मैं, **क० ख०**..उच्च न्यायालय (या जो स्थिति है वह लिखिए) क ा रजिस्ट्रार (या जो स्थिति है वह लिखिए) यह प्रमाणित करता हूं कि तारीख..को उच्च न्यायालय (या जो स्थिति है वह लिखिए) ने मृतक **ग०घ०** की, जो...का निवासी था विल के प्रोबेट (या संपदा के प्रशासन-पत्र) का अनुदान **ङ० च०** जो...का निवासी है और **छ० ज०** जो...का निवासी है को किया है, और ऐसे प्रोबेट (या प्रशासन-पत्र) का प्रभाव मृतक की [1][भारत] [2]*** में सर्वत्र सभी संपत्ति पर है ।

अनुसूची 5

[धारा 284)4) देखिए]

केवियट का प्ररूप

मृतक **क० ख०**............का निवासी था, और उसकी मृत्यु तारीख............................को हुई थी, उसकी संपदा के विषय में कोई भी बात **ग०घ०** को, जो...............का निवासी है, सूचना दिए बिना न की जाए ।

अनुसूची 6

[धारा 289 देखिए]

प्रोबेट का प्ररूप

मैं...............................जो.......................जिले का न्यायाधीश [या (यहा ं प्रतिनिधि की अधिकारिता की स ीमाएं लिखिए) मैं प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान के लिए नियुक्त प्रतिनिधि] हूं यह सर्वविदित करता हूं कि मृतक....................की, जो.......................का निवासी था, अन्तिम विल, जिसकी एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध है, मेरे समक्ष साबित और रजिस्टर की गई थी और यह कि मृतक और उसके विल से किसी भी प्रकार संबंधित संपत्ति और पावनों के प्रशासन का अनुदान उस विल में नामित निष्पादक...........को, उसके द्वारा यह वचनबद्ध किए जाने पर किया गया है कि वह उसका प्रशासन करेगा और इस अनुदान की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त सम्पत्ति और पावनों की पूर्ण और सही तालिका बनाकर उसे इस न्यायालय में प्रदर्शित करेगा तथा उसी तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त सम्पत्ति और पावनों का सच्चा लेखा भी इस न्यायालय को देगा ।

[1] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत" शब्द का लोप किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनुसूची 7

(धारा 290 देखिए)

प्रशासन-पत्र का प्ररूप

मैं..............जो................जिले का न्यायाधीश [या (यहां प्रतिनिधि की अधिकारिता की सीमाएं लिखिए) में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान के लिए, नियुक्त प्रतिनिधि] हूं, या सर्वविदित करता हूं कि मृतक की, जो.....................का निवासी था, सम्पत्ति और पावनों के प्रशासन-पत्र का (जिसके साथ विल उपाबद्ध है/नहीं है) अनुदान मृतक के पिता (या जो स्थिति हो वह लिखिए)........................को, उसके द्वारा यह वचनबद्ध किए जाने पर किया गया है कि वह उसका प्रशासन करेगा और इस अनुदान की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त सम्पत्ति और पावनों की पूर्ण और सही तालिका बनाकर उसे इस न्यायालय में प्रदर्शित करेगा तथा उसी तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त सम्पत्ति और पावनों का सच्चा लेखा भी इस न्यायालय को देगा।

अनुसूची 8

(धारा 377 देखिए)

प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र के प्ररूप

...........................का न्यायालय

प्रेषिती, **क ख**

आपने निम्नलिखित ऋणों और प्रतिभूतियों के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए तारीख................को आवेदन किया है, अर्थात्:—

ऋण

क्रम संख्यांक	ऋणी का [1][नाम]	आवेदन की तारीख को ब्याज सहित ऋण की रकम	यदि ऋण किसी लिखत द्वारा प्रतिभूत है तो उसका वर्णन और उसकी तारीख

प्रतिभूतियां

क्रम संख्यांक	वर्णन			प्रमाणपत्र के लिए आवेदन की तारीख को प्रतिभूति का बाजार मूल्य
	प्रतिभूति का सुभिन्नक संख्यांक या अक्षर	प्रतिभूति का नाम, शीर्षक या वर्ग	प्रतिभूति की रकम या समतुल्य मूल्य	

तदनुसार यह प्रमाणपत्र आप को अनुदत्त किया जाता है और यह प्रमाणपत्र आपको उन ऋणों का संग्रह करने के लिए (और) (उन प्रतिभूतियों) (पर) (ब्याज) (लाभांश) (प्राप्त करने के लिए) (उनका) (परक्रामण करने के लिए) (अन्तरण करने के लिए) सशक्त करता है।

तारीख..........................

जिला न्यायाधीश

...................................का न्यायालय

क. ख. के मुझको किए गए तारीख................................वाले आवेदन पर मैं इस प्रमाणपत्र का विस्तार निम्नलिखित ऋणों और प्रतिभूतियों पर करता हूं, अर्थात्:—

ऋण

क्रम संख्यांक	ऋणी का नाम	विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ब्याज सहित ऋण की रकम	यदि ऋण किसी लिखत द्वारा प्रतिभूत है तो उसका वर्णन और उसकी तारीख

[1] 1952 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा "संख्या" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्रतिभूतियां

क्रम संख्यांक	वर्णन			प्रमाणपत्र के लिए आवेदन की तारीख को प्रतिभूति का बाजार मूल्य
	प्रतिभूति का सुभिन्नक संख्यांक या अक्षर	प्रतिभूति का नाम, शीर्षक या वर्ग	प्रतिभूति की रकम या समतुल्य मूल्य	

यह विस्तार क० ख० को उन ऋणों का संग्रह करने के लिए (और) (उन प्रतिभूतियों) (पर) (ब्याज) (लाभांश) (प्राप्त करने के लिए) (उनका परक्रामण करने के लिए) (अन्तरण करने के लिए) सशक्त करता है ।

तारीख..........................

जिला न्यायाधीश

अनुसूची 9—[**अधिनियमितियां निरसित** ।] निरसन अधिनियम, 1927)1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

COURT BOOK